राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

खंड 2] सप्तम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का 15 वां दिवस [संख्या 8

सोमवार, दिनांक 9 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक म.पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

सर्व श्री घनश्याम तिवाड़ी, नाथूसिंह, जीतमल जैन और दीपेन्द्र सिंह ।

अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड, अलवर

115. सर्व श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर), नाथूसिंह (बांदीकुई), जीतमल जैन (अलवर) और दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड में कितने स्कूटर्स का प्रतिवर्ष निर्माण हो रहा है ?

(2) क्या यह फैक्ट्री पूर्ण क्षमता से कार्य कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इसका प्रबंध केल्वीनेटर्स प्रतिष्ठान को सौंपने का निर्णय ले लिया गया है ? कृपया विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखें ।

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री प्रद्युम्नसिंह): (1) अरावली स्वचालित वाहन लि. में दिनांक 16-2-1979 से ले-ऑफ घोषित करने के कारण उत्पादन बन्द है ।

(2) जी नहीं । क्योंकि फैक्ट्री में ले ऑफ है ।

(3) जी हां । इस फैक्ट्री में फिर से उत्पादन प्रारम्भ करने के लिये मैसर्स केल्वीनेटर्स ऑफ इण्डिया लि. द्वारा प्रस्तुत विलय प्रस्ताव को राज्य सरकार एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं ने स्वीकार कर लिया है । शर्तों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, विवरण अभी तक हमें नहीं मिला है । क्या विवरण है ?

श्री अध्यक्ष: उत्तर के पीछे लगा हुआ होगा । आपने देखा ही नहीं होगा ।

श्री नाथूसिंह : मुझे मिला ही नहीं ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप कहें तो पढ़ कर सुना दूं ।

श्री नाथूसिंह : फिर इसको स्थगित किया जाये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, पहले आप व्यवस्था दीजिये कि उत्तर समय पर मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : उत्तर तो समय पर ही पहुंचना चाहिये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने शनिवार को ही अप्रूव करके भिजवा दिया था । अभी तक नहीं मिला है तो सचिवालय को इसका प्रबन्ध करना है, श्रीमन् ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी मिला है । अब मैं क्या सप्लीमेन्ट्री पूंछू ?

श्री अध्यक्ष : चार प्रश्नकर्ता हैं । एक एक भी प्रश्न पूछें तो सप्लीमेन्ट्री हो जाये ।

श्री घनश्याम जी तिवाड़ी के पास चला गया, वह गैर हाजिर होंगे ।

श्री नाथूसिंह : मेरा भी प्रश्न है । मेरे पास भी आना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष: आप सुना दीजिये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं पढ़कर सुना देता हूं, श्रीमन् ।

1. मैसर्स केल्वीनेटर्स ऑफ इण्डिया लि. अरावली स्वचालित वाहन लि. के समस्त अंशधारियों (आर्डिनरी शेयर होल्डर्स) को उनके प्रत्येक 10) रु. के अंकित मूल्य के हिस्से पर स्थगित भुगतान के आधार पर सम्पूर्ण 10) रु. का भुगतान करेगा । 10) रु. के अंकित मूल्य में से प्रारम्भ में प्रथम किश्त 50 पैसे प्रति हिस्से के हिसाब से समस्त अंशधारियों को मैसर्स केल्वीनेटर्स ऑफ इण्डिया लि. अपने हिस्से, जिसका अनुमानित मूल्य 20 रु. प्रति हिस्सा माना गया है, हस्तान्तरित करेगा । शेष 9.50 रु. प्रति हिस्से का भुगतान 5 वर्ष के विलम्ब काल के पश्चात् 10 वार्षिक समान किश्तों में नकद रूप में किया जायेगा ।

2. रीको एवं समस्त अन्य वित्तीय संस्थायें अरावली स्वचालित वाहन लि. को दिए गए सभी प्रकार के ऋणों पर 30-6-80 तक की सम्पूर्ण ब्याज की राशि का अपलेखन करेंगे । 1-7-80 से समस्त ऋण की राशि पर मैसर्स केल्वीनेटर्स आफ इण्डिया लि. निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा ।

3. रीको एवं समस्त वित्तीय संस्थाओं को उनकी ऋण की राशि का भुगतान मै. केल्वीनेटर्स आफ इण्डिया लि. तीन वर्ष के विलम्ब काल के पश्चात् 7 वर्षों में समान वार्षिक किश्तों में करेगा ।

4. मै. अरावली स्वचालित वाहन लि. के समस्त कर्मचारियों को मै. केल्वीनेटर्स ऑफ इण्डिया लि. उनकी वर्तमान सेवा शर्तों पर अथवा अधिक लाभकारी सेवा शर्तों पर रखेगा ।

5. मै. केल्वीनेटर्स ऑफ इण्डिया लि. का प्रस्ताव आयकर अधिनियम की धारा 72 ए के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही क्रियान्वित किया जायेगा ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कार्य कब तक हो जायेगा ? इसमें सरकार को क्या नुकसान उठाना पड़ेगा ? यदि उठाना पड़ेगा तो कितना ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार को अरावली स्वचालित वाहन लि. से तो घाटा है ही। इसी कारण से...

श्री नाथूसिंह : कितना है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : 1 करोड़ 73 लाख 9 हजार रुपयों का घाटा 31 मार्च तक आंका गया है। पूर्व सरकार ने सन् 1979 के अन्दर इस बात का निर्णय लिया था कि इस फैक्ट्री को अरावली स्वचालित वाहन लि. चलाने में असमर्थ है इसलिए इसको किसी प्राइवेट पार्टी को दे दिया जाये। उसके तहत विभाग ने कार्यवाही की और इसके बारे में कई दूसरी कम्पनीज से बात की कि इसको किस रूप से उनको दिया जाये जिससे कि सरकार की जो पूंजी लगी हुई है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की पूंजी लगी हुई है, वित्तीय संस्थाओं का जो इसमें रुपया है, उस सब को सुरक्षित किया जा सके। अन्यथा स्थिति यह है, अध्यक्ष महोदय, एक तो 173 लाख रुपये का घाटा हो गया है और साथ ही साथ इसकी पूंजी भी साफ हो गई है। आज स्थिति यह हो गई है घाटे के बाद। इसलिए यह उचित समझा गया कि केल्वीनेटर्स आफ इण्डिया के साथ जो कान्ट्रेक्ट किया था, और कम्पनियों के मुकाबले में वह काफी अट्रेक्टिव आफर था, जो वित्तीय संस्थाओं के ऋण थे, राज्य सरकार का कर्जा था और इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा था, चाहे वे डेफर्ड पेमेंट के आधार पर हो, कम से कम उनकी जो आफर थी उसके कारण से वह सेफ नजर आया। इसलिए राज्य सरकार ने इसको स्वीकार किया।

दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा कि यह कब तक हो जायेगा तो धारा 72 इनकम टैक्स के तहत इस प्रकार का जो एमलगमेशन का प्रस्ताव होता है उसको भारत सरकार को भेजना आवश्यक होता है क्योंकि उस कम्पनी का जिस कम्पनी में एमलगमेशन होगा उसका लाभ तभी प्राप्त होगा जब कि राज्य सरकार की स्वीकृति मिल जायेगी। वैसे भी इनकम टैक्स के नियमों के तहत यह आवश्यक है। यह मामला भारत सरकार के विचाराधीन है। इस पर जैसे ही निर्णय होगा उसके बाद ही फैक्ट्री चालू होगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहता था...

श्री अध्यक्ष : मैं आपको बाद में अवसर दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि अरावली स्वचालित वाहन लि. ने एमलगमेशन के बारे में किस समय प्रस्ताव पास किया ? इस प्रस्ताव के पश्चात् केल्वीनेटर्स कम्पनी से आपका अन्तिम समझौता किस तारीख को हो गया ? इस समझौते के बाद भारत सरकार को इनकम टैक्स एक्ट के तहत कब लिखा गया ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जनवरी, 1981 में गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को केल्वीनेटर्स कम्पनी ने एमलगमेशन के लिए लिखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसने लिखा है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : केल्वीनेटर्स कम्पनी ने लिखा है। राज्य सरकार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हमने भी भारत सरकार को लिखा है कि हमारा इस प्रकार का समझौता केल्वीनेटर्स कम्पनी के साथ हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दो डेट्स दें। एक तो अरावली स्वचालित वाहन लि. ने किस समय निर्णय लिया एमलगमेशन के बारे में ? केल्वीनेटर्स कम्पनी से आपका फाइनल निर्णय कब हुआ ? भारत सरकार को कब लिखा ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह अरावली स्वचालित वाहन लि. ने निर्णय नहीं लिया था यह निर्णय मंत्री मण्डल का हुआ था। इस पर मंत्री मण्डल की पुष्टि होना आवश्यक थी। यह जनवरी, 80 को हुई है। मंत्री मण्डल ने इस प्रस्ताव की पुष्टि दिसम्बर 80 में की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या अरावली स्वचालित वाहन लि. ने कोई प्रस्ताव या निर्णय नहीं लिया कि हमें एमलगमेट किया जाये ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस प्रकार का निर्णय लिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं लिया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : लिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कब लिया है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : तारीख तो नहीं है। आपका पर्पज क्या है ? पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल, जयपुर): तारीख बताइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो यह बता दीजिये, मंत्रिमण्डल ने निर्णय कब लिया ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : दिसम्बर, 80 के अन्दर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दिसम्बर, 80 से लेकर जनवरी, 81 तक आपकी केल्वीनेटर कम्पनी से बातचीत होती रही ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने आपसे निवेदन किया, इसके अन्दर तीन कम्पनियां थीं। तीनों कम्पनियों के आफर थे। केल्वीनेटर का आफर था, आईसर का था और स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड का था। सबको स्क्रूटनाइज करना था, जांच करनी थी। जो सबसे अधिक लाभकारी आफर थी उसमें सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखा गया कि कम्पनी की क्षमता···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप अगर डेट्स बता दें, जिन कम्पनियों ने आफर दिये वे फाइनल आफर किस समय तक आपके पास पहुंच गये ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह आईशर का जो आफर था, इसके बारे में मंत्रिमण्डल ने....

(विराम)

6 फरवरी, 1979 को ले आफ हो गया। अगस्त, 79 के अन्दर

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
तत्कालीन उद्योग मंत्री ने पत्रावली के ऊपर लिखा कि इसमें स्कूटर्स का उत्पादन बन्द हो चुका है। सरकार क्षमता नहीं रखती। प्राइवेट पार्टीज को दे दिया जाये। यह अगस्त के महीने की बात है I don't have the specific date. I have got the month. तत्कालीन उद्योग मंत्री ने पत्रावली के ऊपर लिखा उसके बाद नेगोसियेशन्स की कार्यवाही के लिये हमारे पास आफर्स आईं कम्पनीज की। एक दिन के अन्दर तो आफर्स आ नहीं गईं। आईशर की आफर थी, केल्वीनेटर्स की आफर थी। स्क्रूटनाइज किया, बातचीत करी··

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आफर कब कब आई ?

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक सप्लीमेंट्री का मौका दीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या राजस्थान की किसी कम्पनी ने आफर दिया था ? ये तीनों कम्पनियां राजस्थान के बाहर की हैं। राजस्थान को इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। न इनके यहां हैड ऑफिस हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि राजस्थान की किसी कम्पनी ने आपको आफर भेजा था ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स इन्वाल्व थीं इसलिये जो अगस्त, 80 के अन्दर···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा पूछना यह नहीं है, उनकी आफर्स कब कब आईं ?

श्री अध्यक्ष : आपके पास जितनी जानकारी है वह दे दी···

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, Date is not pertinent to this question.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Very pertinent, Sir. डेट्स बहुत पर्टीनेंट हैं। जब समझौता हुआ, मुख्य मंत्री जी के दस्तखत नहीं हुये थे। लाखों रुपये का प्रतिदिन घाटा होता है···

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई घाटा नहीं हुआ···

श्री श्रीराम गोटेवाला : ब्याज वाला घाटा तो है ही।

श्री प्रद्युम्न सिंह : फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन्स ने इस बात को एग्री कर लिया कि 30-6-80 तक जो रुपया दिया जाये उस पर ब्याज नहीं लिया जाये। उसके बाद केल्वीनेटर ऑफ इण्डिया खुद ब्याज का भुगतान् करेगी। राजस्थान की किसी फर्म ने आफर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री दीपेन्द्र सिंह।

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, जैसा उन्होंने कहा राजस्थान की किसी कम्पनी ने आफर नहीं दिया, क्या एसोसियेटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज ने कोई आफर नहीं दिया ? जिन कम्पनीज के आफर आपके पास आये उनमें राजस्थान की कम्पनी को प्राथमिकता देने के लिये राजस्थान सरकार सोच सकती है ? यदि नहीं, तो कौन से मापदण्ड निश्चित किये गये हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि राजस्थान की किसी कम्पनी ने हमको आफर नहीं दिया··

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य ने अभी नाम बताया है··

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अभी जानकारी प्राप्त करके दे रहा हूं··

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जानकारी दी नहीं है··

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब हमने निर्णय ले लिया, उसके बाद एसोसियेटेड कम्पनी का आफर आया है··

श्री दीपेन्द्रसिंह : निर्णय कितनी तारीख को लिया ?

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : केबिनेट डिसीजन के बाद··

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि 6-2-1979 से लेकर जब ले-आफ हुआ, तब से इस कम्पनी पर कितना खर्चा हुआ ? दूसरा राजस्थान सरकार ने आफर के लिये क्या समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया ? तीसरा क्या एमलगामेशन को समाचार पत्रों में प्रकाशन किया गया ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : एसोसियेटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज का आफर केबिनेट डिसीजन के बाद फरवरी, 81 के अन्दर आया जबकि उसके पहले फाइनेलाइज हो चुका है। भारत सरकार को जनवरी, 81 में लिखा जा चुका है। भारत सरकार को लिखे जाने के उपरान्त एसोसियेटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज का आफर आया था तब इस पर विचार करना इसलिये सम्भव नहीं था····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समय काफी हो चुका है। प्रश्नकर्ता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैने यह निवेदन किया कि 16-2-79 से अब तक इस कम्पनी पर कितना खर्चा हुआ ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य। अन्य किसी तरीके से इस प्रश्न को उठा सकते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो आफर आई, समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया था क्या ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बिना विज्ञापन के····

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, समय जा रहा है। अन्य किसी तरीके से आप इस प्रश्न को बाद में उठा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो देना चाहिए।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक नीति

(7)

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)
सम्बन्धी छोटा सा प्रश्न है। सब प्रांइवेट कम्पनियों की बात की जाती है, किन्तु सरकार ने इतने रूपये लगाकर कार्य किया और घाटे में चलाती रही है और अब उसको दूसरी कम्पनी को देने को तैयार है तो इसकी जिम्मेदारी तो किसी अधिकारी पर फिक्स की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बहुत से प्रश्न बच जायेंगे, इसलिये इस प्रश्न को अन्य तरीके से उठा सकते हैं बाद में।

अगला प्रश्न। श्री चुन्नीलाल।

एक माननीय सदस्य : बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं।

श्री चुन्नीलाल।

सवाई माधोपुर शहर से स्टेशन तक चालित बसेज

116. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सवाई माधोपुर शहर से स्टेशन सवाई माधोपुर के मध्य चलने वाली बसेज के परमिट कान्ट्रेक्ट कैरिजेज के दिये गये हैं या स्टेज कैरिजेज के ? कृपया इन परमिट्स की संख्या एवं परमिटधारियों के नामों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या कान्ट्रेक्ट कैरिजेज की बसें हर स्थान से सवारियां उठाकर लाने ले जाने का कार्य कर सकती हैं ? यदि नहीं, तो सवाई माधोपुर में कान्ट्रेक्ट कैरिजेज की बसेज सिटी बस के रूप में कैसे चल रही हैं एवं सवाई माधोपुर शहर से स्टेशन सवाई माधोपुर तक का किराया 75 पैसे प्रति सवारी के हिसाब से किस कानून के तहत वसूल किया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि इन बसेज की ओवर लोडिंग एवं किराये में मनमानी करने के बारे में आम जनता की ओर से शिकायतें की गई हैं ? यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) कान्ट्रेक्ट कैरिजेज की जो बसें अवैध रूप से सवाई माधोपुर में चल रही हैं, उनके परमिट सरकार ने अब तक क्यों नहीं निरस्त किये ?

(5) क्या सरकार इन परमिट्स को कान्ट्रेक्ट कैरिजेज में बदलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(6) क्या कमल एण्ड कम्पनी, जयपुर एवं सवाई माधोपुर के प्राइवेट बस आपरेटर्स ने शहर सवाई माधोपुर से स्टेशन सवाई माधोपुर तक का किराया प्रति सवारी 40 पैसा लेकर चलाने की बाबत प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उनको नीची दरों पर बसें चलाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई ?

यातायात मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) केवल सवाई माधोपुर शहर से स्टेशन सवाई माधोपुर के कोई परमिट अलग से दिये हुए नहीं हैं

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)।
वरन् सवाई माधोपुर नगरपालिका क्षेत्र की 10 मील की परिधि, जिसमें सीमेन्ट फैक्ट्री तथा रणथम्भोर क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, में 16 कान्ट्रैक्ट कैरिजेज बसों के परमिट दिये गये हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) कान्ट्रैक्ट कैरिजेज की बसें सिटी बसों की तरह सवारियां उतारने व चढ़ाने का कार्य नहीं कर सकती हैं। इस प्रकार नियम विरुद्ध वाहन चलाये जाने के कारण प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिट निरस्त किये गये थे तथा इस निर्णय के विरुद्ध अनुज्ञाधारियों द्वारा अपील करने पर राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण द्वारा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार का यह निर्णय निरस्त करने के पुनर्विचार के लिये निर्णय लिया है, जो प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के समक्ष विचाराधीन है।

(3) इन बसों का 75 पैसे प्रति सवारी किराया प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार द्वारा कभी निर्धारित नहीं किया गया। किराये का निर्धारण शिकायत कर्ता अभिभाषक संघ आदि के विचार-विमर्श से स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा किया गया था।

(4) इस सम्बन्ध में जनता की शिकायतें प्राप्त होने पर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिट निरस्त किये गये थे लेकिन राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण द्वारा मामला पुनर्विचार हेतु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार को भेजा गया है, जो विचाराधीन है।

(5) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के समक्ष कान्ट्रैक्ट कैरिजेज के परमिट निरस्त करने एवं स्टेज कैरिजेज के परमिट स्वीकार करने का मामला समग्र दृष्टि से निर्णयार्थ विचाराधीन है।

(6) ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट संख्या 2 देखें)

श्री चुन्नी लाल : अध्यक्ष महोदय, जो 10 मील परिधि का एग्रीमेंट किया गया है, कान्ट्रैक्ट कैरिजेज के आधार पर उसमें सिर्फ सवाई माधोपुर शहर से बसें स्टेशन तक चलती हैं। उसमें किराये की जो रेट है, वह निर्धारित नहीं हैं। मनचाहे पैसे वसूल किये जाते हैं। इस तरह लोगों को बहुत परेशानी होती है। उन बसेज में 5 मील के 75 पैसे वसूल किये जाते हैं। हर स्थान पर लाने ले जाने का कार्य वे करते हैं जब कि आपने कहा इस तरह का कार्य नहीं कर सकते हैं। तो जो कान्ट्रैक्ट कैरिजेज के आधार पर परमिट दे रखे है, क्या सरकार उन परमिट्स को निरस्त करने का विचार रखती है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न में कान्ट्रैक्ट कैरिजेज का है। यह बात सही है कि कान्ट्रैक्ट कैरिजेज के आधार पर परमिट दिये गये हैं। 14-2-70 से शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त होती रही हैं, किन्तु तत्कालीन सरकार ने उन शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की। अब 22-9-80 को पहली शिकायत विधायक महोदय के द्वारा प्राप्त हुई है। इसके बाद कान्ट्रैक्ट कैरिजेज को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। उसकी अपील

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)
हुई, अपील पर यह हुआ कि सारी दृष्टि से विचार करना चाहिये। यदि समाप्त कर दिया जाता है तो यात्रियों को असुविधा होगी इसलिये अब यह विचाराधीन है। यात्रियों को असुविधा न हो, यही हमारा लक्ष्य है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री चुन्नी लाल : अध्यक्ष महोदय, कान्ट्रेक्ट कैरिजेज के आधार पर जो परमिट दिये गये हैं, क्या उस समय किराये की रेट निर्धारित की गई थी ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : किराये की रेट तय नहीं की थी। तत्कालीन सरकार के समय में जिलाधीश के समक्ष एक मीटिंग हुई थी और उस समय ही यह फैसला हुआ था। उस फैसले की प्रति मेरे पास है, आप चाहें तो मैं बता सकता हूं। तत्कालीन अधिकारियों, जिन्होंने किराये का फैसला किया, पर कार्यवाही करने का विचार है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री जीतमल जैन।

गृह कर

117. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या गृह कर में रु. 180) सालाना किराया योग्य मकानों को कर से छूट दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार आज के परिप्रेक्ष में उक्त छूट की सीमा को उचित मानती है ?

(2) यदि नहीं, तो रु. 180) की छूट की सीमा को कितने रुपये तक बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता) : (1) जी हां। गृह कर मुक्ति की सीमा को बढ़ाने का मामला सरकार के विचाराधीन है, लेकिन इस मामले में अन्तिम निर्णय होने तक राज्य सरकार ने कर निर्धारण वर्ष 1977–78 से अस्थाई रूप से 600) तक के वार्षिक किराये तक के मकानों पर गृह कर वसूल न किये जाने के आदेश नगरपालिकाओं को दे दिये हैं।

(2) छूट की राशि 180) रु. से बढ़ा कर 600) रु. कर दी गई है।

श्री जीत मल जैन : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि ये आदेश किस तारीख को प्रसारित किये गये थे ?

श्री अध्यक्ष : प्रासंगिक नहीं है। अगला प्रश्न।

श्री जीतमल जैन : किस तारीख को आदेश प्रसारित किये गये थे ? मैं माननीय मंत्री महोदय से अलवर के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर अभी 180) रु. की भी छूट नहीं है। अलवर नगरपालिका में वसूल किया जा रहा है। सारी नगरपालिकाओं को हिदायत दी गई है, तो फिर अलवर में यह वसूली क्यों की जा रही है ? ये आदेश कब के हैं, बता दें ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : 77 के हैं।

श्री जीतमल जैन : जिन नगरपालिकाओं में 180) रु. से अधिक पर गृह

(श्री जीतमल जैन)

कर वसूल किया जा रहा है क्या उन सबको इस आदेश के अनुसार वापस दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अगर मुझे जानकारी देंगे तो कार्यवाही करूंगा।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, 600) रु. का जो मापदण्ड रखा है, इस मापदण्ड को रखने का क्या आधार है ? 600) रु. ही क्यों है, इसका क्या आधार है ?

श्री अध्यक्ष : 900) रु. रखें, तब भी आधार की बात तो आ जाती है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : किस कारण 600) रु. की राशि रखी है ?

(व्यवधान)

माननीय मंत्री महोदय जवाब देना चाह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समझ गये, माननीय मंत्री महोदय, उत्तर दे रहे हैं।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : सन् 1977 में केबिनेट का फैसला हुआ था कि 600) रु. कर दिया जाये। अब इसके आगे के लिये और विचार कर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री सूरज पाल सिंह।

भीनमाल तहसील के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

118. श्री सूरज पाल सिंह (भीनमाल): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भीनमाल तहसील के ग्राम कूका, मेड़ा, वाडाभाड़वी, डूंगरवा, भालनी, गावड़ी बाली आदि गांवों में पीने का पानी खारा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त गांवों की एक क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बना कर राज्य सरकार को भेजी गई थी ?

(3) उपरोक्त गांवों की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री बनवारी लाल) : (1) जी हां, सन्दर्भित ग्रामों में पानी खारा है तथा ये ग्राम समस्याग्रस्त ग्रामों की प्रथम श्रेणी में आते हैं।

(2) जी हां। ग्राम गावड़ी के अतिरिक्त इन ग्रामों हेतु एक क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बनाई गई है। ग्राम गवनरी में हैण्ड पम्प योजना चालू कर दी गई है।

(3) उपरोक्त ग्रामों में योजना की स्वीकृति जिला आयोजना समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् तथा धन उपलब्धि के अनुसार ही सम्भव हो सकेगी।

श्री सूरजपाल सिंह : कब तक हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दिया माननीय मंत्री महोदय ने।

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय; मंत्री महोदय ने स्वयं ने बताया कि ये समस्याग्रस्त क्षेत्र हैं और सब में खारा पानी है। इस हिसाब से कब तक स्वीकृति मिल जावेगी ? निश्चित आश्वासन देने की कृपा करें।

श्री बनवारी लाल : इन ग्रामों के लिये एक पी. एस. एस. की स्कीम बनाई गई है···

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : क्या क्षेत्रीय लोगों के ढाई–ढाई हजार जमा हैं···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज । अलग से प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया। मंत्री महोदय ने जवाब बड़ा गलत दिया है। 13 ग्रामों के लिए क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना है। उनके लिए एक इस तरह की स्कीम बनाई गई थी। मंत्री महोदय बता रहे हैं कि ग्राम पंचायतों को पूछा गया है। यह तो 13 गांवों की योजना है और 31 लाख की योजना बनाकर भेजी गई थी।

श्री बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, सन् 1980-81 में एक पी. एस. एस. स्कीम बनायी गयी थी, जिसमें पंचायत द्वारा ढाई पर्सेन्ट मेन्टीनेन्स खर्चा उठाने की स्वीकृति नहीं दी गयी। इसके बाद फिर एक इसके अलावा क्षेत्रीय योजना बनायी गयी थी, इन 13 ग्रामों में उसके बाद डी. ए. पी. के द्वारा उनका अनुमोदन नहीं हुआ है, वह आने के बाद ही विचार किया जायेगा।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : जैसा कि मन्त्री महोदय ने अभी बताया कि इन ग्रामों में पानी खारा है और दूसरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि हैण्ड पम्प योजना स्वीकृत हुई है

श्री बनवारी लाल : एक गांव के लिए ....

श्रीमती विद्या पाठक : तो क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि पानी खारा है तो हैण्ड पम्प लगाने से कैसे ड्रिंकेबल हो जायेगा, फिर क्या यह वेस्टेज नहीं है, जैसा कि बहुत जगह हुआ है ?

श्री सूरजपाल सिंह : यह समस्याग्रस्त गांव हैं। इस योजना को कब तक स्वीकृति दे दी जावेगी ?

श्री बनवारी लाल : धनराशि के आने पर निर्भर करता है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, उनकी सीनियोरिटी मारी जा रही है जिन गांवों में पानी खारा है ···

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय; जो यह हैण्ड पम्प योजना स्वीकृत की गयी है क्या यह 7-8-10 हजार रुपये का वेस्टेज नहीं है ?

श्री बनवारी लाल : जहां हैण्ड पम्प लगाये गये हैं, वहां पानी खारा नहीं है।

श्री भैरूं लाल भारद्वाज : क्या रुपये जमा करा रखे हैं ? आखिर सरकार कब तक उनकी पानी की व्यवस्था करेगी ? कब तक वहां के लोग पानी के लिए इन्तजार करते रहेंगे ? आज तक वहां पानी नहीं मिला लोगों को।

प्रश्न संख्या 119

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): मेरा भी एक प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बहुत दूर का इलाका है। माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें। आपको भी अवसर दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लें, इस विभाग में 5 हजार रुपये प्रायोरिटी देने के लिए कहा था तो इसके लिए··

श्री अध्यक्ष : वह अलग स्कीम है, अलग क्षेत्र के लिए, अलग प्रकार की है।

श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, मैं यह जानना चाहूंगा कि जहां खारा पानी है और स्कीम इन्ट्रोड्यूस की है, वहां क्या करने जा रहे हैं, जो मंजूर कर दी है, उसका क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री रतन लाल ताम्बी।

बिजोलिया क्षेत्र में खनिज पट्टे देने के विचाराधीन प्रकरण

120. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया क्षेत्र में खनन पट्टे देने के मामले स्वीकृति हेतु सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो इन पर निर्णय क्यों नहीं हो रहा है ?

(2) इन मामलों के निर्णय के अभाव में इस वर्ष राज कोष को कितना नुकसान हुआ ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बिजोलिया क्षेत्र के लीज खनन क्षेत्रों के मामलों का निर्णय समय पर होने की स्थिति में राज कोष को 50 लाख रुपये की आय होती ? इस मामले में कौन जिम्मेदार है एवं देरी होने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार से कृषि भूमि आवंटन करा कर उसका विक्रय किये जाने के पश्चात् उसी भूमि पर खनन करने के मामले विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही किन-किन के विरुद्ध विचाराधीन है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार बिजोलिया क्षेत्र में लीज क्षेत्र के अलावा आसपास नाजायज खनन के मामलों में विस्तृत सर्वेक्षण एवं सीमाबन्दी कराना चाहती है ताकि नाजायज क्षेत्रों की सीमा एवं स्थिति स्पष्ट हो सके ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री नाना लाल): (1) भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया क्षेत्र में अप्रधान खनिज के खनन पट्टों का कोई भी मामला स्वीकृति हेतु सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। इस क्षेत्र में भाटक एवं अधिशुल्क पट्टे स्वीकृत किये जाते हैं इसमें कुल 336 प्लाटों के लिए 22763 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। इन प्लाटों को लाटरी द्वारा आवंटन करने की स्वीकृति के प्रस्ताव शासन के विचाराधीन हैं।

(2) हानि का प्रश्न ही नहीं है। मामला नीति सम्बन्धित होने के कारण शासन के विचाराधीन है।

(3) चूंकि यह नीति सम्बन्धी मामला है। अतः जब भाटक एवं अधिशुल्क पट्टों के आवंटन का निर्णय हो जायेगा उसके बाद ही उससे प्राप्त राजस्व का प्रश्न पैदा होगा। अतः पूर्व में ही हानि-लाभ का जायजा नहीं लिया जा सकता। मामला नीति निर्धारण का है, इसलिये जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) खातेदारी जमीन, जो कि बन्जर, बारानी, चाही आदि है, में भाटक एवं अधिशुल्क पट्टे लेने हेतु 22 आवेदकों ने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये हैं जिसमें प्रत्येक आवेदक ने एक प्लाट चाहकर शेष भूमि को अन्य व्यक्तियों में आवंटन करने हेतु अर्पण करने की सहमति दी है। 22 आवेदकों की सूची संलग्न है। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत कागजात में यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस खातेदार की जमीन खरीदी गयी है व उस खातेदार के पास वह जमीन अलाटमेंट की गयी थी या खरीद की।

(5) इस क्षेत्र में सभी भाटक एवं अधिशुल्क पट्टों का आवंटन सर्वे कराकर प्लान बनाकर ही किया जाता है और सीमांकित प्लान द्वारा ही पट्टे दिये जाते हैं। लीज क्षेत्र के अलावा नाजायज खनन के मामलों की पूर्व में जांच कराने हेतु आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण कराने की शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें नहीं, माननीय सदस्यगण।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या राज्य सरकार के समक्ष मौजूद क्षेत्र में आवंटित भू-खण्डों के अतिरिक्त राज्य सरकार के राजस्व विभाग की, वन विभाग की और व्यक्तिगत लोगों की भूमि, जिसमें नाजायज खनन हो रहा है और उससे लगभग 50 लाख रुपये पेनल्टी की वसूली होनी है, क्या इसके लिए कोई कार्यवाही आपके पास विचाराधीन है?

श्री नानालाल : यह तो पूर्व में बता चुके हैं कि जहां नाजायज काम हो रहा है, उसके लिए राज्य सरकार की कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री रतनलाल ताम्बी : क्या राज्य सरकार के सामने रायल्टी, रेन्ट और पेनल्टी छोड़ने के मामले विचाराधीन हैं और अगर हैं तो उसमें कितने-कितने और किस-किस पार्टी से लेने हैं?

श्री नानालाल : रेन्ट का मामला तो कहीं है नहीं प्रश्न में।

श्री रतनलाल ताम्बी : रायल्टी, पेनल्टी और रेन्ट की वसूली लिखी हुई है, उसके

(श्री रतनलाल ताम्बी)
सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है और उसकी जानकारी के अनुसार उस कार्यवाही को ड्राप करने का मामला भी आपके सामने विचाराधीन है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब भी साथ ही आ जाय। प्रश्न संख्या 132 भी इसी से सम्बन्धित है, तो समय की बचत हो जायेगी।

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, उसमें सूची तो कहीं है नहीं, यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो आपको···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : झालावाड़ जिले से संबंधित है।

श्री रतनलाल ताम्बी : मेरा सुझाव है कि झालावाड़ जिले के बिजोलिया क्षेत्र में बड़ी मात्रा में नाजायज खनन होने के कारण राज्य सरकार को खनिज विभाग को, रेवेन्यू विभाग को, फोरेस्ट विभाग को, करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। जो प्रस्ताव विचाराधीन है उसकी पत्रावली में रायल्टी, रेन्ट और पेनल्टी का विवरण मौजूद है, उसको छोड़ने का या ड्राप करने का मामला भी विचाराधीन है ?

श्री नानालाल : इस क्षेत्र में छूट एवं अधिशुल्क प्लान बनाकर ही तय किया जाता है, सीमाबन्दी करने और···

एक माननीय सदस्य : इसका जवाब चाहिए।

श्री रतनलाल ताम्बी : ·· 50 लाख से एक करोड़ का मामला घोटाले का है, मैं चाहता हूं कि इसकी सी बी. आई. से जांच करायी जाय। कितना नाजायज खनन हो रहा है, जिसको प्रोत्साहित करके राज्य को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ऐसा अखबारों में छपा, दरख्वास्तें आयीं और असेम्बली में भी इस प्रकार का प्रश्न उठा। इसकी जानकारी मुझे दें।

श्री नानालाल : ये राज्य सरकार के विचाराधीन है और उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जैसा माननीय मन्त्री महोदय ने बताया।

(व्यवधान)

मैं स्वश्चन आपके हित में ही कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि कितने आवेदन पत्र आपके पास हैं ?

श्री रतनलाल ताम्बी : मेरे प्रश्न का पहले जवाब आना चाहिए।

श्री अहमद बक्श सिन्धी (जोधपुर) : ये मतलब भी समझते हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया क्षेत्र में नाजायज खनन के मामलों को लेकर गवर्नमेंट की ओर से डेड रेंट, रायल्टी और पेनल्टी के नोटिसेज दिये गये थे। यदि हां, तो वे कितने रुपयों के थे ? कितने लोगों को दिए गए थे ? अब क्या उन नोटिसेज को विथड्रा कर

(श्री रतनलाल ताम्बी)
लिया गया है या डेड रेंट, रायल्टी या पेनल्टी के मामलों में छूट का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री नाना लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अलग से है। इसके आंकड़े तो अभी नहीं हैं· · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, आप कृपया इतना बता दें कि नाजायज खनन की शिकायतें आपके विभाग में आई हैं क्या ?

श्री नानालाल : नाजायज खनन की शिकायतें तो कहीं-कहीं पर आती हैं और उन पर सरकार उचित कार्यवाही करती है और जहां-जहां पर इस प्रकार के नाजायज कब्जे किये जाते हैं उनका सर्वे करा कर सरकार उचित कार्यवाही करती है· · ·

(व्यवधान)

श्री देवेंद्र सिंह (बनेड़ा) : सरकार स्वयं इस बात को मानती है कि नाजायज कब्जे होते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या वहां के अधिकारी जिम्मेदार हैं जिनके संरक्षण में ये नाजायज कब्जे हो रहे हैं ? वहां के अधिकारी क्या कर रहे हैं ? क्या नाजायज खनन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर डेड रेंट, रायल्टी और पेनल्टी वसूल करने की कार्यवाही सरकार द्वारा की गई है और अगर की गई है, तो कितनी वसूली हुई है ? यदि वसूली नहीं हुई है, तो क्या सरकार ने इसको रोके रखा है ?

(व्यवधान)

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। यदि होगी तो अवश्य कार्यवाही की जावेगी।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया क्षेत्र में नाजायज खनन के मामले···

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ गया है, माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बिलकुल उत्तर नहीं दिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न· · · ऑर्डर प्लीज· · ·

श्री रतनलाल ताम्बी : इसमें 50 लाख की आय का प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि सी. बी. आई. से इसकी जांच कराई जाय। क्या गवर्नमेंट सी. बी. आई. से इसकी जांच करने को तैयार है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को माननीय मंत्री महोदय ने यह कह कर टाल दिया कि अलग से प्रश्न है। जब कि प्रश्न के भाग (5) में स्पष्ट रूप से यह पूछा गया है कि, क्या सरकार बिजोलिया

(श्री मोहनलाल मोदी)

क्षेत्र में लीज क्षेत्र के अलावा आसपास नाजायज खनन के मामलों में विस्तृत सर्वेक्षण एवं सीमाबन्दी कराना चाहती है· ·.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न इतना सा है कि। · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी एक माननीय सदस्य अपने पैरों पर हैं।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : ताकि नाजायज क्षेत्रों की सीमा एवं स्थिति स्पष्ट हो सके ? मंत्री महोदय ने इस प्रश्न को बिलकुल स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या वहां पर ऐसे नाजायज खनन कार्य हो रहे हैं और उनमें कितने रुपयों की पेनल्टी, डेड रेंट इन्वाल्व्ड है ? यह प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। जब हम प्रश्न पूछते हैं और उनका सही उत्तर मंत्री महोदय द्वारा नहीं दिया जाता तो हमारे प्रश्न पूछने का महत्व ही क्या है ? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप मंत्री महोदय से उत्तर दिलवायें।

श्री देवेन्द्रसिंह : सरकार कह रही है कि उनको जानकारी नहीं है। यह बहुत गंभीर मामला है इसलिए इसको स्थगित करके उत्तर दिलवाया जाय।

श्री अध्यक्ष : समय काफी हो गया है माननीय सदस्य · · ·

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यह जानना चाहूँगी · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो इतना जानना चाहती हूं कि क्या सरकार सी.बी.आई. से जांच कराने को तैयार है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यदि माननीय सदस्य उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो इस प्रश्न को अन्य तरीके से उठा सकते हैं। अब समय काफी हो गया है। इसी प्रश्न पर 15 मिनट का समय लग गया है।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा है।

श्री रतनलाल ताम्बी : क्या सी.बी.आई. से जांच कराने का आश्वासन देंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, इसमें करोड़ों रुपयों के घोटाले का प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित किया जावे।

श्री रतनलाल ताम्बी : जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर ही नहीं आया है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, जब प्रश्न का उत्तर · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रतनलाल ताम्बी : वहां पर सैंकड़ों मामले विचाराधीन हैं और बहुत घोटाले हो रहे हैं। राज्य को करोड़ों रुपयों की आमदनी खनन सम्पदा से हो सकती है। जो घोटाले हो रहे हैं, क्या उसकी सी.बी.आई से जांच कराई जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ध्यान रखिये, काफी समय हो गया है। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : इसको स्थगित किया जावे। अगर प्रश्न का सही उत्तर नहीं आएगा तो प्रश्न पूछने का क्या फायदा होगा ?

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय नये आये हैं तो क्या सरकार की तरफ से उत्तर भी नहीं मिलेगा ?

श्री मोहनलाल मोदी : ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें पचास लाख रुपयों से एक करोड़ रुपयों तक की राशि इन्वाल्व्ड है, उस प्रश्न का सही उत्तर यदि विधान सभा में नहीं दिया जावे और आप उसको स्थगित भी नहीं करें तो हमारे यहां पर बैठे रहने से क्या फायदा है ?

(व्यवधान)

आप हमारे अधिकारों की रक्षा करने वाले हैं इसलिए मैं निवेदन करूंगा····

श्री रतनलाल ताम्बी ····· इसका फैसला होने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर...

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : मंत्री महोदय कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जब मंत्री महोदय इसका जवाब नहीं दे रहे हैं और आप इसको स्थगित भी नहीं कह रहे हैं तो हमारे अधिकारों की रक्षा कौन करेगा ?

श्री अध्यक्ष : आपके अधिकारों की रक्षा के लिए ही इस प्रश्न को 15 मिनट का समय दे दिया है।

श्री रतनलाल ताम्बी : लेकिन जवाब तो नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : यदि मन्त्री महोदय सूचना नहीं दें तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जवाब नहीं देना चाहते हैं। वहां पर नाजायज तौर से कब्जे हो रहे हैं।···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य...आर्डर प्लीज...

श्री मोहनलाल मोदी : आप स्थगित कर दीजिए इस प्रश्न को।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को जब जानकारी नहीं है तो

(श्री यदुनाथ सिंह)
स्थगित कर दें। जब जानकारी आ जावे तब जवाब दिलवा दीजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गम्भीर है। मंत्री महोदय, कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है इसको स्थगित किया जावे। प्रश्न इतना है कि नाजायज कब्जे हो रहे हैं उसकी सी.बी.आई. से जांच कराई जावे। अगर सी.बी.आई. से नहीं कराते तो एक कमेटी बनाकर जांच करावें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आप हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री रतनलाल ताम्बी : XXX

श्री मेघराज तावड़ : XXX

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : मैं इस बारे में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि गुड, बैड, इन डिफरेंट कुछ तो जवाब आए।

श्री अध्यक्ष : अगर आपके उत्तर की यही परिभाषा है तो उत्तर तो आ गया है।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जवाब नहीं देना चाहते इनको जवाब देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित कर रहे हैं आप।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। जवाब आ चुका है।

(व्यवधान)

मेरी बात सुनिये। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। यदि माननीय सदस्य, उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं तो नियमों में अन्य प्रावधान उपलब्ध हैं। आप यदि उन नियमों का उपयोग करना चाहें तो मैं बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक उन पर विचार करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नियमों में प्रावधान नहीं है जिससे मंत्री महोदय से जवाब ले सकते हों। यह तो नहीं ले पायेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह पहला ही दिन है, पहला अवसर है।

(व्यवधान)

आप इसको अन्य तरीके से लावें, इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, जिससे इस प्रश्न को दुबारा लाया जा सके।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, फिर वही बात होगी। मैंने निवेदन कर दिया है। आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

भरतपुर सिमको फैक्ट्री में तालाबन्दी

121. श्री हरिसिंह (महुआ),

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर),

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) एवं

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भरतपुर स्थित सिमको फैक्ट्री में जो तालाबन्दी प्रबन्धकों ने की है, उसको समाप्त किए जाने हेतु राज्य सरकार की ओर से क्या कदम उठाये गए और मजदूरों के हितों की रक्षार्थ क्या कार्यवाही की गई ?

राज्य मंत्री, श्रम (श्री दिनेश डांगी) : तालाबन्दी प्रबन्धकों ने दिनांक 6-10-80 से की थी, उसे दिनांक 9-2-81 से समाप्त कर दिया है।

श्री हरिसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि तालाबन्दी पीरियड में जो मजदूरों को हानि हुई है उसकी पूर्ति करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

श्री दिनेश डांगी : जी हां, उनको कुछ पैसा अग्रिम व कुछ अतिरिक्त दिया गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह तालाबन्दी नियमित थी या अनियमित ?

श्री दिनेश डांगी : उनका समझौता आपस में नहीं हुआ था··

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : तालाबन्दी क्या तब हुई है जब सारी रेमेडीज समझौते की खत्म हो चुकी थीं ? क्या सरकार के नोटिस में यह है कि 5 अक्टूबर को तालाबन्दी हुई ? 4 अक्टूबर को मुख्य मंत्री जी वहां मौजूद थे उनके स्वागत में बहुत बढ़िया रोशनी हुई थी, स्वागत की सारी व्यवस्था बहुत कुछ सिमको के प्रबंधकों ने ही की थी। क्या यह तालाबन्दी 5 अक्टूबर को मुख्य मंत्री जी की परोक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अनुमति से हुई या वैसे ही कर दी गई ?

श्री दिनेश डांगी : उन्होंने अपनी ओर से ही तय किया, जब हमारी मानी नहीं। पांच यूनियनों ने हस्ताक्षर कर दिये हैं, एक ने ही नहीं किये थे।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : मुख्य मंत्री जी की मौजूदगी में तालाबन्दी हुई या नहीं ? वह मौजूद थे एक दिन पहले। उनके स्वागत-सत्कार की व्यवस्था बहुत कुछ प्रबन्धकों ने की तालाबन्दी के पहले। मुख्य मंत्रीजी ने तालाबंदी रोकने के लिए मध्यस्थता की या नहीं ? यूनियनों को निकालने की कोशिश अलग चीज है सीटू को लाने की, लेकिन क्या यह तालाबन्दी नियमित थी या अनियमित ?

श्री दिनेश डांगी : तालाबन्दी नियमित है या अनियमित इसका निर्णय श्रम न्यायाधिकरण द्वारा किया जाता है।

श्री राजबहादुर : मैं यह जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी गये या नहीं...

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी : मुख्य मंत्री जी को इन्वाल्व करना बेकार की बात है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि तालाबन्दी के पूर्व लेबर कमिश्नर के स्तर पर नेगोसियेशन की कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री दिनेश डांगी : इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि लेबर कमिश्नर के स्तर पर क्या कार्यवाही हुई लेकिन क्षेत्रीय अधिकारियों ने पूरी कोशिश की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा प्रश्न यह नहीं है। क्या लेबर कमिश्नर के स्तर पर रिकंसीडरेशन की या नेगोसियेशन की कोई कार्यवाही हुई है ?

श्री दिनेश डांगी : समय समय पर इसकी कार्यवाही आपस में समझौता करवाने की, की गई लेकिन समझौता नहीं हो सका।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : 5 अक्टूबर से 9 फरवरी तक मजदूरों को एक भी पैसा मजदूरी या पगार का नहीं मिला···

श्री दिनेश डांगी : उनको कुछ पैसा दिया गया है और कुछ अग्रिम दिया गया है।

श्री राजबहादुर : कितना पैसा दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : यह सब बाद में मालूम कर लें माननीय सदस्य, अगला प्रश्न।

मुख्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी आरोप लगाया कि मैं भरतपुर में था, उस दिन मेरी जानकारी में तालाबन्दी हुई। यह बात बिलकुल निराधार है।

श्री राजबहादुर : मेरा प्रश्न यह है कि डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आप से पूछा गया था तालाबन्दी से पहले···

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मेरी जानकारी में नहीं है, सारी जानकारी श्रम मंत्री जी से संबंधित है जो उन्होंने दे दी। मेरे पर जो आरोप लगाया गया वह बिलकुल निराधार है, निकम्मी बात है···

(व्यवधान)

माननीय सदस्य का हाथ हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण हूंडी।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न पुकार लिया गया है, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री राजबहादुर : मेरा कोई हाथ नहीं है तालाबन्दी कराने में। वहां मुख्य मंत्री जी स्वयं मौजूद थे या नहीं यह सिद्ध कर दें, उन्होंने स्वागत नहीं लिया था यह जवाब दे दें···

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : स्वागत किया था समूचे भरतपुर ने, हो सकता है उसमें सिमको फैक्ट्री वाले भी हों स्वागत करने में वहां आप भी शायद होते, पता नहीं किस कारण नहीं थे। मैंने सुना है कि बिड़ला वालों ने आपकी शह से तालाबन्दी की है..

श्री राजबहादुर : यह×××परा-काष्ठा है···

(व्यवधान)

यदि मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है कि स्वागत में मैं भी था और बिरला जी ने मेरे घर पर बैठ कर मेरी शह से तालाबन्दी की है, यदि इसमें एक शब्द भी सत्य सिद्ध कर दें तो मैं इस सदन से त्याग पत्र दे दूंगा। यह सब पहाड़िया जी ने×××कहा है और यदि वह इसको सिद्ध न कर सकें तो उनको त्याग-पत्र दे देना चाहिये। क्या वह यह चुनौती स्वीकार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि तालाबन्दी के दिन मुख्य मंत्री जी···

श्री बुलाराम : वह तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह मजदूरों का सवाल है। क्यों कार्यवाही नहीं की गयी ? मुख्य मंत्री उत्तर दें। मजदूरों के हित में कदम क्यों नहीं उठाये गये ?

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्या को सूचित करना चाहता हूं कि यह प्रश्न 122, बहुत पहले ही पुकार लिया गया था दो तीन बार प्रश्न संख्या भी बोली गयी थी ···

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसके बाद इस प्रश्न को ले लिया जाए ? पैसा दिलाया नहीं गया है ···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, इसका उत्तर संक्षेप में दे दिया गया है।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : यह हजारों मजदूरों का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। यह इम्पार्टेन्ट प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अब दूसरा प्रश्न पूछ लिया गया है माननीय सदस्या।

श्रीमती विद्या पाठक : इतनी बड़ी बेकन फैक्ट्री में 6 महीने प्रॉड्क्शन नहीं हुआ जिसका लॉस हुआ तो सरकार को क्या यह जानकारी है कि मैनेजमेंट इस फैक्ट्री की दूसरी यूनिट को कहीं और ले जाने का प्रयास कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपका सवाल इम्पार्टेन्ट है, परन्तु आप मुझे क्षमा करें। समय समाप्त हो गया है। मंत्री जी ने उत्तर पढ़ दिया है। अब मैं पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत देने में असमर्थ हूं।

श्री मेघराज तावड़ : यह मजदूरों का मामला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : वहां पर गोलियां चल सकती हैं।

ट्यूब वैल व बोरिंग के विचाराधीन कार्य

122. श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जोधपुर जिले की पंचायत समिति,

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री रामनारायण डूंडी)
बिलाड़ा एवं भोपालगढ़ तथा पाली जिला की पंचायत समिति, सोजत के कितने काश्तकारों के ट्यूब वैल व बोरिंग के प्रार्थना-पत्र भू-जल विभाग के पास कब से विचाराधीन हैं ? उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

(2) क्या विभाग अधिक प्रार्थना-पत्रों को देखते हुए और शरम मशीनें लगाना उचित समझता है ? यदि हां, तो कितनी और कब तक ?

राज्य मंत्री, भू-जल (श्री शीशराम ओला):

(1) जोधपुर जिले की पंचायत समिति, बिलाड़ा के काश्तकारों के नलकूपों को खुदवाने हेतु 6 प्रार्थना-पत्र तथा पंचायत समिति; भोपालगढ़ से 24 प्रार्थना-पत्रों की सूची अक्टूबर, 80 में भू-जल विभाग में प्राप्त हुई थी। इन प्रार्थना-पत्रों के विपरीत नल कूपों के निर्माण का कार्य इसी माह मार्च, 1981 में प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है। पंचायत समिति सोजत, जिला पाली के किसी भी काश्तकार का प्रार्थना-पत्र नलकूपों के निर्माण हेतु जिला विकास अभिकरण के माध्यम से भू-जल विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) उपरोक्त विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों के विपरीत नलकूप खोदने का कार्य एक ड्रिलिंग रिग द्वारा ही पूरा किया जा सकता है अतः दूसरी मशीन लगाने का प्रस्ताव नहीं है।

श्री रामनारायण डूंडी : अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति, बिलाड़ा, भोपालगढ़, सोजत और जहां तक भोपालगढ़ का सवाल है 130–135 प्रार्थना-पत्रों की फाइलें रुकी पड़ी हैं। ये पिछले दो-तीन साल से पेंडिंग हैं। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जितनी भी फाइलें पेंडिंग रह जाती हैं 6 महीने होने के बाद में इनको वापस खुलवाना पड़ता है, जिससे किसानों को बहुत तकलीफ होती है। इस काम को कितने समय में पूरा कर दिया जाएगा ? जो आंकड़े आपके पास में हैं वे जी.डब्ल्यू.डी. की मार्फत आये हैं। परन्तु यह करीब 135 की लिस्ट है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है, जो किसानों से सम्बन्धित है और अकाल निवारण का एकमात्र उपाय है। यदि अकाल को आप हटाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कुएं खोदें और अकाल का निवारण करें। आपके पास एक ही शरम मशीन है और उसके पुर्जे अमेरिका से आते हैं। यह एक साल से खराब पड़ी है। पुर्जे नहीं मंगवाने से काश्तकारों को अपने कुएं के काम में हानि हो रही है····

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण डूंडी : मेरा निवेदन है कि एक और शरम मशीन को मंगवाया जाय ताकि यह कार्य जो पेंडिंग है वह जल्दी से जल्दी पूरा हो। बोरिंग के लिए कई लोगों के 3600/– रुपये कई सालों से जमा पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य···

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है, उसका उत्तर मैंने दे दिया है। आगे के लिए बताया है कि इससे अधिक प्रार्थना-पत्र विचारा-

(श्री शीशराम श्रोला)

धीन नहीं हैं और यदि ऐसा है तो विस्तृत जानकारी प्राप्त करके इसका उत्तर दे दूंगा।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या यह सही है कि अमेरिका से दो मशीनें गिफ्ट में आई हैं और पिछले दो साल से ये खराब पड़ी हैं? उनको ठीक नहीं करवाया जा रहा है, इतने लम्बे अर्से तक ये खराब क्यों पड़ी रहीं?

श्री शीशराम श्रोला : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है कि इस प्रकार की कोई जानकारी मुझसे नहीं मांगी गयी थी। आपके द्वारा जो जानकारी मुझे मिली है तो उस आधार पर तत्काल जांच करा कर इसकी व्यवस्था कर दी और इस असेम्बली सैशन में ठीक उत्तर दे दिया जाएगा।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा...

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल बहुत जरूरी है, लिहाजा इस सदन को इसके उत्तर से महरूम न रखा जाए। बिजली के सम्बन्ध में जो अन्तर्राज्यीय विवाद हैं, क्या समझौते हुए हैं? लिहाजा मैं यह सवाल पूछना चाहूंगी। इसलिए इसकी इजाजत दी जाए।

श्री अध्यक्ष : यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है परन्तु अन्य तरीके से भी यह हमारे सामने आ सकता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, कई अन्य तरीकों से यह आ सकता है। उस समय मैं आपको अवसर दे दूंगा। अभी मजबूरी है। यह महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूं। इसलिए इसको अन्य किसी व्यवस्था के जरिये आप उठा लें।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट.4 देखें)।

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

सिंचाई विभाग में कार्यरत अभियन्ता

119. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि राज्य सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कार्यरत यांत्रिक अभियन्ता को सिविल अभियन्ता व सिविल अभियन्ता को यान्त्रिक अभियन्ता के पदों पर लगाया हुआ है? यदि हां, तो क्यों, कहां-कहां व कितने समय से?

उत्तर

जी हां।

वर्तमान में 11 सिविल अभियन्ता के पदों पर यान्त्रिक अभियन्ताओं एवं 8 यान्त्रिक अभियन्ताओं के पदों पर सिविल अभियन्ताओं को लगाया हुआ है। यह व्यवस्था तकनीकी एवं प्रशासनिक कारणों से की हुई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर,

अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठकें

113. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश में कितने सब डिवीजन्स में दिसम्बर, 1980 तक अभाव अभियोग एवं

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)
सतर्कता समिति की एक भी बैठक नहीं हुई ?

(2) क्या सरकार इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) सांभर, कोटपूतली, जयपुर और बारां सब डिवीजनों में दिसम्बर, 1980 तक एक भी मीटिंग नहीं हुई है।

(2) इस विषय में संबंधित उप-खण्ड अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये जा रहे हैं कि भविष्य में हर हालत में मीटिंगें आयोजित की जायें।

सोजत उप-खण्ड में विद्युत् खम्भों की चोरी

114. **श्री रामनारायण डूंडी** (विलाड़ा), **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी), **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) एवं **श्री मानसिंह देवड़ा** (सरदारपुरा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सन् 1979 में आई बाढ़ के कारण सोजत सब डिवीजन में काफी संख्या में बिजली के खम्भे गिर गये थे ? यदि हां, तो कितने ?

(2) क्या इन्हें वापस खड़ा करने में काफी ढील बरती गई तथा लम्बे अर्से तक ये नीचे ही पड़े रहे ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन गिरे हुए खम्भों के तारों की काफी बड़ी मात्रा में चोरी की गई ? यदि हां, तो कितनी मात्रा में ? इसके लिये जिम्मेदार किस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) बाढ़ व कीचड़ के कारण खम्भों को पुनः खड़ा करने में बाधा उत्पन्न हुई तथा क्षेत्र में अन्य प्राथमिकता के कार्यों को हाथ में लेने के कारण भी इन खम्भों को खड़ा करने में थोड़ा विलम्ब हो गया।

(3) जी नहीं। बाढ़ के कारण कुछ तारों का नुकसान हुआ शेष को पुनः लाइन खड़े करने पर काम में ले लिया गया है। चोरी का कोई मामला सामने नहीं आया। ऐसी स्थिति में किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

कोटा जिला की सतर्कता समिति में विचाराधीन अभाव अभियोग

115. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां) : क्या जन अभियोग निराकरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या कोटा जिला अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति में कुछ अभाव अभियोग वर्ष 1976 व 1977 से विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

उत्तर

जी हां।

6 अभाव अभियोग अत्यन्त पेचीदा हैं जिनकी जांच विभिन्न बिन्दुओं पर करनी आवश्यक है।

उर्दू में प्रकाशित समाचार-पत्रों को विज्ञापन

116. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने

(श्री राम किशोर मीणा)

की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में उर्दू में प्रकाशित होने वाले किन-किन समाचार-पत्रों को सन् 1980-81 में कितने-कितने मूल्य का विज्ञापन दिया गया है ?

(2) जिन समाचार-पत्रों को ऐसा विज्ञापन दिया गया उनका प्रकाशन कब-कब से आरम्भ हुआ है ?

(3) किन-किन समाचार-पत्रों को विज्ञापन के नियमों में ढिलाई देकर विज्ञापन दिया गया है ? कृपया ऐसे समाचार-पत्रों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) कौन-कौन से समाचार-पत्रों के लिये कौन से नियमों में क्या-क्या ढील दी गई ?

उत्तर

(1) "रोशन किरदार" (उर्दू) साप्ताहिक को 1 अप्रेल, 80 से 31 जनवरी, 1981 तक रुपये 4,982.75 की राशि का विज्ञापन दिया गया है । अन्य कोई उर्दू पत्र विज्ञापन हेतु स्वीकृत नहीं है ।

(2) रोशन किरदार, पाक्षिक, जयपुर (उर्दू) का प्रकाशन दिनांक 10-2-79 से आरंभ हुआ था । अब दिनांक 8-7-80 से साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित हो रहा है ।

(3) विज्ञापन निर्धारित नीति के अनुसार दिया जाता है ।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

डीडवाना पंचायत समिति के ग्रामों को समुचित जल प्रदाय

117. श्री रामधन चौधरी (लाडनूं) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि डीडवाना पंचायत समिति के ग्राम अमरपुरा, गढ़देऊंया व दादू वासनी में पानी उचित मात्रा में प्रदाय नहीं किया जाता ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार इन गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि डीडवाना पंचायत समिति के ही ग्राम चैनक, खारड़िया व माणा में पानी का प्रदाय नहीं होता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । अपर्याप्त मात्रा में विद्युत् उपलब्ध होने के कारण संदर्भित ग्रामों में जल वितरण में बाधा उत्पन्न होती है ।

(2) विद्युत् वितरण पूर्ण समय पर प्राप्त होने पर इन गांवों में उचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराया जाता है ।

(3) संदर्भित ग्राम में भी विद्युत् पूर्ण समय पर प्राप्त न होने के कारण जल वितरण में बाधा उत्पन्न होती है ।

लाडनूं पंचायत समिति क्षेत्र में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति

118. श्री रामधन चौधरी (लाडनूं) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) लाडनूं पंचायत समिति क्षेत्र के हत प्राथमिक पाठशालाओं में कितने अध्या-

(श्री रामधन चौधरी)
पकों के पद हैं तथा उनमें से कितने वर्तमान में अध्यापक कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि लाडनूं पंचायत समिति क्षेत्र में शिक्षकों का अभाव है ?

(3) क्या 40 अध्यापकों की जगह खाली पड़ी हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार इन पदों पर नियुक्तियां करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) लाडनूं पंचायत समिति क्षेत्र के तहत प्राथमिक पाठशालाओं के लिये 131 अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 91 अध्यापक कार्यरत हैं।

(2) जी हां। पंचायत समिति लाडनूं क्षेत्र में 40 शिक्षकों का अभाव है।

(3) राज्य सरकार द्वारा नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण 40 अध्यापकों के पद रिक्त हैं।

(4) राज्य सरकार द्वारा नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध हटाते ही रिक्त पदों की पूर्ति करदी जावेगी।

पंचायत समिति इटावा में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कार्य

119. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति इटावा में काम के बदले अनाज योजना में कराये गये कितने कार्य अधूरे हैं ? पंचायतवार तथा कार्यवार पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(2) काम के बदले अनाज योजना को बन्द कर उक्त कार्यों को अधूरा छोड़ देने से क्या ग्रामवासियों में असन्तोष व्याप्त है ?

(3) यदि हां, तो उक्त अधूरे कार्यों को पूरा कराने हेतु सरकार क्या व्यवस्था कर रही है तथा उक्त अधूरे कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति इटावा में काम के बदले अनाज योजना के 117 कार्य अधूरे थे, पंचायतवार तथा कार्यवार सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं, यह सही नहीं है। अब पुनः संवत् 2037 में अधूरे कार्यों में से 10 कार्य बतौर परीक्षण राहत कार्य स्वीकृत कर दिये गये हैं एवं 17 कार्य बतौर राहत कार्यों के चालू कर दिए हैं।

(3) जिलाधीश को इस वर्ष की अभाव स्थिति में 2.50 लाख रुपये तक की धनराशि के कार्यों को स्वीकृत कर चालू कराने के अधिकार दे दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त जिलाधीश को स्वयं अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार राहत कार्य खोलने के लिए परीक्षण राहत कार्यों के अतिरिक्त 13.00 लाख रुपये की धनराशि और आवंटित कर दी गई है।

काम के बदले अनाज योजना के अधूरे कार्यों को इस वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

(सहायता मंत्री)

योजना के तहत पूर्ण कराया जा रहा है। काम के बदले अनाज योजना के कार्यों को पूर्ण कराने के लिए जिलाधीश कोटा को 200 मै. टन चावल व 5.00 लाख रुपये सामग्री व्यय व 1.10 लाख रुपये मजदूरी व्यय हेतु आवंटित कर दिये गये हैं। इस वर्ष काम के बदले अनाज योजना के अधूरे कार्यों को जो 20,000 रु. की सीमा में पूर्ण हो सकते हैं, उन्हें पूर्ण कराने के आदेश जिलाधीशों को दे दिये गये हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

तहसील करौली में सड़क निर्माण कार्य

120. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) करौली तहसील में कौन-कौनसी सड़कों के निर्माण हेतु चालू वर्ष में कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि मासलपुर से वसेड़ी रोड व मासलपुर से जगनेर रोड पर काम हो रहा था ? यदि हां, तो इस वर्ष किस कारण से बंद कर दिया गया है और पुनः इसे कब शुरू किया जा रहा है व कितनी राशि इसके लिये दी जा रही है ?

उत्तर

(1) करौली तहसील में इस वित्तीय वर्ष में निम्न सड़कों पर कार्य चालू है एवं उनके सामने अंकित राशि का इस वित्तीय वर्ष में प्रावधान है:—

	प्रावधान 1980–81
1. डामर सड़क का निर्माण कार्य सांकरा से सरमथुरा	1.00
2. डामर सड़क का निर्माण कार्य मासलपुर से खेड़ा	2.40
3. सड़क निर्माण कार्य करौली से सरमथुरा	2.00
4. सड़क निर्माण कार्य केलादेवी से करणपुर	7.00
5. सड़क निर्माण कार्य करौली से मन्डरायल	10.00
6. सड़क निर्माण कार्य करौली से मासलपुर से जगनेर	5.00

(2) जी हां।

इस वर्ष मासलपुर से वसेड़ी सड़क का कार्य राज्य सरकार के आदेशानुसार 31-8-80 अकाल की अवधि के बाद बन्द कर दिया था। यह कार्य अकाल राहत के तहत स्वीकृत हुआ था। अगस्त, 80 के बाद कार्य निम्न वरीयता पर होने के कारण अग्रिम योजना में नहीं आने के कारण बन्द कर दिया गया था।

मासलपुर से जगनेर सड़क का कार्य धीमी गति से चल रहा था, अब कार्य की गति में सुधार हो रहा है। इस सड़क के लिये वर्ष 80-81 में 5.00 लाख एवं 81-82 में 7.00 लाख का प्रावधान है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में पदस्थापन की प्रतीक्षारत अभियन्ता

121. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता श्री सरीन से वरिष्ठ अन्य अभियन्ता विभाग में कार्य-

(श्री जीतमल जैन)

रत हैं एवं उन्हें पदस्थापन न कर खाली बैठा रखा है? कृपया ऐसे वरिष्ठ अभियन्ताओं की सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

बारां (कोटा) में बस डिपो स्थापित करना

122. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य पथ परिवहन निगम बारां जिला कोटा में डिपो स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव करता है? यदि हां, तो कब तक डिपो स्थापित कर दिया जायेगा?

उत्तर

जी हां। बारां में आगार कार्यालय एवं कार्यशाला हेतु भूमि उपलब्ध होने पर निर्भर करता है। भूमि उपलब्ध हो जाने पर कार्यशाला एवं आगार का निर्माण किया जाकर बारां में पृथक संचालन इकाई स्थापित की जावेगी।

भूमि अधिग्रहण के बारे में वर्तमान नगरपालिका बस स्टेण्ड को निगम द्वारा खरीदने हेतु मामला विचाराधीन है।

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालित अनुबन्धित बसेज

123. श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर कितनी अनुबन्धित की हुई बसें चल रही हैं?

उत्तर

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा वर्तमान में 101 निजी वाहनें अनुबन्ध पर ली हुई हैं जो कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालित हैं।

भीलवाड़ा जिले में जिला तथा ब्लाक स्तर पर गठित अकाल सलाहकार समितियां

125. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में जिला स्तर तथा ब्लॉक स्तर पर जिलाधीश द्वारा अकाल सलाहकार समितियों की स्थापना कर दी है? यदि हां, तो कृपया जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर स्वीकृत या प्रस्तावित समितियों की नामावली सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में अथवा जिले के ब्लॉक स्तर पर इन प्रस्तावित समितियों का गठन हो चुका है और इन समितियों की बैठकें भी होने लग गई हैं? यदि हां, तो किस-किस ब्लॉक में जनवरी व फरवरी में बैठकें आयोजित हुई? कृपया तिथि एवं ब्लाकवार नामावली सदन की मेज रखें।

(3) इन ब्लॉक्स एवं जिला समितियों के गठन का क्या मापदण्ड है? क्या राज्य सरकार ने विकास अधिकारियों से जिलाधीश को नाम प्रस्तुत करने एवं जिलाधीश को गठन के अधिकार दिये थे?

(4) क्या यह सही है कि जिला सलाहकार समितियां एवं ब्लॉक सलाहकार

(श्री रतन लाल ताम्बी)
समितियों का गठन करने के लिए राज्य सरकार ने अक्टूबर में ही आदेश दे दिये थे? यदि हां, तो क्या अब तक प्रत्येक जिले या ब्लॉक में ऐसी समितियों का गठन हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक जिला एवं ब्लॉक समितियां गठित हो जायेंगी?

(5) क्या विकास अधिकारी द्वारा ऐसी समितियों के लिये नाम स्वयं द्वारा प्रस्तावित करने का अधिकार है अथवा सरपंचों की मासिक बैठकों में इस हेतु विचार-विमर्श कर नाम प्रस्तावित करने के अधिकार हैं?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला स्तर पर परामर्शदात्री समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है। इन समितियों का गठन जिलाधीश द्वारा नहीं होता। इन समितियों की नामावली सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी, हां। राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 25-11-80 द्वारा जिला स्तर परामर्श दात्री समिति का कार्यकाल दिनांक 30-9-81 तक बढ़ा दिया है। यह समिति 22-5-78 के आदेशानुसार गठित की गई थी।

राज्य सरकार के आदेशानुसार ब्लॉक स्तर परामर्श दात्री समिति का गठन दिनांक 19-2-81 को किया गया। परन्तु राज्य सरकार ने दिनांक 8-12-80 द्वारा इस समिति के गठन की पूर्व सूचना जिलाधीशों को देकर हर माह इन समितियों की बैठक आयोजित करने के आदेश प्रसारित कर दिये थे।

(3) जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर समितियों के गठन करने के मापदण्ड परिशिष्ट-क पर संलग्न हैं।

जिला व ब्लॉक समितियों का गठन जिलाधीश द्वारा नहीं किया जाता। जिलाधीश के प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा 5 जन प्रतिनिधियों को इन समितियों का सदस्य मनोनीत किया जाता है।

जिलाधीश द्वारा प्रस्तावित नामावली सदन की मेज पर रख दी है।

(4) जी, नहीं। जिला स्तर की परामर्शदात्री समिति पूर्व से ही गठित है जिसकी अवधि राज्य सरकार ने दिनांक 25-11-80 के आदेशानुसार दिनांक 30-9-81 तक बढ़ा दी है। ब्लॉक समितियों का गठन भी दिनांक 19-2-81 को कर दिया है।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता। गठन की प्रक्रिया प्रश्न 2 एवं 3 के उत्तर के अनुरूप है।

(नामावली के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

जिला शिक्षा अधिकारी (महिला), अजमेर के कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण

126. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला शिक्षा अधिकारी (महिला), अजमेर के कार्यालय में कितने प्रकरण वेतन, यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मेटर्निटी लीव आदि के कब-कब से किस-किस कारण से विचाराधीन हैं? कृपया सम्पूर्ण विवरण, आवेदकों के नाम, तारीख एवं कारण सहित सदन के पटल पर रखें।

(शिक्षा मंत्री)

उत्तर

इस प्रकार का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने हेतु पुस्तकों का मुद्रण

127. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विश्वविद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र की योजना के तहत राज्य सरकार ने गत 10 वर्षों में कुल कितनी पुस्तकें किस किस क्षेत्रीय भाषा में, यथा हाड़ौती, ढुंढाड़ी, मारवाड़ी आदि में मुद्रित करवाई ?

(2) इन पुस्तकों की वर्तमान में क्या कीमत है ? इन पर कुल कितना खर्च आया ? क्या ये राज्य में कहीं भिजवाई भी गई हैं अथवा एक ही जगह सुरक्षित हैं ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) विश्वविद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं में कोई पुस्तक मुद्रित नहीं कराई गई।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाविद्यालयों में रिक्त पद

128. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में किस-किस विषय के कितने-कितने पद रिक्त हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 1980–81 में कुछ प्राध्यापकों को सेवा मुक्त किया गया है ?

(3) यदि हां, तो कितने व्याख्याताओं को तथा उसके क्या कारण थे ? उनमें अनुसूचित जाति व जन जाति के कितने व्याख्याता थे ?

(4) क्या राज्य सरकार रिक्त स्थानों पर तदर्थ आधार पर नियुक्ति का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) किसी भी विषय में महाविद्यालयों में कोई पद रिक्त नहीं है ?

(2) जी हां।

(3) कुल 168 व्याख्याताओं को मेरिट सूची में नहीं आने के कारण हटाया गया। उसमें अनुसूचित जाति जनजाति का कोई भी नहीं है।

(4) जी हां। व्याख्याताओं के रिक्त पद विज्ञापन जारी कर मेरिट सूची के अनुसार तदर्थ रूप से भरे गये हैं।

उदयपुर में सीमेंट का वितरण

129. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला रसद अधिकारी, उदयपुर ने जुलाई, 1980 से दिसम्बर, 1980 एवं जनवरी, 1981 में कितना सीमेंट प्राप्त

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
किया एवं उसका वितरण किस प्रकार किया? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) जनवरी, 1980 से जून, 1980 तक कितना सीमेन्ट प्राप्त किया एवं उसका वितरण किस प्रकार किया गया? कृपया सूची सदन के पटल रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में जुलाई, 1980 से दिसम्बर, 1980 व जनवरी, 1981 की अवधि में 4138 मै. टन सीमेंट प्राप्त हुआ। प्राप्त सीमेंट का वितरण वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न प्रकार किया गया:–

[1] उदयपुर शहर में 6.5 मै. टन प्रति हजार।

[2] जिले के अन्य नगर पालिका क्षेत्रों में 4.5 मै. टन प्रति हजार।

[3] जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 मै. टन प्रति हजार।

(2) जनवरी, 1980 से जून, 1980 तक 6600 मै. टन सीमेंट प्राप्त हुआ। वितरण का आधार प्रश्न के भाग 1 में अंकित प्रक्रिया अनुसार किया गया।

तहसील सीकर में शाकम्बरी माता स्थल को पर्यटन केन्द्र बनाना

131. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या पर्यटन विभाग ने सीकर तहसील के सकराय के निकट शाकम्बरी माता स्थान को पर्यटन स्थल बनाने के बारे में विचार किया है? क्या यह स्थान पर्यटन स्थल के योग्य है?

(2) क्या यह सही है कि प्रतिवर्ष वहां लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री एवं पर्यटक आते हैं?

(3) क्या इस स्थान के विकास हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं

(2) जी नहीं। यह मात्र क्षेत्रीय यात्रियों में लोकप्रिय है।

(3) जी नहीं। क्योंकि यह स्थल पर्यटन महत्व का नहीं है।

ग्राम मुण्डावली (उदयपुर) के भील निवासी की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण

132. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्री धन्ना पिता भीमा गमेती (भील) निवासी गांव मुण्डावली, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर की खातेदारी की जमीन आराजी संख्या 385/72 होकर उसकी निवास की झोंपड़ी भी इसी आराजी पर स्थित है और वही इसे काश्त करता आ रहा है?

(2) क्या यह सही है कि खनिज विभाग द्वारा इसी जमीन में सोप स्टोन की खनिज हेतु खनन की लीज एक पूंजीपति

(श्री कैलाश मेघवाल)
श्री सुजानमल पिता श्री अम्बालाल को दी गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि यह लीज स्वीकृत करने के पहले इस आराजी के मालिक खातेदार श्री धन्ना से स्वीकृति नहीं ली गई और न ही यह कृषि जमीन किसी कानून के तहत अवाप्त की गई है ?

(4) क्या यह भी सही है कि लीज प्राप्त करने के बाद पूंजीपति पट्टाधारी ने श्री धन्ना के विरोध के बावजूद उसकी जमीन पर अतिक्रमण कर जबर्दस्ती खनन कार्य प्रारम्भ कर दिया और वह पुलिस व गुण्डों की मदद से श्री धन्ना के व उसके परिवार के सदस्यों के साथ कई बार मार-पीट कर चुका है ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस तथ्य के ज्ञात हो जाने पर खनिज विभाग ने पट्टाधारी की लीज खारिज करने का नोटिस दे दिया था ? यदि हां, तो किस तारीख को और यह लीज अब तक खारिज नहीं करने का क्या कारण है ?

(6) क्या राज्य सरकार यह मानती है कि श्री धन्ना के कब्जे व खातेदारी की जमीन पर अतिक्रमण किया जाना अपराध है और उस जमीन पर से किसी भी तरह की सम्पत्ति को हटाना भी अपराध है ? क्या राज्य सरकार एवं पूंजीपति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर गरीब आदिवासी को राहत प्रदान करेगी ताकि वह शांत व निर्बाध रूप से अपनी सम्पत्ति का उपयोग कर सके ?

उत्तर

(1) यह सही है कि श्री धन्ना पिता भीमा गमेती (भील) निवासी ग्राम मुण्डावली तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर के नाम से ग्राम मुण्डावली में खसरा नं. 385/72 सम्वत् 2027 में गैर खातेदारी हक में आवंटित हुई थी। जहां तक काश्त का संबंध है सारी आराजी पर काश्त नहीं हुई है। अधिक से अधिक 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर काश्त हुई है व शेष भूमि पड़त है।

(2) इस विभाग द्वारा इस क्षेत्र में सोप स्टोन खनिज की लीज श्री सुजानमल पिता अम्बालाल को दी गई है लेकिन आराजी संख्या 385/72 इस खनन पट्टे के क्षेत्र में है या नहीं इसका निर्णय अन्तिम रूप से न्यायालय द्वारा नहीं हुआ है।

(3) यह सही है कि उक्त खनन पट्टा स्वीकृत करने से पूर्व श्री धन्ना से स्वीकृति नहीं ली गई क्योंकि खनन पट्टा स्वीकृत करने से पूर्व जमीन के मालिक या खातेदार से पूर्वानुमति या स्वीकृति लेना न तो आवश्यक है और न ही नियमों में ऐसा प्रावधान है। यदि स्वीकृत भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार हो तो यह खनन पट्टाधारी की जिम्मेदारी है कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूमि के मालिक अथवा खातेदार की सहमति प्राप्त करें या नियमानुसार उसको अवाप्त करने की कार्यवाही करावें।

(4) इस क्षेत्र में जबर्दस्ती अतिक्रमण करने एवं मारपीट करने के बारे में पुलिस थाना, झाडोल में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है तथा पुलिस द्वारा न्यायालय मुन्सिफ, झाडोल में चालान भी पेश किया गया है।

(5) श्री धन्ना की शिकायत पर इस विभाग द्वारा पट्टाधारी को दिनांक 24-11-79 को नोटिस दिया गया किन्तु विवादग्रस्त

(खनिज मंत्री)

क्षेत्र खनन पट्टे में आता है अथवा नहीं इस बिन्दु पर स्थिति अस्पष्ट होने से खनन पट्टा खण्डित नहीं किया गया।

(6) यदि श्री धन्ना के कब्जे व खातेदारी की जमीन पट्टे के अन्दर पड़ती है तो बिना श्री धन्ना की सहमति के इस जमीन पर अतिक्रमण किया जाना या सम्पत्ति को हटाना अपराध है और साबित होने पर सरकार नियमानुसार पट्टाधारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी।

सोजत व खारची तहसीलों का भू-जल हेतु सर्वेक्षण

133. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत),

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी),

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) एवं

श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सोजत व खारची तहसील, जिला पाली का भू-जल बाबत सर्वेक्षण कब किया गया? क्या यह सही है कि पहले हुआ सर्वेक्षण ढंग से नहीं किया गया था? क्या फिर से सर्वेक्षण कराने का विचार है? यदि हां, तो कब?

(2) उक्त दोनों तहसीलों से सम्बद्ध कितने आवेदन-पत्र नल कूप खुदवाने हेतु विभाग के पास विचाराधीन हैं? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले का प्राथमिक भू-जल सर्वेक्षण वर्ष 1967-68 में किया गया जिसके अन्तर्गत सोजत एवं खारची क्षेत्रों का भी सर्वेक्षण किया गया था। इसके उपरांत राज्य सरकार के निर्देशानुसार कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की वित्तीय सहायता से क्रियान्वित होने वाली लघु सिंचाई योजनाओं को तैयार करने हेतु भू-जल विभाग द्वारा अर्द्ध-विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इसके अन्तर्गत पंचायत समिति सोजत एवं खारची जिला पाली का अर्द्ध-विस्तृत सर्वेक्षण वर्ष 1973-74 में किया गया।

उपरोक्त वर्णित प्राथमिक एवं अर्द्ध-विस्तृत सर्वेक्षण के कार्यों के आधार पर जो निष्कर्ष लिया गया है, वह मूलतः अल्प अवधि के कार्य एवं उन वर्षों में औसत से कम हुई वर्षा पर आधारित है। इसके फलस्वरूप ऐसे क्षेत्रों में दीर्घ अवधि के विस्तृत सर्वेक्षण कार्य की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु पाली जिले में सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के तहत विस्तृत भू-जल अन्वेषण योजना का कार्य वर्ष 1976–77 में प्रारम्भ किया गया, जो अभी जारी है। इस योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति सोजत एवं खारची में भी विस्तृत सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है जो कि आगामी वर्ष के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह कहना सही नहीं है कि इन क्षेत्रों में पहले हुआ सर्वेक्षण सही ढंग से नहीं किया गया।

(2) पाली जिले की सोजत एवं खारची तहसीलों के क्रमशः 36 एवं 96 प्रार्थना-पत्र नलकूप खुदवाने हेतु दिनांक 31-8-80 तक भू-जल विभाग के पास विचाराधीन थे। चूंकि राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 2(2)कृषि/5/80, दिनांक

(भू-जल मंत्री)
28-7-80 द्वारा प्रार्थना-पत्र तैयार करने तथा इनकी जांच करने का कार्य जिला विकास अभिकरण को सौंप दिया है। अतः यह सभी प्रार्थना-पत्र उपयोगिता, जांच एवं सर्वेक्षण हेतु जिला विकास अभिकरण, पाली को हस्तान्तरित कर दिये गये थे। अभिकरण द्वारा जांच के पश्चात् कोई भी प्रार्थना-पत्र नलकूप निर्माण हेतु भू-जल विभाग को प्रेषित नहीं किया गया है।

माही परियोजना के निर्माण से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास

134. **श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़):** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) माही परियोजना के निर्माण से कितने किसान लाभान्वित हुए हैं? प्रभावित लोगों में से कितने आदिवासी कृषक हैं? आदिवासी कृषकों को क्या जमीन के बजाय जमीन दी गयी है? यदि हां, तो प्रभावित कृषकों में से कितने कृषक ऐसे हैं जो जमीन प्राप्त करने से वंचित रहे हैं?

(2) क्या राज्य सरकार प्रभावित लोगों के पुनर्वास की पूर्ण व्यवस्था नहीं कर पायी है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) माही बजाज सागर बांध के निर्माण स्वरूप बांसवाड़ा जिले के कुल 5291 खातेदार कृषकों की भूमि प्रभावित होती है जिनमें से 4700 आदिवासी हैं। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मापदण्डों के अनुसार 4489 खातेदार कृषकों को कृषि भूमि का आवंटन किया जाना है जिनमें 3563 आदिवासी कृषक हैं। वर्ष 1974 से माह जनवरी, 1981 तक 3951 खातेदार कृषकों (3289 आदिवासी कृषक) को भूमि का आवंटन किया जा चुका है। खान्दू के 264 कृषकों को भूमि का आवंटन नहीं किया जाना है। इस प्रकार शेष 274 खातेदार कृषकों को भूमि आवंटन करना शेष है, जो सभी आदिवासी हैं। यह कार्य मार्च, 1981 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

(2) जी नहीं। माही बजाज सागर बांध की डूब से प्रभावित विस्थापितों के पुनर्वास का कार्य बांध के निर्माण कार्यक्रम के अनुरूप ही बनाया गया है और उसी प्राथमिकता के आधार पर पुनर्वास कार्य किया जा रहा है। निजि सम्पत्ति के मुआवजा भुगतान की कुल धनराशि रु. 555.00 लाख में से जनवरी, 1981 के अंत तक 524.50 लाख रुपयों का भुगतान संबंधित विस्थापितों को किया जा चुका है। अधिकांश विस्थापितों को कृषि भूमि का आवंटन किया जा चुका है और जो पुनर्वास स्थलों पर जाकर बस गये हैं उनके लिये आवश्यक जन-सुविधाओं के निर्माण कार्य भी हाथ में लिया गया है जिनमें से कई कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

नहरों की सिंचाई व्यवस्था के परामर्श हेतु समिति का गठन

135. **श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां):** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चम्बल की दाईं मुख्य नहर में पानी छोड़ने व बन्द करने के लिये किसानों

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)
या उनके प्रतिनिधियों से परामर्श लिया जाता है ?

(2) क्या सरकार नहरों की सिंचाई व्यवस्था के परामर्श हेतु ऐसी समिति के गठन की उपयोगिता अनुभव करती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। पर यह हमारे यहां पहले से ही लागू है।

मेवाड़ शुगर मिल, भूपालसागर स्थित गन्ने की तुलाई का कांटा

136. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मेवाड़ शुगर मिल भूपालसागर में गन्ने की तुलाई का कांटा मिल के परिधि क्षेत्र में मिल के स्वामित्व का ही लगा हुआ है ?

(2) क्या यह सही कि किसानों से क्रय किया जाने वाला गन्ना मिल मालिकों के कर्मचारियों द्वारा ही तोला जाता है और उसमें कई प्रकार की गड़बड़ियों की शिकायतें किसानों की ओर से होती रही हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार किसानों को तोल की गड़बड़ी के शोषण से बचाने हेतु सही और ईमानदारी से तोलने की व्यवस्था के लिये धर्म कांटा स्थापित करने का निर्णय लेगी या मिल मालिकों को मिल परिधि के बाहर स्वतंत्र संचालन में धर्मकांटा स्थापित करने को बाध्य करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि मेवाड़ शुगर मिल भूपालसागर द्वारा गन्ने की तुलाई का कांटा उनकी परिधि क्षेत्र से मिल के स्वामित्व का लगा हुआ है।

(2) जी हां। वर्तमान में राज्य सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर के विभागीय कर्मचारियों की समस्यायें

138. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 2 दिसम्बर, 1980 को प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर को विभागीय कर्मचारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ जिला शाखा, अजमेर के शिष्ट मण्डल से प्राप्त अग्रिम सूचना पर वार्ता करनी थी ?

(2) यदि हां, तो उस दिन शिष्टमंडल से वार्ता क्यों नहीं की गयी और कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति उपेक्षा क्यों बरती गयी ?

उत्तर

(1) जी हां। सहायक कर्मचारी संघ ने वार्ता हेतु सूचित किया था।

(2) किन्हीं अपरिहार्य कारणों से दिनांक 2-12-80 को वार्ता नहीं की जा सकी तथा दिनांक 30-12-80 को संघ

(शिक्षा मंत्री)
के प्रतिनिधियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया गया।

नई दिल्ली स्थित राज्य सरकार के अतिथि गृह

139. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नई दिल्ली स्थित राजस्थान सरकार के अतिथि गृहों, यथा जोधपुर हाउस, राजस्थान हाउस, बीकानेर हाउस, 9, कृष्ण मेनन मार्ग (मुख्य मंत्री का नई दिल्ली आवास) में कहां-कहां पर अनुदानित भोजन व्यवस्था है ?

(2) जहां-जहां पर भोजन व्यवस्था है वहां पर प्रतिदिन कितनी इकाइयों का किराया जमा हुआ और भोजन की कितनी इकाइयों की खपत हुई ? कृपया क्रमवार एवं तारीखवार सूचना सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या भोजनशाला पर खर्च एवं आमद का आय-व्यय का हिसाब अलग से रखा जाता है ? यदि हां, तो कृपया दिनांक 1-3-80 से दिनांक 1-2-1981 तक का मासिक विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) नई दिल्ली स्थित राजस्थान सरकार के अतिथि गृहों में केवल जोधपुर हाउस व राजस्थान हाउस में अनुदानित भोजन व्यवस्था उपलब्ध है।

(2) राजस्थान हाउस व जोधपुर हाउस में दिनांक 1-3-80 से दिनांक 1-2-81 तक की अवधि के लिये वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। राजस्थान हाउस व जोधपुर हाउस, नई दिल्ली में भोजन व्यवस्था पर दिनांक 1-3-80 से 1-2-81 तक हुई आमद व खर्च का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

प्रदेश में हुई चोरी, डकैती आदि की घटनायें व जन-आन्दोलन

140. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सन् 1980 में प्रदेश में चोरी, डकैती व लूट एवं जेब कटने की कितनी घटनाएं घटित हुईं और उनमें कितनी पुलिस बरामद करने में सफल हो सकी ?

(2) प्रदेश में सन् 1980 में कितने छात्र, श्रमिक, किसान और राजनैतिक दलों के आन्दोलन हुए और उनमें कितने लाठी-चार्ज, अश्रु गैस एवं गिरफ्तारियां हुईं ?

उत्तर

(1) सूची अ संलग्न है।

(2) सूची ब में अंकित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

अन्ता व मांगरोल तहसीलों के कृषकों को मुआवजा

141. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री रघुवीर सिंह कौशल) करेंगे:—

(1) क्या कोटा सर्किल के अन्ता व मांगरोल ड्रेनेज सब-डिवीजन में अनेक किसानों के खेतों में होकर बिना मुआवजा दिये ड्रेनेज बना दी गई है?

(2) क्या यह नियमानुकूल है?

(3) मुआवजा देने में विलम्ब करने का क्या कारण है?

(4) सम्बन्धित किसानों को मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। उनके आग्रह व सहमति से ऐसा किया गया है।

(2) जी हां। सहमति से।

(3) कानून की धाराओं के अन्तर्गत नोटिस।

(4) मुआवजे का भुगतान शीघ्र ही किया जाने वाला है।

नव निर्मित बांध

142. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1 अप्रेल, 1980 से अब तक राज्य में कितने नये बांधों का निर्माण हुआ?

(2) प्रत्येक जिले में कितने-कितने नये बांध बनवाये गये?

(3) सीकर जिले में कितने नये बांधों का निर्माण हुआ?

उत्तर

(1) 1 अप्रेल, 1980 के पश्चात्, अब तक राज्य में 39 नए बांधों का निर्माण पूर्ण हुआ है।

(2) जिलेवार पूर्ण कराए गए बांधों की सूचना निम्न प्रकार है:

जिला	बांध संख्या
1. जोधपुर	5
2. नागौर	2
3. जालौर	1
4. बाड़मेर	2
5. जैसलमेर	18
6. डूंगरपुर	1
7. बांसवाड़ा	4
8 उदयपुर	4
9. सीकर	2

(3) सीकर जिले में 2 नए लघु सिंचाई कार्य पूर्ण हुए हैं।

जिला अलवर के सिंचाई बांध

143. श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला अलवर में कितने सिंचाई बांध हैं? कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कौन-कौन से बांध जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं जिन्हें कि कृषि की सिंचाई के कार्य में नहीं लिया जा रहा है?

(श्री बाबूलाल बैरवा)

(3) जो बांध कृषि हेतु सिंचाई योग्य हैं क्या सरकार उनकी मरम्मत का कार्य करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो जो बांध जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, उनकी मरम्मत सरकार कब तक करवा देगी ?

उत्तर

(1) अलवर में कुल 117 बांध हैं जिनकी सूची "क" संलग्न है।

(2) जो बांध जीर्ण अवस्था में हैं उनकी सूची "ख" संलग्न है।

(3) जी हां।

उपलब्ध वित्तीय साधनों एवं प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्र जीर्णोद्धार कराने का प्रयास किया जायेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

अजमेर नगर के विकलांग

144. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले एवं अजमेर नगर में कुल कितने विकलांग हैं ? उनमें से गूंगे, बहरे, अंधे, लूले, लंगड़े आदि कितने कितने हैं ?

(2) इनमें से कितने विकलांगों ने नियोजन कार्यालय, अजमेर में नौकरी प्राप्त करने हेतु रजिस्ट्रेशन कराया है ?

(3) क्या इनमें से गूंगे, बहरे, अंधे, लूले, लंगड़े आदि का वर्गीकरण किया गया है ? उनकी शिक्षा-दीक्षा क्या है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) दिनांक 6 जून, 1980 के बाद कितने विकलांगों को नौकरी पर या अन्य कामकाज में लगाया गया है ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले तथा अजमेर नगर में कुल कितने विकलांग हैं, यह सूचना नियोजन कार्यालय, अजमेर में उपलब्ध नहीं है।

(2) नियोजन कार्यालय, अजमेर में नौकरी प्राप्त करने के इच्छुक विकलांग आशार्थियों की संख्या 279 है।

(3) पंजीकृत आशार्थियों जो विकलांग की श्रेणी में आते हैं, उनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है तथा प्रत्येक वर्ग की संख्या सम्बन्धित श्रेणी के विरुद्ध अंकित की गई है।

(1) शारीरिक दृष्टि से अक्षम (आर्थोपेडिक)	241
(2) अंधे (Blind)	36
(3) गूंगे बहरे (Deaf & Dumb)	2

शैक्षणिक योग्यता

(1) अशिक्षित	6
(2) शिक्षित	61
(3) मिडिल	57
(4) सैकण्डरी परन्तु स्नातक से कम	117
(5) प्रशिक्षित स्नातक	13

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

(6) स्नातक	25
	——
	279

(4) दिनांक 6-6-80 से 21-2-81 तक नियोजित विकलांगों की संख्या 9 है।

नगरपालिका, रामगंज मंडी द्वारा प्रस्तुत सीमा वृद्धि के प्रस्ताव

145. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या रामगंज मंडी, नगरपालिका ने सीमा वृद्धि का प्रस्ताव सरकार को भेजा हुआ है ? यदि हां, तो कब ? सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सीमा वृद्धि नगर की स्थिति और पालिका के लाभ हेतु आवश्यक है ?

(3) क्या सरकार ने नगरपालिका, रामगंज मंडी के लिये अनुदान स्वीकृत कर दिया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ? कितने अनुदान की मांग सरकार से की गई है तथा कब तक स्वीकृत कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सीमा वृद्धि का कोई प्रस्ताव ही नहीं है, इसलिये इस बारे में कुछ कहना संभव नहीं है।

(3) सरकार द्वारा वर्ष 80-81 के लिये 55, 645 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है। नगरपालिका द्वारा अनुदान की मांग नहीं की गई।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रश्नों के उत्तर

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था····

आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय, यहां सदन में यह व्यवस्था कर रखी है कि जो तारांकित प्रश्न पूछे जायेंगे उनका दस दिन में उत्तर आयेगा। हमारे प्रश्नों को एक-एक महीना हो गया परन्तु अभी तक जो मेरे 35 तारांकित और 36 अतारांकित प्रश्न हैं उनमें से एक का भी उत्तर नहीं आया है। पिछले सदन में भी हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं आया था। इसलिये आप व्यवस्था दें कि या तो हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिलें, या हमें समय पर सूचना दी जाय और इसके उपरांत अवसर नहीं मिलता है। इसका सही-सही जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि माननीय सदस्य ने बहुत से तारांकित और अतारांकित प्रश्न प्रस्तुत किये थे उनके उत्तर अभी तक नहीं आये हैं। मैं इस विषय में माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रश्नों की संख्या अत्यधिक है, सही तो मैं नहीं बता सकता यकायक, लेकिन चार हजार से भी ज्यादा हो सकती है, इसलिए इसमें समय लग जाता है।

(40)

(श्री अध्यक्ष)
लेकिन ज्यों ही उत्तर आ जाता है तो लॉटरी निकाल कर नियमानुसार सूची में रख दिया जाता है और हमारी कोशिश यही रहती है कि अधिक से अधिक प्रश्नों को लिया जा सके।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। उसका एक तरीका यही हो सकता है कि आसन जब ध्यान आकर्षित करे तो माननीय सदस्यों द्वारा आगे प्रश्न नहीं पूछे जायें और स्थान ग्रहण कर लें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, अब इस पर चर्चा नहीं हो माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

सरकारी काम-काज में हिंदी का प्रयोग

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि अंग्रेजी में ही कार्य करेगी? अंग्रेजी में ही उत्तर दिया गया है, यह अपर्याप्त है।

(व्यवधान)

"श्री अध्यक्ष : इसको व्यवस्था के प्रश्न के रूप में नहीं पूछें माननीय सदस्या, क्योंकि प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। आप चैम्बर में इसके बारे में मिल लें यदि कोई शिकायत हो तो दूर की जायेगी।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

कृपया शान्त रहें।

प्रश्नों की लाटरी

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : पाइन्ट आफ आर्डर। मेरा निवेदन यह था कि प्रश्न लॉटरी से निकाले जाते हैं, जो भाग्यशाली होते हैं उनके प्रश्न आ जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस पर चेम्बर में मिल लें, इसका उत्तर यहां नहीं दिया जा सकता।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जिन माननीय सदस्यों के उत्तर नहीं आ सके, उनके रिप्लाई तो रिटन में मिल जाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है माननीय सदस्य। यदि कोई शिकायत या सुझाव हो तो मेरे से अलग से मिल लें।

संदेश

महामहिम राज्यपाल का कृतज्ञता ज्ञापन

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि दिनांक 27 फरवरी, 1981 को राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गये अभिभाषण पर सदन द्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्नांकित संदेश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है :—

"क्रमांक प. 12/9/रा. मं./81
मार्च 3, 1981."

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपका 27 फरवरी, 1981 का अ. शा. पत्र क्रमांक एफ. 10 (1) (सदन) वि.स.

(श्री अध्यक्ष)

81/13742 मिला। इस कृतज्ञता संदेश के लिये मैं, माननीय सदस्यों का आभारी हूं। आप कृपया उनके पास तक मेरे कृतज्ञता ज्ञापन को पहुंचाने का कष्ट करें।

भवन्निष्ठ,

रघुकुल तिलक''

व्यवस्था का प्रश्न

धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान द्वारा निर्णय

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पाइन्ट आफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में इस सदन में अन्तिम रूप से आपने ध्वनि मत से और फिर मतदान द्वारा 27 फरवरी को निर्णय लिया। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये, उन संशोधनों पर मतदान हुआ तब आपने प्रश्न पूछा कि क्या संशोधन स्वीकार किये जायें, जो पक्ष में हों वो हां कहें और जो विपक्ष में हों ना कहें और उसके ऊपर संशोधनों के पक्ष में जो हां पक्ष में सारे माननीय सदस्य सदन में बैठे थे, उन्होंने सबने हां कहा। ना पक्ष नहीं था।

(व्यवधान)

अब मुझे अफसोस इस बात का है कि माननीय सदस्य जान-बूझकर यह असत्य बात कह रहे हैं या अनजाने में कह रहे हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय . . .

(व्यवधान)

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : बाद में सुधार लिया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाद में सुधारने का प्रश्न तो जब पैदा होता, जब दुबारा क्वेश्चन पुट किया गया होता। क्वेश्चन दुबारा पुट नहीं किया गया था। मैं निवेदन यह कर रहा था कि अगर क्वेश्चन दुबारा पुट किया जाता तब तो यह प्रश्न खड़ा होता। अध्यक्ष महोदय, प्रोसिडिंग्स में यह स्पष्ट है आपने क्वेश्चन पुट किया कि जो हां करने वाले हैं, हां कहें, और जो ना करने वाले हैं, ना कहें। उस वक्त सारे सत्तारूढ़ दल ने, उनके सिवाय दूसरा कोई था नहीं, सबने प्रस्ताव के पक्ष में, हां कहा। संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में। अब मैं यह नहीं जान पाया कि इस सारे बहुमत के हां करने पर वह ना पक्ष कैसे जीता ना पक्ष का कोई था ही नहीं तो जीतने का सवाल ही पैदा कैसे हुआ। इसलिए मैं चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव को संशोधित रूप में भेजा है या जिस प्रकार का मूल था उसी प्रकार का भेजा है?

श्री अध्यक्ष : जो भी मूल प्रस्ताव था उसी रूप में भेजा। आपका और एक माननीय सदस्य का संशोधन प्रस्ताव था, उसको मैंने सदन के समक्ष रखा, और प्रक्रिया यहां पर यह है—हां और ना कौन, कितने जोर से कहता है, यह तो नहीं, उसके बाद में अध्यक्ष यह कहता है कि मेरी समझ में ना पक्ष जीता. . . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ना किसी ने नहीं कहा, प्रोसिडिंग्स उठाकर देख लें आप। किसी व्यक्ति ने ना नहीं कहा, ना पक्ष कैसे जीत गया?

श्री अध्यक्ष : वह तो आसन ने सुनकर, मैंने सुनकर अन्दाज लगाया कि ना पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, हम हां बोलेंगे और उसको ना सुन लेंगे तो बंटाढार हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : यह भी सम्भव है, क्योंकि प्रक्रिया यह होती है कि जब हां, ना कराते हैं तो उसके पश्चात् आसन की ओर से यह कहा जाता है मेरी समझ में ना पक्ष या हां पक्ष जीता। उसके बाद में थोड़ी देर ठहर जाते हैं। उसके बाद में यदि कोई यह कह, चैलेन्ज करे तो उसे दुबारा पुट किया जाता है। मैंने जब यह कहा कि ना पक्ष जीता तो उस वक्त किसी ने यह नहीं कहा कि नहीं साहब हां पक्ष जीता। इसलिए उसके बाद में थोड़ी देर ठहरकर ही मैंने यह घोषित किया कि ना पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, प्रोसिडिंग में यह नहीं है। प्रोसिडिंग में आपने यह कहा कि ना पक्ष जीता, उधर से बोले ना पक्ष नहीं, हां पक्ष जीता, तो आपने कहा कि आपका हां, ना गलत है। यह प्रोसिडिंग उठाकर देख लीजिये। प्रोसिडिंग में हां पक्ष जीता तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि कैसे हां पक्ष जीत गया ? जब किसी व्यक्ति ने ना नहीं कहा।

एक माननीय सदस्य : वाक आउट करने से यह महरूम रह गये हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन बिलकुल सीधा सा है, आपका मानना है कि ना पक्ष जीत गया या हां पक्ष जीत गया।

श्री अध्यक्ष : मेरा अनुमान है कि ना पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अनुमान होता कैसे अध्यक्ष महोदय, किसी ने नां नहीं कहा, यह अनुमान आपको कैसे हो गया ? और आपका यदि इस तरह का अनुमान होता है तो, अध्यक्ष महोदय, क्षमा करें, हमें डर लगता है।

श्री अध्यक्ष: यदि अनुमान सही नहीं हो तो अवसर होता है, हमेशा मैं, इस बात को तो आप ध्यान में रखते होंगे, ठहर जाता हूं। शायद मेरे से कहीं गलती न हो जाय, गलती हो सकती है इसलिए मैं कहता हूं ना पक्ष जीता, उस वक्त यदि कोई कह देते कि नहीं साहब हां पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जब यह कहा कि ना पक्ष जीता, और माननीय खेत सिंह जी ने कहा कि नहीं, फिर आपने कहा कि नहीं आपने गलत हां, ना कर दिया इसलिए अपने आपको सुधारें, यह प्रोसिडिंग में है आप दे दीजिये स्पष्टीकरण।

श्री अध्यक्ष : जब आसन ने घोषित कर दिया कि फलां पक्ष जीता और उसको चैलेन्ज नहीं किया गया तो माना यही जायेगा कि ना पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह तो मान गये और राज्यपाल महोदय ने उसका उत्तर भी दे दिया। मानने की प्रक्रिया तो पूरी हो गई। क्वेश्चन केवल इतना सा आता है ...

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(व्यवधान)

मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा रोल उस समय था, कांग्रेस के लोगों ने निभाया मुझे बड़ी सहानुभूति है, आपके साथ आपको बोलने नहीं दिया, पहाड़िया जी को मालूम है। खैर, कोई बात नहीं, यह प्रसंग दूसरा है।

मैं केवल यह बात कहना चाहता हूं। उस समय आपने यह कहा कि जो इन संशोधनों के पक्ष में हों वे हां कहें। आप प्रोसिडिंग्स मंगाकर देख लें, सभी उधर के माननीय सदस्य, जो उधर बैठे थे, ने कहा हां; उसके बाद में जब आपने क्वेश्चन को फाइनल किया तो माननीय सदस्य, श्री खेतसिंह ने एतराज किया, नहीं साहब ना पक्ष जीता हां पक्ष जीता। आपने कहा आपको हां ना का फर्क नहीं है। आपको हां नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअल लैंग्वेज क्या है, मुझे पता नहीं। मैं आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं बहुमत ने हां कहा उसके बाद संशोधन क्यों नहीं स्वीकार किया गया ?

श्री अध्यक्ष : कई दफा माननीय सदस्य कुछ गलतफहमी में हो सकते हैं। इसलिए प्रक्रिया यह अपनाई गई है कि दो स्टेजेज के अन्दर होता है वह पारित किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मानते हैं कि उन्होंने गलतफहमी में हां कह दी तो मुझे आपत्ति नहीं।

श्री अध्यक्ष : जब मैंने कहा कि ना पक्ष जीता तो उस वक्त...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उनको होश आया।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : जितनी बात विरोधी दल के नेता ने कही; उतनी बात नहीं हुई थी। जिस वक्त आपने प्रश्न रख दिया, उस समय सदन में काफी लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, कइयों ने सुना कइयों ने नहीं सुना। गलतफहमी में कुछ लोगों ने हां कह दिया उसके बाद जब आपने रुककर वापस पूछा तो सब ने ना कहा। अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने फर्माया, मैंने रुककर अनुमान लगाया कि ना पक्ष जीता। यह तो सामने दिखता है कि विरोधी दल के नेताओं के संशोधन को हम कैसे मान लेते। उसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई, यह इतना बड़ा प्रश्न नहीं है कि सदन का अमूल्य समय बिगाड़ा जाय, इसका कोई महत्व नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : अगर शासन पक्ष वाले इतनी गफलत में रहें कि वे हां या ना पक्ष में डिफरेन्शियट नहीं कर सकते तो ऐसे दल को शासन में रहने का अधिकार है या नहीं है ? कृपया आप व्यवस्था दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जैसे मुख्य सचेतक होंगे, वैसी ही उनके दल की सदन में कार्यवाही होगी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

(श्री अध्यक्ष)

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्वश्री भगवानदास शास्त्री, यदुनाथ सिंह, ललित किशोर चतुर्वेदी व कैलाश मेघवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से उदयपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एस. के. एन. कृषि महाविद्यालय जोबनेर में गत 1 मार्च को झगड़ा फसाद होने व कृषि महाविद्यालय के बन्द कर देने के विषय में।

(2) सर्वश्री मेघराज तावड़, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 5 मार्च को खेतड़ी नगर में आजाद मार्केट के पास आबाद हरिजन महिलाओं व बच्चों पर पुलिस द्वारा किये गये लाठीचार्ज के विषय में।

(3) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम लखेसरा में गत 28 फरवरी की रात को डाकुओं द्वारा किये गये हमले में मजदूरों को लूटने व घायल करने के विषय में।

(4) श्री जीतमल जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से भारत एलम्स एण्ड केमिकल्स फैक्ट्री अलवर में विषैली गैस फैलाने के कारण गांव की फसलें नष्ट हो जाने के विषय में।

(5) श्री नाथूसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान के न्यायिक अधिकारियों द्वारा न्यायिक सेवाओं में भ्रष्टाचार के मामले राज्य के मुख्य मंत्री के निर्णयार्थ सौंपने के निश्चय से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

(6) सर्वश्री माला राम व वीरेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से झुंझुनूं जिले के रसद अधिकारी द्वारा गत 3 माह की चीनी व केरोसिन तेल का गबन किये जाने के विषय में।

इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(7) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 16 फरवरी को दिल्ली में हुई किसान रैली के लिए पथ परिवहन निगम की 1200 बसों को लेने से निगम को हुए 43 लाख रुपयों के घाटे के विषय में।

इस सम्बन्ध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना भी प्राप्त हुई है और मैं चाहूंगा कि इस विषय में सरकार की ओर से दिनांक 11 मार्च, 1981 को एक वक्तव्य दिया जाय।

(8) सर्वश्री कमलेन्द्रसिंह व 18 अन्य विधायकों ने राजस्थान में व्याप्त अकाल की स्थिति के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी प्रकार श्री बहादुरसिंह व श्री फतेहसिंह, सदस्य विधान सभा ने भी बांसवाड़ा जिले में उत्पन्न अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

यह विषय स्थगन प्रस्ताव का विषय तो नहीं है किन्तु इसे बजट पर आज से प्रारम्भ

(श्री अध्यक्ष)

होने वाली सामान्य बहस के समय उठाया जा सकता है।

(9) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य विधान सभा की ओर से दिसम्बर, 80 में बीकानेर शहर में गन्दे पानी के उपयोग के कारण आंत्र-शोथ की बीमारी फैलने के विषय में। यह प्रश्न भी स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है और अविलम्बनीय लोक महत्व का भी नहीं है।

(10) सर्वश्री उम्मेदसिंह व त्रिलोकसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से पिछले एक सप्ताह से गंगानगर में बिजली की कमी को लेकर किये गये प्रदर्शन के सिलसिले में गत 4 मार्च को पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज के विषय में।

(11) सर्वश्री बालचन्द्र आर्यवीर, अनंगकुमार जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 16 फरवरी को फागी के श्री रामकरण भील की झोंपड़ी सरपंच द्वारा तुड़वाने के विषय में।

यह लोक महत्व का विषय नहीं है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(12) श्री रघुवीरसिंह कौशल व श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य राजस्थान विधान सभा की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निश्चित अवधि समाप्त होने के पश्चात् केवल 4 माह का एक्सटेन्शन दिए जाने के विषय में।

यह केन्द्र सरकार का विषय है और मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। मैं यह भी चाहूंगा कि इस प्रस्ताव पर सदन में कोई चर्चा न हो।

पूर्व में कुछ स्थगन प्रस्तावों की सूचना जो मुझे दी गई थी उन पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हो गई है। ये प्रस्ताव इस प्रकार हैं :—

(1) सर्वश्री गोपाल पचेरवाल व उम्मेदसिंह की ओर से गत 15 जनवरी को ग्राम गोगोर, तहसील नावां, जिला नागौर में मोहन बलाई की पिटाई से हुई मृत्यु के विषय में।

(2) श्री बालचन्द्र आर्यवीर, अनंगकुमार जैन व हीरालाल आर्य, सदस्य विधान सभा की ओर से झालावाड़ के डग विधान सभा क्षेत्र में नन्दू नामक महिला की हत्या के विषय में।

(3) श्री समर्थलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 20 फरवरी को नीम का थाना स्थित अनुसूचित जनजाति छात्रा-वास को जलाये जाने की घटना के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर प्राप्त तथ्यों के अवलोकन से मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि इनको स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(4) श्री रामकंवार बैरवा, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य की कृषि सह-कारी समितियों को आवंटित जमीनों के कब्जे न मिलने के विषय में।

यह प्रस्ताव किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है। अतः इसे भी मैं स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से वेरी वेतन आयोग

(श्री अध्यक्ष)

की रिपोर्ट में विलम्ब के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी जिस पर यह निर्णय लिया गया था कि सदन में आज सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया जावेगा। यह वक्तव्य आज न दिया जाकर अगले सोमवार दिनांक 16 मार्च, 1981 को दिया जावेगा।

(6) सर्वश्री ललित किशोर चतुर्वेदी व रघुवीर सिंह कौशल, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 26 फरवरी, 1981 को राजस्थान विद्युत् मंडल द्वारा नियुक्त 200 अप्रेन्टिस क्लर्क्स को नौकरी से हटाने के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

इस स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार की ओर से दिनांक 13 मार्च, 1981 को एक वक्तव्य होगा।

(7) श्री रघुवीरसिंह कौशल व दाऊ दयाल जोशी, सदस्य विधान सभा की ओर से दिनांक 27 फरवरी को राज्य के विभिन्न भागों में एक विशेष प्रकार की घास के विस्तार से अस्तमा, खुजली व चर्म रोग व पशुओं में अन्य बीमारियां उत्पन्न होने के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी।

इस प्रश्न पर सदन में दिनांक 12 मार्च को सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया जावेगा।

अनेक माननीय सदस्य : घास का नाम क्या है?

श्री अध्यक्ष : इसमें लिखा हुआ नहीं है। अब जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों को मैंने राज्य सरकार के पास जानकारी हेतु भेजा है···

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगन प्रस्ताव पर सरकार से जानकारी प्राप्त होने में विलम्ब

श्री माथूसिंह (बांदीकुई) : प्वाइन्ट आफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय, जब हम स्थगन प्रस्ताव देते हैं तो राज्य सरकार से जवाब आते हैं, नियम यह है कि उसी दिन जवाब आना चाहिए स्थगन प्रस्ताव का आपने व्यवस्था कर रखी है, सदन में उसके अनुसार जवाब दूसरे या तीसरे दिन आता है लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमने पिछली 24 व 25 तारीख को स्थगन प्रस्ताव दिये, आपने उनको राज्य सरकार के पास जानकारी के लिये भेज दिये हैं, उनका जवाब आज तक सरकार ने नहीं दिया···

श्री अध्यक्ष : कौनसा स्थगन प्रस्ताव?

श्री माथूसिंह : होम्योपैथिक कालेज में जो हड़ताल चल रही है, उस सम्बन्ध में पिछली 25 या 26 को हमने स्थगन प्रस्ताव दिये थे और आज 9 मार्च है। अध्यक्ष महोदय, 15-15 दिन तक सरकार की तरफ से जानकारी हासिल न की जाकर सदन को उसकी जानकारी न दी जाय तो स्थगन प्रस्ताव का महत्व ही समाप्त हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय, आखिर यह काल अटेन्शन मोशन होता है, इसका जवाब जल्दी से जल्दी आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

मैं आपकी जानकारी के लिये यह बताना चाहूंगा कि आज काफी स्थगन प्रस्तावों के जवाब आये हैं। शायद कुछ के रह गये हैं क्योंकि वे लेट प्राप्त हुऐ थे। जिनके जवाब आये हैं उनमें अगर आप के वाले स्थगन प्रस्ताव का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हो तो आप कृपया आकर मेरे से चैम्बर में मिल लें। मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि आपके स्थगन प्रस्ताव का उत्तर जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जावेगा।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरे तीन स्थगन प्रस्ताव थे आपने एक ही के बारे में व्यवस्था दी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्टीकूलर एक स्थगन प्रस्ताव के बारे में नहीं कह रहा। पिछले कई दिनों से जो राज्य सरकार···

श्री अध्यक्ष : रोजाना आते रहते हैं माननीय सदस्य। आज भी दस पन्द्रह आये हैं।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा दो दिन कर दें? पूरे 15-15 दिन तक, अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आते हैं।

श्री अध्यक्ष : कोशिश यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी जवाब आ जाय।

श्री नाथूसिंह : 15-15 दिन तक जवाब नहीं आता है। आखिर स्थगन प्रस्ताव है या स्थगित प्रस्ताव है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, 25 तारीख को स्थगन प्रस्ताव दिया था 25 फरवरी को बगरू फाटक पर किसानों पर लाठी चार्ज किया गया था अभी 15-16 दिन हो गये हैं पर आज तक कोई उस स्थगन प्रस्ताव पर जानकारी नहीं आई है फिर स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव की परिभाषा से मतलब क्या हुआ? जब हमें यह अधिकार दिया गया है कि ज्यों ही कोई घटना घटे तो उसकी तुरन्त अध्यक्ष महोदय को सूचना दें। वे सरकार से सूचना मंगाकर तुरन्त उसका जवाब दिलवाऐंगे। जिस पर सरकार वक्तव्य देगी। अध्यक्ष महोदय, आप यह व्यवस्था कराने का निर्णय सदन में दें कि हर स्थगन प्रस्ताव का जवाब दो तीन दिन में आ जावे। आज 15-15, 16-16 दिन हो गये हैं···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी है, पर, अगर आप हर एक स्थगन प्रस्ताव के बारे में क्या स्थिति है यह तो जुबानी मुझे याद थोड़े ही रहेगी।

श्री देवीसिंह भाटी : पर, अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव दिये हुए आज 15-16 दिन हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य; आप मुझ से बाद में मिलते तो स्थिति मालूम कर सकते थे। आप जानते हैं कि करीब 10-12 -15 स्थगन प्रस्ताव आते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : हर सदस्य आप से चैम्बर में मिले यह व्यवस्था नहीं होनी

(श्री देवीसिंह भाटी)
चाहिये। व्यवस्था यह होनी चाहिये कि सरकार, दो या तीन दिन में उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह तो कोई व्यवस्था नहीं। फिर हमारे यहां पर आकर बैठने से क्या फायदा हुआ ? हमारा न तो प्रश्नों का समय पर उत्तर आता है न ही हमारे स्थगन प्रस्तावों का उत्तर भी 15-16 दिनों तक आता है। फिर व्यवस्था का फायदा क्या ?

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों का उत्तर आता है, क्यों नहीं आता ? उत्तर आता है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, समय पर उत्तर नहीं आता है आपने एक स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी है। दो का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और स्थगन प्रस्तावों के संबंध में एक प्रश्नकाल के रूप में जानकारी चाहें तो यह मेरे लिये सम्भव नहीं है कि प्रत्येक स्थगन प्रस्ताव की स्थिति को मैं आपके सामने निवेदन कर सकूं। अगर किन्हीं माननीय सदस्यों को कोई शिकायत है, तो वे आकर मुझ से मेरे चैम्बर में मिल सकते हैं।

(व्यवधान प्रश्रव्य)

आर्डर आर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पर्टीकूलर एक स्थगन प्रस्ताव की बात नहीं है स्थगन प्रस्ताव आते हैं, तो तुरन्त उन पर व्यवस्था होनी चाहिये। एक दो दिन में जवाब आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : जवाब तो आना चाहिये। आखिर इसके लिये कोई व्यवस्था तो होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया स्थान ग्रहण करें। इस तरह से उत्तर नही आयेगा माननीय सदस्य, आप लाख कोशिश कर लें। आप जो तरीके हैं वह अपनाएं, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, और कौन सा तरीका है ?

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। आर्डर, आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य आप सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित कर रहे हैं। आर्डर। अंकित नहीं हो।

श्री देवीसिंह भाटी :×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। आर्डर, आर्डर। अंकित नहीं हो।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

(बहिर्गमन)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने और अनंगकुमार जी ने बारां जिले में पुलिस की जीप से जो एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था।

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि आप मुझे वापस एक-एक रिपोर्ट करने के लिए कहें। मैंने जो व्यवस्था दी है उसमें अगर किसी भी माननीय सदस्य के स्थगन प्रस्ताव पर कोई व्यवस्था नहीं दी गई है तो वह मुझसे चेम्बर में आकर मालूम कर सकता है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव इस सम्बन्ध में दिया था कांग्रेस रैली में जाते हुए एक बस का एक्सीडेंट हुआ।

श्री अध्यक्ष : उस पर मैंने व्यवस्था दे दी है। मैंने व्यवस्था यह दी कि इस पर कई माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी आये हैं मैंने इसके लिए तारीख निश्चित कर दी है उस दिन इन सब प्रश्नों को ले लिया जायेगा। और कई प्रश्न आए हुए हैं, जिन पर मैंने यह व्यवस्था दे दी है।

श्री राजबहादुर : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, आसन अपने पैरों पर है और मुख्य मन्त्री जी, इनके साथ दूसरे मंत्री जी, मुख्य सचेतक जी सब के सब सदन को छोड़ कर जा रहे हैं यह आसन की अवहेलना कर रहे हैं, आप इस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। मेरा एक पाइन्ट आफ आर्डर है। मैं आपका दो मिनट का समय लेना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : आप दो मिनट का समय लेना चाहें तो मैं नहीं दे सकता हूँ, पर, आपका पाइन्ट आफ आर्डर क्या है, वह आप बता दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में दिया था। सदन में उसके जवाब में सरकार ने यह कहा कि वह हड़ताल टूट गयी है। केवल दो शब्दों में जवाब दे दिया। मेरा निवेदन है कि हड़ताल तो टूट गयी पर जयपुर शहर की गन्दगी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। इस पर सरकार को ताड़ना दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह जयपुर के जन जीवन का प्रश्न है, माननीय सदस्यों की जिन्दगी का प्रश्न है। बीमारी फैल रही है आप इनको ताड़ना तो दें, जिससे यह सफाई करावें। हड़ताल टूट गई इसका क्या अर्थ हुआ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप स्थान ग्रहण करें। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप तो इसे व्यवस्था का प्रश्न नहीं मानते हैं, पर आप सरकार को सफाई की व्यवस्था कराने के लिए तो कह सकते हैं। यह सफाई की व्यवस्था ही करा दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य मैं आपसे पहले खड़ा हुआ हूं।

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय, मैंने झुन्झुनू कोआपरेटिव बैंक के बारे में स्थगन

(श्री लच्छू राम)
प्रस्ताव दिया था, उस पर आपकी कोई व्यवस्था नहीं आई।

श्री अध्यक्ष : मैंने क्या किया ?

श्री लच्छूराम : आप फ़र्मा रहे हैं कि जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव हैं उनके बारे में···

श्री अध्यक्ष : अब जिन माननीय सदस्यों ने अपने स्थगन प्रस्ताव दिये थे और जिन पर यहां पर कोई व्यवस्था नहीं दी या जिनके बारे में सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है और वह माननीय सदस्य सरकार के उत्तर का इन्तजार नहीं करना चाहें और आज कहना चाहें तो आज फर्मा दीजिए। जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों पर मैंने व्यवस्था यह दी है कि यदि स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है सरकार के उत्तर आने के पश्चात् अथवा अभी निर्णय यह दे दिया स्थगन प्रस्ताव को पढ़ कर, उन पर दो-दो मिनट माननीय सदस्य बोलें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं नाम पुकारूंगा। सबसे पहले श्री देवीसिंह भाटी की बारी आयेगी। दिसम्बर 80 में बीकानेर शहर में गन्दे पानी के उपयोग के कारण, आंत्र-शोथ की बीमारी फैलने के विषय में।

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव 25 फरवरी को दिया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य फिर वही बात सारी रात रामायण पढ़ी और आप वही पुरानी बात कर रहे हैं मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था कि मेरा दिमाग थोड़ा मोटा है इसलिये मुझे सभी के स्थगन प्रस्ताव याद थोड़े ही रहते हैं आप स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अभी दिनांक 7-3-81 को जोधपुर न्यायिक अधिकारियों की बैठक हुई थी हमें यह पढ़ने को मिला···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह जुडिशियल मामला है। हमने इसकी जानकारी चाही है। इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, चर्चा नहीं करूंगा, पर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस बैठक की आप वहां से प्रोसिडिंग्स मंगवा लें। इस मामले में लीपा-पोती होने की सम्भावना है। इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया आप उसकी प्रोसिडिंग्स मंगवा लें।

श्री अध्यक्ष : सरकार से सूचना मंगा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। श्री देवीसिंह भाटी, आपको विषय तो याद है ना।

श्री देवीसिंह भाटी : याद है, अध्यक्ष महोदय, आप भुला दें तो बात दूसरी है। अध्यक्ष महोदय, बीकानेर के अन्दर दिसम्बर 80 में फड़ बाजार और रोशनी घर के पीछे पीने के पानी की मुख्य लाइन के साथ में, गटर का गन्दा पानी मिल गया। उस गन्दे पानी को पीने से बीकानेर शहर के पांच-छः मोहल्लों जैसे कमला कालोनी, रानीसर बास, सुथारपुरा हैड पोस्ट आफिस के पीछे आंत्रशोथ की बीमारी बुरी तरह से फैल

(श्री देवीसिंह भाटी)

गई। आंत्रशोथ से पीड़ित बीकानेर के पी॰ बी॰ एम॰ एम॰ में 40–50 नागरिक अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिये भर्ती हुए हैं। इस दौरान ध्यान देने की बात यह है कि वहां के नागरिकों ने जिला प्रशासन और जलदाय विभाग दोनों के अधिकारियों से बार बार निवेदन किया कि नलों में गन्दा पानी आ रहा है उसके पीने से लोग बाग बुरी तरह से बीमार हो रहे हैं और कई बच्चों की मृत्यु हो गई है परन्तु इसकी तरफ न तो जिला प्रशासन ने और न ही जलदाय विभाग ने ही ध्यान दिया है। अध्यक्ष महोदय, फिर इस घटना का जैसा कि अखबारों में यह छपा, आंत्रशोथ से 13–14 मौतें हो गयी हैं तब सरकार के प्रतिनिधियों व सरकार के जलदाय विभाग ने भाग-दौड़ की और पता लगाया कि फड़ बाजार के अन्दर पानी के नलों में, गटर लाइन का पानी मिलने से ऐसा हुआ है तो उन्होंने तुरन्त भाग दौड़ की। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि जब ऐसी कोई घटना हो जाय और लोगों की मौतें हो जायें, उसके उपरान्त शिकायतें भी पहुंचती रहें, फिर भी कोई व्यवस्था नहीं हो तो आखिर यह नागरिक ही भुगतें? अधिकारियों के खिलाफ न तो आज तक कार्यवाही हुई है न उन लोगों के मुआवजे की व्यवस्था की गयी है, न ही तुरन्त नई पुरानी लाइनों, जो कि 30–30 साल पुरानी बिछी हुई है को बदलवाने की व्यवस्था की गयी है। उन्हीं को जोड़ तोड़ कर चालू कर दिया। जैसे ही पानी को टैस्ट किया गया और लेबोरेटरी में भेजा गया तो यह रिपोर्ट आई कि इसमें विषाक्त पानी मिला हुआ है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में मैं कह देता हूं परन्तु इसके उपरान्त भी आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार इसके दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करे। सिर्फ हम यहां आयें, वक्तव्य दें तो इसमें कोई सार की बात नहीं है। मैं मुख्य बात निवेदन यह करना चाहता हूं कि जब आंत्रशोथ से 15–16 मौतें हो गयीं और लोग गन्दा पानी पीते रहे इसके उपरान्त भी जलदाय विभाग और जिला प्रशासन ने कार्यवाही नहीं की, तो राज्य सरकार इसके लिए तुरन्त कार्यवाही करे और पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे, यही मैं सरकार से निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेद सिंह व तिलोक सिंह की ओर से पिछले सप्ताह में गंगानगर में बिजली की कमी के कारण लाठी चार्ज।

(व्यवधान)

श्री उम्मेदसिंह का नाम पहले पुकारा है इसलिए वह बोलें।

श्री उम्मेदसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री तिलोकसिंह।

श्री तिलोक सिंह (फतहपुर) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सप्ताह गंगानगर में वन मंत्री महोदय गये थे, तब गंगानगर के लोग एक डेपुटेशन के रूप में अपनी फरियाद लेकर आये। वे गंगानगर जिले की आप बीती बयान करने आये थे। मंत्री महोदय ने उनसे मिलने से ही इन्कार नहीं किया, बल्कि

(श्री त्रिलोक सिंह)
मिलने आये लोगों पर अंधाधुंध लाठी चार्ज कराया, सैंकड़ों लोग घायल हुए । उसके बाद जब मंत्री महोदय शहर में गये तो शहर के लोग भी उनसे मिलने डेपुटेशन के रूप में आये तो . . .

(व्यवधान)

पहले बात सुन लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दें ।

श्री त्रिलोक सिंह : वहां पर लाठी चार्ज कराया गया, पचासों लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और जेल में लोगों का किसी तरह का इलाज नहीं कराया गया । इस तरह के अत्याचार डेमोक्रेसी में होते हैं । एक मंत्री महोदय अपने इलाके में जाते हैं और इस बहाने से सरकार का और जनता का हजारों रुपयों का खजाना खर्च करके लोगों से वह मिलना तक नहीं चाहते, मिलने आये लोगों पर लाठी चार्ज करवाया जाता है । ऐसा संगीन मामला है कि गंगानगर पहले तो पानी के अभाव में तबाह हो गया और अब बिजली नहीं आने से वहां की तमाम फसलें तबाह हो गयीं । जब किसान अपनी फरियाद लेकर एक मंत्री महोदय से मिलने आये तो, मंत्री महोदय को इतना गरूर कि लोगों को मारा जाय, लोगों को जेल में डाला जाय । इस तरह की नालायक सरकार है जो लोगों की बात नहीं सुनना चाहती है तो हम यह पूछना चाहते हैं कि फिर इसका इलाज क्या होगा ? लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे, जुल्म के खिलाफ विद्रोह करेंगे और यही वजह है कि आज गंगानगर में ही नहीं पूरे राजस्थान की हालत यही है । चूरू जिले के लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो लाठी चार्ज होता है, झुंझुनू जिले में जब लोग बिजली की शिकायत करते हैं तो लाठी चार्ज होता है, पुलिस द्वारा जनता का दमन होता है। यही सीकर जिले में होता है, यही नागौर और जैसलमेर में होता है । मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि इसका क्या अर्थ है ? सरकार आखिर किस मर्ज की दवा है जो लोगों की फरियाद तक नहीं सुनना चाहती । सरकार के खिलाफ लोग क्या करें ? क्या लोग विद्रोह करके इस सरकार की कब्र खोदें । जो अमन और शांति के साथ बात करने आये और सरकार सुनना नहीं चाहती इससे बुरा और क्या होगा ? अंग्रेजों का राज देखा, जागीरदारों का राज देखा, राजाओं का राज देखा, फरियादी पर कहीं भी लाठी चार्ज नहीं होता था लोग फरियाद लेकर आयें और उन पर लाठी चार्ज मंत्री महोदय के आदेशों से किया जाय, हम चाहते हैं कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त किया जाय । उनके खिलाफ समय रहते कार्यवाही की जावे . . . .

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए । माननीय सदस्य ।

श्री त्रिलोक सिंह : ... यही मेरा निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष : श्री जगतार सिंह ।

श्री जगतारसिंह (श्री करणपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने इस तरह से आरोप लगाया कि

(श्री जगतार सिंह)

गंगानगर में लाठी चार्ज हुआ और वहां कोई डेपुटेशन आया । यह ठीक है, बिजली की कमी तो राष्ट्रव्यापी कमी है । उसके बारे में हम सब एम. एल. एज. और मंत्री महोदय ने मीटिंग की, पहले रेस्ट हाउस में मिले, वहां हमने अच्छी तरह से बात की, इस समस्या का समाधान निकालने के लिये लेकिन वह तो चाहते ही नहीं थे कि समस्या का समाधान किया जाय । वह यह चाहते थे कि हमारा अखबारों में नाम कैसे आये और हम गुण्डागर्दी करके कैसे दिखायें । जैसा कि उन्होंने भूतपूर्व मंत्री श्री केदार जी के राज में किया था । उन्होंने तो वही आवाज और उसी तरह से नारेबाजी और गलत बकवास की । उन्होंने गालियां तक दीं और बहुत ही भद्दे शब्द कहे उसके बावजूद भी हमने बहुत शांति से सुना और उनको डेपुटेशन में आने के लिये निमंत्रण दिया । उन्होंने माननीय मंत्री महोदय को अपनी डिमाण्ड दे दी । वह तो यह चाहते थे कि हम ऐसी कार्यवाही करें जिससे उत्तेजना बढ़े । तो वह नारे लगाते लगाते, गालियां निकालते निकालते आये और जब पुलिस ने हमको यह कहा कि अगर आप दुबारा मिलना चाहते हैं तो मिलें । हमने ऐसा कर दिया कि 5 आदमी अपनी डिमाण्ड दे दें लेकिन पांच आदमियों के लिये दरवाजा खोला तो सारे धक्का देकर अन्दर आ गये । पुलिस ने कहा कि आप पीछे हटिये · · ·

श्री त्रिलोकसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सफाई दे रहे हैं या मंत्री महोदय दे रहे हैं ? मंत्री महोदय सफाई दें, इस बात को कोई भी आदमी कहे । यह क्या सफाई है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

एक माननीय सदस्य : यह बिलकुल सच बता रहे हैं, माननीय सदस्य श्री त्रिलोक सिंह जी ने गलत बताया था ।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री जगतार सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, जब लोगों को पीछे हटाया तो वह पहले से ही पत्थर लाये हुए थे, वहां कोई पत्थर नहीं था वहां कोई कन्क्रीट साइड पर पड़ी हुई नहीं थी और वह तो लैस होकर आये थे । वहां सड़क पर और पी. डब्ल्यू. डी. रेस्ट हाउस में उन्होंने इस तरह पत्थर फेंके कि जिससे वहां खड़े नागरिकों पर पत्थर लगे, पुलिस पर पत्थर लगे और पुलिस के सिपाहियों के चोटें भी लगीं । बार बार वार्निंग देने पर भी वह आदमी नहीं माने उनको पीछे धकेलने के अन्दर अगर किसी के थोड़ी बहुत चोट भी आ जाती है तो इसके बारे में निवेदन करता हूं कि यह ठीक है, लेकिन जो माननीय सदस्य ने बताया वह वहां नहीं हुआ और बिना बात के उन्होंने आम पब्लिक के पत्थर मारे ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए ।

श्री दुलाराम (वन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य श्री त्रिलोकसिंह जी ने जिस तरह की बात की, वह सत्य नहीं है । क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के नेता बखूबी से जानते हैं कि गंगानगर में कौन बदमाश हैं, कौन गलत हैं और कौन मांग लेकर आते हैं । श्रीगंगानगर को आप नहीं जानते हैं । इसको विपक्ष के नेता ज्यादा जानते हैं · · ·

श्री त्रिलोकसिंह : मैं जानता हूं · · ·

श्री दुलाराम : सुनिये, सुनिये . . .

माननीय अध्यक्ष जी, ये वे लोग हैं जो मेरे पास आये थे, जिन्होंने 78–79 के बीच में रेलवे एक्सीडेन्ट किया था, वे असामाजिक तत्व जिनके खिलाफ गुण्डा एक्ट के तहत, क्रिमनल केस और ऐसे बदमाश हैं वे लोग · ·

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह : अध्यक्ष महोदय, कुछ और लोग भी थे। केदार जी भी थे। केदार जी गुण्डे थे क्या ? मंत्री महोदय अपनी सफाई गलत दे रहे हैं · · ·

श्री दुलाराम : सुनो तो सही।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री त्रिलोकसिंह : मंत्री महोदय सफाई की बात कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मंत्री महोदय, कुछ कहना चाहते हैं।

श्री दुलाराम : वे कैनाल रेस्ट हाउस में मेरे पास आये और मुझे यह मांग पत्र उन्होंने दिया। कम से कम एक हजार आदमी मेरे से मिलने आये हुए थे जो नौकर सैक्शन के थे, जो मुझसे मिलना चाहते थे। पार्क में बैठकर मैंने उनसे बात की। उसके बाद 15 और 20 आदमी जिनके खिलाफ मुकदमें दर्ज हैं, कहो तो मैं नाम पढ़ देता हूं उन्होंने मुझे मांग पत्र दिया। मैंने प्रेम से उनसे बात की। मैंने निवेदन किया कि इसके अलावा कोई मांग हो तो आप मुझको दे दो तो कहने लगे नहीं, बिजली तुरन्त आ जानी चाहिये, वरना हम हड़ताल कर देंगे। कनेक्शन मिल जाने चाहिये उन्होंने जो कुछ भी कहा मैंने सुना, मैंने सुनकर कहा ठीक है, सरकार तुरन्त विचार करके कार्यवाही करेगी। उसके बाद वे लोग चले गये। उसके बाद मैंने गंगानगर में गंगानगर जिले के अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई हुई थी और केनाल रेस्ट हाउस के बजाय हमने पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाउस, जो गंगानगर के पूर्व और दक्षिण साइड में बना हुआ है, में अधिकारियों की मीटिंग बुलाई।

माननीय सदस्य भी उपस्थित थे। जिलाधीश भी थे, मैं भी था और भी सक्षम अधिकारी थे। उसके बाद चार, साढ़े चार बजे जिनमें ज्यादातर बिहारी लोग थे जो लेबर बाहर से आई हुई थी उस लेबर के 100, 200 आदमी लेकर जिसमें हेतराम बेनीवाल, महेश पेडीवाल और चिलाना और सुदर्शन लोढ़ा यह लोग आयें और नारे लगाये कि मंत्री महोदय बाहर आयें और जनता के बीच में बैठकर बात करें। एस.पी. ने मुझे सूचना दी कि इस तरीके से डेपुटेशन आया हुआ है। आप मिलना चाहते हैं क्या ? मैंने उनसे एक बात कही, दो आदमी आकर उनकी जो कुछ भी डिमाण्ड है मुझे दे दें मैंने जिला अधिकारियों की मीटिंग ली है और जिले में जिस तरीके से बिजली, पानी और भी जो मांगे हैं, उन पर विचार कर रहा हूं, तो उन्होंने आने से साफ इन्कार कर दिया। इन्कार करने के बाद कहा, मन्त्री महोदय उन बदमाशों और गुण्डों के बीच में आयें। मैंने इससे रिफ्यूज किया। मैं अभी नहीं जाऊंगा। क्योंकि, माननीय

(श्री दुलाराम)

अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करूं कि इन्हीं लोगों ने तत्कालीन गृह मन्त्री को, जिलाधीश को, और एस. पी. को बुलाकर बेइज्जती की थी उसी तरीके से माननीय अध्यक्ष जी मैं बेइज्जती करवाऊं, मैं इसको मानने के लिये बाध्य नहीं हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, ये वह बदमाश लोग हैं, जिन्होंने रेलवे में एक्सीडेंट किया था, इंजन का जिसको विरोधी पक्ष के माननीय नेता जानते हैं। ये वही बदमाश हैं जिन्होंने गंगानगर में उत्पात मचा रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिनको पुलिस ने पकड़ा है, उनके खिलाफ क्रिमनल केस नहीं चलते। क्या आप यह चाहते हैं कि गंगानगर में शांति नहीं रहे? माननीय अध्यक्ष जी, उनको वहां भी शांति नहीं मिली। उनको वहां से खदेड़ा। खदेड़ने के बाद एक प्राइवेट पार्टी जिसने फंक्शन किया हुआ था और जनता को निमन्त्रण दे रखा था वहां जाकर उन्होंने पर्दे फाड़े और कुर्सियों पर कब्जा किया। माननीय अध्यक्ष जी, क्या यह शोभा की बात है? कोई प्राइवेट पार्टी किसी मन्त्री को, चाहे वह किसी भी पार्टी का मन्त्री है, अगर फंक्शन करती है उसमें जाकर पर्दे फाड़े। उसके बाद पुलिस वहां पर गई और उनको वहां से भगा दिया। क्या यह शांति की व्यवस्था थी? क्या सी. पी. एम. या सी. पी. आई. के लोग होने से इसके माने यह नहीं है कि वे शांति प्रिय लोग थे। वे बदमाश लोग हैं जिनके खिलाफ क्रिमनल केसेज चलते हैं। ऑन रिकार्ड है। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं...

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, इस पर कोई चर्चा आगे नहीं होगी।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने अभी कहा कि हजारों लोग थे। दरअसल इनकी पार्टी के 1000 लोग थे तो जब चार, पांच या बीस आदमी गये थे, पर्दा फाड़ते तो उनका कचूमर नहीं निकालते। हजारों आदमी? इस तरह गलत बयानी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं कह रहा हूं...

श्री दुलाराम : उन्होंने माफी मांगी थी और कहा कि हमने गलती की है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा समाप्त की जाती है।

श्री बालचन्द आर्यवीर, श्री अनंग कुमार जैन फागी के श्री रामकरण मील की झोंपड़ी सरपंच द्वारा तुड़वाने के विषय में।

श्री बालचंद्र आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो गरीबों की हामी सरकार है, जो गरीबों के हित के बारे में सोचने वाली सरकार है, उसके द्वारा आज गरीबों की झोंपड़ियां तोड़ी जा रही हैं। यह जो वसुन्धरा दैनिक अखबार है, इसमें प्रकाशित हुआ है। अखबार दिनांक 22 ... में आपको इस में से कुछ अंश पढ़कर सुनाता हूं।

श्री अध्यक्ष : यहां जो भी कोई बात कही जाती है, निजी जानकारी के आधार पर कही जाती है। अखबार के आधार पर कहना उचित नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : वह व्यक्ति मुझे खुद मिला है। मैं आपके माध्यम से इस अत्याचारी सरकार को बताना चाहता हूँ कि रामकरण भील फागी का रहने वाला है, वहां पर श्रवण लाल सरपंच और वहां के पंच लल्लुलाल ने जब 800 रुपये मांगे उस भील से तो 800 रुपये नहीं देने पर रात को जाकर झोंपड़ी तुड़वा दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वह भील रामकरण बाहर गया हुआ था, घर पर नहीं था, तब रात में जाकर उसके बाल बच्चों को परेशान किया और जब घटना के समय गांव के लोग वहां पहुंचे तो सरपंच और पंच दोनों वहां से फरार हो गये। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अनुसूचित जाति के श्री राम करण भील की झोंपड़ी को तोड़ा उसकी जांच कराई जाय और व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री अनंग कुमार।

श्री रामकंवार बेरवा (फागी) : मेरे क्षेत्र में पड़ता है। यह बिलकुल सत्य बात है। वहां का सरपंच श्री श्रवणलाल शर्मा कांग्रेस से सम्बन्ध रखता है, और वहां जो संजय गांधी के नाम से पार्क बनाया गया था उसका मौजूदा कांग्रेस आई के अध्यक्ष श्री राम नारायण चौधरी ने उद्घाटन किया था उस जगह पर भी उन्होंने 400 रुपये गज से दुकानें नीलाम की हैं, 84 हजार रुपये में। इसलिये अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर उस श्रवणलाल शर्मा की कार्यवाही को और जो पंच है उसकी कार्यवाही को नहीं रोका गया, तो अन्य पंचों की बात नहीं सुनते हैं और मनमानी कर रहे हैं और सभी लोग आतंकित हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मैं मुख्य मंत्री जी के पास पहुंचा, तो मुख्य मंत्री जी ने कार्यवाही की। तीन चार लोगों के मकान जिनको तोड़ने के नोटिस दे रखा था अब तक उनके निजी मकान टूट भी जाते, इसलिये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनकी तुरन्त जांच कराई जाये। संजय गांधी के नाम से जो पार्क बनाया गया था उसको भी बेच कर खा रहे हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अनंग कुमार।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मसला इस सदन के सामने रखा गया है, इसमें सवाल अनुसूचित जाति के झोंपड़ों को तोड़ने का नहीं है, इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि सरपंच लोग गांवों में जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, रिश्वत खा रहे हैं। 800 रुपये की मांग एक सरपंच द्वारा की गई। 300 रुपये उन्हें दे दिये। 500 रुपये नहीं दे पाये इस कारण उस सरपंच ने, रात को 12 बजे जब उसकी पत्नी और बच्चे घर में सो रहे थे, उसके झोंपड़े को गिरा दिया, उसके बच्चे मलबे के नीचे दब गये। जब पत्नी चिल्लाई, तब गांव वालों ने मलवा हटा कर बच्चों को निकाला। ऐसी स्थिति में, इस प्रकार की शिकायतें सरकार के सामने भेजी जाती है। सरपंच की शिकायतें भेजते हैं, लेकिन सरपंच के साथ दो चार कांग्रेस कार्यकर्ता आ जाते हैं तो मंत्री महोदय, उस पर कार्यवाही नहीं करना चाहते। उसके अलावा भी जो ऐसे मामले हैं, जो भ्रष्ट सरपंच हैं जिनके

(श्री अनंगकुमार जैन)

खिलाफ मंत्री महोदय ने विधान सभा के अन्दर मामले मन्जूर किये हैं, जिनके खिलाफ जिला प्रशासन ने भ्रष्टाचार के आरोप भेजे हुए हैं, ऐसे भी सरपंच हैं जिनकी रिट हाई कोर्ट में पेंडिंग है, मंत्री महोदय, एक तरफ यह जवाब देते हैं कि हाई कोर्ट में रिट पेंडिंग है सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है। विधान सभा के सत्र के समाप्त होने के बाद भ्रष्ट सरपंचों को बहाल किया जाता है, चाय पिलाई जाती है। प्रशासन पर दबाव डाला जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के मसले हमने पूर्व सेशन में भी यहां उठाये थे, जो सरपंच भ्रष्ट हैं उनके खिलाफ सरकार कार्यवाही नहीं करना चाहती है। जो सरपंच भ्रष्टाचार फैलाते हैं, यदि वे कांग्रेस आई से सम्बन्धित हैं तो यह सरकार उनको संरक्षण देना चाहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार किये जाते हैं यदि वह सरपंच कांग्रेस से संबंधित है तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है? दूसरा, भ्रष्टाचार से लिप्त जिन सरपंचों को सस्पेंड किया गया था, जिनके खिलाफ जिला प्रशासन ने आरोप भेजे हुए हैं जिनके खिलाफ मंत्री महोदय ने विधान सभा में मन्जूर किया है कि यह सरपंच भ्रष्ट है, इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें मुख्य रूप से यही निवेदन है कम से कम सरकार को एक निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं और विशेष रूप से उन मंत्री महोदय को जो पिछले माह से बराबर दो नम्बर के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि कम से कम प्रशासन को तो दो नम्बर के चक्कर में नहीं डालें और जो भ्रष्ट सरपंच हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी। हिण्डौन कस्बे में फैल रही अव्यवस्था, हड़ताल और बन्द के विषय में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हिण्डौन नगर बन्द है। सारा कारोबार ठप्प पड़ा है। न रिक्शे वाले और न ठेले वाले अपना काम कर रहे हैं। आज हिण्डौन की स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि वह बन्द पड़ा है। कल सायंकाल जब फोन आया और जब वहां जाकर सारी स्थिति देखी तो उससे ऐसा लगता है कि न वहां किसी प्रकार का शासन है और न ही किसी प्रकार का प्रशासन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन बिगड़ गई है मुख्यतः हिण्डौन तहसील की और आम तौर पर सारे जिले की, उसके कारण सारे प्रदेश का ध्यान आकर्षित हो, विधान सभा का ध्यान आकर्षित हो इसलिये हिण्डौन उन्होंने बन्द किया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां का मुख्य व्यवसाय पत्थर का व्यवसाय है। आज पत्थर के व्यवसायी खानों पर नहीं जा सकते हैं। खानों पर जाते हैं तो उनके ट्रकों के पम्प निकाल लिये जाते हैं और कहते हैं कि इतने पैसे दे दो तब

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

जाकर छुड़ाकर ट्रक को ले जावो। जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनका काम करना मुश्किल है जाते हुए उनको डर लगता है, एक भय का आतंक फैला हुआ है ट्रकों में बैठकर वे खानों में नहीं जा सकते हैं। स्थिति यहां तक हो गई है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि राजा राम जो कोटियापुर गांव का रहने वाला व्यक्ति है वह दलाली करता है, दलाल बना हुआ है पुलिस का व्यक्ति है, स्वयं पैसे खाता है और पुलिस को पैसे खिलवाता है। उस बन्द के सिलसिले में डी. आई. जी. पिलानिया साहब कल वहां गये थे, तब सारे लोगों ने उनके सामने चर्चा की थी। मुझे बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि अब वहां यह कहा जाता है कि अब तो भाई स्वर्ग आयेगा तभी करप्शन की समस्या हल होगी--नहीं तो नहीं हो सकती। भ्रष्टाचार में सब जगह पैसे खाये जा रहे हैं। कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। कोई पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाता है तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। आज लोगों को सीधी चुनौतियां दी जा रही हैं। जो राजा राम नाम का व्यक्ति बताया वह दलाल बन कर इस प्रकार का काम कर रहा है और पुलिस उसको संरक्षण दे रही है लोगों को वह आतंकित करता रहता है। इसी तरह एक भूतपूर्व सरपंच है भौंदूलाल, उसका 307 का केस दर्ज हुआ, कुछ दिन पहले की घटना है 307 की रिपोर्ट कराई गई। उससे कहा एक हजार रुपया मुझे दे दो पुलिस को देना है और कुछ मुझे रखना है। इसी तरह एक हजार रुपया ले लिया। दूसरा केस जो लिया गया उसमें उसने कहा, तुमको बचा लूंगा, पांच हजार रुपया दे दो। वहां के डीवाई. एस. पी., वहां के थानेदार को देने हैं। इस तरह किसी से एक हजार रुपया ले लेता है, किसी से पांच हजार रुपया ले लेता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत बताना चाहता हूं वहां की जनता खड़ी होगी, उस पुलिस थाने के सामने लोगों ने जूते मारने की स्थिति अपनाई तब एक हजार रुपया लाकर वहीं सरे आम दिये गये, थानेदार के द्वारा। अब ये रुपये वापस कैसे लौटा दिये गये और, माननीय अध्यक्ष महोदय, यही भौंदूलाल 12 फरवरी को जब सारी घटना हो गई एक हजार रुपये वापस लौटाने पड़े। इसी प्रकार जब दूसरे भाइयों ने रिपोर्ट की तो उन पर हमला किया, पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, 15 तारीख को फिर हमला किया गया और रिपोर्ट कराने गये उन लोगों के हाथ काट डाले गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन बिगड़ गई है, हिण्डौन में।

इसी प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय, गफूर कूंजड़ा के 27 हजार की चोरी हो गई, नाम दर्ज है किसने चोरी की, कौन-कौन व्यक्ति थे, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। डीवाई. एस. पी. की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई और जैसा मैंने कहा कल पिलानिया साहब गये और ये कह कर आ गये, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं करा सके। पिछले दस दिनों से कोई पांच चाकू के केस हो गये। गोविन्द जाट का जिक्र आया है। थोड़े दिन पहले उसने वहां के विधायक श्री भरोसी जी को सरे आम धमकी दी थी, जान से मार डालने की और बड़ा आतंक मचा रखा है। उसका मुख्य मंत्री जी के साथ एक फोटो है, मुख्य मंत्री बनने

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

के बाद का फोटो है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस गोविन्द जाट के कन्धे पर मुख्य मंत्री जी का हाथ है। पुलिस वाले उससे डर रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता हूं कारण क्या है और कौन फोटो खिंचवा सकता है और कौन नहीं खिचवा सकता है, किन्तु इस व्यक्ति ने बड़ा आतंक मचा रखा है। जाते हुए ट्रकों को सड़क पर रोक लेता है। जिसकी पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती है। हिण्डौन से महुआ को जो ट्रक जाते हैं उनको सड़क पर ही रोक कर लूट लेता है और किसी से एक हजार रुपया, किसी से दो हजार रुपया निकलवा लेता है। इस प्रकार की लूट मची हुई है और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ला एण्ड आर्डर की सारी सिचुएशन बिगड़ी हुई है,

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आज स्थिति इस प्रकार की बन गई है कि सब लोग सड़कों पर आ गये हैं और गली-गली में जुलूस निकाल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चार दिन से वहां पानी नहीं पहुंचा। कल मैंने सारी स्थिति को देखा और रात्रि में ही मैं वहां से लौटा हूं। धमकी का असर जरूर हुआ है, इसलिए कुछ जगह पानी अवश्य पहुंचा है, किन्तु सारा हिण्डौन पानी के लिए तरस रहा है। अध्यक्ष महोदय, न पानी की व्यवस्था है न बिजली की व्यवस्था है, ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन खराब हो गई है क्योंकि राजनैतिक प्रश्रय मिल रहा है, भ्रष्टाचार करने वालों को। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से एक और भयानक स्थिति है। माननीय भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी अभी यहीं हैं हमारे समय में वहां के दो व्यक्ति हैं जिनके नाम मुरारी और बृज मोहनलाल हैं जो कांग्रेस राज में स्कूल चलाते थे। हमने नहीं दी है, किन्तु पता नहीं आज से दो माह पहले उनको कैसे परमिशन दे दी गई? फिजीकल ट्रेनिंग स्कूल के नाम से एक-एक विद्यार्थी से पांच-पांच हजार रुपया ले लिए गए सरे आम पैसे लिये जा रहे हैं। नये शिक्षा मंत्री जी नहीं हैं, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच जाय तो मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि वहां इस बात के लिये विद्रोह मचा हुआ है। सारा हिण्डौन जलने की स्थिति में है। कल जो लोगों से बातचीत हुई थी, वह हिण्डौन बन्द के विषय में बात हुई थी, अतः आज हिण्डौन बन्द है। ला एण्ड आर्डर की सारी स्थिति बिगड़ी हुई है, चाहे पीने के पानी का सवाल हो और चाहे बिजली का सवाल हो सारी स्थिति बिगड़ी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पता नहीं उस स्कूल को यह परमिशन कैसे दे दी गई, जो सरे आम जनता को लूट रहा है। आज सारे हिण्डौन में एक विस्फोटक स्थिति बनी हुई है और इस बहरी-गूंगी सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा। इसलिये मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है कि हिण्डौन की आतंकित जनता को किसी प्रकार बचायें और ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन को ठीक करें।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : मेरा क्षेत्र पड़ता है, अध्यक्ष महोदय, इसलिये मुझे बोलने दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका क्षेत्र पड़ने से उस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री रोसीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिण्डौन में पुलिस प्रशासन बिलकुल ठप्प पड़ा है। कोई कार्यवाही नहीं करता है। 6–6 दिन नल बन्द हुए हो जाते हैं लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। ट्रकों को सरे आम लूटा जाता है। मेरा जो क्षेत्र है, उसमें एक व्यक्ति की रात्रि में हत्या कर दी गई। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई किन्तु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। वहां के थानेदार को, वहां के डीवाई. एस. पी. सबको कह दिया गया, लेकिन आज तक उसमें कोई बन्द नहीं हुआ है और न ही कोई कार्यवाही की गई है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसमें जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर, श्री अनंग कुमार जैन व श्री हीरालाल आर्य, झालावाड़ के अन्तर्गत डग विधान सभा क्षेत्र में, नन्दू नामक महिला की हत्या के विषय में।

व्यवस्था का प्रश्न

एक माननीय सदस्य का एक बैठक में एक ही स्थगन प्रस्ताव

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : पाइन्ट आफ आर्डर। यहां पर, इस हाउस में, यह परिपाटी रही है कि, एक माननीय सदस्य एक दिन में एक ही एडजॉर्नमेंट मोशन दे सकता है। जिन माननीय सदस्य का आपने नाम पुकारा है, उनके द्वारा दूसरा एडजॉर्नमेंट मोशन देने का मतलब यह है कि आपकी पूर्व की जो व्यवस्था रही है, उसमें आपने कुछ संशोधन किया है या परिवर्तन किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो पहले भी आते थे।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : ऐसी व्यवस्था सदन में पहले से रही है कि एक व्यक्ति एक दिन में एक पर ही चर्चा कर सकता है, इस हाउस की यही परम्परा रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसमें यहां की परम्परा यह रही है कि एक दिन में एक ही स्थगन प्रस्ताव दिया जा सकता है लेकिन ये स्थगन प्रस्ताव पहले के थे, इसमें राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई और उसको अस्वीकार किया गया, उसी स्थिति में दिया जा रहा है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार को बताना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले में, विशेषकर मेरे विधान सभा क्षेत्र डग में इस प्रकार की घटनायें अधिकतर हो रही हैं। मेरे क्षेत्र में नारायणगढ़ खेड़ा गांव में यह घटना हुई। यह घटना दिनांक 4 फरवरी की है। नन्दू नाम की महिला अपने खेत पर कुछ काम से गयी हुई थी, वहां पर जब वह काम कर रही थी तो दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी गयी। वह पैर में चांदी की कड़ियां पहने हुए थी, इन कड़ियों के पीछे उसके पैर काटकर उसकी हत्या कर दी गयी। जब शाम को महिला अपने घर

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)
नहीं पहुंची तो उसके बेटे खेत पर गये तो उसकी लाश पड़ी हुई थी। पुलिस में रिपोर्ट करायी गयी लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। इस प्रकार की हत्याएं, झालावाड़ और डग विधान सभा क्षेत्र में हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से मांग करता हूं कि इस महिला की जो हत्या हुई है उसकी जांच की जाय।

श्री अध्यक्ष : रिपीटिशन न हो।

श्री अनंग कुमार जैन : एक शब्द भी रिपीट नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : शब्द नहीं, तथ्य रिपीट नहीं होने चाहिए। शब्द तो नहीं होते, शब्द तो आप चाहें तो भी रिपीट नहीं कर सकते लेकिन तथ्यों के बारे में ....

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले का जो जिला पुलिस प्रशासन है, उसके बारे में कुछ दिन पूर्व ही इस सदन के अन्दर विस्तृत रूप से चर्चा हुई थी और स्वयं अध्यक्ष महोदय, आप इस नतीजे पर पहुंचे थे और आप ने एक मंत्री से पूछा था कि क्या आप इस तरह की जांच से संतुष्ट हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां जिला पुलिस, प्रशासन स्वयं इस प्रकार की लोगों की हत्यायें करने में लिप्त हो, उस पुलिस, प्रशासन में जिले की जनता को क्या राहत पहुंच सकती है? जहां जिले के अन्दर हत्यायें हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, जयपुर में केसेज हो रहे हैं, उन मुकदमों को बराबर दर्ज किया जाता है लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार की घटना 4 फरवरी को जो नन्दू नामक महिला की हत्या की गयी, माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 फरवरी के बाद इतना लम्बा समय गुजर चुका है लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है, न कोई कार्यवाही की गयी है और न आज तक कोई गिरफ्तारी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां का जिला पुलिस प्रशासन स्वयं हत्या में लिप्त है, उसके अलावा कई प्रकार की घटनायें कर चुके, उसके बारे में भी मैंने अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी कि वहां के जो होम इन्सपेक्टर हैं ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : विषयान्तर नहीं हो रहा, लॉ एण्ड आर्डर का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : जिन अधिकारियों का जिक्र इसमें आपने किया है ...

(व्यवधान)

इस बारे में यदि आपको कुछ बताना है ....

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : इस बहाने से आप सभी अधिकारियों को लपेट में ले रहे हैं, यह सम्भव नहीं होगा। इसके लिये आपको अलग से प्रस्ताव लाना होगा।

श्री अनंग कुमार जैन : लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन को बता रहा हूँ। मैंने किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया है।

श्री अध्यक्ष : ला एण्ड आर्डर भी नहीं है, इसमें नन्दू नामक महिला की हत्या है।

श्री अनंग कुमार जैन : यह तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब हत्यायें होती हैं, डकैतियां होती हैं...

श्री अध्यक्ष : हत्यायें तो दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं, आपके पास कोई तथ्य हों, आप कोई मार्ग दर्शन दे सकें, संक्षेप में।

श्री अनंगकुमार जैन : संक्षेप में ही निवेदन कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस नन्दू नामक महिला की हत्या, खेत पर हुई। उसकी निर्ममतापूर्वक हत्या हुई, उसके पैर काट दिये गये, उसके पैरों में से चांदी के जेवर ले जाये गये। उस रिपोर्ट में जिनके ऊपर उसके लड़के को शक था, उसने नाम दर्ज कराया तो, अध्यक्ष महोदय, जहां नामजद रिपोर्ट करायी जाय, उन लोगों को सम्बन्धित हत्या से बचाया जाय, डकैती से बचाया जाय, उन मुल्जिमों को भी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया गया। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के मामले जहां स्पष्ट नामजद रिपोर्ट हो और इस प्रकार की हत्या हों इस प्रकार के अत्याचार हों तो उनको गिरफ्तार किया जाकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरा लाल आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री समर्थ लाल। नीम का थाना स्थित अनुसूचित जन जाति छात्रावास को जलाये जाने की घटना के सम्बन्ध में।

श्री समर्थ लाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 20-2-81 को नीम का थाना में छात्र संघ के चुनाव हो रहे थे, उस चुनाव के अन्तर्गत जब वोटों की गिनती हो रही थी, उस समय एक वोट रिजेक्ट किया जाय या नहीं किया जाय, इसके बारे में बात चल रही थी। इसी बीच उस महाविद्यालय के अन्दर कुछ छात्र, जो दूसरे स्कूल्स के भी थे और कुछ गुटों से सम्बन्धित थे, कालेज के अन्दर आये और आकर उस झगड़े के अन्दर शामिल होकर उन्होंने वहां जो वोट बाक्स था उसको उठाकर कुएं के अन्दर डाल दिया। इसी बीच आपस में छात्रों का संघर्ष हुआ उस संघर्ष के अन्दर वे छात्र जो अनुसूचित जन जाति के छात्रों का पास में, छात्रावास था उसमें चले गये। उस भगदड़ के अन्दर वहां जाकर पुलिस के लोगों ने और दूसरे गुट के छात्र थे, उन्होने उस छात्रावास के अन्दर जाकर उस छात्रावास में जो छात्र रह रहे थे उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। उसके भय के कारण वे छात्र, जो अनुसूचित जाति के थे, छात्रावास से बाहर निकलकर भागने लगे उनके पश्चात् में छात्रावास के अन्दर जितने भी कमरे थे उन कमरों के किवाड़ों को तोड़ा गया और उन किवाड़ों को तोड़कर छात्रों के कमरों के अन्दर जो भी सामान था, जो भी उनकी पुस्तकें थीं, जो उनकी ड्रेसें थीं, उन सबको वहां के दूसरे गुटों के जो छात्र थे उन्होंने जला दिया। इस प्रकार से उस छात्रावास को एक भयानक स्थिति के अन्दर लाकर खड़ा कर दिया। अध्यक्ष महोदय, वहां पर आर ए.सी. थी, पुलिस थी और आर.ए.सी. और पुलिस इस सारे काण्ड को बड़े आराम से देख रही थी, इससे

(श्री समर्थ लाल)

ऐसा शक पैदा होता है कि शायद पुलिस की और आर.ए.सी. के लोगों की उसमें शह थी क्योंकि पुलिस जब खड़ी हुई थी तो छात्रावास जल रहा था उस समय पुलिस को रोक-टोक करनी चाहिए थी। पुलिस को लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति को संभालना चाहिए था। इसके बावजूद पुलिस ने जब छात्रावास से अनुसूचित जन जाति के छात्र निकल रहे थे, उन छात्रों के पीछे अपनी गाड़ियां और अपने सिपाहियों को भेजा और भेजकर चारों तरफ से उनको घेरा। एक दो ट्रक के अन्दर करीब 104 छात्रों को डाला गया और उनको पुलिस थाने में ले जाया गया। अध्यक्ष महोदय, 24 घण्टे तक पुलिस ने उनको अपनी हिरासत में रखा उनके साथ मारपीट की। अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी मिली है कि जितने भी छात्र थे, उनमें अब भी 14 छात्र ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति के हैं अनुसूचित जन-जातियों के हैं। उनमें कुछ बलाइयों के हैं, कुछ चमारों के हैं तथा कुछ मीणों के हैं। उन छात्रों को अब भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले रखा है और जो हिरासत में हैं, वे सब इंजर्ड हैं किसी का सिर फूटा पड़ा है, किसी की टांग टूटी पड़ी है, किसी का दांत टूटा पड़ा है, किसी के सिर में गम्भीर चोटें हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि पुलिस ने उनके साथ जो ज्यादती की उस ज्यादती की किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा जांच होनी चाहिए। मैं तो यहां तक निवेदन करूंगा कि जब यह सरकार दम भरती है कि हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रखवाले हैं तो मैं समझता हूं; इस प्रकार का काण्ड नीम का थाना के अन्दर 20-2 को चुका और आज तक इस काण्ड के बारे में कोई विशेष जानकारी पुलिस ने दी हो, वहां के जिन पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ अत्याचार किये हैं वे ही इसकी इन्क्वायरी कर रहे हैं मैं समझता हूं कि वे इसकी निष्पक्ष इंक्वायरी नहीं कर सकते। इसलिये मेरा आपकी मार्फत सरकार से कहना है कि इसकी निष्पक्ष जानकारी करने के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी को, जो सक्षम अधिकारी हो, नियुक्त किया जावे, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकंवार बैरवा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र का मामला है। थोड़ा-सा सम्बन्धित है, मैं इसमें कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : इस तरह से तो यह विवाद का विषय बन जायेगा। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

खैर, माननीय मोदी जी दो मिनट में कह दें।

श्री मोहनलाल मोदी : विवाद का विषय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह 20 फरवरी को जो नीम का थाना कालेज में अध्यक्ष का चुनाव हुआ उसके बारे में स्थगन प्रस्ताव है, माननीय सदस्य का। तो मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज जो कालेज में अध्यक्ष के चुनाव होते हैं उसका ऐसा वातावरण गन्दा होता जा रहा है कि उसमें कुछ

(श्री मोहन लाल मोदी)

तो सरकार को सुधार करना चाहिए जिससे कि यह वातावरण इस तरह से गन्दा नहीं हो। नीम का थाना कालेज के अध्यक्ष के चुनाव से पहले ऐसा भयंकर वातावरण था अध्यक्ष महोदय, कि वहां दस पांच लड़कों का आपस में मर्डर हो जाता। पुलिस ने इसमें सतर्कता तो रखी लेकिन जब वोट गिर चुके, काउंटिंग का प्रश्न था उसको लेकर यह झगड़ा हुआ। कुछ लड़के मिलकर मत-पेटी को उठा ले गये। उस पर पथराव हुआ। पुलिस का लाठी चार्ज हुआ और सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो यह है कि मीणा छात्रावास के जो स्टूडेंट थे, उनके सारे सामान को जलाया गया। किताबें, कपड़े और उनके उस होस्टल की खिड़कियों को, दरवाजों को, कमरों की खिड़कियों को जलाया गया। अब प्रश्न यह आता है कि इनको किसने जलाया ? पुलिस ने इसके अन्दर दूसरे गुट को शामिल किया है। जो एफ. आई. आर. पुलिस के हैड कांस्टेबल ने दर्ज कराई है, वह भी मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं। उसमें कहीं भी किसी का नाम नहीं है। फिर भी तनावपूर्ण वातावरण वहां पर पैदा हो रहा है दूसरे ग्रुप के लोगों को शामिल करने से। वहां मीणा जाति और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनका एक ग्रुप है, दूसरे ग्रुप के अन्दर जो लोग हैं उन सारे लोगों को पुलिस द्वारा इनवाल्व करके उन पर केस चलाने से वहां का वातावरण . . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, समाप्त करें।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, वहां का वातावरण इतना तनावपूर्ण . . . .

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल मोदी : 100–150 लोग मुख्य मंत्रीजी से मिलने भी आए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी जांच, किसी उच्च अधिकारी से करायें ताकि इस मामले में सही स्थिति सामने आ जावे कि किन-किन लोगों ने छात्रावास जलाया और किस तरह से यह कार्यवाही हुई। इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं . . .

श्री अध्यक्ष : श्री रामकंवार बैरवा राज्य की कृषि सहकारी समितियों को आवंटित जमीनों का कब्जा न मिलने के बाबत।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, एक ओर तो सरकार आन्दोलन करने के लिए उकसाती है दूसरी ओर अगर अपनी मांगे रखते हैं तो उससे नाराज होती है और सरकार अपोजीशन पार्टियों का नाम लगाती है कि ये पार्टियां झगड़ा करवाती हैं आपस में। और एक ओर सरकार किसी भी बहुसंख्यक लोगों का या गरीबों को फैसला करने में असमर्थ रहती है। मेरा यह निवेदन है कि 1960 से 65 तक काफी लोगों को कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से जमीन का अलाटमेंट तो हुआ था और सामूहिक खेती करने के लिए जमीनें दी गई थीं। उसके पश्चात् वे लोग सामूहिक खेती में आज तक भी फंसे हुए हैं। सरकार ने आज तक न तो उनको कोई कर्जा दिया है, कुछ और वे पहले जितने गरीब थे उससे भी ज्यादा चार गुना और गरीब हो गए हैं। मेरा निवेदन है कि इन लोगों को जब से

(श्री राम कंवार बैरवा)

जमीनें मिली हैं वे काबिज हैं। केवल एक फसल ही बोते हैं बरसात में, उसमें भी दो चार साल से अकाल पड़ने से उनको कोई एक मन अनाज भी नहीं हुआ है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उन लोगों को जो पिछले काफी समय से, बीस वर्षों से काबिज हैं, शीघ्र से शीघ्र खातेदारी राइट दिये जावें और उनको खेती करने की स्वतंत्रता दी जावे। यही मेरा निवेदन है।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव आज...

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों के बारे में जो मेरे पास आ गये थे उसमें मैंने व्यवस्था दी थी...

श्री जीतमल जैन : आपने सरकार से सूचना मंगवाई है। मेरा निवेदन है कि सरकार से सूचना आने में तो 15 दिन लग जायेंगे। मेरी जानकारी है कि कलेक्टर के यहां से रिपोर्ट तीन चार दिन पूर्व आ चुकी है। मामला इतना गम्भीर है कि पिछली विधान सभा में मैंने यह मामला उठाया था और ..

श्री अध्यक्ष : इसीलिए मैं सोच रहा था कि इसको बलाऊ ही नहीं करूं लेकिन फिर भी मैंने अनाऊ कर दिया क्योंकि पिछली दफा भी आ चुका है।

श्री जीतमल जैन : हर बार फसल खराब होती है और हर बार...

श्री अध्यक्ष : लेकिन अभी सूचना मंगवाई है, बाकी क्या स्थिति बन गई है...

श्री जीतमल जैन : कलेक्टर के यहां से रिपोर्ट आ चुकी है सरकार के पास।

श्री अध्यक्ष : हमारे पास नहीं आई है। सरकार के पास आ गई है।

श्री जीतमल जैन : ऐसा विषय नहीं है कि आप इस स्थगन प्रस्ताव पर...

श्री अध्यक्ष : इसमें जल्दी रिपोर्ट मंगवा लेंगे, यही कोशिश रहेगी हमारी। सरकार के पास आई है, हमारे पास जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर ही फैसला देते हैं हम।

श्री जीतमल जैन : निरन्तर फसल खराब होती जा रही है। फिर फसल खराब हो जाय उसके बाद इसका क्या उपयोग रहेगा? पहले भी सरकार ने कहा लेकिन अभी तक निपटारा नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : हम भी यही चाहते हैं कि सरकार जवाब दे। अभी आप कह देंगे तो उसके बाद में सरकार को उत्तर देने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकेगा। इसलिए पहले उत्तर आने दीजिए आप।

श्री जीतमल जैन : पिछली बार भी सरकार ने उत्तर दिया उसके बाद भी उसकी क्रियान्विति नहीं हुई। जो आश्वासन दिया था...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !... माननीय सदस्य, जब मैंने व्यवस्था दे दी कि मैंने सरकार से जानकारी मंगाई है...

श्री जयकृष्ण शर्मा : जो माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव से प्रश्न उठाया है वह हाउस में चौथी बार आ रहा है और कोई नई परिस्थितियां नहीं हैं। मानव जीवन

(श्री जय कृष्ण शर्मा)
के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके बारे में उत्तर आने की बात ही नहीं है। क्यों उत्तर आएगा ? सरकार का उत्तर तो चार बार आ चुका है। जनता पार्टी के राज में आ चुका है दो बार तो और दो बार कांग्रेस भाई के राज में आ चुका है। चार बार उत्तर आ गया है। इसके बारे में थोड़ा विचार रख दें और सरकार उसके बारे में अपनी बात रख दे तो अच्छी बात होगी। क्योंकि यह बहुत ऐसा अहम् सवाल है कि अगर आप देखेंगे तो आपके दिल में भी आ जायेगा। लोग पंगु हो गये हैं, लोगों की फसलें नष्ट हो रही हैं, मवेशी मर रहे हैं और एक औद्योगिक व्यक्ति को इतना बड़ा प्रश्रय दिया जा रहा है। वह मामला अभी तीन दिन पहले हमारी मीटिंग में, प्लानिंग की मीटिंग में आया था। हमने जो हालत देखी तो हमने लोगों की आंखों में आंसू देखे। ये बेचारे खायेंगे क्या। उनके गेहूं जल गये, उनके जौ जल गए, उनका चना जल गया, किसान खायेगा क्या ?

श्री अध्यक्ष : विषय के महत्व को देखते हुए ही मैंने यह उचित समझा कि सरकार को भी इस बात की सूचना दे दी जावे। उनसे जानकारी मंगवा ली जाय ताकि इस पर यदि उत्तर दिलायें तो सरकार उत्तर तो दे कायदे से वरना आप कह देंगे और प्रकरण समाप्त हो जायेगा। वैसे तो कह भी दिया है एक तरह से। उससे समस्या का हल नहीं होगा, यह मेरा निवेदन है। इसलिए जो मैंने व्यवस्था दी है वह ठीक है। उत्तर आने दीजिए, उसके बाद में सरकार से उत्तर दिलाने की कोशिश करेंगे।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले को अकालग्रस्त करने में बहुत कमियां रही हैं। बांसवाड़ा जिले को अकालग्रस्त घोषित करने में बहुत कमियां रही हैं। बांसवाड़ा जिले के लोगों को किस प्रकार माना है उस सम्बन्ध में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें ऐसा है कि यह तो बहुत बड़ा विषय है।

श्री बहादुरसिंह : बहुत बड़ा विषय है इसीलिए····

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कई तरह के प्रश्न आये हुए हैं इसलिये इसमें मेरी कोशिश यह होगी कि अकाल के प्रश्न को अलग से विधान सभा में लिया जावे अथवा आपको पर्याप्त अवसर देंगे। सामान्य वाद-विवाद बजट पर है, उसके बाद में मांगें आयेंगी उसके बाद में हमारी यह भी कोशिश रहेगी कि जब स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, प्रश्न जब आए है तो उसे किसी न किसी रूप में···

श्री बहादुरसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल का जो विषय है उस पर अगर आप बोलने नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा ? पहले भी हम लोगों ने इस प्रकार के प्रश्न उठा कर कई बार कहा है तो उसके लिए दिन निर्धारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य···

श्री बहादुरसिंह : या तो आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : आप दो मिनट के समय में अकाल पर क्या चर्चा कर लेंगे ? उसके साथ

(श्री अध्यक्ष)

न्याय कर सकेंगे ? यह आप समझते हैं क्या ?

श्री बहादुर सिंह : तो हमारे···

श्री अध्यक्ष : तभी तो मैं कह रहा हूं कि इस प्रश्न पर पर्याप्त समय, अवसर मैं आपको दे सकूं, इसी की फिराक में हूं। दो मिनट में आप क्या फर्मायेंगे ?

श्री बहादुर सिंह : बेहतर है।

श्री जीतमल जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार की तरफ से आश्वासन दिलवायें कि कितने दिनों में जवाब आ जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : सरकार नहीं, हम आश्वासन देंगे कि कितने दिनों में जवाब दिलायेंगे। वे तो कह देंगे कि जल्दी ही करेंगे।

(व्यवधान)

जल्दी ही दिलवायेंगे।···आर्डर प्लीज ! श्री बालचन्द्र आर्य। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : जब आपने स्थगन प्रस्ताव को रिजेक्ट किया है तो दो मिनट का समय तो बोलने के लिए दे दें।

श्री अध्यक्ष : मैंने तो यह निवेदन किया था कि आप इस प्रश्न को सामान्य वाद विवाद के अन्दर उठायें। वैसे दो मिनट में कहना चाहें फेमिन की बात तो कह सकते हैं।

श्री बहादुर सिंह : आपके हुकुम को मानने को तैयार हूं। सामान्य वाद-विवाद पर बोलूंगा।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिनियमों के परिशोधित हिन्दी पाठ

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। विधि मंत्री, श्री हीरालाल देवपुरा।

श्री हीरालाल देवपुरा (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अधिनियमों के परिशोधित हिन्दी पाठ सदन की मेज पर रखता हूं–

(1) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973

(2) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1973

(3) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1974

(4) राजस्थान सार्वजनिक उद्यान अधिनियम, 1956

(5) राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1961

(इन अधिनियमों के परिशोधित पाठ गत विधान सभा में सदन की मेज पर रखे गये थे, परन्तु राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण इन्हें प्रक्रिया के नियम 169 (2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखा गया।)

प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी। लोकायुक्त, राजस्थान की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य, मंत्री सिंचाई): अध्यक्ष महोदय, क्या मुझे आज्ञा है ?

श्री अध्यक्ष : आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको आज्ञा कौन नहीं देगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, सिंचाई): मैं राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत श्री आई.डी. दुआ, लोकायुक्त, राजस्थान की वर्ष 1976–77 में अपने कृत्यों के संपादन पर लोकायुक्त की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अध्यक्ष: कृषि मंत्री, श्रीमती कमला! राजस्थान एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन के दो प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगी।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री): मैं कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619ए की उप-धारा (3) के भाग (बी) के अन्तर्गत निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखती हूं–

(क) राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वर्ष 78–79 के लेखे।

(ख) राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वर्ष 79–80 के लेखे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान नहर का निर्माण कार्य अवरुद्ध

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री घनश्याम तिवाड़ी राजस्थान नहर का निर्माण कार्य अवरुद्ध होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्थान नहर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे!

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत राजस्थान नहर का निर्माण कार्य अवरुद्ध होने के सम्बन्ध में उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री रामकिशन वर्मा (राज्य मंत्री, राजस्थान नहर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर परियोजना में कोयले की कमी के कारण नहर की लाइनिंग के काम पर विपरीत प्रभाव पड़ा। मुख्य नहर में जो वितरण प्रणाली में पूर्ण रूप से लाइनिंग करने का प्रावधान है यह लाइनिंग मिट्टी की टाइलों से की जाती है और टाइलें पकाने के लिये कोयले की आवश्यकता होती है कोयला खान से परियोजना के क्षेत्र तक रेल द्वारा लाया जाता है। वर्ष 79–80 में राजस्थान नहर परियोजना और सिंचित क्षेत्र विकास कार्य के लिये 96 रेलगाड़ियों की आवश्यकता थी, जिसके मुकाबले कुल

(श्री रामकिशन वर्मा)

9 रेलगाड़ियां प्राप्त हो सकीं। वर्ष 81–82 में भी 96 रेलगाड़ियों की आवश्यकता है किन्तु अभी तक केवल 12 गाड़ियां उपलब्ध हुई हैं। इस कारण लाईनिंग के कार्य का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका परन्तु मिट्टी की खुदाई का कार्य और भवन एवं सड़क निर्माण कार्य पूर्ण प्रगति पर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वित्त राज्य मंत्रीजी ने जो कुछ कहा है वह जो उनको बताया गया है वह बता दिया है लेकिन यह महत्वपूर्ण मसला है और इस पर चर्चा होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय, जो उत्तर देने के लिये सक्षम हैं, को उतनी जानकारी नहीं है जितनी मुख्य मंत्री जी को है। राजस्थान कैनाल और लाईनिंग में किस प्रकार का काम हो रहा है इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिये। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी यहां उपस्थित हैं तो ज्यादा अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : कौन मंत्री जी सरकार की ओर से उत्तर दे···

(व्यवधान)

यह आपका सुझाव है, सुन लिया है सरकारी पक्ष ने भी।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी इस बारे में यह और कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार की मांग हमेशा से रही है कि राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय योजना मान कर वाजिब प्राथमिकता दी जावे और इसका वित्तीय भार केन्द्र सरकार भी उठाये क्योंकि इस योजना से होने वाला लाभ राजस्थान को ही नहीं, संपूर्ण देश को होगा। इस योजना से 31 लाख टन वार्षिक खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध होगी जिसकी केवल राजस्थान में ही खपत नहीं होगी बल्कि देश भर की खाद्य समस्या सुलझाने में उपयोगी होगी। ऐसी योजना का वित्तीय भार केवल राज्य सरकार पर ही रखना उचित नहीं है। इस मांग को केन्द्रीय सरकार ने नहीं माना है और यह योजना राज्य सरकार के अधीन ही रख कर पूरी की जा रही है। राजस्थान सरकार माननीय सदस्य की इस बात से सहमत है कि परियोजना का निर्माण

(व्यवधान)

केन्द्र की देन से राज्य के हित को भारी नुकसान होने की सम्भावना है।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एजेण्डा पर है और उत्तर दे रहे हैं जैसे कोई पाठशाला में लेसन पढ़ा जाता है। हमें क्या पता लगे। पहले तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिल्ली में जाकर कहा कि केन्द्र सरकार इसको संभाले। जब प्रतिक्रिया हुई, लोग बगावत करने लगे उसके बाद उन्होंने कहा, हम लेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के जवाब से एक बात आसन तक आई कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय सदन में नहीं हैं जिससे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि जो आशंका सारे राजस्थान को है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

किसानों को है और जो इस समय शंका का वातावरण बना हुआ है वह सही है। केन्द्र सरकार ने पंजाब सरकार के दबाव में आकर राजस्थान सरकार को एक पत्र लिखा कि पोंग बांध में पानी की कमी आ गई है और अन्य कारणों से राजस्थान नहर की सैकिण्ड स्टेज का काम रोक दिया जाय। मेरा आरोप है कि केन्द्र सरकार के दबाव में आकर राजस्थान नहर की सैकिण्ड स्टेज का कार्य राजस्थान सरकार ने जान-बूझकर अवरुद्ध कर दिया। मैं इसका प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, पिछले साल राजस्थान नहर की सैकिण्ड स्टेज के निर्माण कार्य के लिये 30 करोड़ का प्रावधान किया गया उसमें से सिर्फ 6 करोड़ व्यय किया गया। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, वहां पर कोयले की जो मात्रा थी उसके लिये 96 रेलगाड़ियां चाहिये थीं, 8 रेल प्रति माह। उसकी बजाय सिर्फ 6 रेल पूरे साल भर में उपलब्ध कराईं। सीमेंट की जितनी आवश्यकता थी उसका 1/6 हिस्सा उपलब्ध कराया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 1980-81 में मेन कैनाल 50 किलोमीटर बननी चाहिये थी उसके बजाय 3 कि.मी. बनी। बिलासपुर ब्रान्च 24.72 कि.मी. बननी चाहिये थी उसका काम बिलकुल नहीं हुआ। चारणवाली ब्रान्च का 20 कि.मी. निर्माण होना चाहिये था उस पर भी काम बिलकुल नहीं हुआ। लीलवा ब्रान्च एक कि.मी. बननी चाहिये थी उसका काम चालू ही नहीं हुआ। डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम है, जो सब कैनाल निकाल कर काम किया जाता है उस पर 350 कि.मी. काम होना चाहिये था वहां 10 कि.मी. का काम हुआ है। ये सरकार के आंकडे प्रस्तुत कर रहा हूं। जो रिपोर्ट हमें भेजी है उस रिपोर्ट से प्रमाणित होता है कि राजस्थान नहर की सैकिण्ड स्टेज का काम राजस्थान सरकार ने जान बूझकर अवरुद्ध किया है। अध्यक्ष महोदय, जो प्रारूप बना है सैकिण्ड स्टेज का, उसके अनुसार 81-82 के लिये 40 करोड़ की आवश्यकता बताई गई जिसमें सिर्फ 25 करोड़ का प्रावधान रखा गया। अध्यक्ष महोदय, इस नहर परियोजना के अन्तर्गत जो सारा काम होना चाहिये था वह अवरुद्ध हो गया। राज्य सरकार केन्द्र सरकार के दबाव में आकर कि पोंग बांध में पानी नहीं है इसलिये राजस्थान नहर का निर्माण कार्य रोक दिया II स्टेज का, अगर पूरी भी होगी तो उसमें पानी नहीं आयेगा ...

(व्यवधान)

इस कारण और केन्द्र सरकार का षड़यंत्र, अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार राजस्थान नहर की दूसरी स्टेज का काम अवरुद्ध करना चाहती है और राजस्थान नहर का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहती है इसी कारण तरिके से, जहां से पानी उपलब्ध होता है, यह कह कर कि फर्स्ट स्टेज पर जितना काम हुआ है उससे आगे हमारे पास पानी नहीं है, इसलिये सैकिण्ड स्टेज का काम रोक दो। यह राज्य सरकार की और केन्द्र सरकार की साजिश है और पंजाब सरकार की जो लाबी है उस लाबी की साजिश है, उसके कारण से राजस्थान नहर का काम यह कह कर कि राजस्थान सरकार कोयला उपलब्ध नहीं करा सकती क्योंकि कोयला सेंटर के हाथ में है राजस्थान सरकार सीमेंट उपलब्ध नहीं करा सकती क्योंकि सीमेंट उपलब्ध कराना केन्द्र सरकार के हाथ में है, तो एक प्रकार का षडयंत्र रचा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

गया है और पश्चिमी राजस्थान की जो भूखी प्यासी जनता है उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी बतावें कि यह जो रुपया खर्च करना चाहिये था 30 करोड़, उसमें से 6 करोड़ रुपया ही क्यों खर्च किया गया? सीमेंट 1/6 हिस्सा ही क्यों मिली और जो चालीस करोड़ रुपया सैकिण्ड स्टेज के लिए 81-82 में मांगा गया था और छठी पंचवर्षीय योजना में भी प्रारूप में 40 करोड़ रुपया था वहां 25 करोड़ रुपये का ही प्रावधान क्यों किया गया है ? यह जो अलग-अलग ब्रांचेज हैं, मेन कैनाल पर कितना काम हुआ है, बिलासपुर ब्रांच पर कितना काम हुआ है, जो डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम हैं उस पर कितना काम हुआ है ? बिलासपुर सिस्टम पर काम 1981 में पूरा होने वाला था, वह अभी तक नहीं हो पाया है। कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है ? अध्यक्ष महोदय, यह सारी की सारी बातें ऐसी हैं, इस प्रकार की हैं, 25 करोड़ के रुपये का प्रावधान किया गया है और इस प्रकार से यह योजना चली तो इस हिसाब से जहां 331.82 करोड़ रुपया हमें सैकिण्ड स्टेज के लिए चाहिए और जिस प्रकार से सामान उपलब्ध हो रहा है तो यह योजना तीस साल में भी पूरी नहीं होगी। इस प्रकार से काम चलता रहा, जिस प्रकार केन्द्र सरकार राजस्थान सरकार के साथ भेद भाव कर रही है, और षडयन्त्र रचा जा रहा है, तो यह योजना आने वाले तीस वर्षों में भी पूरी न होगी। यह महत्वपूर्ण योजना है। मैं चाहता हूं, मुख्य मंत्री महोदय यहां पर उपस्थित हैं। हमारी भावनाओं की वे कद्र करें, भरतपुर में यह योजना होती तो वे तत्काल कार्यवाही करते, हमारे पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में ...

श्री यदुनाथ सिंह : पूरा भरतपुर नहीं केवल बयाना, वैर ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ... हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। लिफ्ट इरिगेशन के बारे में सदन में मुख्य मंत्री द्वारा यह घोषणा की गई थी कि जनता पार्टी के शासन काल में जो निर्णय किया गया है वह लागू नहीं होगा और लिफ्ट इरिगेशन की योजना हाथ में ली जाएगी, तो इस पर कितना काम किया गया है ? जो मंत्री महोदय ने सदन में वक्तव्य दिया है उसमें कुछ नहीं है। राष्ट्रीय योजना का महत्व बताया गया है। राष्ट्रीय योजना मानने के लिए केन्द्रीय सरकार को लिखा गया है ऐसा मंत्री महोदय के वक्तव्य से प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय योजना का महत्व बताकर राजस्थान नहर के निर्माण कार्य को, इसका जिम्मा केन्द्रीय सरकार को सौंपना चाहती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय यहां पर बिराजे हुए हैं। यह अत्यन्त ही महत्व का प्रश्न है, मसला है। आज सारे विश्व में हम राजस्थान नहर के नाम से चिल्ला रहे हैं, यह हमारी आशाओं का केन्द्र है, इसके बारे में मुख्य मन्त्री सदन को विश्वास में लें। मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार की ओर से मुख्य मंत्री महोदय उत्तर दें। मैं यह कहना चाहता हूं कि जवाब लेने का हमारा अधिकार है। यह सदन पूरी राजस्थान की जनता के प्रति उत्तरदायी है। यह हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। इसलिये मुख्य मन्त्री इस सम्बन्ध में चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। हम सरकार को अपराधी नहीं बनने देंगे और न सरकार को बनाना चाहते हैं। क्या मुख्य मन्त्री महोदय दिल्ली के प्रभाव में आकर राजस्थान नहर की सैकिण्डस्टेज के काम को रोकने के

(72)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लिए राजी हो जायेंगे ? क्या सारी की सारी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार को सौंपने के लिए आप तैयार हैं ? अभी तक इस पर क्यों कार्यवाही नहीं हुई और आज तक कितना काम हुआ है ? इसका हमें जवाब चाहिए। मुख्य मंत्री महोदय, इसका जवाब दें। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आज तक हमारा काम नहीं हुआ। हमें हमारा जवाब चाहिए।

(1.44 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : माननीय सभानेत्री जी, माननीय सदस्य ने एक मुद्दे के ऊपर खास तौर से जो बार बार आरोप लगाने की कोशिश की है, मैं सदन को याद दिलाना चाहती हूं कि पूर्व में माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य सरकार का कहीं भी यह मन्तव्य नहीं है, कहीं कोई पत्र, प्रतिवेदन, कोई भी कार्य-कलाप ऐसा नहीं रहा है कि राज्य सरकार इस काम को भारत सरकार को सौंपना चाहती है। राज्य सरकार बार बार इस बात का तकाजा करती रही है और अब भी करती है कि चूंकि यह काम, प्रोजेक्ट नेशनल इम्पार्टेन्स का है, इसलिए नेशनल इम्पार्टेन्स के प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए उसी मात्रा में भारत सरकार इसमें वित्तीय मदद दे और दूसरी जो निर्माण सम्बन्धी आवश्यकतायें हैं उनके लिए प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार प्रावधान करे। इसका कतई तात्पर्य यह नहीं है, न कोई भावना है, न कोई आशय है, सिर्फ अखबारों के अन्दर आई हुई खबरों के आधार पर इसको आप इतना ऊंचा उछालना चाहते हैं, इसके अर्थ का अनर्थ करना चाहते हैं, यह सही नहीं है, न तो यह आपके पक्ष में है और न ही राज्य के हित में है। दूसरी तरफ मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि पूर्व के सेशन के अन्दर भी और इस समय भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बात विस्तार के साथ सदन को अवगत कराई है और समय समय पर वे स्वयं केन्द्रीय रेल मंत्री महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी से मिल कर के और अपनी चिट्ठियों के जरिये इस बात की कोशिश करते रहे हैं कि सीमेन्ट और कोयला बराबर आवश्यकता के मुताबिक मिले वरना इसके बिना नहर का निर्माण कार्य तेजी से नहीं हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस गति के साथ निर्माण कार्य होना चाहिये, उसके अनुपात में बहुत ही कम गति से इसका काम हो रहा है। जहां तक सीमेंट और कोयले का ताल्लुक है इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री महोदय ने बराबर सम्बन्धित मंत्रियों से और प्रधान मंत्रीजी से रिक्वेस्ट की है और उसी के परिणामस्वरूप अभी 12 फरवरी, 1981 को भारत सरकार के इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर मंत्रिमण्डलीय समिति की बैठक हुई है उसमें यह तय किया है कोयले की ढुलाई के लिये कि राजस्थान नहर परियोजना के सिंचित क्षेत्र के विकास कार्यों पर प्रति माह 250 रेलवे वैगन यानी तीन रेल गाड़ियां हर माह जून, 1981 तक उपलब्ध होती रहें। इसके लिये सम्बन्धित विभागों को निर्देश दे दिये गये हैं। राज्य सरकार की ओर से भी विशेष अधिकारी को भेजा जाकर इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि निर्धारित रेलवे वैगन कोयले की ढुलाई के लिये उपलब्ध हों। इस प्रकार हमारा जो ड्यू है, वह हमको तत्परता से

(श्रीमती कमला)

मिले जिससे कि इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को हम निश्चित रूप से पूर्ण करने में सफल हों। इसलिये यह आरोप लगाना कि हम इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार को सौंप देना चाहते हैं या जान बूझकर इसका गति के साथ निर्माण नहीं करना चाहते हैं, यह कतई सही नहीं है। इसके बारे में यथा सम्भव जो भी प्रयत्न किये जाने चाहिये वह किये गये हैं, उसके परिणामस्वरूप कुछ नतीजे निकले हैं जिनका हमें लाभ मिला है।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : सभानेत्री जी, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा प्रश्न यह है कि राजस्थान कैनाल का निर्माण कार्य सैकिण्ड स्टेज पर प्रगति पर है। पश्चिमी राजस्थान के लोग यह समझते हैं, क्योंकि लिफ्ट इरिगेशन का जो मुद्दा राजस्थान सरकार के विचाराधीन है, इस सदन में पूर्व में काफी विस्तार से इस पर चर्चा हो चुकी है और पूर्व की सरकार ने यह निर्णय लिये थे तो वर्तमान सरकार उसके बारे में क्या सोचती है और क्या नहीं सोचती है? सैकिण्ड स्टेज के अन्दर इस तरह का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अनुसार काम चलायेंगे तो लिफ्ट इरिगेशन का काम हमेशा के लिये ठप्प हो जायेगा। इसलिये सभापति महोदया, मैं आपकी मार्फत सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सैकिण्ड स्टेज का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व जो कोयला और सीमेंट की दिक्कत आ रही है, तो उसके पूर्व आश्वस्त होना चाहता हूं कि लिफ्ट इरिगेशन के बारे में सरकार की क्या नीति रहेगी? जो नेशनल कमीशन आन एग्रीकल्चर है, उसने भी इस बात पर जोर दिया है कि पश्चिमी राजस्थान की अकाल की समस्या को मिटाने के लिए, इसका स्थायी हल निकालने के लिए कोई एक विकल्प है तो वह लिफ्ट इरिगेशन की योजना है। यदि हम इस लिफ्ट इरिगेशन को हाथ में नहीं लेते हैं और डी.पी.ए.पी. और कुछ अन्य कार्य करने जा रहे हैं जो अकाल की विभीषिका को कम करने पर मदद देंगे परन्तु वह परमानेन्ट सोल्यूशन नहीं है। यह मेरा विचार नहीं है यह टेक्नोक्रेट्स का विचार है, लिफ्ट इरिगेशन का मामला राजस्थान नहर की सैकिण्ड स्टेज की प्रगति के साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए सैकिण्ड स्टेज के साथ-साथ लिफ्ट इरिगेशन के काम को आप हाथ में नहीं लेते हैं तो आप बाद में हाथ में नहीं ले सकते हैं। इसी तरह जो डिस्ट्रीब्यूटरी या ब्रांचेज बनायेंगे उन ब्रांचेज को आपको प्रोजेक्ट में बदलना पड़ेगा यदि लिफ्ट इरिगेशन को हाथ में नहीं लेते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि लिफ्ट इरिगेशन की योजना के सम्बन्ध में सरकार का जो पूर्व में निर्णय हुआ है, कांग्रेस मंत्री मण्डल के जो मुख्य मंत्री थे, हरेक ने इस योजना को माना है लेकिन जनता सरकार ने, उसके तत्कालीन मुख्य मंत्री ने और आज के विरोधी पक्ष के नेता ने, सर्वे के नाम से इस चीज को डेफर करने की एक चाल चली थी हालांकि सर्वे हो चुका है, 60 लाख रुपया खर्च होकर वह सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है और कमीशन की रिपोर्ट आपके पास में है। नेशनल कमीशन आन एग्रीकलचर की रिपोर्ट भी आपके पास में है, मंत्री मंडल का निर्णय भी आपके पास है, उस निर्णय को प्लानिंग कमीशन ने भी वेट कर दिया है तो इस सारे सन्दर्भ में मैं यह आशा करता हूं कि सरकार लिफ्ट इरिगेशन की योजना के सम्बन्ध में इसी बजट सत्र में कोई न कोई निश्चित नीति की घोषणा करेगी।

श्री भरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदया, राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में अभी माननीय राज्य मन्त्री ने, एक बात का उल्लेख किया कि राजस्थान सरकार यह चाहती है कि इसको राष्ट्रीय परियोजना के रूप में स्वीकार किया जाय। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या नेशनल डवलैप-मेंट कौंसिल ने प्लानिंग कमीशन की किसी बैठक में इस प्रश्न को उपस्थित किया और यदि किया तो उसका किस प्रकार का उत्तर मिला? क्या इस प्रकार का सुझाव देने से पहले राज्य सरकार ने इस प्रकार के प्रश्न पर विचार कर लिया है कि इसका कन्ट्रोल किसके हाथ में रहेगा, भूमि का वितरण किसके हाथ में होगा और राजस्थान का उसमे हस्तक्षेप इसमें किस हद तक होगा, क्या इन प्रश्नों पर भी विचार कर लिया गया है ? जहां तक इस प्रश्न का उत्तर है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कभी इस बात की चेष्टा नहीं की कि इस नहर का काम किस केन्द्रीय एजेन्सी को दे दिया जाय। माननीय कृषि मंत्रीजी ने कहा, मैं समझता हूं, वह आंशिक रूप से सही हो सकता है। लेकिन मुख्य मंत्री जी ने समाचार-पत्रों को यह बात कही है कि मैंने प्रधान मंत्री जी से मिल कर इस बात की चेष्टा की है कि किसी केन्द्रीय कम्पनी को या संस्थान को, जिसको सीमेन्ट और कोयला प्राप्त हो जाय, राजस्थान नहर के निर्माण का काम उसको दिया जा सकता है। समाचार-पत्रों पर तो मुख्य मंत्री जी का विश्वास नहीं है लेकिन जहां तक हमारी यह जानकारी है कि समाचार-पत्रों में लिखी हुई खबर, जैसा कि मुख्य मंत्री जी समझते है, असत्य नहीं है। प्रधान मंत्री जी से उनकी क्या बातचीत हुई और उन्होंने उसको किस रूप में लिया और उन्होंने क्या इन्क्वायरी की, यह तो मुख्य मंत्री जी उत्तर देंगे उस समय ही बतायेंगे। अध्यक्ष महोदय, तीसरा प्रश्न पूछना चाहूंगा भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हू कि· · ·

श्री परसराम मदेरणा : बजट स्पीच में उल्लेख है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बजट स्पीच में इसका उल्लेख है कि ज्यादा से ज्यादा आवंटन किया जाय और यह भी उल्लेख है कि रिसोर्सेज को मोबीलाइज किया जाय। मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आप इतने चिन्तित हैं तो क्या आपने यह तय कर लिया है कि भूमि का आवंटन आक्शन से होगा या किस पद्धति से होगा ? इसका भी मुख्य मंत्री जी स्पष्टीकरण करेंगे तो भ्रांति का निराकरण हो जाएगा।

सभापति महोदया, प्रश्न यह है कि यह योजना 1986 के अन्दर पूर्ण होनी चाहिए और यदि 1986 तक पूर्ण नहीं होती है तो उसके परिणाम क्या होंगे, उसकी ओर मैं सदन का और माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस नहर से हमको एक मिलियन एकड़ फीट पानी मिलेगा और एक मिलियन एकड़ फीट पानी तभी मिल सकता है जब पूरी राजस्थान कैनाल का निर्माण हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटरी का निर्माण हो जायगा तभी हम उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आज मेरी जानकारी के अनुसार तीन लाख एकड़ फीट पानी पंजाब सरकार यूज कर रही है। राजस्थान नहर बनेगी तो तीन लाख एकड़ फीट पानी जिस इलाके को दिया जा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रहा है उस क्षेत्र का क्या होगा। इस कारण से राजस्थान कैनाल के इस पानी पर पंजाब सरकार गिद्ध दृष्टि लगा रही है कि सैकिण्ड स्टेज का काम नहीं हो। यदि किसी प्रकार का विलम्ब किया गया, फण्ड्स के नाम पर सीमेन्ट के नाम पर या कोयले के नाम पर, तो उसका परिणाम एक दो वर्ष का नहीं है। यह तो मुख्य मन्त्री जी भी कई बार मानते हैं कि दिल्ली में हमारी अच्छी लॉबी होनी चाहिये। पंजाब की लॉबी जबर्दस्त है और सरकारी स्तर पर भी पंजाब की लॉबी प्रभावी है। उनकी चेष्टा है कि राजस्थान कैनाल का काम सैकिण्ड स्टेज पर नहीं चले और पानी का उपयोग पंजाब सरकार कर ले। इतना ही नहीं, सभापति महोदया, प्रश्न यहां तक है और मैं समझता हूं, मुख्य मन्त्री जी सक्षम हैं उत्तर देने में, समाचार-पत्रों की खबरों का सार्वजनिक रूप से खण्डन करें तो ज्यादा अच्छा होगा। उन समाचार पत्रों में इस बात का भी उल्लेख आया है कि भारत सरकार ने पोंग डेम में पानी की कमी की आड़ में राज्य सरकार को पत्र लिखा है कि सैकिण्ड स्टेज के काम को रोक दिया जाय। उस पत्र की क्या लैंग्वेज है, वह तो मुख्य मन्त्री जी ने पढ़ा होगा लेकिन इस प्रकार का जो पत्र प्राप्त हुआ है उसकी भूमिका के ऊपर उसका अध्ययन किया होगा कि आखिर भारत सरकार इस प्रकार की रुचि क्यों रख रही है, मैं समझता हूं मुख्य मन्त्री जी इसका भी उत्तर देंगे।

सभापति महोदया, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 1986 तक इस स्कीम को पूरा करना है तो आज माननीय शिवचरण जी माथुर यहां नहीं हैं, पिछली बार वे जोर जोर से बोल रहे थे कि जनता पार्टी के शासन में राजस्थान कैनाल के ऊपर पूरा काम नहीं हुआ, मैं उसका जवाब तो नहीं देना चाहता लेकिन आपसे यह जानकारी करना चाहूंगा कि 1980–81 में बजट प्रावधान कितना रखा गया था ? उस बजट प्रावधान के अगेन्स्ट में एक्चुअल एक्सपेण्डीचर कितना हुआ और उसके साथ-साथ राजस्थान मेन कैनाल की लाइनिंग का और डिस्ट्रीब्यूटरीज का लाइनिंग का काम कितना हुआ आप यह भी बता दें ? प्लानिंग कमीशन के सामने आपने जरूर कहा कि 1980–81 के लिए 35 करोड़ रुपया चाहिये। पिछले वर्ष जो प्रावधान रखा गया वह शायद 31–32 करोड़ का था उसके अगेन्स्ट में इस वर्ष 21 करोड़ का ही प्रावधान रखा गया, इसका मतलब जहां पिछले वर्ष 32 करोड़ का प्रावधान था वहां आपने इस वर्ष के लिए 21 करोड़ का ही प्रावधान किया। प्लानिंग कमीशन को आपने 35 करोड़ के लिए कहा और 21 करोड़ का ही प्रावधान रखा। 21 करोड़ का प्रावधान राजस्थान कैनाल के लिए, सभापति महोदया, बहुत कम है। मैं समझता हूं यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि राजस्थान कैनाल के फण्ड्स में से कटौती करनी पड़े। अपनी आम योजना में कटौती करनी पड़े यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लेकिन राजस्थान कैनाल के प्रश्न में कटौती हो, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती कमला जी ने भारत सरकार के इरादे के लिए जानकारी दी कि जून तक सीमेन्ट और कोयले के वैगन मिलते रहेंगे, तो क्या हम यह मानकर चलें कि जून के बाद यह व्यवस्था नहीं होगी और फिर पूरी मात्रा में मिलेगा ? तो फिर जो आपने फण्ड्स, एलोकेट किये राजस्थान कैनाल के लिए

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

वह कम किस आधार पर किये ? सभापति महोदया, मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि यह योजना प्रारम्भ हुई 1958 में, 1958 से मार्च, 1977 तक इस पर 168 करोड़ रुपया खर्च हुआ, जबकि पिछले तीन वर्षों में 77–78 और 79 में इस पर 91 करोड़ रुपया खर्च हुआ। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान कैनाल का काम 19 वर्षों में कितना हुआ और पिछले तीन वर्षों में कितना हुआ ? मैं लाइनिंग के आधार पर भी कहना चाहूंगा। '76–77 में 12 किलोमीटर की लाइनिंग हुई, 77–78 में 27 किलोमीटर की लाइनिंग हुई, 78–79 में 29 किलोमीटर की लाइनिंग हुई, और 79–80 में 25 और 27 किलोमीटर के बीच में लाइनिंग हुई। आज लाइनिंग कितनी हुई ? राजस्थान सरकार चाहे कितने ही आंकड़े पेश कर दे लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार दस किलोमीटर की लाइनिंग भी नहीं हुई है। यह इस बात का सबूत है कि राजस्थान कैनाल पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। सभापति महोदया, जहां तक डिस्ट्रीब्यूटरी का प्रश्न है, उसकी लाइनिंग का काम पहले नहीं होता था; हमने इसको चालू किया 5 किलोमीटर की लाइनिंग उस समय हुई। 77–78 में 34 किलोमीटर, 79–80 में 80 किलोमीटर का लक्ष्य था लेकिन आधा ही पूरा कर पाये। मिट्टी खोदने का काम 76–77 में 32 करोड़ घन फीट हुआ, 77–78 में 34 करोड़ घन फीट मिट्टी खोदी गई, 78–79 में 48, 79–80 में 65 करोड़ और इस साल आधी भी नहीं उठाई है, 47 करोड़ घन फीट मिट्टी उठाई है इस वर्ष।

इसका मतलब यह है कि राजस्थान कैनाल में किसी प्रकार का काम नहीं हुआ। जब काम नहीं होगा तो भारत सरकार भी बहाना बना सकती है, अन्य राज्य सरकारें भी बहाना बना सकती हैं, मुझे डर इस बात का लगता है कि आज कैनाल में देरी हुई है उसका परिणाम राजस्थान को भुगतना पड़ेगा। जो ओरिजनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी थी वह केवल 66 करोड़ रुपये की थी, उसका रिवीजन 1970 में हुआ, उस समय 207 करोड़ रुपये की बन गई, 1976 में फिर रिवीजन हुआ 331 करोड़ रुपये की बन गई, 1977 में फिर रिवीजन हुआ 396 करोड़ रुपये की हो गई और 1978 में फिर रिवीजन करना पड़ा 421 करोड़ रु. की योजना बन गई। मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि जितना विलम्ब होगा राजस्थान की जनता को भोगना पड़ेगा, भारत सरकार से हमें कुछ मिलने वाला नहीं। इस आधार पर देरी करते हैं तो कुछ देरी का परिणाम राजस्थान की जनता को बहुत बुरी तरह से भोगना पड़ेगा, मैं चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने बजट प्रावधान जो इस वर्ष रखा है उसको बढ़ाया जाय और बढ़ाकर जैसे उन्होंने कहा कोयला, सीमेंट हमको मिल रहा है, उस कोयले और सीमेंट को और लेने की चेष्टा करे। आपने भी सुना होगा और यह सदन में भी सुना होगा कि मुख्य मंत्री, जब मुख्य मंत्री बनकर आये थे तब बार-बार प्रधान मंत्री का नाम लेते थे जब कोई उपयोगी मांग करते, सीमेंट की मांग करते, इन्टर-स्टेट डिस्प्यूट पर निर्णय की मांग करते तो मुख्य मंत्री का एक ही उत्तर होता था कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, प्रधान मंत्री से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मिलूंगा। मैं ऐसा समझता हूं प्रधान मंत्री से उनके बहुत ही निकट सम्पर्क हैं तो उसका उपयोग उन्होंने मुख्य मंत्री बनने के लिए ही क्यों किया, उसका उपयोग राजस्थान के लिए कोयला, सीमेंट और फंड्स लाने के लिये करते तो पता लगता कि मुख्य मंत्री का प्रधान मंत्री के समक्ष किसी प्रकार का वर्चस्व है। मैं इसी आधार पर, सभापति महोदया, निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई क्षमता का महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जानते हैं इस कैनाल की जितनी क्षमता बढ़ेगी, जो धन हमने लगाया तो उसका रिटर्न भी हमे मिलेगा। 1976-77 में केवल 4 : 43 लाख हैक्टेअर्स की सिंचाई क्षमता थी, जो 1979–80 में 5 : 42 लाख हैक्टेअर्स हो गई है। उस आधार पर मैं जानना चाहता हूं कि आखिर सिंचाई क्षमता बढ़ाई है तो वास्तव में कितने एरिया में सिंचाई होती है और अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो इस कमजोरी का लोग फायदा उठायेंगे। वास्तविक सिंचाई 1976-77 में 2 : 28 लाख हैक्टेअर्स, 1977–78 में 2 : 93 लाख, 1978–79 में 3 : 21 लाख और 1979–80 में 3 : 31 लाख हैक्टेअर्स हो गई। मैं मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल के इस गोल्डन युग में, जिसको भाषण में आप कई बार कहते हैं कि इस गोल्डन युग में, सिंचाई की कितनी क्षमता बढ़ी और सिंचाई क्षेत्र का कितना विस्तार हुआ है? मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि कमांड एरिया डवलपमेंट में भी हमारी हालत खराब है, सी.ए.डी. में भी हमने इन्टरनेशनल डवलपमेंट एजेंसी से समझौता किया मैं उस समझौते के आधार पर आपसे पूछना चाहता हूं कि जो फंड्स अलाट हुये, क्या हमने खर्च कर दिये? दूसरा समझौता भी हम आइ.डी.ए. से करना चाहते हैं, उसके आधार पर भी राजस्थान कैनाल स्टेज II फेज 1 का काम अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इन समझौतों के आधार पर जो प्रोजेक्शन्स थे उनमें पिछले एक साल में हम कहां पीछे रह गए? इन प्रश्नों पर मुख्य मंत्री उत्तर दें। मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री इस मसले को गंभीरता से लें, आप यहां गंभीरता से लें, दिल्ली में गंभीरता से लें और जो प्रश्न मैंने आपके सामने प्रस्तुत किये हैं उनका स्पष्टीकरण दें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदया, कई प्रश्न एक साथ विपक्ष के नेता महोदय ने उठाये हैं। उनमें कई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के हैं और मैं इस बात में सबके साथ सहमत हूं कि इन मुद्दों को न व्यक्तिगत तौर पर, न सरकारी तौर पर बल्कि सामूहिक तौर पर हल करना चाहिए और इसलिए समय-समय पर ऐसे मुद्दों में हमारी कोशिश यह रहती है कि न केवल सरकार बल्कि गैर सरकारी पक्ष भी सामने आ जाये उसको लेकर भी हम भारत सरकार से वार्ता करते हैं। 3–4 बातें उन्होंने खासतौर से कहीं। मैं पहले भी इन बातों का जिक्र कर चुका हूं, हालांकि दोहराना वाजिब नहीं होगा लेकिन अच्छा है इस बात का स्पष्टीकरण हो जाय। उन्होंने एक बात कही कि क्या एन.डी.सी. और प्लानिंग कमीशन में इन प्रश्नों को उठाया था? एन.डी.सी. और प्लानिंग कमीशन में जो बात हमने कही थी वह तो न केवल जुबानी बल्कि लिखित डाकूमेंट्स में हैं। इन मुद्दों को हमने बराबर उठाया है क्योंकि राजस्थान के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

(2.04 म.प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

यह न केवल राजस्थान के लिए बल्कि सारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है इसलिए हमने इन मुद्दों को बार-बार उठाया। उन्होंने एक बात यह भी कही कि राष्ट्रीय योजना हो गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे पता नहीं जो लिखित भाषण आपने डिस्ट्रीब्यूट किया उसमें तो नहीं है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : वह मुख्य मंत्री रहे हैं, वह इस बात को जानते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद् में हर आइटम को उठाया नहीं जाता है, खास-खास मुद्दे उठाये जाते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप प्रोसिडिंग्स उठाकर देखें तो आपको जानकारी मिल जायेगी। दूसरी बात आपने कही कि राष्ट्रीय योजना हो गई तो भूमि आवंटन का क्या होगा? मैंने बराबर कहा कि हम इसे राष्ट्रीय महत्व की योजना मानते हैं और हम चाहते हैं कि भारत सरकार इसको राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट मानकर उसमें हमारी मदद करे। हमने कभी भारत सरकार को देने की बात नहीं कही। फिर भी मैं खुलासा करना चाहता हूं कि हमने कहा है कि यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है इसलिए राष्ट्रीय महत्व का मानकर हमको ज्यादा से ज्यादा मदद करे इसलिए हमने मदद मांगी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नई बात नहीं है, यह तो सभी कहते रहे हैं 1958 से लेकर।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : जो मेजर मुद्दे हैं, उनको बदलना ठीक नहीं है। इसके अलावा अगर आपने अन्तर्राष्ट्रीय कहा हो तो मैं अंतरिक्ष की बात सोचूं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो अंतरिक्ष में चले जायं तो राजस्थान का भला होगा।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : तैयारी मुझसे पहले आपको करनी पड़ेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखें कौन पहले जाता है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैंने निवेदन किया हमने बराबर इसको राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट मानकर भारत सरकार से अधिक सहायता करने की अपील की है इसमें कई-कई बार हमको कामयाबी मिली है. यही कारण है कि संबंधित मंत्रियों ने जो विवरण दिया है उससे पता चलेगा कि काफी मात्रा में सीमेंट, कोयला और दूसरी चीजें हमको मिली हैं। उन्होंने एक बात कही कि राष्ट्रीय योजना हो गई तो भूमि का आवंटन का क्या होगा? योजना तो राष्ट्रीय महत्व की है, राज्य सरकार के पास है और राज्य सरकार के पास ही रहेगी। मैंने जो बात कही थी कि अगर कोई राष्ट्रीय एजेन्सी इसके निर्माण कार्य को ले ले तो मुझे आपत्ति नहीं होगी. खुशी के साथ देंगे जैसे अन्य ठेकेदारों को देते हैं। केवल इतनी सी बात है उससे ज्यादा कोई बात नहीं, टेण्डर्स होते हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके ध्यान में यह कहने के बाद कोई संस्थान है, कोई कंपनी ऐसी है, जो इस प्रकार के काम को ले ले?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : भारत के अन्दर कई संस्थान हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी जानकारी में कौन-कौन से थे ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : भारत सरकार के भी संस्थान हैं, भारत में तो कई संस्थान हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन से हैं ? यह तो जानकारी मिले कि मुख्य मंत्री के ध्यान में फलां संस्थान थे जिनके आधार पर उन्होंने प्रधान मंत्री से अपील की कि अगर कोई ले ले तो हमें आपत्ति नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपस में बातें न करें, माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जब आप बोले थे तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम बोले तो डिस्टर्ब नहीं किया। मुख्य मंत्री बोलते हैं तो आप लोगों ने डिस्टर्ब किया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : माननीय सदस्य, आपके बार-बार दोहराने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके बार-बार दोहराने से इस बात का महत्व अपने आप ही कम हो जाता है। वैसे आप इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं। आप अपनी तसल्ली के लिये अगर कहते हैं तो बात अलग है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप अपनी तसल्ली का जवाब दे दें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : तो मैं माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि यह राजस्थान नहर हमारे ही पास रहेगी और भारत सरकार को जाने वाली नहीं है। वहां पर जो भूमि है उसका आवन्टन भी राजस्थान सरकार द्वारा ही किया जायेगा। अब आपने यहां पर एक बात यह कही कि कौन सी वह एजेन्सी है जिसके द्वारा यह काम कराया जायेगा। वैसे तो एजेन्सी के बारे में आपको जानकारी दूं यह कोई जरूरी बात नहीं है पर वैसे भारत सरकार के कई संस्थान हैं और दूसरी कम्पनीज भी हैं जो कि इस तरह का काम करती हैं। इसका तो ओपन काम्पीटिशन है लेकिन जो भी ओपन टेण्डर से संस्था ज्यादा कोयला और ज्यादा सीमेन्ट उपलब्ध कर सकेगी उसको दिया जावेगा। तो केवल एक ही बात हो उस पर विचार नहीं किया जाता।

दूसरी बात जो आपने यहां पर एक और कही कि पंजाब वालों की दिल्ली में लॉबी बनी हुई है, तो यहां पर मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हर स्टेट की अपनी-अपनी लॉबी दिल्ली में रहती है जो कि वहां राज्य के हितों का ध्यान रखती है। हमारे यहां के भी राज्य सभा और लोक सभा के सदस्य हैं जो कि हमारे हकों की चर्चा लोक सभा और राज्य सभा में करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे माननीय सदस्य, जो कि लोक सभा और राज्य सभा में हैं जो दिल्ली में रहते हैं, इस ओर ध्यान देते हैं। हमारे यहां से भी समय-समय पर दिल्ली में

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

इस प्रकार के मामलों को लेकर उन माननीय सदस्यों से संबंधित विभाग के मन्त्री मिलते रहते हैं और मैं स्वयं उनसे मिलता रहता हूं और अगर उनको कोई जानकारी की जरूरत होती है तो मैं उन्हें देता हूं। इसके साथ-साथ मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे यहां के लोक सभा के सदस्य और राज्य सभा के सदस्य अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो हम उनको वह जानकारी दे सकते हैं, वैसे तो हम उन्हें राज्य सरकार की तरफ से जानकारी के लिये सामग्री भेजते रहते हैं। अब यहां पर जो इन्होंने दिल्ली का कहा तो दिल्ली से मेरा मतलब यह है कि भारत सरकार से। यहां पर माननीय सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे थे तब शायद कहा भी था कि राजस्थान नहर भारत सरकार को सौंपी जा रही है। तो मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि इस प्रकार का न तो कोई निर्देश भारत सरकार का है और न ही कोई संकेत है। अब सवाल अपनी तरफ से कोई एजेन्सी की बात करना चाहते हैं तो उसके बारे में यह है कोई विशेष एजेन्सी नहीं है सिर्फ ओपन टेण्डर में जो भी काम करना चाहेगी उससे कराया जायेगा। जहां तक लॉबी का प्रश्न है मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था कि हर राज्य की लॉबी होती है उनमें राज्य सभा और लोक सभा के सदस्य होते हैं, वह अपने प्रान्त के हितों का ध्यान रखते हैं। मैं भी अपनी तरफ से यह अपील करना चाहूंगा कि हमारे लोक सभा के सदस्य और राज्य सभा के सदस्य भी अपना सम्पर्क बढ़ावें और सम्पर्क बढ़ा कर भारत सरकार से जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा सीमेंट और कोयला उपलब्ध करावें। अब यहां पर इन्होंने एक बात कही कि हमको, जून तक ही राज्य सरकार को कितना सीमेन्ट और कोयला उपलब्ध हो सकेगा यह ही बताया है। तो मैं इसके लिये यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम वैसे तो उनसे समय-समय पर विचार-विमर्श करते रहते हैं और करते रहेंगे, पर जून तक की स्थिति है वह तो बता दी उसके बाद में आगे क्या हो, तो उसके अन्दर यह है कि इसकी मात्रा आगे बढ़ भी सकती है। हमारे यह प्रयास होंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीमेंट और कोयला मिले और राजस्थान नहर का निर्माण जल्दी से जल्दी हो। यहां पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी जून तक हमें मैटीरियल मिलने वाला है उससे हम कोई सन्तुष्ट हों वह बात नहीं हैं, हम इससे सन्तुष्ट नहीं हैं। हमने इसके लिये भारत सरकार को लिखा और आगे भी हम इसके लिये लिखेंगे। हम उनसे मिल चुके हैं इस बारे में दुबारा भी हम मिलेंगे। श्रीमन्, मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह कोई हमारे अकेले का व्यक्तिगत मामला हो वह बात नहीं, यह तो सारे राजस्थान का मामला है, राजस्थान की जनता का मामला है। मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप सभी माननीय सदस्य, इसमें अपना सहयोग देंगे।

इसके अलावा माननीय सदस्य ने एक बात और कही वह यह है कि राजस्थान नहर के लिये बजट में प्रोविजन्स किये गये हैं वह बहुत ही कम हैं। पहले तो मैं यह मानकर चलता हूं कि यह कम नहीं हैं, फिर भी अगर सदन के माननीय सदस्यों को यह विश्वास है कि बजट प्रोविजन्स कम हैं तो मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)
चाहता हूं कि राजस्थान नहर का जहां तक निर्माण का सवाल है इसमें चाहे हमें कोई भी एडजस्टमेन्ट करना पड़े यह काम किसी भी प्रकार से रुकने नहीं पायेगा। हमारा प्रयास तो यह होगा, श्रीमन्, कि राजस्थान कैनाल का हम भारत सरकार से अधिक से अधिक सहायता लेकर जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य पूरा करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस साल आपने कितना रुपया खर्च करने का टार्गेट रखा था उसके अनुसार आपके राजस्थान कैनाल एरिया में कितना लाइनिंग का काम हुआ और कितना रुपया आपको खर्च करना था और आपने कितना रुपया खर्च किया, यह बता दें ?

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : बता रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कितना खर्च होना चाहिये था ? कितना खर्च हुआ ? कम हुआ या ज्यादा हुआ ? आखिर कितना पैसा खर्च किया ?

श्री रामकिशन वर्मा (राज्य मंत्री, राजस्थान नहर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर के अम्बर भवन एवं नहर निर्माण पर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित रुपया खर्च किया गया। यह करोड़ों में है। वर्ष 1979-80 में भवन पर 1 करोड़ 11 लाख और सड़क पर....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और 80-81 में।

श्री रामकिशन वर्मा : 80-81 में 2.14 करोड़ खर्च होंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह खर्च हो गए या खर्च होने का प्रावधान है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, सिंचाई) : माननीय सदस्य, यह हैड वाइज आपको बता रहे हैं आप इनको कनफ्यूज कर रहे हैं। He is reading headwise and you are trying to confuse him. आप जैसे वरिष्ठ सदस्य इस प्रकार इस इश्यू को कनफ्यूज कर रहे हैं। बड़ी अजीब बात है यह तो हैड वाइज बता रहे हैं और आप कनफ्यूज कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री रामकिशन वर्मा : कुल 80-81 में 21 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान था, जो कि····

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : कुल 21 करोड़ रुपये खर्च करने थे, 31-3 तक और अब आप क्या पूछना चाहते हैं ? पूछिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने बताया कि 21 करोड़ रुपये खर्च करने थे उसमें आपने कितने रुपये खर्च कर दिये कितने नहीं किये ? आपकी फिजीकल प्रोग्रेस क्या हुई, कितनी लाइनिंग हो गयी, कितनी नहर की खुदाई हुई, कितनी मिट्टी उठाई गयी ? जो भी कार्य हुआ वह कितना हुआ, कितनी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन गई हैं, कितनी लाइनिंग हुई, टार्गेट के अगेन्स्ट में कितना हुआ, यह बता दें ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपको बजट की कापी भेज देंगे।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख है, आप देख लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने क्या कहा मैंने सुना नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपको अलग से कापी भेज देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सवाल मेरे को अलग से भेजने का नहीं है, सवाल तो इस बात का है कि सदन को इस बात की जानकारी कराना चाहता हूं। मेरी व्यक्तिगत जानकारी की जरूरत नहीं है। मामला सदन को जानकारी देने का है, मुख्य मंत्री जी, आपको तो जबानी याद होगा। खैर, मंत्रीजी को तो याद नहीं, आप ही बता दें।

श्री रामकिशन वर्मा : आप लाइनिंग के बारे में पूछ रहे हैं तो उसके लिये 80-81 में 12 किलोमीटर लाइनिंग प्रथम चरण में होगी और मुख्य नहर की दस किलोमीटर की लाइनिंग होगी। अभी 31 मार्च तक काम चालू है जब पूरी लाइनिंग 31 मार्च को कितनी हुई, रिजल्ट्स आयेंगे तब आपको बतला दिये जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यह था, उसके अनुसार ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने अखबारों में पढ़ा। इसमें दो रेलेवेन्ट प्रश्न हैं, वैसे वह खुद समाचार पत्रों में जो खबरें पढ़ीं उसके अनुसार उन्होंने यह प्रस्ताव रखा। उन की खुद की कोई जानकारी हो ऐसी बात नहीं, माननीय सदस्य की जानकारी से ऐसा आभास होता है।

"नियम 131, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के आधार पर राजस्थान नहर का निर्माण कार्य अवरुद्ध होने की स्थिति में ध्यानाकर्षण।

अभी समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार यह आभास होता है कि राजस्थान नहर का निर्माण कार्य अवरुद्ध हो गया है, राज्य सरकार इसे केन्द्रीय सरकार को देना चाहती है इससे राजस्थान के हितों को भारी नुकसान होने की सम्भावना है तथा राज्य की जनता में भय व आशंका व्याप्त है, अतः मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।"

इसमें जो मुद्दे माननीय सदस्य ने उठाये हैं उसमें मुख्य बात यह है कि राजस्थान नहर के निर्माण का कार्य राज्य सरकार, भारत सरकार को दे रही है इसके कारण राजस्थान की जनता को काफी नुकसान होने का भय है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि कितना काम हो चुका है, कितनी लाइनिंग हो चुकी है कितना खर्चा उस पर हुआ और कितना खर्च होना चाहिये था? इसका स्पष्टीकरण दें।

श्री अध्यक्ष : अब कितना खर्च होना चाहिये था और कितना खर्च हुआ वह सब तो, खैर, ठीक है जाने दो, पर आप एक दो प्रश्न चाहें तो स्पष्टीकरण के लिये पूछ लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा प्रश्न यह है कि पिछले वर्ष में आपने कितना अमाउन्ट रखा और आपने यह बताया कि 31 मार्च तक 21 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान था। इसमें कितनी लाइनिंग का काम हो गया और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
कितनी डिस्ट्रीब्यूटरीज में लाइनिंग हो गयी, कितना टार्गेट था, कितनी इरिगेशन पोटेंशियलिटी बढ़ गयी कितनी बढ़नी चाहिये थी, टार्गेट के अगेन्स्ट में ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपके पास मार्क्स देने का क्या काइटेरिया है 31 करोड़ में से 21 करोड़ कितना प्रतिशत हुआ, यह तो 60 प्रतिशत है आप कितने पर पास करते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर का काम जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा पूर्ण हो, सवाल यहां पर मार्क्स देने का नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस बात को स्वयं मुख्य मंत्री जी स्वीकार करेंगे कि सन् 1977 के पहले राजस्थान नहर के लिये 20 करोड़ का प्रावधान था और उसके बाद के तीन वर्षों में 31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था और यह सरकार इसको वापस बीस करोड़ पर ले आई है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप ने क्या किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खेतसिंह जी, यह आपके समझ की बात नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरी समझ में अगर नहीं आता है तो आपकी समझ में भी नहीं आवेगा, यह अगर राजस्थान की जनता के समझ में आ गया तो आपको हटा दिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खेतसिंह जी, आपने तो पूरी कोशिश की कि आपको मुख्य मंत्री जी अपने मंत्रिमंडल में ले लें लेकिन आपके गुण-अवगुणों को देखकर मुख्य मंत्री जी ने आपको गुणों के आधार पर मंत्रिमण्डल में लेना उचित नहीं समझा। आपको नहीं लिया गया। मैं तो मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी यह बता दें कि उन्होंने फिजीकल टार्गेट कितने रखे थे, उसमें से आपने कितने अचीव किये ? यह बात आप ध्यान से सुनें, आप यह बतावें कि कितनी लाइनिंग होनी चाहिये थी और कितनी लाइनिंग हुई ? कितना काम होना चाहिये उस निर्धारित काम के अगेन्स्ट में कितना काम आपने किया ? कितना काम लाइनिंग के बाद में मिट्टी उठाने का हुआ ? कितना आपका टार्गेट था और कितना आपने अचीव किया ? नम्बर तीन–कितने मील की डिस्ट्रीब्यूटरीज की खुदाई का काम आपका था, मिट्टी उठाने का, उसमें से कितनी मिट्टी उठाई गई उसका टार्गेट क्या है ?

अध्यक्ष महोदय, मैं बोलकर क्या करूं मंत्री जी सुन ही नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सुन रहे हैं एक से ज्यादा मंत्रियों का ध्यान है इसलिये कहते रहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस आधार पर मैं पूछना चाहता हूं कि तीन प्रश्नों के बारे में तो यह बता दें और अब यह बता दें कि इरिगेशन पोटेन्शल कितना बढ़ा और वास्तव में इरिगेशन के टार्गेट क्या थे, और कितने अचीव हुए ? आखिरी प्रश्न, अब बता दें कि राजस्थान कैनाल की भूमि को नीलाम करने का क्या राज्य सरकार ने इरादा कर लिया है ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, एक साथ कई प्रश्न पूछे गये हैं। हमने सब को नोट कर लिया है और वर्तमान सत्र के समाप्त होने के पूर्व ही कम्पेरेटिव स्टेटमेंट उनके पास भिजवा दिया जायेगा। जहां तक भूमि आवंटन का · · ·

अनेक माननीय सदस्य: आक्शन के बारे में कहें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : इसकी चर्चा तो मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी और अपने बजट भाषण में भी कर चुका हूं कि भूमि के आवंटन का हमारा विचार है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह प्रश्न बिलकुल सीधा है। आक्शन करना चाहते हैं या नहीं? हां या ना में जवाब दे दें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, हां और ना का प्रश्न पैदा नहीं होता। नियम बने हुए हैं। इनके तहत कुछ भूमि का आवंटन होगा, कुछ की नीलामी होगी, यह बात मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय खुलासा कर चुका हूं। जवाब दे चुका हूं। नियमों में वर्तमान हालात के अनुसार कुछ संशोधन करने का विचार हमारे पास में आया था लेकिन अभी उस बात को हम पूरी गहराई के साथ तय नहीं कर पाये हैं। उस पर हम विचार कर रहे हैं लेकिन अभी तक जो नियमों मे प्रावधान हैं उसमें कुछ आवंटन का है और कुछ नीलामी का है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने अपना बजट 95 करोड़ का डेफिसिट का प्रस्तुत किया है, यह डेफिसिट किस प्रकार से पूरा किया जायेगा उसमें एक आइटम भू-आवंटन का भी था। मैं पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया कोई नीति नहीं बनाई और उसका असेसमेन्ट नहीं किया कि 95 करोड़ में से कितनी आमद भू-आवंटन से होगी। बजट में इस प्रकार के आंकड़े तो नहीं दिये जा सकते। आप यहां वित्त मंत्री हैं और केन्द्र में भी 6 साल तक वित्त राज्य मंत्री रहे हैं इसलिए आपको इस तरह के आंकड़े देने की आदत नहीं होगी, किन्हीं आफिसर्स ने दिलवा दिये हैं तो उसका मैं कह नहीं सकता लेकिन 95 करोड़ के डेफिसिट के अगेन्स्ट में आपने जो इस प्रकार की बात कही है कि राजस्थान कैनाल की भूमि के नीलाम करने से आपको जो आमदनी होगी, क्या उसका उसमें असेसमेन्ट किया गया है या नहीं?

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष जी, जो कुछ भी मुख्य मंत्री जी ने कहा, वह तो यह बात हुई कि 95 करोड़ का जो डेफिसिट है इसकी पूर्ति राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि खण्डों के विक्रय को अधिक गतिशील बनाकर, गतिशील बनाने में आक्शन का क्या प्रपोर्शन रहेगा और रिजर्व प्राइस कितनी हो जायेगी, यह मामला सरकार के विचाराधीन है इसलिये आज मुख्य मंत्री जी कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते। अभी दूसरा प्रश्न आप पूछ रहे थे। पूछ क्या रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तालियां किस की बजा रहे हो? उनको जो कहना था कह गये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी तो आदत पड़ गयी है क्या कह गये। सही कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रद्युम्नसिंह जी, आपको जो मिलना था वह मिल गया अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : विपक्ष के नेता जिस वक्त मुख्य मंत्री थे, उस समय कहा था कि इन्टरनेशनल एजेन्सी से कुछ फाइनेशियल एड मिले और उस समय हमें भी कन्सल्ट किया था लेकिन अनफार्चुनेटली उनको भागना पड़ा और अपना मामला रह गया ·····

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनिये।

श्री परसराम मदेरणा : I am in possession of the floor of the House and no interruption should be allowed.

(व्यवधान)

मैं यह निवेदन करूंगा कि आप बार-बार एक ही प्रश्न को पूछ रहे हैं। 1980-81 में 30 करोड़ का जो प्रावधान राजस्थान कैनाल के लिए रखा गया था उस राजस्थान कैनाल का प्रावधान चार हिस्सों में था जिसमें कितने घन फीट मिट्टी उठाई जायगी, कितने किलोमीटर राजस्थान कैनाल की लाइनिंग होगी, कितने किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूटरीज का लाइनिंग होगा और इरिगेशन पोटेन्शल कितना बढ़ेगा। ये सारे प्रश्न; एक ही हैं और एक दूसरे से इन्टरलिंक्ड हैं। जैसा प्रतिपक्ष के नेता महोदय जानते हैं घन फीट मिट्टी उठेगी और लाइनिंग यदि नहीं हुई तो रेत गिरेगी क्योंकि राजस्थान का थार डेजर्ट है। इसलिए उतना ही काम मिट्टी का करना पड़ेगा जितना कि लाइनिंग करा सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटरीज का काम नहीं होगा क्योंकि लाइनिंग के लिए कोयला और सीमेंट की आवश्यकता होती है उसका व्यवधान आया हुआ है और उस व्यवधान के होने की वजह से जो काम स्लो हुआ है, और जो प्रोजेक्शन था वही पूरा कर सकें। उस पर 31 मार्च तक 20 करोड़ खर्च होगा। 20 करोड़ खर्च होगा तो उसके अनुपात से जो टार्गेट्स हैं उसमें कमी रहेगी। यह बात राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और माननीय मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण में भी स्पष्ट कर दी गई है कि काम द्रुत गति से नहीं हो सका है। इसलिये द्रुत गति को लाने के लिये जो अभी कृषि मंत्री जी कह रही थीं कि हमको सीमेंट मिलने वाली है तो वह जब मिल जायेगी तो निश्चित रूप से जो रुकावट है वह दूर होगी और उसकी गति वेग पकड़ लेगी।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : एक प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं 3 प्रश्न करना चाहता हूं। राजस्थान नहर पर 1980-81 में 31 करोड़ रुपये का प्रावधान था। क्या आज से 4 महीने पहले सिंचाई अधिकारियों के साथ बैठक में 8 करोड़ रुपये की कटौती करके, 31 करोड के बजाय 23 करोड़ कर दिया? एक सवाल तो यह है। दूसरा सवाल यह है कि अभी जैसा

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

राज्य मंत्री जी कह रहे थे कि 21 करोड़ का खर्च आयेगा 23 से 21 करोड़। मैं स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं कि कहीं मार्च के अंत में ऐसा नहीं हो कि हम केवल 18 करोड़ ही खर्च करें और उसमें हमें 13 करोड़ की कटौती करनी पड़े ? दूसरा सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष : तीसरा हो गया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हां, तीसरा सवाल यह है माननीय अध्यक्ष जी, कि बहुत बरसों से काम चल रहा है, किन्तु जैसी विवरण पत्रिका के कार्यालय ने सूचना दी है, यह विवरण पत्रिका राजस्थान सरकार की ओर से है इसमें दिया है कि स्टेज वन फेज वन में नहर निर्माण के लिए आलोच्य वर्ष 1980-81 में नहरों को पक्का करने हेतु 450 लाख रुपयों का प्रावधान है और उसमें से 316 लाख 95 हजार रुपये 30 दिसम्बर तक खर्च हो गए। नहर के बनाने के काम में 450 लाख में से 316 लाख खर्च होंगे इसलिए सीमेंट और कोयले की बात नहीं है। फिजीकल टार्गेट्स क्या है ? 105 किलो मीटर में से 15.86 किलो मीटर लम्बी ही नहर बनाई है। इसलिये मैं सवाल करना चाहता हूं कि 'स्टेज वन फेज टू' नयी सड़कों के निर्माण का कार्य है उसके लिये 211.08 लाख का प्रावधान है उसमें से खर्च हुआ केवल 72.50 लाख रुपया और फिजीकल टार्गेट्स पूरे हुए 30 दिसम्बर तक 18 किलोमीटर सड़क सुधार के 0.40 सड़क सुधार और इसका कारण दिया है····

श्री अध्यक्ष : इस पर लम्बी चर्चा नहीं होगी। माननीय सदस्य जो विभाग से प्रगति विवरण मिला है उस पर बहस नहीं होगी। एक दो प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ लें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसमें इसका कारण दिया है, धीमी प्रगति का कारण नयी सड़कों के निर्माण की स्वीकृति का विलम्ब से प्राप्त होना है। क्या मुख्य मंत्री महोदय का नहर सिंचाई परियोजना मंत्री महोदय ने यह जो एक्सप्लेनेशन दिया है इसके द्वारा जिसमें संक्शन नहीं मिली, क्या इसके लिए समुचित कार्यवाही करेंगे ? एक कारण और दिया है पृष्ठ 7 में आप देखें "मानिटरिंग आफ वाटर टेबल" इस मद में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का नगण्य होने का कारण स्वीकृतियों का विलम्ब से प्राप्त होना है। मैं कहना चाहता हूं कि इसके बाद भू-संरक्षण का आइटम है उसमें कहा गया हैं कि इस नगण्य प्रगति का कारण स्वीकृतियों का विलम्ब से प्राप्त होना है हमें सामान नहीं मिलता, हमें कोयला नहीं मिलता। हमें आप फिजीकल टार्गेट्स बता दें। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मंत्री महोदय, कि नहर परियोजना मंत्री जी कहेंगे कि, इस संक्शन में जो देरी हुई है क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी ? और यदि बहुत बड़ा कारण है तो उनको कटघरे में खड़ा किया जायेगा ? यही चार सवाल हैं मेरे।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमान, मैं कह चुका हूं कि हमने सारे प्रश्न नोट कर लिये हैं। इस सत्र के समाप्त होने के बाद उचित स्टेटमेंट भिजवा दिये जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह विधान सभा है या धर्मशाला ? हम यहां काल अटेन्शन मोशन के रूप में आते हैं और मुख्य मंत्री जी बड़े बड़प्पन से कहते हैं कि हमने नोट कर लिया । यह जरूरत नहीं है । अगर उत्तर नहीं दे सकते तो पत्र लिख देते और पत्र का जवाब भी आप चाहें डिप्टी सैक्रेटरी से दिला देते लेकिन जवाब तो आता । मुश्किल यह है विधान सभा में प्रश्न इसलिये उठाये जाते हैं, नोटिस इसलिये दिये जाते हैं कि सरकार, तैयार हो कर आये मुख्य मंत्री जी, यह कहते हैं कि हमने नोट कर लिया । बहुत बड़ा अहसान कर दिया । आपने नोट कर लिया है, हमें जवाब आज दिया जाये या आप कह दें कि प्रश्न इर्रेलेवेन्ट है और इस सदन में जानकारी नहीं दी जा सकती यदि प्रश्न रेलेवेन्ट है, आपने एडमिट किया है, हमने क्वेश्चन सारे रेज किये हैं, इसलिये नहीं कि मुख्य मंत्री जी नोट करके दस दिन के बाद जवाब दे दें । हमने नोटिस इसलिये दिया है कि सरकारी पक्ष की ओर से उत्तर दिया जाय । मैं चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी, कि आपके पास यदि जानकारी नहीं है तो आधे घंटे का समय ले लें आफिसरों को बुला लें, जानकारी कर लें और आज इसका उत्तर दें ।

(विराम)

यह व्यवस्था करेंगे । यह नोट करने वाली आदत यहां असेम्बली में नहीं चलेगी ।

एक माननीय सदस्य : वाक आउट कर लो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वाक आउट ऐसे नहीं करेंगे । वाक आउट करा देंगे ।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर परियोजना के लिये प्रदेश में 31 करोड़ का जो प्रावधान रखा गया उसका 21 करोड़ का संशोधित रूप में प्रावधान रखा गया । उस 21 करोड़ रुपये का मार्च के अन्त तक अलग अलग मदों के अन्दर खर्चा पूर्ण रूप से होने संभावित है और हो रहा है इस में कोई कमी होने वाली नहीं है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक है । अब 31 से 21 क्यों किया अगर हम ज्यादा प्रावधान रखते हैं और अवेलेबिलिटी आफ इम्पुट्स के मुताबिक खर्चा नहीं कर पाये तो उसे रिवाइज करना अपने आप में बहुत जरूरी चीज हो जाती है । इसलिये उसको · · ·

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नया बजट भाषण भी यही है · · ·

श्रीमती कमला : आप व्यवधान मत डालिये, कानून को समझिये । सीट पर बैठे हुए इस तरह से चिल्लाना कोई अच्छी बात नहीं है । यह नियम के विरुद्ध है । आपको जो कुछ कहना हो, मैं बोल चुकूं उसके बाद चाहे आप पांच घंटे तक बोलते रहें ।

इसलिये 31 करोड़ के प्रावधान के मुकाबले में 21 करोड़ का जो प्रावधान रखा गया है वह फिजीकल टार्गेट्स को वास्तविक रूप से हम अचीव कर सकें इसलिये उसको संशोधित किया गया और 21 करोड़ के पेटे में जिन जिन मदों में जो जो कार्यवाही अपेक्षित है वह मार्च के अन्त तक पूर्णतः करा दी जायेगी ।

88

(श्रीमती कमला)

यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्पेसिफिक टार्गेट्स बताये जायें और क्या अचीव किये हैं ?

व्यवस्था का प्रश्न

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस

श्री परसराम मदेरणा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि जो काल अटेन्शन मोशन माननीय सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी जी ने रखा है वह रूल 131 के अन्तर्गत है और रूल 131 यह कहता है कि—

"Calling attention to matters of urgent public importance "A member may, with the previous permission of the Speaker call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date."

अध्यक्ष महोदय, आपने आज की तारीख जो निश्चित की थी कि मिनिस्टर स्टेटमेंट देंगे। मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया। रूल 131 में प्रावधान है कि यह स्टेटमेंट ब्रीफ होना चाहिए। उन्होंने स्टेटमेंट पूरा पढ़ दिया। पढ़ने के बाद में कुछ सप्लीमेंट्री पूछी गई। उसके बाद कृषि मन्त्री जी ने इन्टरवीन किया और उन्होंने फिर कुछ पाइन्टस एड किए। फिर कुछ प्रश्न पूछे गये। फिर मुख्य मन्त्री जी ने इन्टरवीन किया। उसके बाद में फिर ब्रीफ स्टेटमेंट देने वाले प्रभारी मन्त्री जी ने कुछ आंकड़े दिये। उन आंकड़ों के बाद में फिर प्रश्न पूछे गये। फिर कृषि मन्त्री जी ने अभी कुछ स्पष्टीकरण किया। अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर के जरिए मेरा निवेदन यह है कि रूल 131 पार्ट (2) यह कहता है कि "There shall be no debate on such statement at the time it is made." मैं ऐसा मानता हूं कि इस काल अटेन्शन को लेकर राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के संबंध में एक फुल फ्लैश डिबेट चल रही है, यह डिबेट जो है मेरा ऐसा मानना है कि रूल 131 के अन्तर्गत जो ब्रीफ स्टेटमेंट मांगते हैं वह मैम्बर काल अटेन्शन करने के बाद एक दो प्रश्न पूछ सकते हैं····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह कहां है ?

श्री परसराम मदेरणा : अगर इसकी अवहेलना की जाती है तो मैं रूल 282 के अन्दर क्लोजर मूव करता हूं यह डिबेट आज के बिजनेस के ऊपर नहीं है। इसलिए क्लोजर मूव करता हूं कि इस डिबेट को समाप्त किया जाये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक दो प्रश्न पूछ सकते हैं। वह कहां लिखा है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि जब रूल 131 में चर्चा हो रही है····

(व्यवधान)

श्री नार्थूसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नार्थूसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर पर पाइन्ट आफ आर्डर नहीं हो सकता।

श्री नार्थूसिंह : इसी सब्जेक्ट में...

श्री अध्यक्ष : इस सब्जेक्ट में यदि मैं आवश्यक समझूं, मेरी समझ में नहीं आवे बात तो मैं दूसरे माननीय सदस्यों से राय पूछ सकता हूं। अगर मैं समझता हूं कि ठीक है तो मैं व्यवस्था दे सकता हूं....

श्री नार्थूसिंह : जब कोई भी पाइन्ट आफ आर्डर, उठाया जा सकता है....

श्री अध्यक्ष : उसका निर्णय मुझे देना होता है। आसन को देना होता है। यह जरूरी नहीं है कि....

श्री नार्थूसिंह : जब कोई भी माननीय सदस्य, पाइन्ट आफ आर्डर उठाता है तो उस पर राय देने का अधिकार हर माननीय सदस्य को होता है।

श्री अध्यक्ष : यदि अध्यक्ष के सामने नियमों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो उस स्थिति में अन्य माननीय सदस्यों से भी राय जानी जा सकती है। लेकिन जब स्थिति स्पष्ट है इसमें 131 के नीचे जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है उसमें जिन माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है वे उठकर के संक्षेप में अपनी बात कह देते हैं। उसके बाद में एक संक्षेप में उत्तर मंत्री महोदय देते हैं और वह बात वहीं समाप्त हो जाती है। इस सदन के अन्दर ऐसी परम्परायें रही हैं कि जब कभी कोई मंत्री उत्तर देता है तो स्पष्टीकरण के तौर पर कुछ प्रश्न माननीय सदस्य पूछ लेते हैं क्योंकि यदि हम कड़ाई से नियमों का पालन करें तो शायद कई बातें अस्पष्ट रह जायें। इसलिए यह सुविधा माननीय सदस्यों को है। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है राजस्थान नहर के संबंध में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का, उसमें काफी समय ले लिया। काफी अनुभवी और काफी संख्या में माननीय सदस्यों ने इसमें अपने-अपने मत व्यक्त किये। अब कौन सा पक्ष सन्तुष्ट है, कौन सा पक्ष सन्तुष्ट नहीं है। उत्तर स्पेसिफिक है या नहीं, यह सभा के लिए विचार करने का नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि सरकार अच्छी तरह से उत्तर नहीं देती है तो सभा के ऊपर उसका अच्छा असर नहीं पड़ता। इसका फर्क इतना ही होता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। सरकार अपनी ओर से उत्तर तैयार रखती है, सत्तारूढ़ दल तैयार रखता है, उनके सामने जो समस्यायें आयें, जो प्रस्ताव आवें या अन्य किसी तरीके से उस बात को रखा जाये वह अपना उत्तर देती है। मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से तीन-तीन चार-चार मंत्रियों ने, मुख्य मंत्री जी ने रुचि लेकर, दिलचस्पी दिखाकर जो तथ्य थे सब स्पष्ट कर दिये। उसके बाद विपक्ष के माननीय नेता ने जो जानकारी चाही थी उसके ऊपर मुख्य मंत्रीजी ने कहा, यह जानकारी भी है।

राजस्थान नहर का निर्माण अवरुद्ध

श्रीमती कमला : मैं सूचना दे सकती हूं यदि माननीय सदस्य बहुत ही चिन्तित हैं तो।

श्री अध्यक्ष : देने को तैयार हैं तो शायद वे इतने चिन्तित भी नहीं हैं।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1980-81 में जो संशोधित लक्ष्य रखे गये थे उनके पेटे जनवरी, 81 तक जो उपलब्धि हुई है वह इस प्रकार है, लाइनिंग का जो कार्य, किलोमीटर में जो लक्ष्य रखा गया था वह 58.70 था उसके अगेन्स्ट में उपलब्धि है 34.04 Up to January.

एक माननीय सदस्य : बहुत बढ़िया।

श्रीमती कमला : अप-टू जनवरी।

लिफ्ट नहर पर खाले बनाने का कार्य का लक्ष्य रखा गया था 48 किलोमीटर। उसके अगेन्स्ट में उपलब्धि हुई है जनवरी तक 40.49। द्वितीय चरण में मुख्य नहर का लक्ष्य रखा गया था 10 किलोमीटर उसके अगेन्स्ट में उपलब्धि जनवरी तक 6.12 किलोमीटर हो चुकी है

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 50 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर नहीं है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बाधा उपस्थित न करें, कृपया स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

मैं इस चर्चा को समाप्त करता हूं।

श्रीमती कमला : अब आप सुनना नहीं चाहें तो बात दूसरी है।

श्री अध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये विशेष तौर से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया है...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

आप गलत होने पर उसको यहां पर विवाद का विषय नहीं बना सकते हैं, यदि कोई मंत्री सदन को गलत सूचना उपलब्ध कराता है तो वह बहुत गंभीर प्रश्न बन जाता है। इसको विवाद का विषय न बनायें। यदि आप उत्तर नहीं चाहते हैं तो मैं समाप्ति की घोषणा करता हूं...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज !

श्रीमती कमला : वितरण प्रणाली का लक्ष्य रखा गया था 27.65 उसके अगेन्स्ट में उपलब्धि की जनवरी के अन्त तक 19.22 मिट्टी का कार्य, जो घनफीट में था का प्रथम चरण में लक्ष्य रखा था 64 लाख घनफीट उसके अगेन्स्ट में जनवरी के अन्त तक 42 लाख घनफीट उपलब्धि हुई है। इसी तरह से द्वितीय चरण में मुख्य नहर के अन्दर मिट्टी का कार्य जिसका लक्ष्य रखा था 25 लाख घनफीट उसके अगेन्स्ट में जनवरी के अन्त तक जो उपलब्धि हुई है वह है 10,285 घनफीट।

(श्रीमती कमला)

इसी तरह वितरण प्रणाली में लक्ष्य रखा गया था 1300 उसके अगेन्स्ट में प्राप्त किया जा चुका है 447 जनवरी के अन्त तक उपलब्धि हुई है। इसी प्रकार वाटर सप्लाई चैनल में 1200 का लक्ष्य रखा गया था उसके अगेन्स्ट में उपलब्धि हुई है 355 जनवरी के अन्त तक। इसी प्रकार भवन आदि के जो खर्चे थे वे थे 1.11 उसके अगेन्स्ट में खर्च हो चुका है 0.94। इसी प्रकार सड़क का 1980–81 में रखा था 2.14 और, 1979–80 में इसके पेटे में रखा हुआ था जिसके बारे में आप कहते हैं बहुत रखा था, वह था 1.11 उसके अगेन्स्ट में आपने केवल अचीव किया था 0.94 और 80–81 में जो लक्ष्य रखा था वह था 2.14 उसका जनवरी तक 1.03 हो चुका है।

इस प्रकार से स्पष्ट है कि विभिन्न मदों में प्रगति की जा रही है और निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत उसको मार्च के अन्त तक उपलब्ध करा दिये जावेंगे।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त की जाती है।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, फलौदी की बात है इसमें··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! राजस्थान नहर में फलौदी कितनी आती है, मुझे ज्यादा मालूम है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक मिनट में कह दूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक वाक्य में ही कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है रेलवे लाइन के बारे में छठी पंचवर्षीय योजना की जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसमें कहा है 872 किलोमीटर रेल लाइन डाली जायगी और··

श्री अध्यक्ष : आप विषयान्तर हो गये, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

सदन से अनुपस्थिति की अनुमति

श्री मालूराम लेघा को 6 मार्च, 1981 से सत्रावसान तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

अनुपस्थिति के लिये अनुमति।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि माननीय सदस्य श्री मालूराम लेघा, सदस्य विधान सभा ने अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 6 मार्च 81 से सत्रान्त तक बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

विधायी कार्य : वापस लिया गया विधेयक
राजस्थान निवारक निरोध
(संशोधन) विधेयक, 1980

विधायी कार्य, वापस लिये जाने वाला विधेयक। मुख्य मंत्री, श्री जगन्नाथ पहड़िया राजस्थान निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक, 1980 को वापस लेने का प्रस्ताव करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पहले यह बता दीजिये कि आप वापस क्यों कर रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री सिचाई) : पहले जानकारी दूं या वापस ले लूं ?

एक माननीय सदस्य : पहले जानकारी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 1980 है। हमारी पार्लियामेंट द्वारा पारित कर दिया गया है। इसके प्रावधान इस प्रदेश पर भी लागू होते हैं इसलिए इसको वापस लिया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 27 दिसम्बर, 1980 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा पारित हो चुका है इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए वापस लिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नेशनल सिक्योरिटी आर्डिनेन्स जब तक लागू है तब तक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया···

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : जब प्रदेश पर लागू है···

श्री परसराम मदेरणा : एक साथ ही जवाब दीजिये मैं यह कह रहा हूं जो आप विथड्रा कर रहे हैं और जो अमेन्डमेंट आप राजस्थान प्रिवेन्टिव डिटेंशन एक्ट, 1980 में लाये थे, जो अमेन्डमेंट बिल लाये थे, पिछले सत्र में, उसको विथड्रा करने जा रहे हैं। अब आप कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू हो गया और राजस्थान ने उसको अडाप्ट कर लिया इसलिए जो प्रावधान के जरिये राजस्थान प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट, 1970 में करना चाहते हैं इस प्रकार का प्रावधान था वह नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 1980 में भी है। इसका मतलब राजस्थान प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट, 1970 को अब आप स्टेचुअटरी रूप में रख रहे हैं। अगर इसके प्रावधान उस एक्ट के प्रावधानों को इन्वोक करेंगे और कुछ प्रावधानों में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के प्रावधान को इन्वोक करेंगे तो जो अमेन्डमेन्ट लाये हैं वह फिर रिपील करने को आप क्यों नहीं लाये ? अगर अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 1980 आपका पर्पज सर्व करता है तो राजस्थान प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट, 1970 अमेन्डमेन्ट बिल को तो विथड्रा कर रहे हैं लेकिन वह स्टेचुअटरी रूप में तो रहेगा इसलिये इसको आपको रिपील कराना चाहिये। अगर आप समझते हैं जो अमेंडमेंट थे वह प्रावधान तो इसमें आ जायें जब तक एक दूसरे को इन्वोक करेंगे, मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, मैं इसके बारे में विधि विभाग से जानकारी प्राप्त करूंगा लेकिन इसके सन्दर्भ में मुझे इतना ही कहना है···

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय मंत्री महोदय को अवसर दे दूं, इतने में आप जानकारी प्राप्त कर लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने इस विधेयक को वापस लेने में जो तर्क दिया···

श्री अध्यक्ष : वह तर्क सही अब आयेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, तर्क संगत नहीं है और वह तर्क संगत इसलिये नहीं है कि यह विधेयक जिसको आप वापस ले रहे हैं उस विधेयक में केवल आपको एक संशोधन करना है वह संशोधन यह है कि धारा (3) में तीन माह की जगह दो माह की अवधि निर्धारित की। अब यह संशोधन क्यों पेश कर रहे हैं? जो आपने कार्यों का विवरण दिया है, अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा इम्पार्टेंट है, माननीय मंत्री महोदय को जब तक जानकारी मिल जाय तब तक मैं बता दूं कि राजस्थान निवारक निरोध अधिनियम, 1970 में यह अधिकथित है कि वह अधिकतम कालावधि तीन माह की होगी जिसके लिये किसी व्यक्ति को अधिनियम के अधीन पारित किसी निरोध आदेश के अनुसरण में निषिद्ध किया जायेगा। अधिनियम में सलाहकार बोर्ड के गठन हेतु कोई उपबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं है। संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 जो कि संसद द्वारा पारित किया गया है, के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 22 के खण्ड (4) को प्रतिस्थापित किया गया है। संशोधित खण्ड में यह अधिकथित है कि निवारक निरोध का उपबन्ध करने वाली कोई भी विधि किसी व्यक्ति को दो माह से अधिक कालावधि के लिये निरुद्ध किया जाना तब तक प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि उक्त प्रयोजनार्थ गठित सलाहकार बोर्ड ने दो माह की उक्त कालावधि की समाप्ति से पूर्व यह रिपोर्ट न की हो कि उसकी राय में ऐसे निरोध करने के प्रयास जारी हैं। यह संशोधन इस बात के लिए ला रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि संशोधन में 3 महीने की अवधि की जगह जो दो महीने आप करना चाहते थे, उसमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहां बाधक बन गया? एक तो मेरा प्रश्न यह है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बिलकुल डिफरेंट है और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बिलकुल डिफरेन्ट है। प्रिवेन्टिव डिटेंशन एक्ट में तीन महीने की अवधि है और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में तो 14 दिन की भी अवधि नहीं है। आपको एडवाइजरी बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा तो क्या आपकी इच्छा यह है कि इसको 3 महीने ही रखा जाय? और अगर 3 महीने ही रखा जाय तो इसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के सिमिलर रहने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो वह कारण जानना चाहता हूं जिनसे आप 3 महीने की जगह दो महीने करने का जो संशोधन लाये हैं, वह आज निरर्थक हो गया है, जिसके कारण से इसको आप वापस लेना चाहते हैं? आप इसका उत्तर दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 254 की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कान्स्टीट्यूशन के 254 (1)

"If any provision of a law made by the lagislature of a State is repugnant to any provision of a

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

law made by Parliament which Parliament is competent to enact, or to any provision of an existing law with respect to one of the matters enumerated in the concurrent list, then subject to the provisions of clause (2) the law made by Parliament, whether passed before or after the law made by the Legislature of such State, or, as the case may be, the existing law shall prevail and the law made by the Legislature of the State shall, to the extent of the repugnancy, be void."

अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट का नाम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जरूर है लेकिन जो मन्शा थी, वह इस एक्ट की वह इससे पूरी हो जाती है, जो अभी प्रिवेन्टिव डिटेंशन एक्ट है, स्टेट का···

एक माननीय सदस्य : हिन्दी में बतावें अंग्रेजी में समझ में नहीं आया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता, I am sorry मेरे पास नहीं है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही कि आपका एक एक्ट आलरेडी है और आप दूसरा इसको एडाप्ट करने जा रहे हैं, इसका क्या होगा। तो, अध्यक्ष महोदय, उसको रिपील नहीं किया है, वह कहते हैं It will be a bad precedent. बैड प्रिसीडेन्ट होगा तो उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि we shall not act upon that हम इसके ऊपर कार्यवाही नहीं करेंगे। जो कुछ कार्यवाही होगी, वह इसके तहत होगी और अगर भविष्य के अन्दर कभी इसको खत्म करने की जरूरत होती है तो उसके ऊपर कार्यवाही होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब यह हुआ कि जब तक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू है, उस समय तक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लागू नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जी हां, मैं कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान निवारक निरोध··

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रभारी मन्त्री जी ने जो आर्टिकल 254 का हवाला दिया, मैं समझता हूं कि कानूनी स्थिति ठीक है, क्योंकि दो प्रकार के प्रावधान नहीं रख सकते, चाहे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का प्रावधान, चाहे 14 दिन का भी है वह भी अगर तीन महीने की जगह दो महीने का करते तो भी वह कन्फ्लुएन्स नहीं होता और निश्चित रूप से प्रिवेन्ट करता, दूसरे वाला। इसलिए विथड्रा करने की बात तो ठीक है। मेरा विथड्रा में कोई एतराज नहीं है क्योंकि विथड्रा तो सरकार को करना पड़ेगा। आर्टिकल 254 में ये कोई एमेन्डमेन्ट नहीं करवा सकते और अगर अमेन्डमेंट करेंगे तो रिटेन्डेन्ट इसलिए होगा कि सेन्ट्रल एक्ट प्रिवेल करेगा और सेन्ट्रल एक्ट प्रिवेल करेगा तो कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो बात कह रहा था कि इस पर एक्ट क्या करेंगे, इस पर एक्ट नहीं करेंगे, ये आप दो तलवार कैसे रख सकते हैं? मन्त्री महोदय, ये तलवार आप लटकाये हुए रखोगे तो वह प्रिवेन्टिव डिटेंशन एक्ट भी स्टेट बुक में रहेगा। अभी तक हम उस पर कुछ कर सके नहीं यह प्रिवेल करेगा

(श्री परसराम मदेरणा)

और जब ये प्रिवेल करेगा तो दूसरे वाला, हमारे वाले को भी कर देगा। इसलिए मैं कह रहा था कि दो कानून मत रखिये या तो राजस्थान प्रिवेन्टिव डिटेंशन के 1970 के जो प्रावधान हैं, वह आर्टिकल 254 के अन्दर...

(व्यवधान)

नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के और अगर नहीं बनाना चाहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के प्रावधान को ही करने का इरादा रखते हैं तो सरकार को आर्डर दिया जाय कि रिपील करने के लिए आपको प्रस्ताव लाना चाहिए था, वह आप नहीं लाये हैं, आप गलती कर गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सामान्य व्यवस्था के अनुसार भी कोई रिटेंनेंट लॉ स्टेट पर नहीं दे सके। ये आप चाहे अपने विधि विभाग से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें। सामान्य व्यवस्था के अनुसार जो कानूनन रिटेन्डेन्ट हो गया, उसको नहीं कर सकते, अगर आपको कुछ विचार विमर्श करना है तो आज न रखकर दो दिन के बाद रख दें। इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मुझे विधि विभाग से राय मिली है, उसके मुताबिक उसको रख सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी राय क्या है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं तो विधि विभाग की राय से चलूंगा One cannot be a master of every subject of every department.

आप कायद होंगे, विपक्ष के नेता महोदय। मुझे राय मिली है, ला डिपार्टमेंट की, उसके मुताबिक कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : उसका तो लुब्बे लबाब यह है, इसके पास करने की आवश्यकता तो नहीं समझते न। आपके वाला जो कानून बना हुआ है। उसकी बात तो छोड़ ही दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक, 1980 को वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक, 1980 को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक, 1980 को वापस लेता हूं।

घोषणा

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद के लिये समय का बटवारा

श्री अध्यक्ष : आय-व्ययक बजट, 1981 पर सामान्य वाद-विवाद के लिए समय के बटवारे की घोषणा :—

कांग्रेस आई	10 घण्टे सरकार की ओर से बहस का उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है।
भारतीय जनता पार्टी	ढाई घण्टा
जनता पार्टी (जे.पी.)	50 मिनट
जनता पार्टी (चरणसिंह)	45 मिनट

(श्री अध्यक्ष)

कांग्रेस (अर्स)	30 मिनट
सी.पी.आई.	15 मिनट
सी.पी.एम.	15 मिनट
प्रगतिशील विधायक दल	50 मिनट
निर्दलीय	20 मिनट

बजट पर सामान्य वाद-विवाद। श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने, वित्त मंत्रीजी ने 1981–82 का बजट राजस्थान विधान सभा के पटल पर रख कर, मुझे ऐसा लगता है, राजस्थान की बड़ी कुछ सेवा की है। सारे बजट को आद्योपरांत पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है, बजट अयथार्थवादी, दिशाहीन, अकल्याणकारी और विकास की गति को अवरुद्ध करने वाला है।

एक माननीय सदस्य : यह तो पुराने शब्द हैं।

श्री अध्यक्ष : बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद ब्यावर से आने वाले बन्धु न पढ़ने का शौक रखते हैं, न पढ़ने की कोशिश करते हैं और न एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। उन्हें बोलने का अभ्यास है, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ कहना नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, बजट भाषण जो दिया गया है, बजट सारा प्रस्तुत किया जिसके कुछ विशेषण मैंने आपके सामने रखे हैं। यह बजट भाषण तो ऐसा लगता है कि चालाकी से लिखा गया एक असफल धोखा है। मैं जिक्र करूंगा आंकड़ों के आधार पर, बजट की पंक्तियों के आधार पर वस्तुस्थिति को छिपा कर, वस्तुस्थिति को अलग रखकर, राजस्थान की प्रगति की कोई चिन्ता न करते हुए, उस सारे बजट को, इस बजट स्पीच में चालाकी से प्रस्तुत करने की कोशिश मात्र की गयी है, जो असफल सिद्ध होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चर्चा की गई है कि 81-82 के लिए 360 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया है। यह भी कहा गया है, आप शब्द पढ़ेंगे : "मूल योजना से 10.78 प्रतिशत अधिक है।" मैंने आपको कहा था कि चालाकी से लिखा गया असफल धोखा है। मूल योजना क्या है ? एक परिवर्तित बजट को पिछले वर्ष मुख्य मंत्री श्री जगन्नाथ जी पहाड़िया ने प्रस्तुत किया था जिसमें प्रावधान था 348.36 लाख का। मूल बजट क्या होता है ? प्रेसीडेन्ट का राज था। दिल्ली की पार्लियामेंट में कुछ पास हो गया। उस उक्त के बजट को इस नये बजट में देने की क्या आवश्यकता है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, काम इसी आधार पर हुये। पैसे का प्रावधान तो इसी बजट के आधार पर था। आमद इस बजट के आधार पर हुई और खर्चा भी इसी बजट के आधार पर हुआ और इसीलिए आप देखेंगे कि 348 करोड़ उसमें और 360 करोड़ इसमें। कुल 12 करोड़ इस में अधिक हैं और फिर 360 करोड़ पर जो कि पर्सेन्टेज आएगी शायद वह चार पर्सेन्ट से भी कम है। किन्तु शब्द प्रयोग किया गया है मूल योजना से 10.78 प्रतिशत अधिक। ब्यावर से आने वाले महानुभाव से कहा था, मुझे अधिक कुछ कहना

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

नहीं है उन्होंने बिल्कुल चतुराई से किया है। मैं बतलाना चाहता हूं आपको पेज नम्बर 23 पर, जरा पढ़ने की कोशिश करें, वित्त मंत्री जी ने लिखा है, वे कहते हैं: "35. राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए साधनों की व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है।" इसके बाद रेफरेंस देते हैं "इसके बावजूद मैं फिलहाल कोई अतिरिक्त करारोपण प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।" क्या मतलब है इस फिलहाल का? जैसा माननीय कृषि मंत्री महोदया, एक समय कह रही थी कि 31 करोड़ से कर दिया हमने 23 करोड़ और 21 करोड़। राजस्थान नहर पर दस करोड़ कम कर दिया। मैं फिर कहना चाहता हूं, 18 करोड़ की बात मैंने कही है। वर्ष पूरा होने दीजिए, फिगर सामने आने दीजिए। उन्होंने फिजीकल टार्गेट भी रिवाइज करने की चर्चा कर दी है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो शब्द प्रयोग किया है, "इसके बावजूद मैं फिलहाल कोई अतिरिक्त करारोपण नहीं कर रहा हूं।" फिलहाल नहीं कर रहा हूं, आगे करूंगा। आगे कौन-सा बजट आयेगा? वर्ष भर की दिशा देनी है इस बजट से, प्राप्ति होगी इस बजट से, खर्चा होगा इस बजट से, फिलहाल? हां, मैं कहना चाहता हूं कि वही किया जायेगा जो पिछले वर्ष किया गया। केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार ने किया था। केन्द्रीय सरकार ने पिछले बजट में कहा था कि कोई कर नहीं लगाये हैं किन्तु पैट्रोलियम प्रॉडक्ट्स पर किस परिमाण में कर बढ़ाये गये हैं। राजस्थान सरकार ने कहा था, कर नहीं बढ़ायेंगे, किन्तु बस का किराया बढ़ा दिया। मैं कहना चाहता हूं कि बिजली की दरें बढ़ायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से बसों का किराया बढ़ायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो शराब की नीति है उसको खत्म करेंगे। फिलहाल शब्द इसी बात का द्योतक है। बड़ा शब्दों का जाल करके इसको चालाकी से प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। यह धोखे से प्रदर्शित करने वाली बातें हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि यह गलत है, प्रदेश को दिशा देना, प्रदेश को राहत देना किस बात से लेना, यह कोई शब्दों का विवरण करना, इस प्रकार की बातें करना, राजस्थान प्रदेश की जनता को, राजस्थान प्रदेश की विधान सभा के लोगों को धोखे में रखने वाली बात है। इसलिए मैंने उस शब्द का प्रयोग आपके सामने करने की कोशिश की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 12 करोड़ की बढ़ोतरी है केवल किन्तु जरा विचार करो. यह आर्थिक समीक्षा है, राजस्थान सरकार ने प्रसारित की है। इसके पृष्ठ 87 पर लिखा है उन्होंने, "राज्य की मूल्य स्थिति पूरे देश व अन्य राज्य की मूल्य स्थिति से भिन्न नहीं हैं। वर्ष 1980 के थोक भाव सूचकांक में 13 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है जिसकी तुलना में राजस्थान के थोक भाव सूचकांक में जनवरी, 80 की तुलना में जनवरी, 81 की वृद्धि की दर 14.8 पर्सेंट रही है।" यह स्टेटिस्टिक डिपार्टमेंट की किताब है। 14.8 प्रतिशत? अगर इन चीजों में वृद्धि 14.8 हो गई है तो रुपये की कीमत क्या हो गई? जरा विचार करने की कोशिश करें मुख्य मन्त्री महोदय, जो 86) रुपये थे वह कीमत 86) रु. की, 85) रु. की थीं वह सौ रुपये की कीमत हो गयी है। आज के सौ रुपये की कीमत पिछले साल के 85) रुपये की कीमत के बराबर है। यह इस स्टेटेस्टिक डाकूमेंट के आधार पर है। इतनी ही बात

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगले वर्ष में क्या होगा ? इसका भी जिक्र किया गया है। केन्द्रीय सरकार ने माना है कि 13.5 इस वर्ष में और वृद्धि होगी और पालकीवाला ने तो अपना लेख लिखा है। उन्होंने कहा है कि 13.5 नहीं होगी 16 पर्सेंट और महंगाई बढ़ेगी। मैं इसकी भी चर्चा नहीं करना चाहता हूं कि इस वर्ष में क्या बढ़ेगा और इसलिए रुपये की कीमत और कितनी घटेगी। मैं इस वर्ष की महंगाई बढ़ने के कारण रुपये की कीमत घटने की बात भी नहीं करता। मैं केवल पिछले वर्ष के संदर्भ में आपको निवेदन करना चाहता हूं अगर आप देखने का कष्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि 187.67 करोड़ रुपया जो सिंचाई और विद्युत् पर लगाने की बात कही गई है और यह भी कहा गया है कि यह प्रमुख है, प्रायोरिटी है। मैं भी मानता हूं कि यह रीढ की हड्डी है। पिछली बार के परिवर्तित भाषण में 193 करोड रुपये इस बजट पर और इस बार 187.67 करोड़ रुपये। मैं उस महगाई को नहीं जोड़ रहा, 15 पर्सेंट महंगाई को समाहित नहीं कर रहा हूं और कहते हैं कि वृद्धि कर दी है हमने बिजली में और सिंचाई में। 193 करोड़ पिछले वर्ष खर्च करने की बात कर रहे हैं और इस साल कहते हैं कि 187 करोड़ करेंगे। इस वर्ष वे कहते हैं कि 187.67 करोड़ रुपये करेंगे और कहते है कि हमने इस मुख्य वस्तु पर प्रावधान बढ़ा दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया है कि पिछले स्टेटिस्टिक के आधार पर अगर 15 पर्सेंट कीमतें बढ़ी हैं, मूल्य सूचकांक बढ़े हैं उसके आधार पर अगर 187.67 करोड़ की कीमत पिछले वर्ष के संदर्भ में देखेंगे तो वह कीमत आएगी 161.4 करोड़ रुपये। पिछले साल इसमें प्रावधान था 193 का और इस बार कितना प्रावधान हो गया? मूल्य सूचकांक बढ़ने के कारण 161 करोड़ रुपया /32 करोड़ रुपया कम हो गया। किस पर कम हुआ ? सिंचाई और विद्युत् पर। कौनसा मद है यह जो प्रगति की रीढ की हड्डी है, जो राजस्थान को प्रगति के पथ पर ले जाएगी ? मैं आगे आंकड़ों के आधार पर बताने की कोशिश करूंगा कि विद्युत् और सिंचाई के साथ कुछ समय तक मेरा सीधा सम्बन्ध रहा है, कैसे झुठलाया गया है। सारे बाजार में इसलिये 161 करोड़ रुपया 193 करोड़ के संदर्भ में। आम आदमी की सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं थीं पिछले साल 54.24 करोड़ और इस बार रखी है 67.33 करोड़। इसी मूल्य सूचकांक पर विचार करें तो यह आ जायेगी 57.4 करोड़। केवल तीन करोड ज्यादा होंगी सामुदायिक और विकास योजनाओं से। कृषि और सम्बद्ध सेवायें पिछली बार थीं 55.23 करोड़ और इसी आधार पर आ जायेंगी 48 करोड़। परिवहन एवं संचार में पिछली बार था 26.60 करोड और मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवहन और संचार में रह जायेगा 23.8 करोड़। उद्योग और खनिज पर था पिछली बार 11.41 करोड और इस बार आ जायेगा 11 5 करोड। सहकारिता पर था 5.23 करोड़ वैसे मूल्य सूचकांक से 4.45 तो कम है किन्तु इसके आधार पर हो जायेगा। 3.8 करोड। अन्य दर 3.4 करोड़ थी वह अन्य दर आ जाएगी 2.8 करोड़ रुपये।

(3.10 म. प.)

(श्री तकीउद्दीन अहमद, सभापति, पदासीन)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

क्या मंत्री महोदय उत्तर देने की कोशिश करेंगे, कौन सा तर्क उन्होंने देने की कोशिश की है ? कौन सी बात उन्होंने की है ? हमने भारी भरकम छठी योजना बना ली है। पता नहीं क्या होगा चार साल तक इस भारी योजना का, किन्तु पहला ही साल राजस्थान के विकास को अवरुद्ध करने वाला साल है। राजस्थान की सिंचाई और बिजली योजनाओं को रोक देने वाला है, सामुदायिक विकास योजनाओं की प्रगति को अवरुद्ध करने वाला साल है। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं, यह आपका बजट बोल रहा है जो इस बात का द्योतक है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं आठ कालम पर कहा गया है "ग्रामीण विकास पर 511.60 करोड़ व्यय होंगे जो पिछले वर्ष से 19.51 करोड़ अधिक है।" माननीय वित्त मंत्री जी, इस महंगाई का तो विचार करते, विचार करेंगे तो कितने हो जायेंगे ? 492 करोड़ किये हैं और पिछली साल कितने थे, वे हो जायेंगे 440 करोड़। पिछली साल 492 करोड़ यानि 52 करोड़ पीछे हटेंगे हम ग्रामीण विकास में। गांवों में रहने वाला किसान, जिसके लिये किसी और बात के लिये बिजली की सब बातों के लिये 50 करोड़ का नुकसान पीछे करें और हम कहना चाहते हैं कि ऐसा बजट है जिसका सब लोग स्वागत करेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप लोगों को कुछ रियायतें देने की बात कहते हैं, भई, करारोपण तो नहीं किया मैंने। मुख्य मंत्रीजी ने कहा वित्त मंत्री जी ने कहा करारोपण की चर्चा करूंगा थोड़े समय बाद। किन्तु कुछ देने वाली बात की—तथापि रियायतें दे रहा हूं उन रियायतों में देख लीजिये। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो रियायतें दी गई हैं उनमें 5 वर्षों में कितनी प्राप्ति हुई वह कृपया सदन की मेज पर रखी जावे। पांच साल में दो लाख, चार लाख से ज्यादा नहीं आयेंगे उस पर टैक्स नहीं लगाया है। किसान जो लकड़ी लेता है उस पर कर माफ कर दिया। कब कर लगा था ? कुछ अध्ययन तो किया होता। फुरसत किसको है ? दिल्ली से फुरसत नहीं किसी को कि इस पर विचार किया जाए। कितना टैक्स लिया है पांच साल में इसको बताने की कोशिश करें। करारोपण नहीं किया हमने तथापि हम दे रहे हैं लोगों को रियायतें। माननीय वित्त मंत्री महोदय, यह बताने की कोशिश करें कि वह कौन सी बात थी कौन सा आधार था जिसके कारण इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि बजट यथास्थितिवादी, प्रगति अवरुद्ध करने वाला है, कोई प्रगति नहीं होगी। फिर बजट तो बना दीजिये, लिख तो दीजिये 31 करोड़ और फिर 21 करोड़ पढ़ लीजिये। 330 करोड़ में से 30 करोड़ हटा दीजिये। मैं आरोप लगा रहा हूं आज बजट बहस के समय, चार महीने पहले 30 करोड़ की कटौती की थी जो योजना में पहले ही कर ली थी, काम नहीं हुआ, फुरसत किसको है, कौन काम करे ? लोगों से मिलने का हमको भी मौका मिलता है। लोग क्या कहते हैं, अपनी इच्छा से जो कर लेते हैं कर लेते हैं, कोई पूछने वाला

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये शब्द हैं, ये वाक्य प्रयोग हैं जो लोग करते हैं। आप चले जाएं एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, फाइलों का पता नहीं। माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे कि मुख्य मंत्रीजी के यहां 6 महीने से फाइलें पड़ी रहीं, किसको पता है ? नुकसान होगा तो प्रदेश का होगा, किसका क्या बिगड़ता है, फाइलों के ढेर अब भी लगे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब तो लाइब्रेरियन नियुक्त कर दिया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: लाइब्रेरियन नियुक्त किया है, बहुत अच्छी बात है, छंटनी हो जायेगी। इस प्रकार की बातें, मुझे कुछ कहना नहीं है। बजट घाटा 79-80 में 25.93 करोड़, 80-81 में 53.46 करोड़ और अब घाटा पहुंच गया 95.57 करोड़ पर। एक तो केन्द्र सरकार में 1548 करोड़ का घाटा, बड़े भाई सो बड़े भाई, छोटे भाई सुभान अल्लाह, हम कैसे पीछे रहें हम भी 95 करोड़ ? क्या होगा योजना का ? मुद्रास्फीति बढ़ेगी, चीजों के भाव बढ़ेंगे। गरीब तड़फड़ायेंगे।

वितरण व्यवस्था पर ध्यान किसका है। कुछ वितरण व्यवस्था पर, बजट में कहने के लिये है ? उस दिन शिक्षा मंत्रीजी कह रहे थे और रसद मंत्रीजी कह रहे थे, आज नहीं है यहां, गेहूं तो इतना ही आ रहा है। कल अखबार में छप गया थोड़ा और बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है ? 200 के भाव, चीनी का पता नहीं। कंट्रोल दे रहे हैं, साबुन देखें, तेल देखें खाने का, लगाने का एक ही दाम हैं और वितरण आसमान को छू रहे हैं भाव और वितरण व्यवस्था....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : गेहूं की बात करते हैं, गेहूं तो आप सब खत्म कर गये।

एक माननीय सदस्य : गरीबों के पेटों में दिया था गेहूं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : और अगर मेरी आवाज वित्त मंत्री महोदय तक पहुंचे, राजस्थान के गरीब तड़फेंगे, तड़फ रहे हैं महंगाई की मार से। उसके जीवन में काम आने वाली उपभोक्ता वस्तुएं ठीक कीमत पर मिलें ठीक जगह पर मिलें, दूर जाना नहीं हो, यह नहीं कि जानकारी ही न हो, यह नहीं कि चीनी का कोटा तो आया है और अन्तर्ध्यान हो जायं, गांव में पहुंचे ही नहीं। पहले तो अभी 4-5 किलो रुपये चीनी है और महीना भर बाद 15 रुपये और 18 रुपये चीनी खरीदनी पड़े। मैं सरकार से कहना चाहता हूं 5 रुपये और 15 रुपये के 10 रुपये कहां चले गये, क्या चीनी के मिल मालिकों के पास गये, क्या दुकानदार के पास गये ? क्या उनको देने वाली व्यवस्था बनाने वाले अधिकारियों के पास गया। नीति बनाने वालों मंत्रियों के घर में गये ? यह सवाल है इसका उत्तर तो दें कि चीनी के भावों में इतना अन्तर कैसे हुआ ? तर्क लगाया जा रहा है कि गन्ने के खेत जला दिये गये। गन्ने के खेतों की चर्चा करने वाले विचार करके देखें कितना स्टाक छोड़ गये थे हम। उसका

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

60 लाख टन, 40-45 का एक साल में आवंटन होता है।

एक माननीय सदस्य: उसको जलाना पड़ा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं, वितरण व्यवस्था को ठीक किया जाए, उपभोक्ता वस्तुएं ठीक उपलब्ध कराई जायं, इसके लिये बजट में प्रावधान रखा जाय, सब्सिडी दी जाय, गरीबी की रेखा से नीचे जो व्यक्ति हैं, अन्त्योदय चला था, बड़ी घबराहट हुई इस नाम से सारे देश और विदेश में चर्चा हुई थी, छोटी पंक्ति में बैठे हुए एक वातावरण बना था देश में और अब यह 15 और 5 और 4 सूत्रों का वातावरण बना दिया और गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, यहां से हटाई और कहां बैठाई,

(व्यवधान)

कुछ लोगों से गरीबी हटी और जनता में पहुंच गई। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं, तत्कालीन मुख्य मंत्री भैरोंसिंह शेखावत को, कि ऐसी योजना सारे देश के सामने लाये और विश्व को बताई कि गरीबी की रेखा से नीचे वाले लोगों को ऊपर लाने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं,

(व्यवधान)

हिन्दुस्तान के प्लानिंग कमीशन ने इस बात की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों ने अनुकरण करने की कोशिश की। एक प्रारम्भ था, चेलेन्ज था, और अब? अब तो नाम सामुदायिक ग्रामीण विकास, उसके तहत अन्त्योदय, सर्वोदय, नामों का जाल फैला दिया कि गरीबी की रेखा से नीचे लायेंगे। यह तो ग्राम सभाओं में, प्रत्येक गांव में, चौपाल पर होती थी। कौन पांच लोग, जितने गांव थे उनमें, गरीबी की रेखा से नीचे उनको लिया जाता था, वहां प्रश्न होते थे, वहां चयन होता था। यह तो हुआ नहीं। अब तो नये-नये शब्द कर के बजट में गोल करने की कोशिश की है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस अन्त्योदय की कल्पना ने केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं गांवों के सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में उथल-पुथल मचा दी थी। मुझे याद है, जब मैं बम्बई गया था, बम्बई में प्रवासी राजस्थानियों से मिलने का मौका मिला। वे कह रहे थे, राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार का चयन करके लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की योजना बनाई है, यह बहुत अच्छी है। आज हमको राज्य सरकार बताये कि वह क्या करने जा रही है। हम गांवों में बैठे हैं। आप कोई पांच व्यक्ति चुनिये और हम भी कोई पांच व्यक्ति चुनते हैं। और हम उसको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। यह अन्त्योदय, जो राजनीति से शुरू हुआ था वह धार्मिक क्षेत्र में पहुंचा, समाज में पहुंचा। पोरवाल समाज है, उस पोरवाल समाज की एक सूची बना ली और उनमें कौन कमजोर है जिसको कि उठाने की जरूरत है उसका चयन किया गया। तो यह एक दिशा थी, ढाई वर्ष में गरीबी से ऊपर उठाने की। यह राजनैतिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, सभी स्तरों पर किया गया है। किन्तु आज? क्या परिणाम है? क्या बजट है?

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
क्या चर्चाएं हैं ? इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस बजट को सूक्ष्म रूप से देखने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने कहा, बिजली और सिंचाई, ये दो ऐसे इश्यु हैं कि सभी प्रकार की राजस्थान की प्रगति इस पर निर्भर करती है। सभापति महोदय, जरा आप इस बिजली की मद के प्रावधान को देखने की कोशिश करें। क्या आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। 19 हजार कुओं को विद्युतीकृत किया गया है और मार्च 1981 तक, यानि एक महीने में 20 हजार को विद्युतीकृत कर देंगे। आप जरा पिछले इतिहास को देखिये। रूरल इरिगेशन पावर कमीशन आफ इंडिया, नई दिल्ली की रिपोर्ट को देखें। राजस्थान की भूरि-भूरि प्रशंसा की है कि यह राजस्थान है जिसने सब से अधिक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। तीस हजार कुए और 2800 गांवों को विद्युतीकृत किया गया था, और आज कहते हैं, 1500 हो जाएंगे तो छुट्टी हो जाएगी। आप विचार करें, हमने एक दिशा दी थी कि राजस्थान में 31 मार्च 1987 तक राजस्थान का विद्युतीकरण हो जाएगा। हमारे कांग्रेस के दोस्त कह रहे थे, हमारे सदस्य महोदय कह रहे थे, हमने जनेरेशन के लिए क्या किया, तीन साल में हम ने जनरेशन पर ध्यान नहीं दिया। तीन साल में जितना ध्यान दिया जा सकता था वह हमने दिया है। मैं कोटा का रहने वाला हूं। थर्मल प्रोजेक्ट मेरे यहां पर बन रहा है। यह योजना हमारी तैयार की हुई थी और यह योजना थी कि 110 मेगावाट शक्ति का यह थर्मल प्रोजेक्ट 31 मार्च 1981 तक पूर्ण हो जायेगा और यह मार्च का महीना चल रहा है। मेरे कांग्रेस के दोस्त बतावें कि उन्होंने क्या प्रगति की है...बताने की कोशिश करें।...

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप कौन सा पूरा कर देते ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, 110 मेगावाट बिजली पैदा करने का थर्मल पावर प्रोजेक्ट 31 मार्च, 1981 तक पूरा होने का था। मैं बिजली मंत्री रहा हूं। कोई कोशिश आप नहीं करते। दौरा करते करते सवाई माधोपुर पहुंच गये और पूछने लगे, ऐसा क्या होता है, हमको समझाइये। मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि सितम्बर, 1981 तक दूसरी यूनिट तैयार हो जाने को थी किन्तु आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और बजट स्पीच में यह कहा गया है कि अगले वर्ष के अन्त तक, अगले वर्ष में होने की सम्भावना है। यह बजट है। यह ××× है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम × × × नहीं बोलते।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप ××× और नहीं बोलते हैं ?

श्री यदुनाथसिंह : और × × × के सिवाय कुछ नहीं बोलते।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि पिछले बजट में 45 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया था, इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए, पता नहीं, यह कौन से आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं, इसको रिवाइज

× × ×शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

कैसे किया? मैं बता रहा हूं, 31 जनवरी तक केवल 19 करोड़ रुपये उनको दिये गये हैं। वे अब भी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। वहां पर जिन ठेकेदारों ने काम कर लिया है उनको पेमेंट नहीं हो रहा है और वे काम छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। बी.एच.ई. एल. को सामान का आर्डर दिया गया और जो सामान का आर्डर दिया गया है वह विथड्रा कर लिया है। सरकार दिवालिया है। वह बजट में प्रावधान नहीं कर सकती है। कहने की बात है, इलेक्शन के बाद जनरेशन का हमारे सामने क्या लक्ष्य रहा है। राजस्थान सरकार का यह लक्ष्य होना था, किन्तु हालात यह है कि पहले तो घटा कर 38.5 करोड़ का प्रावधान कर दिया 45 करोड़ के बजाय और, जैसा कि मैंने कहा है, केवल 19 करोड़ रुपया मुहैया किया गया है अप्रेल 1980 से फरवरी 1981 तक। जो सामान पड़ा रहा रेलवे में, उसका 8.48 लाख रुपये-डेमरेज तो नहीं कह सकते हैं वारफेज कहते हैं, राजस्थान सरकार ने उस वारफेज को भर दिया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या करें! ठाकुर साहब दिवाला निकाल कर गये थे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बहुत अच्छा। और सुन लीजिए। डेढ़ करोड़ रुपये का माल और पड़ा है और उस पर 6.48 लाख रुपये का वारफेज और ड्यू हो गया है। इसलिए धमकी दी जा रही है, इसको हम नीलाम कर देंगे। धन्यवाद है। नहीं हैं सिंचाई मंत्री महोदय, राज्य मंत्री, कहीं चुपचाप दो, पांच, सात दिन के लिए चले गये हैं। किन्तु मैं आपके माध्यम से, मुख्य सचेतक महोदय के माध्यम से मंत्री महोदय को, वित्त मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो जनरेशन का सवाल है, इस पर विचार करें। यह महत्वपूर्ण सवाल है। उस पर विचार करें। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जुलाई 80 से 800 पोस्टें खाली पड़ी हैं, वहां थर्मल प्रोजेक्ट कोटा में, जो भरी नहीं गई हैं। तो कैसे काम होगा मजदूरों को क्या मिल रहा है? पांच रुपया प्रति दिन। शर्मनाक बात है। आज से दो वर्ष पूर्व 7 रुपया मिनिमम वेजेज तय किया गया और आज 5 रुपया दिया जा रहा है। यह क्यों चल रहा है? कौन काम करेगा, कौन आयेगा? इतना ही कहना चाहता हूं कि सूझबूझ रखिये और कुछ आगे की दूर दृष्टि रखिए। पहला यूनिट कब आयेगा? मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगले वर्ष में नहीं आयेगा। जो हालत चल रही है, जो दिशा चल रही है उसके कारण यह मार्च 1981 निकल गया है, मार्च, 82 में नहीं, हां मार्च, 1983 में इसके आने की संभावना है। यहां झूठ बोला गया है और यह बात यहीं पर साबित होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि पहली यूनिट, दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट की टेक्निकल सेक्शन हो गई है। क्या होगा टेक्नीकल सेक्शन से? जो रुपया रखा गया है, उसका कोई पता नहीं है। जैसे ही यह बनेगी, कोयला ढोने वाली जो रेलवे लाइन है वह बनेगी, तब जाकर यह काम होगा। परन्तु जो सड़क है, उसके संबंध में घोषणा की गई थी थोड़े दिन पहले, कि जयपुर से भोपाल को नेशनल हाई-वे बना दिया गया है, इससे

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

कम से कम गतिरोध होगा 8 घण्टे। इसलिये दूर दृष्टि रखिये। आपको पता है, 2,890 ट्रक प्रतिदिन इस सड़क से पार होते हैं? पिछले साल इसका प्रावधान किया गया था। परन्तु परिस्थितियां ऐसी बनी कि हमारी ऊपर की लड़ाई के कारण यह नहीं हुआ। परन्तु पिछले बजट में इस प्रकार का प्रावधान किया गया था, वहां पर ओवर ब्रिज का प्रावधान किया जा रहा है। बिजली मंत्री मेरी बात को सुन रहे हैं या नहीं, पता नहीं, वित्त मंत्री तक मेरी बात पहुंच सके, इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि ओवर ब्रिज के प्रावधान की आवश्यकता है ताकि, नेशनल हाई वे पर इतना हैवी ट्रैफिक है, उसमें कोई गतिरोध पैदा न हो।

इतना ही नहीं, सारे मरुस्थल क्षेत्र से आने वाले माननीय विधायकों से मैं यह पूछना चाहता हूं कि पलाना का क्या हुआ। बड़ी चर्चा की थी पलाना अन्तर्ध्यान जैसे मुख्य मंत्री अन्तर्ध्यान। नहीं है पलाना। छठी पंचवर्षीय योजना में भी नहीं है। कुछ अपने ही स्रोत से जुटाओ तो जुटाओ। वरना मैं जानता हूं, जोधपुर और मरुस्थलीय इलाके सफर करते रहेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रीसिटी कोटा में, थर्मल पावर कोटा में, एटोमिक बिजली कोटा में है परन्तु जो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के इलाके हैं वे पलाना से ही बिजली प्राप्त कर सकते हैं। पलाना पावर प्रोजेक्ट का प्रावधान होना अत्यन्त ही आवश्यक है। इसलिए पलाना के लिए बजट में प्रावधान करें। मैं जानता हूं, मेरी बात सुनकर जोधपुर और रेगिस्तानी इलाके के सारे सदस्य प्रसन्न होंगे। वे इस बात की चर्चा करे और वित्त मंत्री पर दबाव डालें कि किसी न किसी प्रकार सरकार पलाना पावर प्रोजेक्ट का निर्माण करे। आज माही प्रोजेक्ट सफर कर रहा है। वहां की इलेक्ट्रिसिटी और सिंचाई के बारे में बाद में बात करूंगा। यह अत्यन्त आवश्यक है और इस पर प्रावधान करेंगे। प्रावधान की जरूरत है। बिजली के जनरेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कि मैंने इस बजट को अकल्याणकारी क्यों कहा है। कौनसा कल्याण कर रहे हैं इस भाषण में स्वयं वित्त मंत्री महोदय ने कहा है, शिक्षा के विकास में सभी लोग भागीदार होंगे। कौनसी शिक्षा दे रहे हैं? 400 प्राइमरी स्कूल खोलेंगे। क्या भीख बांट रहे है? हिन्दुस्तान का एक एक प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और आप क्या शिक्षा का क्षेत्र बढ़ा रहे हैं? पिछले साल 800 स्कूल खोले गये और अब की बार केवल 400 प्राइमरी स्कूल और फिर 200 स्कूल रह जायेंगे और भगवान न करे कि राजस्थान की दुर्दशा आवे। 800 से 400 और 400 से 200 और 200 से शून्य। यह कौनसा विकास है? कौनसी दिशा है? मिडिल स्कूल 100। कौनसी स्थिति है यह, कौनसा विकास है? मिडिल स्कूल 100, सेकण्डरी स्कूल 60, रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य-देखा। मैं रतनगढ़ गया था, वहां के छात्र कह रहे थे, मुख्य मंत्री जी पर दबाव डालकर यह मनवा दिया कि रतनगढ़ में कालेज होगा। कहां है रतनगढ़ का कालेज?

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

न रतनगढ़ में है। न कुचामन में है। सात कालेज तय किये थे, कहां हैं ? कहा गया कि हमने पैसा बढ़ा दिया है। थोड़ा सा पैसा बढ़ा दिया है, इतना पैसा तो बढ़ेगा ही महंगाई के कारण। केवल थोड़ा सा पैसा बढ़ाने से ही विकास कर लेंगे। आज उच्च शिक्षा की सारे देश में अत्यन्त आवश्यकता है। प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता है। 6 साल के बच्चे स्कूलों में पढ़ने जावें, यह आवश्यक है। उनको अनौपचारिक शिक्षा नहीं दे सके। शिक्षा शास्त्री कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा आवश्यक है। इसका भी प्रावधान नहीं है। बच्चों के बैठने के लिए टाट पट्टियां नहीं हैं, बैठने के साधन नहीं हैं। सेक्शन बढ़ा दिये। सेक्शन तो बढ़ाने पडेंगे, क्योंकि पापुलेशन बढ़ रही है। कहा यह गया कि शिक्षा की प्रगति हो रही है। यह शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात है ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा। शिक्षा के लिए आगे आने वाले 5 सालों में फेज्ड प्रोग्राम बनाये जायं, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा को जोड़ा जाय, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जाय। नये शिक्षा मंत्री जी जरूर आए हैं, शायद उन्होंने बजट देखा या नहीं, बजट पढ़ा नहीं हो। वे कहां विचार कर सकते हैं ? पुराने शिक्षा मंत्री जी को तो फुरसत नहीं थी तबादलों से। अब नये शिक्षा मंत्री जी आए हैं।

एक माननीय सदस्य : फुरसत आपको भी नहीं थी, जब आप शिक्षा मंत्री जी थे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं-छात्राओं की शिक्षा के सम्बन्ध में कि लड़कियों की शिक्षा का राजस्थान में केवल मात्र 18 प्रतिशत है। मिडिल स्कूल में जाते जाते यह 9 प्रतिशत रह जाता है। क्या होगा हमारी बहू-बेटियों का ? कांग्रेस तो चाहती है कि लोग अशिक्षित बने रहें, लोग गरीब बने रहें, ताकि बिजली का खम्भा बताकर, नल की टूंटी दिखाकर, सड़क बनाकर उनको भुलावे में रखकर चुनाव जीत सकें और राज कर सकें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तीस साल में सारे काम आपने ही किये होंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: मैं, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा का यह हाल है, देख लीजिये, पिछले साल की तुलना में। यही हाल डिस्पेन्सरियों का है। खोली गई तो कहां खोली गई, भरतपुर जिले में और उससे ज्यादा वैर में।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पिछड़ा क्षेत्र है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: मुख्य मन्त्री जी, किसी ने कहा, आप तो केवल वैर के नहीं हैं, आप केवल भरतपुर के नहीं है, आप तो सारे राजस्थान के हैं। फिर यह क्या हो रहा है ? वैर से मतलब वैर नहीं है। किससे वैर हुआ है ? कौन-कौन मन्त्री बनाये गये, किस-किस से सहानुभूति है और किसके साथ वैर है किसके साथ वैर का बर्ताव किया ? फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य बहुत गौर से देख रहे हैं मेरी तरफ। क्यू में बहुत लम्बी लाइन लगी हुई है। आखिर इस प्रकार का अकल्याणकारी राज्य, न स्कूल, न मेडिकल फैसेलिटीज, न किसी प्रकार की राहत देने की

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
बात, दैनिक व्यवस्या में व्यतिक्रम खड़ा हो गया

श्री खेतसिंह राठौड़ : जल्दी करो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। सूखा संभावित कार्यक्रम–सूखा संभावित कार्यक्रम मरुस्थलीय इलाके के लिए है, इसके लिए योजना बनाई वह भी देख लीजिये। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 80–81 में प्रावधान क्या है और जो प्रस्तावित किया है कृषि में 151.70 करोड़, भू-जल 170 करोड़ था, खर्च कितना हुआ दिसम्बर तक 35.55 करोड़, क्या पर्सेंटेज है विकास की, सिंचाई में प्रावधान था 189 करोड़ का और खर्च हुआ 89 करोड़, डेयरी विकास में 54.70 करोड़ में से 18.46 करोड़ खर्च हुए। मैंने पिछले वर्ष राजस्थान कैनाल के आंकड़े भी बताये थे दिसम्बर तक के। आपके डाकूमेन्ट के आधार पर है। जनवरी में बढ़ाकर बता दिये क्या, कमाल हो गया इतनी जल्दी ? यह डाकूमेन्ट है, मरू विकास के नाम पर पैसा खर्च किया गया है, ऐसी कोशिश की गई। इस सारी परिस्थिति के कारण, जैसा कि मैंने पहले भी कहा स्वायत्त शासन का परिपत्र भी मुझे देखने का मौका मिला। मैंने चर्चा की, मेडिकल की, डिस्पेन्सरीज की, स्कूलों की, सिंचाई की किस प्रकार से भेदभाव बरता गया। ऋण दिया गया, वह नारा बुलन्द किया गया। किसको दिया है ऋण, नगरपालिकाओं को ? नगरपालिका बैर को 96 हजार रुपये और नगरपालिका भुसावर को 1 लाख 22 हजार–इति श्री। दो ऋण दिये, दो नगरपालिकाओं को। कौनसी नगरपालिकायें हैं, ये कहां बसती हैं, कहां रहती हैं ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : आप क्यों परेशान हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : परेशानी कुछ भी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : लोक सभा का चुनाव आ रहा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस तरह का भेदभाव किया गया। मैं कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता। एक ही बात कहना चाहता हूं कि सारा बजट जो है गतिशून्यता का है और विकास को अवरुद्ध करने वाला है। दिशाहीन, अवरुद्ध करने वाला, अकल्याणकारी, वेलफेयर स्टेट के नाते जो आवश्यकता है, उससे दूर रखकर पक्षपात के आधार पर। पिछले वर्ष एक काल वर्ष है, पिछले वर्ष के विकास को डुबोने वाला बजट है। पिछले वर्ष का बजट एक धोखा था, उसमें से तीस करोड़ की कटौती चार वर्ष पहले कर ली, उसी प्रकार से यह बजट होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री बुलाकीदास।

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्द झामलिया।

(अनुपस्थित)

श्री रेवतराम।

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्दसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में भी राजस्थान सरकार ने कोई कर नहीं लगाये और इस वर्ष भी जो बजट पेश किया है उसमें इस महंगाई को देखते हुए सरकार ने कोई कर नहीं लगाये इसलिये यह बजट आम गरीब आदमी के हित में कहा जा सकता है और काफी समझ का बजट है। बजट भाषण में मुख्य मन्त्री जी ने विशेष तौर से राजस्थानी इलाके में आम लोगों और अकाल से पीड़ित लोगों को रोजगार मिले इसका जिक्र किया है। बाड़मेर और नागौर जिले के अन्दर जो कोयले की खानें हैं वह रोजगार के लिए राजस्थान के लोगों का एक बहुत बड़ा जरिया है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आपकी मार्फत आकर्षित करना चाहूंगा कि बाड़मेर, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का हर साल एक सिरदर्द बना रहता है। किसी का कसूर नहीं है, कुदरत से वह इलाका ऐसा बना हुआ है। पाकिस्तान बनने से पहले उस इलाके में तो लोग हमेशा, आज जो सिंध पाकिस्तान के अन्दर है वहां रोजगार हासिल करते थे। जब पाकिस्तान बना तो बाड़मेर, जैसलमेर जिले के लिए खाने और पीने के लिए भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। आज भी राजस्थान में काफी दिनों से अकाल है। इस बात से हम इन्कार नहीं कर सकते अकाल मंत्री महोदय ने हमारे जिले में ज्यादा मजदूर लगाये हैं उसके लिए भी हम उनके शुक्रगुजार हैं। मगर हमारी हालत जो है वह काफी खराब है। खराबी का कारण यह है कि दूसरे हर जिले में कहीं उद्योग हैं, कई प्रकार के कारखाने हैं, कहीं दो फसली एरियाज हैं, पर, कम से कम जहां लोगों को मजदूरी पर लगाया जाता है उस जगह पीने के पानी का इतना बड़ा जुल्म नहीं होना चाहिये। हमारे यहां हमें यह भी डर पैदा हो रहा है, अकाल मंत्री महोदय 30–30 किलो मीटर की सड़कें मंजूर करके 4–4 हजार मजदूर वहां लगा चुके हैं, और लगाये जा सकते हैं, इसमें तो हम विश्वास करते हैं, मगर अभी जो गर्मी आ रही है उससे यह भय पैदा हो सकता है कि वहां मजदूर काम नहीं कर सकते क्योंकि बरसात का भी पानी सूख गया है, कुओं में पानी नहीं है, ट्यूबवैल्स ज्यादा संख्या में नजदीक नहीं हैं, ट्रक धोरों में फंस जायेंगे, मजदूरों में उस कारण से कोलेरा की बीमारी फैल सकती है। इसलिए उस इलाके में तुरन्त इन्तजाम करने के लिए राज्य सरकार मजदूरी की रेट बढ़ाकर मजदूरों की संख्या कम करे। 5 सदस्यों के परिवार में एक मजदूर 5 रुपये पर रखा जाता है आजकल के जमाने की रेट के अनुसार बहुत कम है। उन जिलों का भविष्य सुधारने के लिए बाड़मेर तहसील के कपोदरी गांव में, शिव तहसील के दूमिन, जैसलमेर तहसील के तेवना गांव, बाड़मेर तहसील के गागरिया गांव में जिप्सम अनाप शनाप निकल रहा है और कोयले निकल रहे हैं मगर वहां मशीन नहीं है। अगर गागरिया गांव में, जहां से हजारों मील दूर रेल से जिप्सम बाहर भेजा जाता है, अगर इतना पैसा खर्च करके उद्योग विभाग कोई कारखाना वहां लगा दे तो हजारों मजदूरों को वहां बसाया जा सकता है। राज्य सरकार बार-बार इस अकाल से बदनाम न हो। तो, मेरा सुझाव है कि बड़े कीमती जिप्सम, कोयले

(श्री अमीन खां)

और रॉक फास्फेट के भण्डार वहां हैं। राज्य सरकार का जितना ताल्लुक है, वह राज्य सरकार और भारत से कराना चाहे, वह भारत सरकार से भी कराकर इस प्रकार के लिए कुछ स्थाई इन्तजाम होना चाहिये।

रहा सवाल अब शिक्षा के बारे में। शिक्षा मंत्री को ऐसा करना चाहिए कि किसी एरिया में 20 पर्सेंट भी अनपढ़ हैं, और कोई एरिया ऐसा है जहां 80 प्रतिशत अनपढ़ हैं तो यह स्कूलों का जो बंटवारा किया है वह इस प्रकार करें कि जहां ज्यादा अशिक्षित लोग हैं वहां ज्यादा खोले जायें। उन एरियाज में प्राइमरी स्कूल ज्यादा खोले जायं।

दूसरे नम्बर में, मैं अकाल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इस समय भी हमारे जिले में ट्रकों द्वारा पानी भेजा गया है। पिछले वर्ष भी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये बाड़मेर तहसील में पानी पर खर्च किए हैं और खर्च होते जा रहे हैं, और वही काम जिन पर हर साल लाखों रुपये खर्च करते हैं उसके लिए मेरा निवेदन है कि अगर प्लान के अंदर पैसा नहीं आ सकता है तो अकाल के तहत ऐसे गांवों की स्कीम मंजूर करें ताकि हर साल लाखों रुपये जो सरकार बर्बाद कर रही है और लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है इससे बचाया जा सके। यह कदम सख्ती से उठाया जाना चाहिये। लाखों करोड़ों रुपये बर्बाद होने के बाद भी दुनियां कहती है कि सरकार कुछ भी इंतजाम जनता के लिए नहीं कर रही हैं हालांकि पैसा अनाप-शनाप खर्च हो रहा है।

इसके अलावा हमारी अर्ज है कि पीने के पानी की स्कीम्स जो बनाई जाती हैं उनमें प्राथमिकता उन गांवों को दी जाय जहां 20-20 मील इन्सान को पीने के पानी के लिए बाहर जाना पड़ता है। गांव की बस्तियों को खाली करके जाना पड़ता है, मजबूरन से। ऐसा भी किया जाय कि ज्यादा गांवों की संख्या या ज्यादा पापूलेशन को जोड़कर जिस गांव में पानी की समस्या भी नहीं है तो भी कई 10 हजार की आबादी के गांव हैं वहां ट्यूबवैल्स खुदवाकर पाइप लगवाकर इंतजाम किया जाय तो वह इतना सरकार का गरीबों पर रहम करने का नहीं दीखेगा। हमारे बाड़मेर जिले में कई स्कीम्स बहुत लंबी-लंबी बनी हैं जैसे एंड्र से मोमबिया, भिडिया, बड़ी बड़ी स्कीम्स बनी हैं। इन स्कीमों से लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली, जहां लोग यकीन ही नहीं करते थे कि इन धोरों में कोई पानी पिला सकता है। जब शुरू में सर्वे करते थे लोग मजाक करते थे कि सरकार यूं ही कर रही है, इन धोरों से कोई 40-40 से मील पानी आता है? मगर आज पानी आ रहा है, वहां एहसास है। मेरे ही क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं सजनकापार, लधे का पार, जसीधर रेल्वे स्टेशन इन गांवों में लोग आज भी 20 मील से पानी लाते हैं, लोग गांव खाली करके चले गए हैं पीने के पानी के कारण। इसके अलावा हमारा क्षेत्र वह है जहां भारत-पाक की रेगिस्तानी सीमा है। उस एरिया में ज्यादा से ज्यादा पानी की व्यवस्था करना, हमारे हित में, देश के हित में है। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहां पानी का इन्तजाम करना जरूरी है उसके लिए चाहे राज्य सरकार अपनी अलग से व्यवस्था करे, चाहे भारत

(श्री ग्रमीन खां)

सरकार से निवेदन करें और किया जाना भी जरूरी है। क्योंकि वहां बॉर्डर एरिया है, वहां मिलिट्री भी हमेशा रहती है, मैंने खुद देखा है, मेरे क्षेत्र में बॉर्डर के अन्दर कई बी. एस. एफ. के सिपाहियों को पखाल लेकर घूमते हुए। कम से कम उस एरिया में पानी का इन्तजाम देश के हित को ध्यान में रखकर विशेष तौर से करना चाहिये। ऐसा नहीं कि कुछ क्षेत्र में हो गया। कुछ क्षेत्र में जितना हिस्सा है, हम तो उस क्षेत्र में हैं जो सारे देश के बचाव की जगह है। ऐसे स्थान पर सरकार को स्पष्ट रूप से रोजगार, पीने के पानी और सड़कों का इन्तजाम करना चाहिये।

अभी बजट में मुख्य मंत्री ने, मैं तारीफ करूंगा, इतनी बड़ी महंगाई के जमाने में भी राजस्थान में कर नहीं लगाया। यह उनकी बहुत बड़ी समझदारी है चाहे उसकी लोग कितनी ही निन्दा करें। अब हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि बजट में पीने के पानी के लिए और प्रावधान किया जाये चाहे उसके लिए किसी भी चीज पर कर लगाना चाहें लगा दें। मेरे विचार से, मैं उसूलन मुसलमान हूं, फिर भी मैं कहता हूं कि मजाकी तौर पर शराब बन्दी है, यह गलत है, इसको खुला कर देना चाहिए और इस पर चौगुना टैक्स, पहले से जैसा लगाया था, वह लेकर इस शराब के पैसों से जहां पीने का पानी नहीं मिलता है उनके पानी की व्यवस्था करें। आज हम गांवों में जाते हैं, हमारे सामने सिपाही दारू पिया हुआ, थानेदार दारू पिया हुआ, एक्साइज वाला दारू पिया हुआ मिलता है। हमसे पूछते हैं कि एम. एल. ए. इधर आओ, यह तुम्हारी सरकार का नियम है, यह नशाबन्दी का बन्दोबस्त है, उससे हम इज्जत में रहना चाहते हैं। अगर घर-घर ठेका है उसको ठेकेदार पकड़वाकर बन्द करेगा और आम आमदनी गवर्नमेंट की नहीं मारी जायेगी। कम से कम हम लोगों के सामने नीचा नहीं दिखेंगे कि कानूनी छूट है। जैसे मृत्यु भोज कानून से बन्द कर दिया। हमने देखा है अखरोटी पटवारी और थानेदार को 2-4 हजार, बुराई तो सामाजिक प्रचार से बन्द होगी कानून से बुराई बन्द नहीं होगी। हम बॉर्डर के इलाके में रहने वाले हैं। कानून में पाकिस्तान आना-जाना गुनाह है, स्मगलिंग करना गुनाह है मगर जो लोग धन्धा खुले आम करते हैं उनको कौन मना करता है। जब तक इन्सान राष्ट्रीयता पर नहीं आता है, पैसा खाता है, उसको अभी तक कोई बन्द नहीं कर सका न होगा इसलिये सरकार को यह चाहिये कि बड़ी आमदनी को पैदा करे। सरकार से हम लोग कहते हैं कि हमें कालेज नहीं चाहिये बिजली नहीं चाहिए, सैकन्डरी स्कूल नहीं चाहिए लेकिन हमारी औरतें सिर पर घड़ा उठाकर 20-20 मील ले जाती हैं उसका पहले इन्तजाम करें। हम तो कहेंगे कि ऐसी सरकार कभी नहीं चाहिए जो पानी का इन्तजाम नहीं कर सकती।

सभापति महोदय, अकाल के लिए भी मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, आज हमारे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा अकाल पड़ा हुआ है। आज हमारे राजस्थान के 26 जिले हैं उन 26 जिलों के चाहे आप कलेक्टर को पूछ लें, चाहे आप उद्योगपतियों को पूछ लें या कारखानों में जाकर देख लें, आप देखेंगे कि हमारे बाड़मेर जिले के इन कारखानों में और

(श्री अमीन खां)

इन जिलों में 50-100 और कहीं-कहीं पर आप को 500 लोग भी मजदूरी करते मिल जावेंगे। आज यहां पर सदन में सभी माननीय सदस्य अकाल अकाल का नारा देते हैं सभी कह रहे हैं अकाल सभी जगह पर है पर, मैं समझता हूं कि बाड़मेर और जैसलमेर को छोड़कर बाकी जगहों में तो राजनैतिक अकाल ही होगा। आज बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में भयंकर अकाल है। लोग 50-50 और 60-60 किलोमीटर दूर तक अकाल के कारण मजदूरी करने जाते हैं, दूसरे जिलों में आपको यह स्थिति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार बाड़मेर और जैसलमेर जिलों की ओर विशेष रूप से ध्यान दें। इसके साथ साथ मैं राज्य सरकार को एक सुझाव और भी देना चाहता हूं कि सरकार को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए बिना संकोच किये शराबबन्दी खोल देनी चाहिए। चाहे एकाध लीडर अगर मर जायेगा तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं लेकिन करोड़ों रुपये शराब बन्दी खोलने से राज्य सरकार को मिल जायेंगे जिससे कि कई लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

आज का युग प्रजातन्त्र का युग है और प्रजातन्त्र में सबसे ज्यादा अच्छी बात वह होती है जिससे ज्यादा लोग सुखी हों, वही कानून अच्छा होता है इसलिए ज्यादा इन्साफ हो उसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप सरकार की करोड़ों की आमदनी को मत मारो।

इसके अलावा यहां पर मेरे दूसरे भाई, सदस्यों ने यह जो कहा है कि फेमिन राजस्थान के हर जिले में है तो मैं उन सभी विधायकों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वह अपने छाती पर हाथ रख कर देखें कि उनके डिस्ट्रिक्ट से फेमिन के कारण कितने लोग दूसरे जिलों में मजदूरी करने के लिए गये। नहीं तो मैं ईमान से यह कह सकता हूं कि हमारे यहां बहुत से लोग अपना गांव छोड़कर मजदूरी करने चले गये। कौन ऐसा होगा जो कि अपना गांव छोड़कर जायेगा। इसलिये मेरा राजस्थान सरकार को सुझाव है कि राज्य सरकार पीने के पानी के लिये व्यवस्था करें।

जहां तक सवाल फेमिन की व्यवस्था का है सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कि लोगों को तकलीफ नहीं हो, मजदूरी मिले। इसके लिये एक मेरा सुझाव यह है कि हमारे यहां रॉक फास्फेट के भण्डार मिले हैं और सरकार ने इस बजट में बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में इन भण्डारों के लिये धनराशि रखी थी। लेकिन मेरा मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन है कि इस राशि को अधिक बढ़ावें। मुख्य मंत्री जी अभी राजस्थान के उन इलाकों का दौरा करके भी आये हैं और प्रधान मन्त्री जी खुद भी वहां गयी थीं। मुझे विश्वास है कि वहां की जनता को रोजगार दिलाने के लिये कुछ न कुछ बजट में और अधिक व्यवस्था करेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा बाड़मेर जिले में गागरिया स्टेशन के पास रॉक फास्फेट का कारखाना लगाया जाय। बाड़मेर तहसील के तीन गांव, शिव तहसील के भीमानी गांव और जैसलमेर तहसील का तेजमालका में। जहां पर कि रॉक फास्फेट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, कारखाना खोला जाय। इसके अलावा बाड़मेर जिले के कपूरदी में कोयला का भण्डार मिला है वहां पर चार पांच कारखाने लगायें, आपको मजदूर भी बहुत मिल जायेंगे तथा साथ में राजकीय आय भी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा तथा फेमिन वर्क्स में राहत मिलेगी। इसलिये मुझे पूरा विश्वास है, मुख्य

(श्री अमीन खां)
मन्त्री जी मेरे दिये हुए सुझाव पर अपने मंत्रिमण्डल में निर्णय लेकर और अधिक बजट बढ़ा कर जो व्यवस्था वहां की गयी है उससे और अधिक करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री चतुर्भुज।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं बजट का स्वागत करता हूं इस बजट में जो बिशलपुर परियोजना को अंकित नहीं किया गया है उसके लिये मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो योजना सन् 60 के पहले सर्वे हो चुकी थी, उसके सर्वे के लिये राज्य सरकार ने एक करोड़ रुपया खर्च कर दिया था, इतना सारा काम पूर्ण होने के बाद भी वह योजना लागू नहीं की गयी। आज इस प्रकार उस योजना को लागू नहीं करके हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है, अगर राजस्थान सरकार उस विशलपुर योजना को हाथ में लेती तो वाटर की समस्या हल होती और उसके साथ-साथ सिंचाई की भी व्यवस्था हमारे यहां होती। सवाई माधोपुर और टौंक डिस्ट्रिक्ट में विशलपुर योजना के चालू नहीं होने के कारण सिंचाई की बहुत ही भारी समस्या बनी हुई है। आज इससे लाखों किसानों में असन्तोष है। जहां इस योजना को चालू करने से एक ओर सरकार को करोड़ों टन अनाज मिलता वहां दूसरी ओर जनता को भी राहत मिलती। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे समझ में नहीं आता कि सरकार ने यह क्यों नहीं ली।

इसके साथ मैं, सभापति महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो जलदाय योजना हमारे गांव से निकलती है उस से अजमेर, नसीराबाद, केकड़ी को पानी दिया जा रहा है। हमारे यहां पर खास तौर से नेगड़िया गांव, जिसके अन्दर से यह जलदाय योजना जाती है, में और उसके आस-पास के गांवों के कुओं में पानी की सतह 250 फीट नीचे चली गयी है। पीने के पानी की वहां पर पूरी समस्या हो गयी है, जहां राज्य सरकार ने आठ लाख लोगों को पीने के लिये पानी दिया वहां राज्य सरकार ने हमारे यहां के चार हजार लोगों को पानी से महरूम कर रखा है, यह बहुत ही अवांछनीय है और इस प्रकार सरकार वहां के लोगों के साथ न्याय नहीं कर रही है। इसलिये मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि हमारे पास के नेगड़िया, देवपुरा, इन्द्रपुरा, डाबर कलां और दलवासा आदि के गांवों में जो पानी की भयानक समस्या है उसको सुधारा जाय। अगर, सभापति महोदय, इसको समय रहते नहीं सुधारा गया तो मैं चेतावनी के रूप में राज्य सरकार को कह देना चाहता हूं कि वहां के स्थानीय लोग मजबूर होकर आन्दोलन का रास्ता अपनायेंगे। आखिर वहां के लोग इस अन्याय को कहां तक बर्दाश्त करेंगे? इसलिये, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के गांवों के पशु मवेशी मरे नहीं और जनता को पीने का पानी मिल सके इसके लिये विशलपुर योजना को राज्य सरकार तुरन्त हाथ में ले। इसके बाद मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि हमारे यहां पर पानी का अपार भण्डार है। उस पानी को आप नसीराबाद, अजमेर, केकड़ी को दे रहे हैं तथा वहां पर आपने कुओं के लिये बिजली देने का कोई

(श्री चतुर्भुज)

प्रावधान नहीं किया है सिर्फ 6 गांवों का ही विद्युतीकरण हुआ है बाकी सभी गांव बिना बिजली के हैं, इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर अधिक से अधिक विद्युतीकरण कराया जाय जिससे कि वहां का विकास अधिक हो सके।

सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा पर्यटन के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, हमारे वहां पर पर्यटन की दृष्टि से काफी विकास हो सकता है क्योंकि हमारे वहां पर विशलदेव का मन्दिर बहुत ही प्राचीन कलाकृति का है, वहां राजमहल नौचौकियां, तथा श्यामसिंह दह तथा हाडी रानी का कुण्ड और रायसिंह जी का महल तथा महावीर जी की परिक्रमा आदि बहुत प्राचीन स्थान हैं जो कि पर्यटन के लिहाज से बहुत ही अच्छे हैं। अतः मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि टोड़ा-रायसिंह को पर्यटन स्थान घोषित कराया जाय क्योंकि यहां पर जैसे स्थान हैं ऐसे प्राचीन स्थान आपको देखने को नहीं मिल सकते हैं। अगर आप वहां पर्यटन का स्थान घोषित करेंगे तो लोगों को काफी काम भी मिलेगा तथा वहां का विकास भी होगा।

बस यही कहते हुए मैं बजट का स्वागत करता हूं और आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री रामधन।

(अनुपस्थित)

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, मेरा नाम आया था लेकिन मैं मीटिंग में गया हुआ था।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो बाद में आयेगा। आज की लिस्ट में कोई नहीं बचे तो ठीक है।

श्री सभापति : आज की लिस्ट में जो एबसेन्टीज हैं और जो आ गये उनको चान्स देना है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने नाम पुकारा और वह अनुपस्थित हो गए तो उनका चान्स गया।

श्री सभापति : According to the time given to the party.

(व्यवधान)

श्री रेवतराम चौधरी : सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो 1981-82 का बजट पेश किया है वह बहुत ही सराहनीय है। ऐसी परिस्थितियों में जबकि महंगाई हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में है, इन सब हालात को देखते हुए जो बजट पेश किया है उसकी सराहना किये बिना नहीं रहा जा सकता। विपक्ष के लोग चाहे कैसे ही नाचें कूदें लेकिन इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि वास्तविकता जो है वह यही है। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा मेरे जो जंचेगी वह बोलूंगा इसलिये यह बजट बहुत ही तारीफ के काबिल हैं और मैं हार्दिक रूप से इसका स्वागत करता हूं।

अब मैं मेरे क्षेत्र और जिले की जो समस्यायें हैं उनकी ओर मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा जो चूरू जिला है वह लगातार अकाल से

(श्री रेवतराम चौधरी)

ग्रसित रहता है। हर तीन काल पड़ने के बाद में बड़ी मुश्किल से एक जमाना कभी-कभी सही होता है। अकाल के अन्दर करोड़ों रुपया इस जिले पर खर्च किया जाता है लेकिन इसका स्थाई हल आज तक नहीं निकला। इसका एकमात्र कारण यही है कि इस जिले में नहर की बड़ी जरूरत है। इस जिले को जब तक नहर से नहीं जोड़ेंगे तब तक जिले में जो भी अकाल पड़ेगा उसको रोक नहीं सकते। रेतीला क्षेत्र है। शाम को रेत कहीं है तो सवेरे कहीं आ जाती है। इसकी रोकथाम के लिये नहर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। राजस्थान कैनाल हमारे जिले के बहुत ही पास से जा रही है गंगानगर और बीकानेर होकर जा रही है, उस नहर से भी हमको सिंचाई का पानी दिया जा सकता है। इसके अलावा जो जवाहर नगर हरियाणा में है उससे भी जोड़ा जा सकता है। यह सब व्यवस्था करने के लिए मैंने पिछले बजट के समय भी सुझाव रखा था और मैं इस बार भी निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर ध्यान दे करके हमारे चूरू जिले को नहर से जरूर जोड़ा जाय। राजस्थान नहर से या जवाहर नगर से भी जोड़ा जा सकता है। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इस पर जरूर विचार करें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, नो रनिंग कमेन्ट्री प्लीज।

श्री रेवतराम चौधरी : मेरा जो डूंगरगढ़ क्षेत्र है वहां सड़कों की बहुत कमी है। उसमें एक महत्वपूर्ण सड़क है यह सड़क डूंगरगढ़ से कालू है जो कि लूणकरणसर रोड पर है उसका एक भाग बीकानेर जिले में आता है वह भाग पूर्णतया तैयार हो गया है उसमें 17-18 किलोमीटर का भाग है वह चूरू जिले में आता है वह अभी तक बनना बाकी है। उसको 1981-82 के बजट में बना दिया जाय तो गंगानगर से जयपुर की जो दूरी है वह 70 किलोमीटर तक कम हो सकती है तथा हमारा गंगानगर से सीधा सम्पर्क हो सकता है। इससे पैट्रोल और डीजल आदि की राष्ट्र स्तर पर क्षति हो रही है उसकी भी बचत हो सकती है। यह सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी महत्ता का ध्यान रखते हुए इसी बजट में चालू करावें। इसी प्रकार एक और सड़क सेरूना से कातर होकर जाती है वह भी 30 किलोमीटर का टुकड़ा है अगर यह भी बना दी जाती है तो हमारा नागौर से सीधा सम्पर्क हो जाता है और गंगानगर का भी नागौर से सीधा संपर्क हो जाता है। यह सड़क बहुत जरूरी है इसलिये मैं हमारे मंत्री जी का ध्यान इस सड़क की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : कौन से मंत्री का?

श्री रेवतराम चौधरी : पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री का।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह हैं कहां ?

श्री रेवतराम चौधरी : और मंत्री तो बैठे हैं।

एक खास बात यह है कि पलाना बिजलीघर बनाने का इस बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसलिये मैं हमारे मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस बात पर जरूर आकर्षित करूंगा। उससे हमारे बीकानेर डिवीज़न के कई जिले हैं वही नहीं

(श्री रेवतराम चौधरी)

बल्कि जयपुर डिवीजन तक बिजली सप्लाई होने की गुंजाइश है। पलाना थर्मल पावर हाउस का इस बजट में जिक्र नहीं किया गया है वह बहुत जरूरी है। माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय इस बिजली घर को किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी चालू करवायें ताकि बिजली की जो दिक्कत आज प्रति दिन आ रही है उस समस्या से निपटा जा सके। यह एक खास और महत्वपूर्ण प्रश्न है।

जलदाय योजना जो हमारे यहां है उसमें बहुत सी कमियां हैं। उन कमियों को दूर करना बहुत जरूरी है। एक गांव से दूसरे गांव को जो पानी दिया गया है और एक ही योजना में चार पांच गांव लिये जाने की वजह से एक गांव से दूसरे गांव में जो पानी जाता है वह नहीं पहुंच पाता है इसलिए या तो उन गांवों के अन्दर नये सिरे से नयी योजना बनाई जाय या जहां से पानी दिया जाता है वहां से डाइरेक्ट हर गांव को पानी दे दिया जाय ताकि बीच के गांव वाले नहीं रोक सकें। 1971 की जन-संख्या के आधार पर यह जलदाय योजना बनाई गई थी और इसमें पशुओं की संख्या को नहीं जोड़ा गया था। अब 1981 आ जाने की वजह से जनसंख्या भी बढ़ गई है और पशु भी बढ़ गये हैं इसलिए यह तकलीफ आ रही है। इसलिए इसमें सुधार किया जाना बहुत ही जरूरी है। आगे जो भी स्कीम बने, वह नई जनसंख्या के आधार पर बने, ऐसा मेरा सुझाव है।

फसल बीमा योजना के बारे में मेरा सुझाव है कि इस साल चालू कर दिया जावे। खास बात जो हमारी प्रधान मंत्री जी ने किसान रैली में कही है और मुख्य मंत्री जी ने भी जिक्र किया है कि फसल की बीमा योजना लागू कर रहे हैं। फसल बीमा योजना बहुत ही जरूरी है इस पर ध्यान बहुत पहले कर लिया जाना चाहिए था। किसान बहुत मेहनत करके इधर उधर से जुगाड़ करके अपने खेत बोता है लेकिन लास्ट में उसका रिजल्ट सही नहीं निकलता। उसके खर्चे का कुछ हिसाब फसल बीमा के द्वारा हो। कम से कम उसका खर्चा हो वह उसके घर से नहीं लगे इस प्रकार की व्यवस्था करें। फसल बीमा योजना से लाभ मिल जाय यह बहुत जरूरी है। क्योंकि हर क्षेत्र में व्यापारी, अपनी दुकान में चाहे 10 हजार का माल रखता है, लेकिन उसका बीमा रखता है किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो बीमा से ज्यादा पैसा ले लेता है लेकिन किसान किसी के सामने कुछ बोल नहीं सकता। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी की जो योजना है वह बहुत ही स्वागत पूर्ण है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी अपने बजट भाषण में जिक्र किया है, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाय। ऐसे इलाके में लागू किया जाय जैसा हमारा इलाका है चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर है। ऐसे जो इलाके हैं जहां बार-बार काल पड़ता रहता है, ऐसी जगह सब से पहले लागू करके देखना चाहिये। हो सकता है इसके अन्दर एक दफा बीमा वालों को नुकसान हो, पूरी बात समझ में नहीं आवे, लेकिन वास्तव में किसान को बहुत राहत मिलेगी। हमारी जो रीति नीति है यह उसके अनुकूल है और स्वागत योग्य है।

दूसरा, जो वन विकास का हमारा बजट है, वैसे बजट तो 12.63 करोड़ का है

(श्री रेवतराम चौधरी)

लेकिन उसके अन्दर जो खर्चा होता है उसमें जो चोरियां होती हैं उसकी रोकथाम के लिए सरकार की जो पुलिस फोर्स है वह उस डिपार्टमेंट के पास बहुत कम है। इससे आज चोरियां बढ़ रही हैं। वन विभाग पर ध्यान करके ज्यादा से ज्यादा यह पैसा जिस काम में लगाया जाना चाहिये उसमें लगे तो वन विभाग का काम वास्तव में किसानों के लिए और हमारे जैसा जो रेतीला इलाका है जहां रेत इधर से उधर हो जाती है, उसके लिए बहुत उपयोगी है। इसकी रोक-थाम के लिए इस पर मंत्री महोदय को ध्यान देना बहुत जरूरी है।

शिक्षा के लिए जो स्कूल रखे गये हैं उनमें प्राइमरी स्कूल तो काफी हैं। वैसे हमारे राजस्थान के अन्दर अब सब जगह प्राईमरी स्कूल हैं। मिडिल स्कूल भी काफी हैं लेकिन हाई स्कूल बहुत से क्षेत्र हैं जहां नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां ज्यादा नहीं हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह भी जनता पार्टी ने खोल दिए।

श्री रेवतराम चौधरी : जनता पार्टी ने क्या खोले एक मास्टर नहीं भेजा। जनता पार्टी ने लोगों के साथ मखौल किया है। जनता पार्टी की बात छोड़ो। कांग्रेस की बात सीखो। हाई स्कूल और हायर सैकण्डरी स्कूल और होने चाहिये। यहां हायर सैकण्डरी से काम चल जायेगा उससे ज्यादा बाहर के लोग पढ़ते ही नहीं हैं। मेरा यह विचार है कि हाई स्कूल या हायर सैकण्डरी स्कूल जरूर खोलें।

अब सवाल है हमारे सामने चिकित्सा का। चिकित्सा के मामले में डिस्पेन्सरियां बहुत ही कम रखी गई हैं, इनको बढ़ाना चाहिये और यह बाहर गांवों के अन्दर खोलनी चाहिये। शहरों के अन्दर जो कुछ भी साधन हैं, सरकारी भी होते हैं गैर सरकारी लोग भी शहरों के अन्दर साधन कर लेते हैं लेकिन गांवों के अन्दर साधन नहीं होते। डिस्पेन्सरीज औषधालय, एड पोस्ट जितने बढ़ा सकें, ज्यादा से ज्यादा गांवों में खोलें। इस बात पर सरकार तुरन्त ध्यान करे क्योंकि 80% आबादी गांवों में रहती है।

मेरे क्षेत्र के अन्दर कुछ ऐसे गांव हैं जो जल प्रदाय योजना के अन्दर लिये गये हैं लेकिन अभी तक उनमें काम चालू नहीं हुआ है। वहां पानी मीठा है लेकिन कम है, बोरिंग करने से इन सब गांवों में पानी काफी मात्रा में मिल सकता है। बोरिंग करवा कर बिजली दिलवाकर यह व्यवस्था की जा सकती है तो इन गांवों की समस्या खास तौर से हल हो सकती है। उन गांवों के नाम लोढेरा, डेलवा चीतातर, कुलासर, कोलासर सनासर, धीर देशर, चोटीभान, लालासर, लखासर, बेनीसर, जोधासर लिखमादेसर-भभेऊ हैं। उन सब गांवों में पानी बहुत गहरा है बोरिंग करने से मीठा पानी उनमें मिल सकता है। अगर बिजली की व्यवस्था हो सकती है तो ये सब गांव इस साल इसी बजट में लिए जायं तो इसमें तकलीफ नहीं पड़ेगी।

एक बात लास्ट में और कहूंगा कि सस्ता न्याय दिलाने के लिये सब तहसील मुख्यालयों में न्यायालय खोल दिये गये हैं परन्तु हमारे

(श्री रेवतराम चौधरी)

क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में न्यायालय अभी तक नहीं खोला गया है, हमारे इलाके का न्यायालय रतनगढ़ में है। मैं राज्य सरकार व हमारे कानून मंत्री जी को निवेदन करूंगा कि जो हमारा न्याय रतनगढ़ में कर रहे हैं उसको आप रतनगढ़ की बजाय डूंगरगढ़ में करवाने की मेहरबानी करें।

इतना ही कहकर मैं हमारे मुख्य मंत्री जी के बजट की बहुत प्रशंसा करता हूं।

श्री सभापति : श्री बुलाकी दास।

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, आलोच्य वर्ष अर्थ व्यवस्था के संदर्भ में, अनिश्चितता एवं कठिनाइयों का समय था। पिछले वर्ष लगातार तीसरी बार इस प्रदेश में सूखा पड़ा जिसके कारण प्रदेश की अर्थ व्यवस्था औद्योगिक उत्पादन और कृषि उत्पादन में कमी होने के कारण बिजली के उत्पादन में कमी होने के कारण छिन्न भिन्न हो गई थी। इसके बावजूद इन विषम परिस्थितियों में जो बजट हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई नया कर नहीं लगाया गया है। इसका मैं स्वागत करता हूं। सभापति महोदय, हमारी योजनायें जिला आयोजना समितियों के माध्यम से बनती हैं। प्रत्येक जिले में जन प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी उनकी जानकारी के आधार पर, सलाह के अनुसार, जिला आयोजना समिति में तहसीलों की, गांवों की समस्याओं को लेकर, उनकी मांगों को लेकर जिले के विकास के लिये योजनाएं बनाते हैं। उसके प्रारूप यहां पर जयपुर राजधानी में आते हैं उनके आधार पर बजट बनाते हैं। इस सम्बन्ध में सैद्धान्तिक मुद्दा उठाता हूं कि जिला आयोजना समिति जो सिफारिशें और जो सलाह देती है क्या योजना में उनको सम्मिलित किया जाता है? मुझे इस बात की खुशी है कि जिला आयोजना समिति ने जो सिफारिशें दी हैं उनको कुछ अंश तक इस बजट में सम्मिलित किया गया है। लेकिन अभी तक सैद्धान्तिक रूप से पूर्णरूपेण जिन योजनाओं को जिला आयोजना समिति स्वीकार करती है यहां का योजना विभाग उनको स्वीकार नहीं करता है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमारी योजनायें एयर कन्डीशन कमरों में न बनकर जिला आयोजना समिति की जो बैठकें जिला हैड क्वार्टर्स पर होती हैं उनकी योजनाओं में यदि योजना आयोग की सिफारिशों के आधार पर यहां सम्मिलित किया जाय तो उसके क्रियान्वयन में और उन जिलों की समस्याओं को मूर्त रूप से हल करने में एक बहुत अच्छा कदम होगा।

छठी पंचवर्षीय योजना में, सभापति महोदय, जो 52.4 की राशि रखी गई है वह स्वागत योग्य है क्योंकि राजस्थान जैसे पिछड़े हुए क्षेत्र में जब तक राजस्थान के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं करेंगे तब तक राजस्थान का तेज गति से विकास नहीं होगा। इसके लिये कोटा में थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दो चरण होने जा रहे हैं, इसका भी स्वागत करता हूं परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि कोटा के रावत भाटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की जो नींव डाली गई थी वह शुभ मुहूर्त में नहीं डाली गई लगती है उसका निर्माण ठीक नहीं हुआ है इसलिए उसके उत्पादन में निरन्तर कमी आती रहती है। अतः इसकी

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

जांच के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए ताकि ये वर्ष भर नियमित रूप से काम करे और बिजली की कमी को दूर किया जा सके।

हमारे यहां दुर्भाग्य से बिजली के जो साधन हैं उसमें साझे की व्यवस्था है। कई प्रदेशों का हमारा बिजली के बारे में साझा चल रहा है। बिजली की राजस्थान में विपुल मात्रा में कमी है। जैसा कुछ अन्य साथियों ने अभी जिक्र किया पलाना में लिग्नाइट काफी मात्रा में है जिसका उपयोग करने से राजस्थान का एक अपना बिजली घर हो सकता है, जिसमें किसी की साझेदारी नहीं होगी लेकिन इसको छठी पंचवर्षीय योजना में इसके लिये कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। मुझे सुझाव देना है कि छठी पंचवर्षीय योजना में पलाना थर्मल पावर स्टेशन को, चाहे किसी भी मद से, चाहे केन्द्र से, चाहे किसी और वित्तीय संस्था के माध्यम से ऋण लेकर यदि पूरा कर दिया जाय तो बीकानेर डिवीजन की या पूरे पश्चिमी राजस्थान की एक योजना नहीं होगी बल्कि समूचे देश के लिये बिजली की कमी को दूर करने वाला एक व्यापक प्रोजेक्ट होगा। राजस्थान के 16 जिलों को बिजली मिल सकेगी। इसके अतिरिक्त राजस्थान में जो पहले के बिजली घर हैं, राजस्थान बनने से पूर्व के जो बिजली घर हैं उनको भी चालू किया जाना चाहिये। इसके अलावा अनूपगढ में 30 लाख रु. की लागत से एक हाईब्रिड का जो बिजली का स्टेशन बनाया जा रहा है, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मुख्य मन्त्री जी का ध्यान मैं इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि वे योजनायें केवल बजट में ही नहीं रहनी चाहिए इनका क्रियान्वयन भी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पलाना में थर्मल पावर स्टेशन के लिये एक करोड़ 33 लाख रखे गये थे लेकिन खर्च नहीं हुए। मैं चाहता हूं, अनूपगढ़ में हाई-ब्रिड का जो उत्पादन हो रहा है उस बिजली का उत्पादन यथावत चालू रखें। इसके साथ-साथ राजस्थान नहर परियोजना के जितने हैड वर्क्स हैं, बृजवास घरसाना आदि हैं जहां पर सिंचाई के लिये ऊंचाई से पानी गिराया जाता है वहां पर छोटे-छोटे बिजली के स्टेशन कायम किये जायं तो राजस्थान की बिजली की कमी को दूर कर सकेंगे। न तो किसान बिजली के लिये परेशान होगा और न उद्योगपति ही परेशान होगा और बिजला की कमी को इस प्रकार दूर किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त हमारी जो सिंचाई योजनायें हैं जिनके लिये राज्य सरकार ने चालू सत्र में और छठी पंचवर्षीय योजना में बजट का प्रावधान किया है उसका मैं स्वागत करता हूं, परन्तु राजस्थान नहर जैसी महत्ती योजना, जिसको हम राष्ट्रीय योजना के नाम से भी कह सकते हैं, के लिये 25 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, यह कम है। इसको बढ़ाया जाना चाहिये। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि पिछली जनता सरकार ने जो सिंचाई योजनाओं के नाम पर कई बार सदन में आवाज उठाई थी उन्होंने राजस्थान नहर की जो मूल योजना थी उस पर तो सारा काम किया किन्तु पांच जो सिंचाई योजनायें थीं, उनके काम को बन्द करवा दिया। मैं वित्त मन्त्री से और मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पश्चिमी राजस्थान के विकास के लिये और समूचे

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

राजस्थान के विकास के लिए जो कोलायत, सावा, चूरू, नागौर और फलौदी की पांच लिफ्ट चैनल्स की स्कीम थी, जिन पर 50 करोड़ खर्च किये जाने का प्रावधान था, उन योजनाओं को छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करके राजस्थान के कृषि गत विकास के लिये, राजस्थान के आर्थिक विकास के लिये उन योजनाओं को पुनः शुरू किया जाना चाहिये। राजस्थान में पिछले वर्ष 19 हजार कुओं का विद्युतीकरण किया गया था, इसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं लेकिन जहां पर कुओं में 450-500 फीट की गहराई गई वहां पर, सभापति महोदय, अधिक से अधिक लिफ्ट की व्यवस्था पीने के पानी के निदान के लिये की जानी चाहिये। अधिक से अधिक कुएं पश्चिमी राजस्थान में हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, नागौर, चूरू, बीकानेर में जहां पानी अधिक गहराई पर है वहां लिफ्ट की पर्याप्त व्यवस्था भी की जानी चाहिये।

इसके अतिरिक्त, सभापति महोदय, राजस्थान की छठी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास के ऊपर 4.18 की जो राशि का प्रावधान है वह कम है। राजस्थान में मुख्य रूप से कृषि और उद्योग ये दोनों ऐसे फैक्टर हैं जिन पर अगर हम विशेष ध्यान नहीं देंगे तो राजस्थान की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आयेगा।

राजस्थान में खनिज पदार्थों की कोई कमी नहीं है किन्तु खनिज पदार्थ जहां हैं, वहां उद्योग नहीं हैं। मैंने मूल में बताया था जिला आयोजना समिति की सिफारिशों को एज इट इज नहीं मानेंगे तब तक राजस्थान का समग्र विकास नहीं होगा इसलिये जहां राक फास्फेट मिलता है वहां पर राक फास्फेट पर आधारित उद्योग लगाने चाहिये। बीकानेर में जिप्सम बहुत मिलता है इसलिये बीकानेर में जिप्सम पर आधारित उद्योग लगाने चाहिये। बीकानेर ऊन की सबसे बड़ी मण्डी है तो वहां पर वूल टॉप्स का उद्योग लगाया जाना चाहिये। कृषि का उत्पादन नागौर, उदयपुर, जयपुर में ज्यादा होता है, गंगानगर में ज्यादा होता है तो कृषि पर आधारित निजी और सार्वजनिक उद्योग लगाने चाहिये जैसे शुगर फैक्ट्री है, दाल फैक्ट्री है, मैदा फैक्ट्री है – इस प्रकार की फैक्ट्रियां अवश्य ही लगायी जानी चाहिये।

इसके अतिरिक्त जो जिले औद्योगिक रूप से पिछड़े घोषित किये हुए हैं उनमें भी कुछ कमियां हैं। बड़ी विडम्बना की बात है बीकानेर में मूल रूप से कोई उद्योग नहीं है, केवल जिस प्रकार का तर्क ज्यादा है वह गलत है। बीकानेर को औद्योगिक रूप से विकसित जिला माना जाता है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार और मंत्री महोदय इस बारे में विचार करेंगे कि नये सिरे से नये पैमाने पर, नये आधारों पर नये मापदण्डों के आधार पर औद्योगिक दृष्टि से बीकानेर का पुनर्मूल्यांकन करें और जिन जिलों में औद्योगिक विकास नहीं हुआ है उनको पिछड़ा हुआ घोषित किया जाय ताकि साहसी लोग उद्योगों का विकास कर सकें। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के प्रवासी जो बंगाल में हैं,

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

बिहार में हैं, उड़ीसा में हैं जो वहां से उठ कर राजस्थान में आना चाहते हैं लेकिन यहां पर व्यवस्थाएं कुछ ऐसी बनी हुई हैं कि उनको दो-दो वर्ष तक जमीन नहीं मिलती है, उनको कच्चा माल नहीं मिलता इसलिये वे वापस चले जाते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि विधायकों और उद्योगों के विशेषज्ञों की एक समिति बनानी चाहिये। समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर समय पर जमीन मिले, समय पर कच्चा माल मिले, समय पर बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाय, समय पर लाइसेन्स का काम हो जाय आदि बातों के लिये उद्योगों में सहूलियत दें ताकि एक और राजस्थान का औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा और दूसरी ओर सरकार को नये-नये कर मिलेंगे जिनसे राजस्थान के राजस्व में वृद्धि होगी।

हमारे यहां खादी एवं ऊनी संस्थाएं काफी मात्रा में हैं लेकिन उनके प्रोसेसिंग का कार्य अमृतसर में होता है। इसके लिये राजस्थान में कोटा और बीकानेर में पर्याप्त व्यवस्थायें हैं लेकिन सरकार की तरफ से यह व्यवस्था की गई है कि ऊन के प्रोसेसिंग का काम अमृतसर में जाकर हों। मैं माननीय मन्त्री महोदय जी से यह निवेदन करता हूं कि खादी से सम्बन्धित जो प्रोसेसिंग का काम हैं, वह राजस्थान में ही हो ताकि राजस्थान के श्रमिकों और बुनकरों को यहां पर राजस्थान में रोजगार मिल सके।

इसके साथ-साथ जो ग्रामीण विकास योजना और ग्रामीण रोजगार योजना है, उसमें खादी को सम्मिलित नहीं किया गया है जब कि खादी में लगभग 5 लाख व्यक्ति और बुनकर हैं जिनका शोषण होता है, जिनको पर्याप्त मात्रा में मजदूरी नहीं मिलती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनको न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए और जहां इसका उल्लंघन होता है, ऐसी संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट में लिया जाना चाहिए।

हमारे यहां, सभापति महोदय, डेयरी का विकास तीसरे चरण में है लेकिन डेयरी की क्या स्थिति है राजस्थान में, इसके बारे में विचार करना आवश्यक है। राजस्थान में बीकानेर, चूरू, जोधपुर और जयपुर की डेयरियों में जो दुग्ध संग्रह की मात्रा निर्धारित की गयी थी, उस निर्धारित मात्रा में दुग्ध का संग्रह नहीं होता है। ये निरन्तर उत्पादन में कमी करती हुए डेयरियां हैं, इनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। डेयरी केवल दुग्ध एकत्रित कर पुनर्वितरण का काम करती है, इसके स्थान पर दूध चूरन, मिल्क के बायो प्रॉडक्ट पनीर, घी, मक्खन का उत्पादन नहीं हो रहा है जबकि तीसरे चरण में विकास पहुंच रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि इसके ऊपर पर्याप्त निरीक्षण नियमन होना चाहिए और मिल्क के बायो प्रॉडक्ट का प्रॉडक्शन होना चाहिए। जहां चीनी के प्लान्ट बने हैं, उनको चालू किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वन सम्पदा राजस्थान की बहुत भारी सम्पदा है। पिछले 30 वर्षों में लगभग 30 करोड़ रुपये वन सम्पदा के विकास के लिए खर्च किये गये हैं और चालू सत्र में भी काफी वृक्षारोपण हुआ है लेकिन निरन्तर वन सम्पदा की चोरी, अवैध शिकार

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

के कारण अभयारण्य भी असुरक्षित होते जा रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वन सम्पदा का जहां आप एक ओर विकास कर रहे हैं, दूसरी ओर हमारे अभयारण्यों में अवैध शिकार होते हैं। जो तारबन्दी की जाती है, उसमें डबल मस्टर रोल से बड़ी फिजूलखर्ची होती है, उसके ऊपर व्यापक मात्रा में रोक लगायी जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में भी वन्य विशेषज्ञों के साथ विधायकों की समिति बनायी जानी चाहिए, जो इस सम्बन्ध में अनियमितताओं की जांच करे।

हमारे इस बजट में शिक्षा के बारे में नये स्कूल खोले जाने का प्रावधान है उसका मैं स्वागत करता हूं। प्राथमिक शिक्षा इस राजस्थान में होनी चाहिए क्योंकि गांव गांव में जब तक प्राथमिक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत नहीं बढ़ेगा। लेकिन मैं यह देखता हूं कि उच्च शिक्षा के बारे में राज्य सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय के पास में इतना काम है कि वह सम्भाल नहीं पा रहा है। पूरे राजस्थान में महाविद्यालयों का रिजल्ट देरी से आता है। अभी नये इम्तिहानों की तैयारियां हैं और सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। राज्य में तीन नये विश्वविद्यालय खोले गये थे, वह जनता पार्टी की सरकार ने बन्द कर दिये। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में तीन नये विश्वविद्यालय राजस्थान में खोले जाने चाहिए ताकि ये नये विश्वविद्यालय राजस्थान में उच्च शिक्षा के विकास के लिए काम कर सकें, इसके लिए बीकानेर, कोटा और अजमेर उपयुक्त स्थान हो सकते हैं। बीकानेर के लिए पुराने समय में, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे स्वर्गीय मुख्य मंत्री बरकतुल्ला साहब ने और सर्व सम्मति से राजनैतिक पार्टियों ने यह फैसला किया था, आने वाले समय में यदि कोई विश्वविद्यालय खुलेगा तो उसमें बीकानेर को प्राथमिकता दी जायेगी, क्योंकि बीकानेर अनूप संस्कृत लाइब्रेरी विश्व प्रसिद्ध है। एजूकेशन डायरेक्टोरेट बीकानेर में है। 50 लाख से अधिक पुस्तकें बीकानेर के विभिन्न पुस्तकालयों में हैं–कामर्स, साइन्स, आर्ट्स और कानून की, पोस्ट ग्रेजुएट की कक्षायें बीकानेर में हैं। मास्टर ऑफ एजूकेशन की कक्षायें जयपुर में नहीं हैं, बीकानेर में हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा के विकास के लिए राज्य सरकार विशेष ध्यान दे और उसमें बीकानेर को प्राथमिकता दे। इसके अतिरिक्त राजस्थान में 75 प्रतिशत तक जिन विद्यार्थियों के नम्बर आ जाते हैं, उनको तकनीकी शिक्षा में प्रवेश नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में जो इन्टर-एक्चुअल विद्यार्थी होते हैं, उनमें बड़ा असन्तोष पैदा होता है। ऐसी स्थिति में राज्य में नये तकनीकी संस्थान खोले जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के ऊपर नये वित्तीय भार नहीं पड़ेंगे। जो पोलिटेक्निक कालेज हैं, उन्हें इंजीनियरिंग कालेज के रूप में विकसित किया जाना चाहिये हमारे यहां, सभापति महोदय, पुरातत्व विभाग है जिसमें ऐतिहासिक दस्तावेजों के फोटोग्राफस तैयार किये जाते हैं। उसके लिये माइक्रोफिल्म का अभाव है, पर्याप्त धन का अभाव है। इसके लिये वैज्ञानिक रूप से प्रवशीतन कक्ष का

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

प्रबन्ध हो ताकि वहां रिकार्ड के रूप में हम अपने ऐतिहासिक महत्व के फोटोग्राफ्स को सुरक्षित रख सकें और डाकूमेन्ट्स को सुरक्षित रख सकें।

सभापति महोदय जी, चिकित्सा के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। उसमें नयी डिस्पेंसरीज जो खोली जानी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं लेकिन ये डिस्पेंसरीज कम हैं। इस राजस्थान के बहुत बड़े भू-भाग को देखते हुए कम हैं। नये औषधालय, डिस्पेंसरीज और खोले जाने का प्रावधान होना चाहिये। इसके साथ ही हमारे यहां 5 मेडिकल कालेज हैं, उनमें कैंसर की बीमारी को रोकने के लिये रिसर्च इन्स्टीट्यूट की कमी है। राजस्थान के मेडिकल कालेजों में न्यूरोलॉजी के एक्स-रे और हमारे यहां स्किन डिजीज के बारे में अलग अलग विभाग खोले गये हैं लेकिन कैंसर के बारे में अभी तक रिसर्च में काफी गुंजाइश है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर में करीब 78 लाख रुपया राज्य सरकार का स्टेट टाइम में कोबाल्ट संयंत्र में लग चुका है। राजस्थान का यह पहला कोबाल्ट संयंत्र है जो पूरे वर्ष चालू रहा जबकि जयपुर और जोधपुर का बन्द रहता है। संयंत्र का उपयोग करने के लिये और भावी अनुसंधान की गुंजाइश को ध्यान में रखते हुए कैंसर रिसर्च इन्स्टीट्यूट बीकानेर में खोला जाना चाहिए। इसके लिए कुछ निजी उद्योगपति और बीकानेर के निजी लोग भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आवासन की समस्याओं के लिए पिछले वर्ष और इस वर्ष जो नये मकानों की व्यवस्था की गयी है, मैं उसका स्वागत करता हूं परन्तु केन्द्रीय सरकार से जितना सहयोग केरल, तमिलनाड आन्ध्र प्रदेश और दूसरे प्रान्तों ने लिया है उतना सहयोग हमारे राजस्थान ने नहीं लिया है। इसलिए पिछले वर्ष में एक लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से जो आवासन सम्बन्धी और नगर विकास की योजनायें स्वीकृत करवायी हैं, उसमें आप संशोधन करवाकर छोटे शहरों और इससे बड़े शहरों को भी सम्मिलित करवाइये ताकि राजस्थान में आवासन की समस्या का समाधान हो सके।

इसके अतिरिक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर डिवीजन हैडक्वार्टर्स के लिये एक निर्णय हुआ था, राज्य सरकार का कि इनकी सड़कों की मरम्मत और नालियों की मरम्मत का कार्य राज्य सरकार के पी. डब्ल्यू. डी. के विभाग के अन्तर्गत किया जायेगा। इसमें तीन डिवीजनों को सम्मिलित कर लिया गया है लेकिन जोधपुर और बीकानेर को सम्मिलित नहीं किया गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि बीकानेर की सड़कों को चेचक निकली हुई है, कई बार सड़क दुर्घटनायें हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में इन सड़कों को भी पी. डब्ल्यू. डी. विभाग को सौंप दिया जाना चाहिए ताकि डिवीजन मुख्यालयों में जो पर्यटक आते हैं, वे इस बात का इम्प्रेशन लें कि यहां की सड़कों और नालियों की हालत सुधरी हुई है और यह अच्छा शहर है। नालियों की व्यवस्था के लिए नगर परिषदों

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

को पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

माननीय सभापति जी, हमारे बीकानेर को पर्यटन के नक्शे में सम्मिलित नहीं किया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर के लालगढ़, जूनागढ़, सागर की छतरियां, गजनेर की सैंक्चुरी, संचार क्षेत्र की सैंक्चुरी काफी प्रसिद्ध हैं। इनकी तरफ पर्याप्त ध्यान देकर यहां पर टूरिस्ट होटल्स का विकास किया जाना चाहिए। मिडवे कोलायत के पास में बनाया जाना चाहिए और पर्यटन की सुविधायें राज्य सरकार द्वारा मुहय्या करवायी जानी चाहिए।

राज्य सरकार ने, सभापति जी, जो बजट रखा है इसमें महंगाई को रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। आने वाले समय में इन्फ्लेशन की जो दर है और जो विषम परिस्थितियां है उनको देखते हुए भी महंगाई का भूत निश्चित रूप से कम बढेगा।

इस बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किश्त दी गई है उसका भी मैं स्वागत करता हूं और यह आशा करता हूं कि समय-समय पर राज्य सरकार के कर्मचारियों का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे।

अब, मैं इस बजट के सैद्धांतिक पक्ष पर पुनः आता हूं कि बजट में जो घाटा है, लगभग एक अरब रुपयों का घाटे का बजट यह है, उसके बारे में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। इसकी वित्तीय व्यवस्था कैसे हो पायेगी इस बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

राजस्थान में उद्योग और खनिज के विकास की काफी गुंजाइश है। हमारे यहां भू-गर्भ में बहुत खनिज पदार्थ छिपे हुए हैं। बीस्ट माखर ने अपनी पुस्तक में इस बात का विवेचन किया है कि स्माल इज ए ब्यूटीफुल। इसका सारांश यह है कि राजस्थान के भू-गर्भ में छिपे हुये खनिज पदार्थों को खोज निकाला जावे और जितने आशार्थी हैं, जितने मांग करने वाले हैं उन लोगों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पट्टे दिये जावें और उससे प्राप्त आय से राज्य सरकार के घाटे की वित्त व्यवस्था की जावे।

बकाया करों की वसूली विशेष योजना के आधार पर की जानी चाहिए। करोड़ों रुपयों का कर बकाया पड़ा हुआ है। इसकी वसूली के आधार पर हम घाटे की वित्त व्यवस्था पूरी कर सकते हैं। राज्य सरकार अपने प्रशासनिक व्यय में बचत करें। जो हमारे सचिवालय में विशेष खर्चा होता है टेलीफोन के ऊपर, मोटर गाड़ियों के ऊपर, स्टेशनरी के ऊपर उसमें भी व्यापक रूप से बचत की जानी चाहिए। इसके लिए मैं यह सुझाव देता हूं कि जितने भी हमारे सचिव महोदय हैं, जितने भी हमारे अधिकारी हैं वे सिटी बस से और विशेष बस से एक साथ आवें, एक साथ जायं ताकि डीजल और पैट्रोल की बचत हो सके।

इसके अलावा टेलीफोन भी संयुक्त रूप से रखे जा सकते हैं। हरेक व्यक्ति को टेलीफोन की सुविधा केन्द्रीय सरकार भी उपलब्ध नहीं कराती है। स्टेशनरी में और प्रशासनिक व्यय में भी कटौती की जा सकती है। इस तरह से बचत करके...

श्री माधवसिंह दीवान: मंत्रियों की कारों का भी कह दें।

(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसमें मंत्रियों की भी सम्मिलित हैं।

अधिक से अधिक बचत करके घाटे की वित्त व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि इस बजट में भी नये करों की गुंजाइश थी जैसे हमारे यहां लक्जरियस गुड्स जितने भी हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हैं, कूलर हैं, ऐसी जो विलासिता की वस्तुयें हैं इन पर बिक्री कर को बढ़ाया जाना चाहिए। जो सम्पन्न वर्ग के लोग हैं उन पर अभी तक जो कर लगता है, मैंने सभी राज्यों के अन्दर जो बिक्री कर हैं उनके बारे में काफी अध्ययन किया है और अर्थ शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते कह सकता हूं कि दक्षिण भारत में प्रति व्यक्ति जहां 256.2 रुपया प्रति व्यक्ति कर भार है, वहां हमारे यहां पर राजस्थान में केवल 156 रुपये कुछ पैसे प्रति व्यक्ति कर भार है। इसलिए सम्पन्न वर्ग की लक्जरियस गुड्स पर अत्यधिक कर लगाये जा सकते हैं ताकि घाटे की वित्त व्यवस्था की जा सके।

इसके अतिरिक्त अल्प बचत योजना के अन्तर्गत विशेष ऋण बाण्ड जारी करके भी घाटे की वित्त व्यवस्था को पूरा किया जा सकता है। बजट में मुख्य मंत्रीजी ने इस बात का संकेत दिया है कि आबकारी की नीति पर विवेकपूर्ण आधार पर विचार किया जा सकता है। हालांकि मैं शराब नहीं पीता हूं, न मैं इस पक्ष में हूं कि शराब पी जाय लेकिन शराबबन्दी को हटाया जाय, इस पक्ष में हूं। क्योंकि जो इस को लागू करने के लिए पुलिस का महकमा है वह लोग स्वयं शराब पीते हैं इसलिए हमें इस बात की कोशिश करना चाहिए कि मास एजूकेशन के माध्यम से, सोशल एजूकेशन के माध्यम से लोगों को बताया जाय कि शराब पीने से आपके शरीर में भयंकर बीमारियां हो सकती हैं और यह हानिकारक है। परन्तु शराबबन्दी को हटाया जाना चाहिये ताकि राज्य को राजस्व की हानि नहीं हो सके। इससे प्राप्त आय को राज्य के विकास पर लगाया जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त, सभापति जी, अब मैं बीकानेर की कुछ मूल समस्याओं के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, बीकानेर एक ऐसा डिवीजनल मुख्यालय है जो दुर्भाग्यशाली है। जहां पर बस स्टैंड नहीं है। वर्षों से बस स्टेण्ड की मांग चली आ रही है, छोटे छोटे तहसील हैड क्वार्टर्स पर बस स्टेण्ड हैं। जनता पार्टी के मंत्री महोदय, श्री महबूब अली जी ने इस बात के लिए अनशन किया था कि बीकानेर में बस स्टेण्ड नहीं बना। इसलिए मैं चाहता हूं कि चालू बजट में बीकानेर में बस टेस्ण्ड का प्रोविजन किया जावे।

इसके अतिरिक्त बीकानेर में 19 वर्ष कृषि उपज मण्डी अधिनियम को लागू किये हो गए लेकिन वहां पर कृषि उपज की पूर्ण मण्डी आज तक बनी हुई नहीं है। इसके भवन का निर्माण होना चाहिए ताकि किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके। इसके अतिरिक्त बीकानेर में अभी तक सूचना केन्द्र नहीं है। बीकानेर में खेलने के समुचित साधन नहीं हैं। मैं राज्य सरकार को और खास तौर से हमारे मुख्य

(श्री बुलाकीदास कल्ला)
मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जयपुर में इण्डोर स्टेडियम के लिए, रविन्द्र मंच के लिए ओपन एयर थियेटर के लिए विशेष व्यवस्था की है। लेकिन राजस्थान में जो अन्य इलाके हैं उन इलाकों में भी आडिटोरियम की मांग है, इण्डोर स्टेडियम की मांग है, स्वीमिंग पूल की मांग है, खेलने-कूदने के उचित स्थानों की मांग रखी जा रही है। बीकानेर में जो साइकिल का ट्रेक बना हुआ है उसका पैवेलियन नहीं है। उस पैवेलियन के बिना जो एशिया का सबसे बडा ट्रेक है, उस ट्रेक की अवहेलना हो रही है। उस ट्रेक का एक प्रकार से नुकसान हो रहा है। उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसके लिये साइकिल पैवेलियन छठी पंचवर्षीय योजना में बनाया जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त बीकानेर से सम्बन्धित जो मांगें मैंने रखी है, उनमें प्रमुख मांगें सड़क निर्माण और नालियों के निर्माण की है उस बारे में व्यापक रूप से व्यवस्था की जानी चाहिये। मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में शिक्षा के विकास के लिये कुछ प्रावधान रखा है उसमें राजस्थानी भाषा के विकास के लिये कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां संस्कृत भाषा अकादमी, हिन्दी भाषा अकादमी बनी हुई है, तो राजस्थान के मूल निवासियों की भाषा, जो राजस्थानी है, के विकास के लिए भी चाहे आप थोड़ी सी राशि इस वक्त रखें, हालांकि वित्तीय कठिनाईयां है, परन्तु राजस्थान की संस्कृति, राजस्थानी सभ्यता और राजस्थान की स्थापत्य कला का जो हनन हो रहा है उसका रख रखाव करने के लिए राजस्थानी भाषा के विकास के लिए, राजस्थानी अकादमी के विकास के लिए प्रावधान रखा जाना चाहिए।

अन्त में, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि ऐसी विषम परिस्थिति में आपने एक अच्छा बजट रखा है। इससे राजस्थान का भावी विकास होगा लेकिन साथ साथ जो सुझाव आते हैं उन सुझावों के आधार पर जिन इलाकों की महत्ती समस्यायें हैं उन समस्याओं के निराकरण करने की ओर विशेष ध्यान दें। राजस्थान नहर को प्राथमिकता देते हुए आप राजस्थान के मूल निवासियों को, भूमिहीन लोगों को, भूमिहीन किसानों को राजस्थान नहर के विकास में मूल रूप से भागीदार बनाने के लिए जमीन प्राथमिकता के आधार पर दें।

मैं पुनः धन्यवाद देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

जय हिन्द।

श्री सभापति: लोकदल के श्री फतेसिंह।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ): सभापति महोदय, आज जो बजट पर बहस आरम्भ हुई राजस्थान प्रदेश के सभी विभागों की अपने-अपने क्षेत्र की समस्यायें कई माननीय सदस्यों ने रखीं और इस बजट में मैं भी यह कहूंगा कि राजस्थान के बजट के आधार पर पिछड़े इलाके के लिए, यानि खास तौर से पिछड़े क्षेत्र के लिये कोई प्रावधान नहीं है। मैं चाहता था कि राज-

(श्री फतेसिंह)

स्थान के कई ऐसे भी भाग हैं जो पहाड़ी हैं और पहाड़ी इलाकों में बजट का प्रावधान होना जरूरी था। पिछड़े इलाकों के लिए बजट का प्रावधान खास तौर से हो, लेकिन मुख्य मंत्री ने इस बजट में कोई प्रावधान ऐसा नहीं रखा इसलिए मैं इस बजट का विश्वास तो नहीं करता लेकिन यह कह सकता हूं कि इस बजट के आधार पर जो भी खर्चा होगा, उस सारे पैसे का उपयोग नहीं होगा।

मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि हमारा बांसवाड़ा जिला एक आदिवासी इलाका है उसमें 80 प्रतिशत आदिवासी लोग रहते हैं। वह इलाका पहाड़ी है और पहाड़ी इलाके के नाते आज तक कोई सरकार ने, बजट के आधार पर कोई काम नहीं करवाया। यहां तक कि उस इलाके में इस साल अकाल की स्थिति को लेकर आदिवासी किसान, मजदूर गुजरात की ओर चले गये हैं। उनके मकानों पर सांकलें लगी हुई हैं। वहां पर इस वर्ष बरसात की कमी थी, पिछड़ा इलाका है, मामूली बरसात के कारण फसलें नष्ट हो गई और सरकार ने गिरदावरी कराते समय हमारे इलाके को बिलकुल ऐसा समझा जैसे शायद वह राजस्थान का हिस्सा ही नहीं हो। होना तो यह चाहिये था कि जब गिरदावरी गश्त हुई उस समय पंचायतों को प्रोग्राम देना था और पंच, सरपंच गिरदावरी के साथ रहते और फसल की गिरदावरी कराते तो आंकड़े सही आ सकते थे। हो सकता है अफसरों ने मन मर्जी से वह गिरदावरी की हो। उस गिरदावरी के कारण उस क्षेत्र को अकालग्रस्त नहीं माना जबकि गढ़ी तहसील में कुछ हिस्सा अकालग्रस्त माना। तो गढ़ी का इलाका तो इरिगेशन के हिसाब से तालाब वगैरह से सिंचाई होने के कारण कुछ आगे है लेकिन कुशलगढ़, खानपुर क्षेत्र ऐसे हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं वहां न एनीकट, न तालाब, न कुए और न ही पानी पिलाने का साधन सरकार ने जुटाया है। ऐसी स्थिति में हमारे क्षेत्र को हमेशा राजस्थान सरकार ने नेग्लेक्ट कर रखा है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट के आधार पर ऐसी योजना बनाकर क्षेत्र में काम करवायेंगे तो इस क्षेत्र का आदिवासियों का हित होगा वरना लोग इधर-उधर भटकते रहेंगे और भूख के मारे तड़फ-तड़फ कर मरेंगे।

हमारे इलाके में शिक्षा की कमी, सिंचाई की कमी और रोजगार की कमी है। वहां के लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं और जो बारिश होती है उसी के आधार पर वहां के लोग खेती करते हैं, खेती पर निर्भर रहते हैं। तो मैं सरकार से कहूंगा कि इस बजट में जो भी आप योजना बनावें वह शहरों की तरफ न देखते हुए गांवों की ओर धन का उपयोग करें तब तो हम कह सकते हैं कि हमारी राजस्थान सरकार का बजट रुपये में चार आना ठीक है। लेकिन यहां तो यही होगा कि जो भी पैसा है वह अधिकतर शहरों की ओर खर्च करने की कोशिश करेंगे और गांवों की ओर उनकी नजर बहुत ही कम रहेगी। तो मैं सरकार से कहूंगा कि इस बजट के आधार पर जो भी पैसा रखा है वह पैसा आदिवासी इलाकों में खर्च करेंगे तो गरीबों की गरीबी दूर होगी, लोग अपने घरों को छोड़ कर बाहर नहीं जायेंगे।

(श्री फतेसिंह)

वरना यही स्थिति रही तो हालत बड़ी खराब होगी। आज देख लीजिये, उस क्षेत्र में आदिवासी जितने भी हैं वे घर छोड़ कर गुजरात या अन्य प्रान्तों में चले गये हैं। इधर सरकार ने अकाल नहीं माना जिसके कारण वहां के लोगों पर वसूली की मार पड़ी। वसूली की मार के खतरे से लोग घर बार छोड़ कर गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ चले गये हैं। तो वसूली की मार है वह भी सरकार स्थगित करे और कुछ क्षेत्रों में मेहनत-मजदूरी, डिपार्टमेंटली काम भी इस क्षेत्र में चालू करें। जैसे कि तालाब, सड़क या और कोई भी छोटा मोटा उद्योग धन्धा इस इलाके में खोलें ताकि इलाके के लोगों को राहत मिल सके वरना हालत यही रही तो जनता की स्थिति बड़ी गंभीर होगी और लोग मजबूर होंगे, या तो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे या और कुछ काम गलत करेंगे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय।

अनेक माननीय सदस्य : नो, नो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

क्या सदन की सम्मति है कि सदन की कार्यवाही का समय एक घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया गया।

(व्यवधान)

मैम्बर्स ज्यादा हैं समय एक घण्टा बढ़ने से ज्यादा से ज्यादा मैम्बर्स को बोलने का समय मिलेगा। यह, मैं समझता हूं कि, पर्याप्त है।

श्री भगवानदास शास्त्री : कल बढ़ा देवें, सभापति महोदय।

श्री सभापति : कल भी बढ़ा देंगे। आप जारी रखें।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, आपका आदेश एक घण्टा समय बढ़ाने के लिये स्वीकार है लेकिन एक शर्त है जिन्होंने प्रस्ताव रखा है जब तक विधान सभा चलेगी, ये बैठे रहें। ये तो उठ कर चले जायेंगे और बाकी लोग बैठे रहेंगे उनकी पार्टी के 10-15 आदमी हैं तो यह व्यवस्था करें कि आपके सदस्य विराजे रहें और आप रात 10 बजे तक कार्यवाही चलाते रहें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जितने इनकी पार्टी के सचेतक बैठते हैं उनसे तो ज्यादा बैठता हूं।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपने विचार प्रकट करें।

श्री फतेसिंह : सभापति महोदय, मैंने जो विचार इस सदन के समक्ष रखे हैं उन

(श्री फतेसिंह)

विचारों पर सरकार को गौर करना होगा। पिछली बार भी मैंने इसी सदन में यह भी कह दिया था कि अगर सरकार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के आदिवासियों के साथ में पक्षपात और भेदभाव करती रही तो उस क्षेत्र के आदिवासी मजबूर होकर और कोई रास्ता अपनायेंगे। तो मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि आज जो भी काम करें वह सोच समझ कर करें जैसा कि हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं सोच समझ कर करने का मतलब यह है कि आप नक्शे में देखें कि राजस्थान सरकार ने अब तक किस क्षेत्र में कितना काम कराया है और कौनसा ऐसा क्षेत्र बाकी रहा है जहां पर कोई काम नहीं हुआ है। इसी आधार पर आप काम करवायेंगे तब तो अच्छा ही होगा नहीं तो नतीजा बुरा ही निकल सकता है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में एक तो तालाबों की बहुत बड़ी कमी है, सिंचाई के साधन हैं नहीं और हमेशा सूखा पड़ने से हमारे क्षेत्र में अकाल पड़ता रहता है, किसी साल कम पानी से और किसी साल अधिक पानी से अकाल पड़ता है। इन बातों को देखते हुए आप इस क्षेत्र से हमेशा के लिए अकाल दूर करने के लिए कोई योजना बनावें। आप वहां पर अधिक से अधिक धन खर्च करें। सिंचाई के तालाब, एनीकट बनावें और किसानों को अनुदान के रूप में कर्ज दें। वह भी सही तरीके से दें। ऐसा न हो कि एक आदिवासी या एक किसान फार्म के लिये वर्षों तक भटकता रहता है, 500, 1000 खर्च करने पर 5-6 हजार मंजूर होते हैं उसमें भी दलाल 6 हजार में से एक डेढ़ हजार हड़प लेता है। इस तरह से हमारे क्षेत्र में अब तक आदिवासी पिच रहे हैं, किसान पिच रहे हैं, अकाल के लपेटे में रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में स्कूल, मिडिल स्कूल खोलने में प्राथमिकता दें। कई वर्षों से हमारे कुशलगढ़ क्षेत्र में कालेज की मांग होती रही है परन्तु सरकार का नकारात्मक रुख रहा है। कालेज नहीं खुला है। यह शर्म की बात है। जहां पर वर्षों से कालेज खोलने की मांग की जा रही है वहां पर सरकार कालेज खोलने के लिए, आदिवासी क्षेत्र को प्राथमिकता देने के लिये तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि राजस्थान की आज की सरकार, हमारे बांसवाड़ा जिले के लिए पक्षपात के रूप में देखती है और भेदभाव से काम करती है। मैं सरकार से यह कह रहा हूं कि हमारे इलाके में सड़कों का निर्माण हो। सड़कें बिलकुल नहीं हैं। बांसवाड़ा कुशलगढ़ रोड है और उसके बाद आने जाने का कोई साधन, सुविधा नहीं है। कुशलगढ़ में मुन्सिफ कोर्ट है, एस.डी.एम. आफिस है लेकिन वहां पर लोग पैदल आते हैं। पिछली बार भी जिक्र किया गया था बांसवाड़ा कुशलगढ़ के बीच में एक नदी है उस पर पुल नहीं होने से बांसवाड़ा कुशलगढ जाना आना बंद हो जाता है। वारन्ट जारी होते हैं, लोग जा नहीं पाते हैं और परेशान होते हैं। इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि कुशलगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में एक रपट बनी हुई है उस रपट पर पुल बनाने की स्कीम तैयार कर पैसा लगावें ताकि लोगों को बांसवाड़ा कुशलगढ़ जाने आने की सुविधा हो सके। हमारे बांसवाड़ा क्षेत्र के दानपुर और कुशलगढ़ के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठावे और वास्तव

(श्री फतेसिंह)

में यदि वहां पर काम नहीं हुआ है तो सरकार काम करे लेकिन पिछली बार से अब तक कुशलगढ़ और दानपुर में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हुई हो। स्कूल नहीं हैं। कहीं स्कूल है तो मास्टर नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आप वहां के लोगों को दूर रखना चाहते हैं, यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। सरकार के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं सरकार से कहूंगा कि उस इलाके में आप शिक्षा की दृष्टि से स्कूल खोलें और मास्टरों की संख्या बढ़ावें। मिडिल स्कूल खोलें, हाई स्कूल खोलें और कुशलगढ़ में कालेज खोलें ताकि उस क्षेत्र के आदिवासी दूर नहीं जा कर के कुशलगढ़ में ही शिक्षा प्राप्त करें और उनकी स्थिति में सुधार हो। वहां पर अनपढ़ लोग हैं। कोई दूसरा धन्धा नहीं है। कुल्हाड़ी फावड़ा लेकर मजदूरी के लिए भटकते रहते हैं। उस क्षेत्र के लोग मजदूरी कब तक करते रहेंगे ? उस क्षेत्र का विकास करें। लोगों को गरीबी से दूर हटावें, यह मेरा सरकार से कहना है। मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने जब जब काम करवाये हैं, सत्ता में जो लोग रहे हैं, उन्होंने आफिसर पर दबाव डाल कर उस क्षेत्र में काम नहीं होने दिया। कुशलगढ़ दानपुर के साथ हमेशा पक्षपात किया गया और उसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर काम नहीं करवाया गया। मैं सरकार को कहूंगा कि वह कितना ही भेदभाव करें किन्तु वहां की जनता समझदार है। अभी भी वह सही रास्ते पर है। वह जी हजूरी करके काम नहीं करवायेगी। इसलिये यह सरकार का कार्य है कि वह उस इलाके में काम करावे। जिस इलाके में काम नहीं हुआ है उस इलाके में काम करावे वरना जैसा पिछली बार कहा था, इस बार भी यही नीति अपनाई गई तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के आदिवासी अपना समूह बनाकर एक अलग सूबा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए सरकार को पसीना आयेगा। इसलिए मैं यह चेतावनी देता हूं कि हमारे इलाके में बिना पक्षपात के विकास के कार्य हों। सड़कें, तालाब, एनीकट, जो भी सुविधाएं हैं, वहां की जरूरत की मुताबिक उपलब्ध करवायें।

आखिर में, मैं यह कहूंगा कि इस बजट में जो भी दर्शाया गया है वह मेरे विश्वास से दूर है, इसमें आदिवासियों के लिए कोई जिक्र नहीं किया गया है।

श्री सभापति: श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदय, बजट, यह किसी पार्टी की पुस्तिका नहीं है। बजट सम्पूर्ण राजस्थान की प्रगति का द्योतक है। इस बजट के कवर को देख कर कई बन्धु जरूर यह कह सकते हैं कि यह सुन्दर है। परन्तु इस कवर की चिकनाहट के आधार पर कोई यह बताने का प्रयत्न करे कि यह राजस्थान के विकास का मापदण्ड है तो उसने अपनी बुद्धि को बेच खाया है। कोई आधार है तो समझावें ? यह केवल शब्दों का जाल है। जो पिछले बजट हैं उसके आंकड़े हैं। बजट प्रगति का द्योतक है उसमें राजस्थान की प्रगति का प्रतिबिम्ब दिखता है। बजट, जो अगले वर्ष प्रगति होने वाली है उसकी पुस्तिका है। इस पुस्तिका को गौर से देखा जाए तो आपके सम्मुख 1978-79 में 235 करोड़ रुपये, 1979-80 में 275 करोड़, इन दोनों में बीच का अन्तर 40 करोड़ तक है। इसमें

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

खाद्यान्न की कमी रही फिर भी वृद्धि सामान्य रही, सामान्य में 2.3 प्रतिशत ज्यादा रही। इसके बाद का बजट प्रोग्रेस का था। धन खर्च किया, 17.4 प्रतिशत अधिक किया और 1980-81 में यह 345–348 करोड़ का बना। यह समझते हैं कि 20 प्रतिशत वृद्धि हुई। मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, सत्ता दल के कुछ हिमायती लोगों से प्रश्न करना चाहता हूं कि 360 करोड़ का जो बजट तैयार किया है वह 348 करोड़ की तुलना में काफी कम है। यह जनता के साथ धोखा है। यह बदमाशी की है। जनता से वोट लेने के लिए गुमराह किया गया है। उनको आश्वासन दिया गया था कि हम राज में आयेंगे, तो यह करेंगे, मंहगाई को कम करेंगे, कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे, राजस्थान का विकास करेंगे। यह विकास का नमूना है। यह विकास किया है 3.3 प्रतिशत बजट में वृद्धि है और मंहगाई में वृद्धि हुई है 17–18 प्रतिशत सूचकांक के आधार पर परन्तु एक्चुअल मंहगाई 19 से 22 प्रतिशत बढ़ी है, यह विभिन्न समीक्षाओं के अन्दर प्रकाशित होता रहता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज राजस्थान की जनता जहां पर खड़ी है उसको आप नीचे उतार रहे हैं। यह राजस्थान का बजट है और हमारे वित्त मंत्री की बुद्धि का यह नमूना है। शायद कई लोग इस बात से खुश होंगे कि इस बार किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया गया है। बढ़िया काम किया है। टैक्स लगाने का प्रयत्न किया होता तो क्या इस प्रदेश की जनता इसे बरदास्त करती, आज क्या दुर्गति है। टैक्स यदि गरीब व्यक्ति को बचा कर लगाया जाता है तो कोई हर्जा नहीं है, अगर किसी करोड़पति और लखपति की जेब से पैसा निकलवाया जाय तो उसमें कोई दुःख नहीं है, यदि हम अमीर और गरीब के बीच की खाई को भरना चाहते हैं तो हमको यह प्रक्रिया करनी पड़ेगी, नहीं तो आज दिन तक यह टैक्स की प्रक्रिया क्यों रखी। फिर तो आप अच्छा राज करते, हमेशा टैक्स मत लगाते और ऐसे ही घूमते रहते और विकास करते रहते। टैक्स लगाना आवश्यक है लेकिन टैक्स कैसे लगाया जाय, यह एक अक्ल का काम है जो शायद इस बार केन्द्रीय सरकार ने भी नहीं दिखाया और राज्य सरकार ने नहीं दिखाया। लेकिन अक्ल है, हमेशा चोर दरवाजे से घुसने की आदत है लोगों को बेवकूफ बनाकर, यह कह कर कि हमने टैक्स नहीं लगाया। तो फिर मैं एक दूसरा प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं कि यह जो 95.57 करोड़ का घाटा दिखाया है, यह 95.57 करोड़ का घाटा कैसे पूरा होगा? क्या यह 95 करोड़ का घाटा डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट राजस्थान के गरीब लोगों के पेट पर लात नहीं मारेगा? आखिर राजस्थान की तरक्की कहां से होगी? केवल एक माया जाल में फंसाया है ताकि इस पर किसी प्रकार की चर्चा न हो, वाहवाही लूट सकें। वाहवाही लूटने के आधार पर प्रदेश का विकास नहीं हो पायेगा। जो बात सच है उसको सच कहने का अभ्यास होना चाहिए। केवल इसलिए नहीं कि हम राज में आ गये और जनता ने भेज दिया वकालत करने के लिए, चाहे दिन है तो भी हम रात कहेंगे और रात है तो दिन कहेंगे। यह देश की प्रगति के लिए बहुत बड़ी बाधक होगा। सच को सच कहने में कभी कोई अफसोस नहीं करना

(130)

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चाहिए। इसलिए कह सकते हैं कि यह केवल यथास्थिति बनाये ही नहीं रखेगा बल्कि राजस्थान को अवनति के मार्ग पर अग्रसर करेगा। अगले साल जब हम इसकी समीक्षा करेंगे तब हमें लगेगा कि राजस्थान की प्रगति कितनी कम हुई है।

श्रीमन्, यही नहीं बजट में जो कुछ प्रावधान कर रखे हैं उनके कुछ आंकड़े मैंने निकाले हैं। बहुत डींग हांकते हैं कि हम सिंचाई और विद्युतीकरण में बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। केवल आपके भाषणों के शब्दों से प्रोग्रेस नहीं होती, प्रोग्रेस आंकड़ों के आधार पर होती है। सन् 1979-80 में जो हमने बजट का पर्सेन्टेज खर्च किया, वह 57 पर्सेन्ट विद्युत् और सिंचाई पर खर्च किया, हमारे टोटल बजट का 57 पर्सेन्ट, उसके बाद हमने 1980-81 में आकर उस को 55 प्रतिशत किया और आगे आते आते हमने 1981-82 में इस बजट में इसको केवल 52 प्रतिशत कर दिया। क्या यह इस बात का सबूत है कि सिंचाई और विद्युत् के बारे में जो हम इतनी डींग हांकते जा रहे हैं, हमने छठी पंचवर्षीय योजना में उतना रख दिया ? यह रखने से काम नहीं चलेगा। आपका जो प्रतिशत है यह इस बात का द्योतक है कि लगातार राजस्थान में विद्युत् और सिंचाई को नकार रहे हैं। राजस्थान में विद्युत् और सिंचाई को जिस दिन नकार दिया उस दिन राजस्थान सबसे अन्तिम सीढ़ी पर जाकर खड़ा होगा। कहां तो हमने वर्षों से प्रयत्न किया राजस्थान को आगे बढ़ाने का, हमारे ही कांग्रेस के बन्धु कहते हैं पिछली जनता पार्टी के राज में इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। लेकिन पता नहीं यह किस कारण से प्रतिशत हमने घटाया।

श्रीमन्, यही नहीं सहकारिता की बहुत डींग हांकते हैं, सहकारिता की हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। यह सहकारिता की प्रोग्रेस है पिछले 79-80 में टोटल बजट का 2 पर्सेन्ट रखा गया, या 80-81 में 2 पर्सेन्ट और इस बार सहकारिता आन्दोलन को सरकार ने तोहफा दिया केवल 1 पर्सेन्ट। यह इस बात का द्योतक है कि सहकारिता आन्दोलन को भी हम मटियामेट करना चाहते हैं। उसके बाद यातायात और संचार व्यवस्था में गिराया। 79-80 में टोटल बजट का 9 प्रतिशत हम यातायात और संचार व्यवस्था पर खर्च करते थे, 80-81 में यह 8 प्रतिशत हो गया और इस बार केवल 7 प्रतिशत कर दिया। क्या यह इस बात का द्योतक नहीं है कि हम लगातार राजस्थान की बढ़ती हुई प्रोग्रेस को रोककर विपरीत दिशा में ले जाने का षडयन्त्र कर रहे हैं ? श्रीमन्, मेरे पास वे सारे आंकड़े भी हैं कि हमने प्रतिवर्ष किस प्रकार से हरएक क्षेत्र में बढने की कोशिश की। सिंचाई पर 77-78 में 115 करोड़ खर्च करते थे, 78-79 में इसको 121 करोड़ पर ले गये, 79-80 में 157 करोड़ पर, 80-81 में 193 पर इसको ले गये और इस साल 187 करोड़ पर लाकर जैसे ऊपर चढ़ाकर नीचे गिरा दिया है।

यह जो हमारी प्रोग्रेस का तरीका है यह इस बात का द्योतक है कि हमने वास्तव में इस प्रदेश के विकास की ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। श्रीमन्, यही नहीं, मैंने पिछले भाषण में पढ़ा था,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसमें मुख्य मन्त्री जी ने बताया था, हमें विरासत में मिला कंगाल राजस्थान, हम घाटे में हैं। कहा गया 75 पाइन्ट समथिंग करोड़ का घाटा छोड़ गये। यह पता नहीं, कहां से उन्होंने इकट्ठा किया। हमने जो कुछ भी आंकड़े देखे उनके आधार पर 75.26 का घाटा नहीं था, वास्तव में 78–79 में हमने केवल 29.05 करोड़ का लाकर छोड़ा। उसके बाद 79–80 में केवल 25.93 करोड़ का घाटा था और यह घाटा 80-81 में इनके आने के बाद 40.02 करोड़ का हो गया। अब तो जाते जाते 95.57 करोड़ का घाटा दिखाया गया है। इस घाटे के आधार पर प्रदेश का विकास कैसे होगा? अगर घाटे के आधार पर प्रदेश का विकास करना है तो सौ दो सौ करोड़ की और योजना बना देते और कहते कि 50 हजार करोड़ का घाटा रहेगा। ये आंकड़े दिखा देते और राजस्थान की तरक्की जान लेते। यह लगता है कि इस घाटे के बारे में हमने कोई व्यवस्था नहीं की। इसके बारे में हमने सोचा भी नहीं कि इसका क्या होगा।

श्रीमन्, यही नहीं जिस नारे को बुलन्द किया ईमानदारी से पूछा जाय कि तुमने वोट किस आधार पर लिए थे तो इनमें से प्रत्येक का मन इस बात के लिये गवाही देता होगा कि हमने कहा था कि जनता पार्टी के राज में मंहगाई बहुत बढ़ गई। हम पूछते हैं इन अक्लमन्दों से, कितनी बढ़ी? शायद इसका तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। शायद इनको ऐसी रट सिखाई है कि झूंठ को सौ बार बोले जाओ, बोले जाओ तो वह सच हो जायगा। दुर्भाग्य से लोगों ने इसको सच समझ लिया इसलिए वह झूंठ करिश्मा हो गया। लोगों ने समझा, शायद चरण सिंह जी की महरबानी से घपला आया। इस कारण लोगों को मन में लगा कि इन्दिरा जी के राज में वास्तव में महंगाई का जो रोग है, महंगाई की मार है, शायद खतम हो जायगी। उसके बहकावे में आकर लोगों ने वोट दिए। आज अगर तुम वास्तव में औकात और हिम्मत रखते हो तो मैं कहता हूं कि विधान सभा को डिजोल्व करो और चुनाव लड़कर देखो कि तुमने किन बातों के आधार पर चुनाव लड़ा, तुमको कितने वोट मिलेंगे। केवल इस बात को कहा जाता है कि थोड़ी सी संख्या में आ गये, 32 आ गये, 33 आ गये। लेकिन 32–33 आने के बाद भी हम 22 लोग वही हैं जो पिछली बार थे।

(व्यवधान)

आपके उधर भी देखा जाय तो पुराने चेहरे तो गायब हुए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि महंगाई नहीं है।

श्रीमन्, यही नहीं किसानों के बड़े हिमायती बन गये। यह कहा गया कि किसानों का बहुत बड़ा नुकसान जनता पार्टी ने कर दिया, उसको अपना गन्ना जलाना पड़ा, उसको अपनी फसल के दाम नहीं मिले। मैं इन किसानों के हिमायतियों से एक छोटा सा प्रश्न अपनी बुद्धि के अनुसार पूछना चाहता हूं कि जिस समय शक्कर का भाव दो रुपये पन्द्रह पैसे किलो के हिसाब से था उस समय गन्ने की फिक्स्ड प्राइस 11 रुपये 75 पैसे क्विन्टल थी। आज बाजार में 7.80

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और आठ रुपये किलो के हिसाब से शक्कर मिलती है, तो आपने किसानों को क्या दिया। 22 रुपये क्विन्टल गन्ना है और आज शक्कर का भाव चौगुना हो गया। अगर आप किसानों के हिमायती हो, ईमानदारी से किसानों के लिये हमदर्दी रखते हो तो आपको भाव 22 रुपये से बढ़ाकर 48 रुपये करना चाहिये था, तब तो समझ में आता कि उनको सही कीमत देना चाहते हैं। आपने किसानों को ठगा, उनके माल को मशीन में लगा दिया और कहा कि शक्कर आ रही है। उसे शक्कर के दाम नहीं मिले। जब उसको शक्कर के दाम मिले, माल फैक्ट्री से निकल गया जिनसे मिलकर आपने अपना चुनावी सौदा किया होगा। इसी कारण से मंहगाई बढ़ा करती है। यह मंहगाई एक वस्तु में नहीं है। सारी वस्तुओं में एक के बाद एक देखते चले जाइये। 1971-72 में उपभोक्ता भावों का सूचकांक 193 था वह आते-आते आज 443 हो जाता है जिसकी वृद्धि लगभग 230 प्रतिशत है। शायद आप सोच सकते हैं कि मैं इतनी पुरानी याददाश्त क्यों दिला रहा हूं। मैं आपको बिल्कुल नजदीक की याददाश्त दिला देता हूं। 1979 में 384 था वह आज 443 हो गया। जो 59 में सूचकांक बढ़ा यह कोई साधारण नहीं, लगभग बारह प्रतिशत बैठता है। इसी तरह से जो सामान्य वस्तुयें हैं उनका सूचकांक 372 था 79-80 में वह आकर आज 421 बना, वह भी लगभग 13 प्रतिशत अधिक। इसी तरह से वृद्धि थोक भावों में भी हुई। लगातार मंहगाई के कारण सामान्य व्यक्ति का जीना कितना दुर्लभ है, यह तो वही जानते हैं जो अपने दिन गुजारते हैं। पहले जब सात रुपये किलो का तेल मिलता था तो उसको लाकर कम से कम सब्जी तो छौंक लेता था। आज 14 और साढे चौदह रुपया तेल लाकर वह अपने बच्चों का पालन भी नहीं कर सकता। खुश करने के लिए आप कुछ भी कह दें लेकिन वास्तव में उस गरीब के मन को टटोल कर देखा जाय कि इस मंहगाई की मार के कारण वह कितना दुखी है। आज व्यक्ति पैसा लेकर भी कन्ट्रोल की दुकान पर खड़ा रहता है, तीन-तीन महीने तक शक्कर नहीं मिलती है यह आपकी काबलियत का नमूना है। वह आदमी चाहता है पेट भरे, अनाज चाहता है, गेहूं 10 किलो मिले, 5 किलो मिले आप 100 ग्राम और 200 ग्राम गेहूं देते हैं, इससे उसका पेट नहीं भरता है।

यही नहीं, श्रीमान्, बेरोजगारी का हाल तो बहुत ही अजीब है। हमारे यहां जो बेरोजगारी है उसका नक्शा आपके सामने मैं रख रहा हूं। यह शायद राजस्थान के इतिहास में पहला उदाहरण होगा। मेरा ऐसा अनुमान है कि ऐसा आज दिन तक कभी नहीं हुआ जो हमारी सरकार ने करिश्मा करके दिखाया। श्रीमान्, यहां कुछ राज्य कर्मचारियों के स्वीकृत पद हैं उन स्वीकृत पदों की क्या स्थिति इस बजट में बनी है, वह मैं बता रहा हूं। श्रीमान्, जो बिल्कुल फोर्थ क्लास में है पहले 1,10,768 लोगों के पद स्वीकृत थे और अभी बने हैं 1.21 लाख। लगभग 10 हजार पद इसमें बढ़े हैं, वह 9 प्रतिशत की वृद्धि है लेकिन उसके आगे जो बिल्कुल एल. डी.सीज. हैं या थर्ड ग्रेड के मास्टर हैं

(133)

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसमें वृद्धि हुई है स्वीकृत पदों की 6 पर्सेंट। यह सुनकर भी मुझे आश्चर्य हुआ। क्या हुआ ? आंकड़े गलत छप गये, क्या हुआ ? श्रीमान्, 470 वाली ग्रेड यू. डी. सी. और IInd ग्रेड की है इसमें पिछले वर्ष 79-80 में 18740 पद स्वीकृत थे और इस बजट में 16742 केवल रहे हैं तो लगभग 2 हजार पद कैसे कम हुये ? यह कैसे ? बढ़ना तो दूर रहा, कमी कैसे हुई ? पहले तो शिक्षित व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है और थोड़ा बहुत मिलता है उसमें भी आपने करिश्मा दिखाया। अपने बजट में लगभग 11 पर्सेंट पद कम हुये। यही नहीं, मुझे आश्चर्य इस बात का है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सारे आंकड़ों को एक-एक करके नहीं ले रहा हूं। यह मूर्खता है या हमारी वृद्धि की गुलामी है ? पोस्ट्स कौन सी बढ़ाई ? फर्स्ट ग्रेड की। हमने पोस्ट्स बढ़ा दी थीं तृतीय, चतुर्थ श्रेणी, कम श्रेणी वालों की जिससे कम से कम आदमी गुजारा कर सके, अपने बच्चों का पालन कर सके. लेकिन मुझे लगता है कि यह सरकार गरीबों के हितों की दिखावटी हिमायती है, यह बड़े लोगों की हिमायती है। 620 के ग्रेड में, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, 1979-80 में 14691 पद थे वह इस वर्ष 20720 हुए, जिसमें लगभग 44 पर्सेंट बढ़ोतरी हुई। 44 पर्सेंट बढ़ोतरी, किसकी ? जो फर्स्ट ग्रेड में हैं। हमें बढ़ोतरी करनी चाहिए थी नीचे लेकिन हमारी मनःस्थिति पता नहीं क्यों, या तो सैक्रेटेरियट में बैठने वाले बड़े अधिकारी यह चाहते हैं कि किसी तरह बड़े लोगों की पोस्ट्स क्रिएट हो जायें। दुनिया भर में बवंडर मचाया। काम कुछ करते नहीं केवल छोटे कर्मचारियों को हुक्म देते हैं, स्वयं आराम मे बैठे रहते हैं। अपनी सुख सुविधा, अपनी पोस्ट्स और प्रमोशन कैसे हो का ध्यान रखते हैं। यही नहीं, आई. ए. एस. आफिसर्स में भी 13 पर्सेंट पदों की बढ़ोतरी हुई जबकि बाकी सभी में बढ़ोतरी नगण्य सी है। नीचे के पदों की बढ़ोतरी बहुत कम है, यहां बढ़ोतरी बहुत अधिक है। यही नहीं यह जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं, नियोजन कार्यालय के हैं, उनके आधार पर यह बात स्पष्ट है कि लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, केवल बीच में एक साल ऐसा आया था 1979 का जिसमें पंजीकृत 12.66% माइनस हुए। मतलब 1979 में जो 19 हजार पोस्ट थीं पोस्टें 21 हजार से 19 हजार हुई, यह केवल थोड़ा सा माइनस हुआ। बाकी लगातार अनएम्प्लायमेंट प्रोब्लम बढ़ती चली जा रही है। श्रीमान्, यही नहीं हर बार शिक्षित बेरोजगारों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। आखिर जिन लोगों को हम शिक्षा दे रहे हैं उनके जीवनयापन की आपको कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। यदि पढ़े लिखे व्यक्तियों के जीवन यापन की व्यवस्था नहीं करेंगे तो उनको चारों ओर अन्धकार दीखेगा तो फिर वह अपराध करने के लिए मजबूर होंगे। आखिर कोई भी ऐसा पढ़ा लिखा बालक नहीं चाहेगा कि मैं अपराध प्रवृत्ति का जीवन जीऊं। लेकिन सारी परीक्षायें पास करके डिग्रियां लटकाकर घूमने के बाद उसको पैर घसीटने पड़ते हैं और फिर भी जीवन की दिशा नहीं दिखती है तो उसमें अपराध प्रवृत्ति जागृत होती है। इस कारण से मैं चाहूंगा कि अगर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
वास्तव में शिक्षित बेरोजगारों के बारे में थोड़ी भी चिन्ता है तो बेकारी भत्ते वाली बात, जो लगातार चल रही है, कुछ राज्य सरकारों ने दिया है. हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी प्रारम्भ करे। अगर आपको इसमें मजबूरी आ रही है, नहीं कर सकते तो कम से कम शिक्षित बेरोजगारों के लिए लोन की ऐसी स्कीम बनायें जिससे वे छोटे-छोटे लोन लेकर भी अपना छोटा व्यवसाय प्रारम्भ कर सकें।

आज कहने के लिए तो बहुत है कि आसानी से लोन मिलता है लेकिन बेकार लोगों को लोन नहीं मिलता। प्रभाकर जी के बच्चे को जरूर मिलता है क्योंकि वह बेकार है, पढ़ा लिखा है लेकिन बाकी बेकार शायद राजस्थान में नहीं हैं। ऐसी स्थिति बेकारों की चली जा रही है। शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति बहुत ही दयनीय है, आज भी हिन्दुस्तान में वह लगभग 16 वें नम्बर पर है। केवल जम्मू काश्मीर ही एक ऐसा स्टेट है जो हमसे बाद में आता है, बाकी हम सबके नीचे हैं। यह जरूर है कि 31-32 वर्ष आप लोगों का ही राज था। हमको ढाई साल के लिए दोष देना है तो दे दो, हर्जा नहीं लेकिन हमने ढाई साल में प्रयत्न करके शिक्षा को एक गति देने की कोशिश की। आप उसके लिए हजारों बहाने बनायें। कुछ भी कह दो, कहने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा लेकिन आज भी हमारी स्थिति यह है कि 6-11 साल के 54.7 प्रतिशत बालक पढ़ने जाते हैं और उस दृष्टि से आज हिन्दुस्तान में सबसे नीचे हम 17 वें नम्बर पर हैं। यह आँकड़ा मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, सारा स्टेटिस्टिक्स से निकला है। एक एक करके देखकर मैंने निश्चय कर लिया कि हम 17वें नम्बर पर हैं इसी कारण से। यह हमारी जो गति है हमने 400 प्राइमरी स्कूल्स खोले, जहां गति इतनी बढ़ गई थी, वह लौटकर कहां आ गई ? आप प्राइमरी स्कूल्स खोलें। 6–11 साल के बच्चों की जो कुछ पहले प्रगति थी उसको फिर आपने घटाना प्रारंभ किया। यही नहीं 11 से 16 साल के बच्चे शिक्षा की दृष्टि से 26.30 प्रतिशत हमारे जाते हैं और हम हिंदुस्तान में 15वें नम्बर पर हैं। तो शिक्षा की दृष्टि से हम बहुत पिछड़े हुए हैं। यदि हम प्रदेश की प्रगति चाहते हैं तो कम से कम एक बालक को थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई का ज्ञान दें जिसके कारण से वे अपने जीवन को ठीक प्रकार से बना सकें। उसमें भी हम असफल रहे और बार-बार एक बात की रट लगाते हैं कि जनता पार्टी ने क्या किया। मैं सबूत रखता हूं, आप सीने पर हाथ रखें। सुन लीजिए, शिक्षा की दृष्टि से जनता पार्टी ने ढाई साल में जो किया, उसका आप अपने 30 साल के आंकड़ों से कम्पेरीजन करें। जो आपने नहीं हमने केवल ढाई साल में किया। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हमने केवल ढाई साल की अवधि में 2828 प्राइमरी स्कूल्स खोले और आपके दो बजटों में क्या मिला ? आपने एक में कहा 800, दूसरे में कहा 400, कुल 1200। हमने जो 2800 स्कूल खोले उसको आप योजना में पूरा करने जा रहे हैं। यह जो आवश्यकता है, जो वास्तव में हमारे नागरिकों के मूल अधिकार हैं, कम से कम वे शिक्षा ले सकें उसकी पूर्ति आप नहीं कर सके। यही नहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमने उच्च प्राथमिक स्कूल खोले थे 840, सैकेन्डरी स्कूल 671। आज आपके सैकेन्डरी स्कूलों की हालत क्या है ? 252 खोलकर बंद हो गये। दोनों बजटों में 252 सैकेन्डरी स्कूल खोले आपने।

ये कह रहे हैं कि शिक्षा में प्रगति कर रहे हैं। यह आपकी शिक्षा की प्रोग्रेस है। आपने उच्च शिक्षा का मखौल किया। पिछले दोनों बजटों में मखौल किया। क्या राजस्थान में उच्च शिक्षा की आवश्यकता महसूस नहीं करते ? क्या आपकी मान्यता है कि अब उच्च शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है ? क्या हम सब लोगों को काम की गारंटी दे रहे हैं ? उच्च शिक्षा बंद कर रहे हैं और अगर काम की गारंटी देते हैं तो हम इस बात को स्वीकार करने को तैयार हैं लेकिन काम की जब गारंटी नहीं देते हैं तो चारों ओर जो होड़ लग रही है, आगे बढ़ने के लिए जो मौलिक हक है उसको भी छीनना चाहते हैं, तो दोनों चीजें नहीं चलेंगी। हमने ढाई साल में 15 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खोले और आपने दो साल के बजट में एक भी नहीं। आपने यह बहाना जरूर लिया कि विषय खोल दिए, विषय तो हमने भी खोल दिए। बांसवाड़ा का दूरदराज का रहने वाले और कुशलगढ़ आदिवासी को घर के नजदीक पढ़ने की सुविधा मिले। बार बार मांग उठती है। यही नहीं हमने 12 ग्रेजुएट कालेज खोले। आपके बजट में आज भी उसका कोई स्थान नहीं। श्रीमान्, इतना ही नहीं मुझे तो कम से कम इस बजट में कहीं ऐसी कोई बात निकाल कर बता दो जिसके आधार पर हम कह सकें कि इस मामले में हमने प्रोग्रेस की।

क्या विद्युत की दृष्टि से हमारी प्रगति है ? मैं कहता हूं मान लीजिए, अगर हमारे सामने संकट आ गया तो कम से कम इतना तो दिमाग चलता था कि संकट के समय से पहले लोगों को आगाह तो किया जा सकता था। क्या हो गया सबको ? बिल्कुल सोये पड़े थे। अपने अधिकारियों को इस बारे में कभी ताड़ना नहीं दी कि हमारे यहां अगर चम्बल में पानी कम है, गांधी सागर में कम है तो क्या उसकी नाप का पता नहीं था कि कितनी बिजली आप पैदा कर सकेंगे ? किसानों को पूर्व सूचना दे सकते थे कि बिजली का संकट आने वाला है। पिछली बार हमारे समय में जब अकाल की स्थिति आई थी तब इस बात पर चिंता की गई थी कि पानी कम है, सिंचाई नहीं होगी तब किसानों को बुलाया गया वह बीज बुवाया गया जो कम सिंचाई में हो सके। उसको बाकी चीजों के लिए मना किया और यह कहा कि ऐसा अनाज बोयें जो कम पिलाई में हो सके।

यह तो कम से कम अक्ल लगायी जा सकती थी पर अक्ल नहीं लगायी गयी। क्या किसान को कोई कल्पना थी कि हमें बिजली नहीं मिलेगी ? क्या कोई किसान चम्बल और गांधी सागर के अन्दर कितना पानी है वह देख कर आया था ? वह तो बेचारा दूर दराज गांव में बैठा था। उसने अपने हिसाब से कि मुझे जितनी बिजली मिलनी चाहिये उतनी बिजली मिलेगी अपनी बुवाई कर दी। अगर सरकार को किसान को

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बिजली नहीं देनी थी तो जब किसान ने अक्टूबर में फसल की बुवाई की या जब उसने दूसरी फसल की बुवाई की उस वक्त उसे बता देते। अगर ऐसा कर देते तो किसान की जो फसल खराब हुई है जो खाद व बीज उसका खराब हुआ वह तो नहीं होता। क्या आप अपने किसान को करोड़पति मानते हैं? वह तो बेचारा अपने एक दो बीघा जमीन में इधर उधर से मांग तांग कर अपनी फसल बोता है। फिर अपनी फसल को अपने खून पसीने से सींचता है। उसके बाद में उसकी फसल तैयार होने की स्थिति में आती है तब आपकी बिजली गायब हो जाती है। जब बिजली गायब होती है और उसकी फसल नष्ट होने को होती है तो उस बेचारे किसान पर क्या बीतती होगी। यह तो आपके राजस्थान का किसान पता नहीं किस मिट्टी का बना है अगर कहीं दूसरी जगह का होता तो वह कभी का आपकी सरकार को उखाड़ फेंकता। आपने इतना बड़ा किसान के साथ खिलवाड़ किया, उसको आपने बरबाद कर दिया, मैं पूछना चाहूंगा कि कौनसे अधिकारी आपके निकम्मे थे जिन्होंने यह किया? आपके अधिकारी इतने बेवकूफ थे कि उनको यह भी पता नहीं था कि हम बिजली दे सकेंगे या नहीं। आखिर यह किसकी गलती की वजह से हुआ? आप उनको अब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें किसी भी अधिकारी को नहीं बचाना है। जिस जगह भी गलती हुई है जहां भी हुई है जिसने भी की उसके खिलाफ में कार्यवाही करनी चाहिये और जहां भी गलती हुई उसके लिये कोई आल्टरनेटिव तो ढूंढना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, आपने घन्टी बजा दी है वैसे तो मेरे पास काफी पाइन्ट्स थे पर अब अधिक न कहते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके बजट में जो विकास की बात कही गयी है मुझे तो किसी भी स्टेज पर किसी भी तरह का विकास नजर नहीं आता। चाहे आप सहकारिता को लें, चाहें आप सड़क की दृष्टि से लें; चाहे आप और कोई आंकड़े देखें मुझे तो कहीं भी प्रगति नजर नहीं आती। केवल यह सरकार 360 करोड़ रुपये का खर्चा कर रही है, आपने अपना भाषण पढ़ कर दस प्रतिशत की आगे बढ़ने की घोषणा कर दी। कहां बढ़ गये आप आगे? आपने जो भाषण में कहा उसके अनुसार अगर गणित करें तो आपको पता लगेगा कि या तो हम गणित नहीं जानते या, पहाड़िया जी, आपने जो पिछला बजट भाषण पढ़ा और इस साल का बजट भाषण पढ़ा उनका मिलान नहीं किया। अगर आप उन दोनों को मिलावें तो आपको पता लगेगा कि दोनों ही भाषण आपस में कान्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं एक कुछ कहता है तो दूसरा कुछ कहता है। आपने भाषण की भाषा को परिवर्तित करके यह बता दिया था कि हमने मूल योजना में दस प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। आपने तो ऐसे कह दिया कि जैसे आपने कोई बहुत बड़ी छलांग लगा दी हो और लंका में चले गये हों केवल आपने जो बजट भाषण दिया है उससे राजस्थान का विकास नहीं होगा बल्कि राजस्थान के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जायेगा। मैं इतना कह सकता हूं कि आपने जो राजस्थान के विकास के लिए भाषण दिया है और जो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
पोथी आपने राजस्थान का विकास के नाम से प्रकाशित की है इससे कोई भी व्यक्ति विकास की बात स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी समझदार व्यक्ति राजस्थान का आपके बजट को देखकर यही कहेगा कि राजस्थान अवनति की ओर जा रहा है इस सबका दोष पहाड़िया सरकार को जायेगा।

श्री सभापति : श्री गोविन्दसिंह।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद): सभापति महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा सदन में बजट पेश किया गया है उसके सम्बन्ध में निवेदन करते हुए मैं सर्वप्रथम तो यह कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री श्री पहाड़िया जी ने जो बजट सदन में पेश किया है वह इस कहावत को चरितार्थ करता है कि तेते पांव पसारिये जेते लम्बी सौर। यहां पर, सभापति महोदय, विपक्ष की ओर बैठने वाले मेरे लायक दोस्तों ने शुरू-शुरू में बहुत कुछ टीका टिप्पणी इस बजट के ऊपर की है। इस बजट को आगे बढ़ने वाला बजट नहीं बता कर इस बजट को राजस्थान को पीछे ले जाने वाला बजट कहा है। मैं उन विद्वान माननीय सदस्यों से यह उम्मीद करता था कि वह कुछ ऐसे सुझाव पेश करते यहां पर अपने भाषण में जिनके द्वारा सरकार की आय बढ़ती और कुछ हमें जानकारी मिलती। लेकिन उनकी ओर से कोई महत्वपूर्ण सुझाव नहीं आया। उन्होंने केवल तुलनात्मक ढंग से इस बजट की आलोचना की है। इस बजट में कोई कर नहीं लगाये गये हैं उसके कारण पूर्व की जो हमारी परम्परा है उसी को कायम रखा है। आज की स्थिति में हमारे राज्य की जनता में और अधिक कर भार सहने की क्षमता नहीं है इसलिए बजट में कोई नये कर नहीं लगाये गये हैं। इस प्रकार सरकार ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके साथ ही सरकार ने अकाल की विभीषिका से निपटने के लिए कई कार्यवाहियां की हैं। सरकार ने जिस गति से गिरदावरी करके हमारे राज्य में समय से पूर्व अकाल राहत कार्य शुरू किये और कई जिलों को अकालग्रस्त घोषित भी किये। उसके लिए तो हमारी सरकार बधाई की पात्र है। राजस्थान सरकार द्वारा जो अच्छे काम किये गये हैं उदाहरण के तौर पर यह बताना चाहूंगा कि सरकार की सूझबूझ के कारण पिछले अकालों के समय में लोग मर जाते थे किन्तु अब अकाल राहत कार्य जल्दी शुरू होने के कारण बहुत कम मानव हानि हुई है। इसी तरह से, सभापति महोदय, नसबन्दी के जो कार्यक्रम पिछले दो तीन सालों में किये गये थे उसकी तुलना में अब की बार नसबन्दी में वृद्धि हुई है। इस बार महिलाओं ने नसबन्दी अधिक कराई है। नसबन्दी के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि महिलाओं ने इस कार्यक्रम में काफी उत्साहवर्धक कार्य किया है। और भी, सभापति महोदय, इसके अलावा कई कार्यक्रम हैं जो कि इस बजट पुस्तिका में हैं लेकिन उनको देखने के लिए विरोधी पार्टी के माननीय सदस्यों को चश्मा बदलना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, हमारे संविधान की धारा 344 के अन्तर्गत भारत सरकार को पिछड़े वर्ग की जातियों के लिये आयोग गठन करने का अधिकार है। सभापति महोदय, उस अधिकार के अन्तर्गत

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

हमारी भारत सरकार ने एक आयोग पिछड़े वर्ग के लिए गठित भी किया था। उसने अपनी रिपोर्ट भी भारत सरकार को दी है। तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अब इसके अनुसार ऐसे पिछड़े वर्ग की जातियां रह गयी हैं जो कि दो पाटों के बीच में सदियों से पिसती चली आ रही हैं। तो जब संविधान में प्रावधान है और हमारी केन्द्रीय सरकार ने उन प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय स्तर पर आयोग का गठन किया है और उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है तो मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि। उसकी क्रियान्विति की जाय। जो उसमें जातियां घोषित की गयी है जिनकी हालत वर्षों से खराब है, जिनकी शैक्षणिक योग्यता की कमी है और जिनकी माली हालत भी खराब है उसके लिए राज्य सरकार के द्वारा भी ऐसी कार्यवाही की जाय जिससे कि उन जातियों की तरक्की हो सके।

सभापति महोदय, अच्छा हो तो यदि बजट के माध्यम से सरकार ग्रामीण और शहरी इलाकों में सीलिंग कानून जो पहले हमारे यहां बन चुका था उसमें जो खामियां हैं, उनको निकाल कर जिन गरीब लोगों के पास जमीन नहीं है या जो बेघरबार हैं जिनके पास जमीन का टुकड़ा भी नहीं है उनको जमीन देते। इस सम्बन्ध में कार्यवाही होने का मैं अभाव महसूस करता हूं जो कि पूरा होना चाहिये था। इसी तरह गत वर्ष, सभापति महोदय, बजट भाषण में चुंगी को समाप्त करने के लिए सरकार ने कहा था। इसके लिए एक समिति बनाने का निर्णय किया गया था पर अभी तक वहां समिति नहीं बन सकी है। सभापति महोदय, चुंगी चौकियों में आज भयंकर भ्रष्टाचार है। चुंगी चौकियों की वजह से यातायात में काफी दिक्कतें लोगों को होती हैं। चुंगी चौकियां भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा स्रोत हैं। अगर चुंगी को समाप्त किया जाता तो इससे जो धन राज्य सरकार को मिलता व इसके साथ साथ जो भ्रष्टाचार का पैसा लोगों को मिलता वह तो बन्द होता राज्य सरकार टैक्स लगाकर उसके जरिये वसूली करती होती तो मैं समझता हूं कि उससे हमारे यहां पर विकास होता। आप मोटर वाहन चालक या मोटर वाहन मालिक से वसूल करते तो हमारे प्रदेश, राज्य की रेवेन्यू भी बढ़ती और लोगों को राहत भी मिलती। इसी तरह, सभापति महोदय, राजस्थान स्टेट रोडवेज कार्पोरेशन के अन्दर भी बजट भाषण में सुधार करने के लिये एक समिति बनाने का पिछले बजट भाषण में कहा गया था पर ऐसी कोई समिति आज तक नहीं बनी। आज रोडवेज की हालत बहुत खराब है। उसकी हालत को सुधारने के लिए हमारे बजट भाषण में कोई नक्शा हमारे सामने पेश नहीं किया गया है।

मुझे खुशी होती यदि इस भाषण में मजदूरों के जो उद्योग हैं जिनमें वे काम करते हैं उनको उनमें शामिल करने का जो हमारे बीस सूत्री कार्यक्रम का एक अंग है उसके तहत उनको शामिल करने के लिए कोई योजना या प्रारूप इस सदन में बजट के द्वारा पेश किया जाता।

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

सभापति महोदय, मैं अब आपके सामने कुछ मेरे जिले की समस्यायें प्रस्तुत करना चाहूंगा। अजमेर जो कभी एक स्टेट था अब दिनों दिन हर क्षेत्र में पीछे हटता जा रहा है। पहले हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री जब अजमेर पधारे थे श्री बरकतुल्ला साहब तब उन्होंने राइटिंग में घोषणा की थी कि अजमेर विश्वविद्यालय का गठन किया जायेगा। सभापति महोदय, अजमेर का जो राजकीय कालेज है शायद मेरे ख्याल से न केवल राजस्थान स्टेट बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के जो कॉलेज हैं उन सबसे ज्यादा छात्र उसमें हैं। 4500 छात्र एक कालेज में अध्ययन कर रहे हैं जो कि इस बात के लिए पर्याप्त है कि वहां पर विश्वविद्यालय की स्थापना हो।

इसी तरह से, सभापति महोदय, अजमेर, किशनगढ़, नसीराबाद और ब्यावर आदि में नगरपालिकायें हैं यह पेयजल की समस्याओं से कई सालों से गम्भीर रूप से त्रस्त हैं लेकिन यह जो बजट सरकार ने पेश किया है इसमें पेयजल की समस्या को हल करने के लिए बहुत ही कम राशि रखी गयी है। सभापति महोदय, आनेवाली गर्मियों में मैं, महसूस करता हूं अजमेर जिले में पीने के पानी का भयंकर अकाल होगा और उससे त्राहि-त्राहि मच सकती है। इसलिए मैं आपके जरिये सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में जो अल्प राशि रखी है उसको बढ़ाने की कृपा करें।

सभापति महोदय, अजमेर की छवि और अजमेर के महत्व को कम न करने की घोषणा गत सत्र में इस सदन में की गयी थी लेकिन मुझे बहुत अफसोस है यह कहते हुए कि अजमेर में जो आडो विजुअल डाइरेक्टोरेट है उसको वहां से हटाने की पूरी-पूरी कोशिश की जा चुकी है। लगभग सारा सामान वहां से पैक करके उदयपुर ले जाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि अजमेर जिले और अजमेर शहर के महत्व को कम करने के किसी भी कदम को वहां के निवासी बरदाश्त नहीं करेंगे और उसके लिए जो भी तरीका उचित होगा उसको अपनायेंगे।

सभापति महोदय, अजमेर में दो बड़े कारखाने सरकारी क्षेत्र के हैं एक तो एम. टी.सी. है और एक रोडवेज का बड़ा कारखाना है। इन दोनों कारखानों को जब वहां लगाया गया था तब यह तय किया गया था कि वहां उनका एक्सटेन्शन भी किया जायेगा। लेकिन मुझे खेद है कि जो एक्सटेंशन यूनिट वहां लगाई जानी चाहिए थी वहां न लगाकर अन्यत्र लगाई जा रही है। एम.टी. सी. यूनिट उदयपुर में लगाई जा रही है और रोडवेज की यूनिट, जो यहां से वहां जानी थी, की भी एक्सटेन्शन यूनिट वहां नहीं लगाई जा रही है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे राज्य को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य घोषित किया जाये ताकि जो जिले हमारे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित नहीं हैं उनको वह लाभ मिल सके जो कि दूसरे जिलों को मिल रहा है। इस प्रकार की सुविधा की अनुपस्थिति में, सभापति महोदय, जो दूसरे जिले हैं जिनमें यह सुविधा नहीं है वह औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ते जा रहे हैं। यदि यह

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

नहीं किया गया तो एक दिन ऐसा आ सकता है जब कि यह जिले बहुत ही पिछड़ जायें। तब इनका इलाज करना शायद सम्भव नहीं हो।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि सरकार की मंशा है चुनाव कराने की— नगरपालिकाओं के चुनाव, सहकारिता के चुनाव, प्रधान व प्रमुख के चुनाव, पंचायतों के, जो स्वायत्त शासन संस्थायें हैं उनके चुनाव कराने के लिए यद्यपि आश्वासन दिया गया है लेकिन उनके चुनाव कराने के लिए कोई राशि इस बजट में प्रस्तावित नहीं की गयी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस कार्य के लिए अधिक से अधिक राशि प्रदान करके ऐसी व्यवस्था करें ताकि चुनाव जो बहुत बरसों से टालते जा रहे हैं इनमें प्रजातांत्रिक तरीकों से गैर सरकारी आदमी आकर प्रशासन संभाल सकें।

सभापति महोदय, मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है वह एक केन्टोनमेन्ट है जो कि पूरे राजस्थान में एकमात्र केन्टोनमेन्ट है और पूरे भारत में 62 केन्टोनमेन्ट में से एक केन्टोनमेन्ट है। मुझे खेद होता है, सभापति महोदय, यह बताते हुए कि हालांकि वह नगरपालिका की परिभाषा में आता है लेकिन जो अनुदान 5 रुपया प्रति व्यक्ति सरकार नगर पालिकाओं और पंचायतों को दे रही है वह राशि मेरे यहां के क्षेत्र को और इस केन्टोनमेंट बोर्ड को नहीं दी जा रही है। जो सुधार की योजनायें हैं वह भी वहां नहीं हैं हालांकि वहां पर 25–30 हजार की सिविल आबादी है, वह भी टैक्स देते हैं और जितने राज्य सरकार के कानून हैं उनसे वह गवर्न होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भी कानून बने और जो भी सुविधाएं सरकार दूसरी नगरपालिकाओं को और पंचायतों को देना चाहे वह सुविधायें केन्टोनमेंट बोर्ड को भी प्रदान की जायें इसलिये यह बहुत जरूरी है ताकि पूरे राज्य में एकमात्र केन्टोनमेंट है वह आगे तरक्की कर सके।

सभापति महोदय, नसीराबाद में केवल एक कॉलेज है, उस कालेज में भी विज्ञान संकाय का अभाव है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय, कम से कम विज्ञान संकाय की वहां व्यवस्था करें। इसी तरह से सिंधी भाइयों की वहां काफी तादाद है लेकिन वहां सिंधी भाइयों के पढ़ने के लिये 8वीं क्लास से आगे कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए वहां सिंधियों के लिए सिंधी भाषा के एक मिडिल स्कूल को क्रमोन्नत करके माध्यमिक स्कूल बनाया जाये।

मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि नसीराबाद औद्योगिक क्षेत्र होने के लिए पूर्व में घोषित किया गया है। वहां इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए। इसी तरह से जो राजस्थान में आवासन बोर्ड है उसकी भी कालोनी बनाने के लिए बहुत दिनों से प्रयत्न किये जा रहे हैं लेकिन कोई कालोनी नहीं बनाई गयी है। केन्टोनमेंट होने की वजह से केन्द्रीय सरकार ने वहां लोगों को बसाने के लिये कोई भूमि नहीं दी है इसलिए वहां

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

बड़ी समस्या है। जो छोटे-छोटे मकान हैं उनके बहुत ज्यादा किराये वसूल किये जा रहे हैं। इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन योजनाओं को वहां भी लागू किया जाये।

अंत में, सभापति महोदय, मेरा भाषण समाप्त करने से पहले मैं यह चाहूंगा कि किसानों के लिए फसल की बीमा योजना और बीज व खाद की सब्सिडी देने की योजना, जो फसल है उसका उत्पादन लागत मूल्य दिलाने की योजना आदि, इस तरह की योजनायें जो सरकार के विचाराधीन हैं उनकी इसी बजट सत्र में घोषणा की जाये ताकि किसान अपनी पूरी मजदूरी प्राप्त कर सकें और जो पैदावार करते हैं उनको पूरा मुआवजा उसका मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री अमराराम।

(अनुपस्थित)

श्री जेठमल।

(अनुपस्थित)

श्री महाराम।

और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह चीफ व्हिप की जिम्मेदारी है कि बाकी के सदस्यों को यहां रखें। हम तो अन्दाजे में रहते हैं कि कांग्रेस के इतने बोलने वाले हैं उसके बाद बोलेंगे।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 10 मार्च, 1981 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.50 बजे मंगलवार दिनांक 10 मार्च, 1981 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 115 का विवरण

शर्तों का विवरण

1. मैसर्स केल्वीनेटर्स आफ इण्डिया लि. अरावली स्वचालित वाहन लि. के समस्त अंशधारियों (आर्डिनरी शेयर होल्डर्स) को उनके प्रत्येक 10/- रु. के अंकित मूल्य के हिस्से पर स्थगित भुगतान के आधार पर सम्पूर्ण 10) रु. का भुगतान करेगा। 10) रु. के अंकित मूल्य में से प्रारम्भ में प्रथम किश्त 50 पैसे प्रति हिस्से के हिसाब से समस्त अंशधारियों को मैसर्स केल्वीनेटर्स ऑफ इण्डिया लि. अपने हिस्से जिसका अनुमानित मूल्य 20) रु. प्रति हिस्सा माना गया है हस्तान्तरित करेगा। शेष 9.50 रु. प्रति हिस्से का भुगतान 5 वर्ष के विलम्ब काल के पश्चात् 10 वार्षिक समान किश्तों में नकद रूप में किया जायेगा।

2. रीको एवं समस्त अन्य वित्तीय संस्थाएं अरावली स्वचालित वाहन लि. को दिए गए सभी प्रकार के ऋणों पर 30–6–80 तक की सम्पूर्ण ब्याज की राशि का अपलेखन करेंगे। 1–7–80 से समस्त ऋण की राशि पर मैसर्स केल्वीनेटर्स ऑफ इण्डिया लि. निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

3. रीको एवं समस्त वित्तीय संस्थाओं को उनकी ऋण की राशि का भुगतान मै. केल्वीनेटर्स ऑफ इण्डिया लि. तीन वर्ष के विलम्ब काल के पश्चात् 7 वर्षों में समान वार्षिक किश्तों में करेगा।

4. मै. अरावली स्वचालित वाहन लि. के समस्त कर्मचारियों को मै. केल्वीनेटर्स ऑफ इण्डिया लि. उनकी वर्तमान सेवा शर्तों पर अथवा अधिक लाभकारी सेवा शर्तों पर रखेगा।

5. मै. केल्वीनेटर्स ऑफ इण्डिया लि. का प्रस्ताव आयकर अधिनियम की धारा 72-ए के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही क्रियान्वित किया जायेगा।

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न सं. 116 की सूची

सवाई माधोपुर शहर में चलने वाली कान्ट्रैक्ट कैरिज बसों की सूची

क्र. सं.	नाम अनुज्ञा पत्रधारी	बस संख्या/वाहन संख्या	अनुज्ञा पत्र सं.
1.	श्री हुसमुद्दीन	आर. जे. यू. 1430	598
2.	श्री बंसीमल	आर. जे. यू. 1569	615
3.	श्री सूरज मल	आर. जे. यू. 2225	609
4.	श्री सैयद असलम हुसैन	आर. जे. यू. 1578	617
5.	श्री गुमान सिंह	आर. जे. यू. 1587	610
6.	श्री मोहम्मद युसूफ	आर. आर. जी. 508	630
7.	श्री मोहम्मद शफी खां	आर. जे यू. 1834	704
8.	श्री ताहिर अली	आर. जे. यू. 2036	742
9.	श्री अब्दुल हकीम	आर. जे. आर. 9965	2830
10.	श्री रामस्वरूप	आर. आर. एल. 9367	2844
11.	चेयरमैन नोटिफाइड एरिया कमेटी	आर. जे. यू. 1335	2904
12.	श्री मोहन लाल	आर. जे. यू. 2267	2910
13.	श्री देवी नारायण	आर. एस. बी. 3279	2928
14.	श्री राधेश्याम	आर. एस. जी. 2059	2937
15.	श्री लक्ष्मण सिंह	डी. एल. पी. 6205	2972
16.	श्री अब्दुल जब्बार	आर. जे. यू. 2407	3873

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 120 का विवरण पत्र

खातेदारी भूमि में आर. सी आर. एल. के प्लाट आवंटन हेतु प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों का विवरण प्रपत्र

क्र.सं. 1	नाम आवेदनकर्ता 2	आवेदन की दिनांक 3	सरेंडर की गई जमीन का विवरण 4	भूगर्भिक स्थिति 5
1.	श्री भंवर लाल भण्डारी	6-10-77	मौजा नयानगर (उनालीछापर) आ. नं. 105/1 रकबा 5, 1/1	सैन्ड स्टोन की अच्छी डिपाजिट है। नयानगर चालू खान बाउण्ड्री के नजदीक है।
2.	श्री कन्हैया लाल धाकड़	26-4-78	मौजा नयानगर आ. नं. 486/रकबा 5. 11/4	उक्त क्षेत्र में सैन्ड स्टोन की अच्छी डिपाजिट है तथा चालू खान जेरी नं. 4 के नजदीक है।
3.	श्री मोड़ सिंह राजपूत	21-2-79	मौजा ग्राम सलकुडीया आ. नं. 479/285 रकबा 3	उक्त क्षेत्र में सैन्ड स्टोन की अच्छी डिपाजिट है तथा चालू खान सतकुडीया के पास है।
4.	श्री हेमराज मीणा	7-7-79	ग्राम नयानगर आ. नं. 1114/238 रकबा 7. 1/4	उक्त क्षेत्र में सैन्ड स्टोन की अच्छी डिपाजिट है तथा चालू खान जलेरी नं. 1 ब्लाक बाउण्ड्री के पास में स्थित है।
5.	श्री सूरज मल/भूरालाल मीणा	6-7-79	ग्राम मौजा भाड़ोली आ. नं. 564 अथवा 5/1	उक्त क्षेत्र में सैन्ड स्टोन की अच्छी डिपाजिट है तथा चालू खान करौली के पास में स्थित है।
6.	श्रीमती शारदा देवी शर्मा	1-9-79	ग्राम खेरखेड़ा में आ. नं. 677 में रकबा 5	उक्त क्षेत्र में सैन्ड स्टोन की अच्छी डिपाजिट है तथा चालू खान बान्या के तालाब के पास है।

7.	श्री बद्रीलाल शर्मा	1-9-79	ग्राम खेरखेड़ा में ख्रा. नं. 713/416 रकबा 8	उक्त क्षेत्र में सैन्ड स्टोन की अच्छी डिपाजिट है तथा चालू खान वान्या के तालाब के पास है।
8.	श्री मोहनलाल मीणा	3-9-79	ग्राम खेरखेड़ा में ख्रा. नं. 426 रकबा 4.11	,,
9.	श्रीमती मगनी बाई मीणा	3-9-79	ग्राम खेरखेड़ा में ख्रा. नं. 540-541 रकबा 1. 3/4/3	,,
10.	श्री मोहन लाल मीणा	3-9-79	ग्राम खेरखेड़ा में ख्रा. नं. 436 में रकबा 5	,,
11.	श्री लादू पिता देवा मीणा	3-9-79	ग्राम खेरखेड़ा ख्रा. नं. 435 रकबा 6.1/4	,,
12.	श्री मदन मीणा	3-9-79	ग्राम खेरखेड़ा में ख्रा. नं. 425 रकबा 3.1/	,,
13.	श्री देवीलाल मीणा	24-11-79	ग्राम वान्या की तालाब ख्रा.नं. 19–20 रकबा 5	क्षेत्र में खनिज सैन्ड स्टोन की अच्छी डिपाजिट है तथा चालू खान वान्या का तालाब के पास स्थित है।
14.	श्री हिम्मत सिंह गंग	24-11-79	ग्राम मोहपुरा ख्रा.नं. 90 रकबा 8.1/1 का 1/2 भाग	,,
15.	श्रीमती जानकी देवी मीणा	24-11-79	ग्राम वान्या का तालाब ख्रा. नं. 10 रकबा 2.1/1	,,

1	2	3	4	5
16.	श्री देवीलाल अहीर	24-11-79	ग्राम दरोली में आ. नं. 214 रकबा 214/5	क्षेत्र में सैन्ड स्टोन की अच्छी डिपाजिट है तथा चालू खान कास्याडर के पास स्थित है :
17.	श्री भुवानी लाल मीणा	24-11-79	ग्राम चिलस्मा में आ. नं. 529 2.1	"
18.	श्री शिवलाल अहीर	24-11-79	ग्राम माहुपुरा आ. नं. 80 में रकबा 3/1	"
19.	श्री तेजमल मांग	24-11-79	ग्राम माहुपुरा आ. नं. 90 में रकबा 8.1/1 का 1/2 हिस्सा	"
20.	श्रीमती लालली बाई मीणा	26-11-79	ग्राम नयानगर आ. नं. 1134/238 में 7/79	सैन्ड स्टोन की अच्छी डिपाजिट है तथा खान जलेरी नं. 1 के पास में स्थित है।
21.	श्री घीसी बाई मीणा	26-11-79	——1/2 हिस्सा	"
22.	श्री रमेश कुमार चक्रपाणी	2-5-80	नयानगर में आराजी नं. 247 में रकबा 5/12	"

परिशिष्ट-4

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके प्रश्न एवं उनके उत्तर

भारत पाक सीमा पर जासूसी गतिविधियां

123. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) एवं श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या भारत-पाक सीमा पर जासूसी गतिविधियां कुछ दिनों से बढ़ गयी हैं ? यदि हां, तो अब तक इसे रोकने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

जी नहीं।

जयपुर, अजमेर व जोधपुर शहर की मरम्मत तलब सड़कें

124. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वर्ष 1980 में विभिन्न जिलों की हाईवे एवं विशेष सड़कों को सार्वजिनक निर्माण विभाग द्वारा नगर परिषदों से अपने क्षेत्र में लिया गया है ? यदि हां, तो किस किस जिले में नगर परिषद् की सीमा में और कौन कौन सी सड़कें उक्त विभाग के अधीन हो चुकी हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि डामर के अभाव के कारण जयपुर, अजमेर व जोधपुर आदि नगरों की सड़कों की दशा दयनीय हो गयी है ? यदि हां, तो इन जिलों की सड़क के निर्माण का कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

केवल अजमेर और कोटा नगर परिषद् सीमा में पड़ने वाली मुख्य सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सन् 1980 में रख रखाव हेतु लिया गया। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

जयपुर एवं अजमेर नगरों की जिन सड़कों का स्थानान्तरण सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिया जा चुका है उनका रख-रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग जैसे-जैसे धन उपलब्ध होता है करता जा रहा है। जोधपुर में नगर परिषद् की सड़कें अभी सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित नहीं की गई है। लेकिन कुछ स्टेट हाईवे जो नगर में से पास हो रही हैं उनका रख-रखाव सन्तोषजनक है।

148

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

तारांकित प्रश्न संख्या 124 की सूची

नगर परिषद् कोटा की सड़कों की सूची जो नगर खण्ड कोटा को दिनांक 29-9-80 को स्थानान्तरित की गई हैं।

क.सं.	नाम सड़क
1	2

शहर पनाह के अन्दर की सड़कें

1. किशोरपुरा गेट से सूरजपोल वाया केथूनी पोल और पलायता हाउस
2. केथूनी पोल से सब्जी मण्डी वाया लालबुर्ज चारखम्भा तक
3. गढ़ से बैराज तक
4. टिपटा चौराहे से वृज टाकीज वाया पाटन पोल घन्टाघर बजाज खाना रामपुरा और लाडपुरा।
5. लिंक रोड लाडपुरा गेट से बून्दी बस स्टेण्ड
6. मोहन टाकीज ग्रिड सब स्टेशन II से गीता भवन वाया सिटी बस स्टेण्ड

शहर पनाह के बाहर की सड़कें

7. सिविल लाईन एरिया की सड़कें महाराव भीम सिंह चिकित्सालय के सामने की
8. रंगपुर सड़क नं. 1 2, 3, 4 व उनकी लिंक सड़कें
9. खेड़ली फाटक से खेड़ली गांव तक
10. लिंक सड़क मनोज टाकीज से माला रोड़
11. भीमगंज मण्डी व रेलवे स्टेशन कॉलोनी की सड़कें
12. डी.सी.एम. सड़क से कन्सुवा तालाब तक
13. अप्रोच सड़क बालिता गांव से कोटा बून्दी सड़क
14. अप्रोच सड़क नान्ता गांव से कोटा अभेड़ा तक
15. अप्रोच सड़क गणेशपुरा गांव तक

सड़क की सूची जो नगर परिषदों से अजमेर खण्ड को स्थानान्तरित की गई है :

1. सर्कुलर रोड 1 रोडवेज सड़क से मेयो कालेज
2. मेयो कालेज लिंक रोड (मेयो कालेज से नसीराबाद रोड)
3. सावित्री कालेज रोड (जिलाधीश सर्किल से लोहागल रोड)
4. कचहरी रोड (लोक सेवा आयोग से महात्मा गांधी भवन चोराहा)
5. श्रीनगर रोड किलोमीटर 4/0 तक।
6. अजमेर अररका रोड 5 किलोमीटर तक।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

1	2

7. पुष्कर रोड (महावीर चौराहे से रीजमल कालेज चमार घाटी से होकर)
8. नेशनल हाईवे 8 से (टी. टी. कालेज से रिजर्व पुलिस लाइन)
9. नेशनल हाईवे 8 से (मोडल जेल से अजमेर अररका रोड) शास्त्री नगर।
10. नेशनल हाईवे 8 से होकर अररका रोड (राम भवन) जिलाधीश निवास से होकर।
11. कचहरी से रिजर्व पुलिस लाइन (रेवेन्यू बोर्ड से होकर)
12. नेशनल हाईवे 8 से (चांद ढलाई खाना) जवाहर लाल नेहरू अस्पताल।
13. अजमेर पुष्कर रोड से फाई सागर सड़क।
14. नेशनल हाईवे 8 से (विश्राम भवन के पास) अजमेर क्लब तक।
15. अजमेर क्लब से सर्किट हाउस क्रोसिंग तक।
16. मेडिकल कालेज से सर्किट हाउस क्रोसिंग तक।
17. सड़क आदर्श नगर कालोनी तक।
18. भगवान गंज की सड़कें।
19. जोन्स गंज की सड़कें।
20. क्रिश्चियन्स गंज कोलोनी व जीवन बीमा निगम कॉलोनी की सड़कें।

राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्तों की स्वीकृति

125 श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जब जब भी मूल्य सूचकांक बढ़ जाते हैं; केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार और कर्मचारी महासंघ के बीच में इस प्रकार का कोई समझौता हुआ है कि जब जब भी केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करेगी उसी भांति राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने को वचनबद्ध है ? यदि हां, तो उक्त वचन का पालन कब कब किया गया और कब कब नहीं ?

(3) क्या यह भी सही है कि सितम्बर, 1980 और दिसम्बर, 1980 में मूल्य सूचकांक बढ़ जाने पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो किस भांति और राज्य सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) केवल मात्र सितम्बर, 80 से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संलग्न कार्यालय ज्ञापन के अनुसार

(वित्त मंत्री)

वृद्धि की गई है। दिसम्बर, 1980 से देय महंगाई भत्ते के बारे में अभी केन्द्र सरकार ने आदेश जारी नहीं किये हैं। सितम्बर, 1980 से राज्य कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

तारांकित प्रश्न संख्या 125 की सूची

Copy of Office Memorandum No. 13017/8/80-E.II (8) dated 6th January, 1981 issued from Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, New Delhi.

Sub:—Payment of additional dearness allowance to Central Government employees—Revised rates effective from 1st September, 1980.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's Office Memorandum No. 13017/7/80-E.II(8) dated 3rd October, 1980 on the above mentioned subject and to say that the President is pleased to decide that the rates of additional dearness allowance specified in para 1 of that O.M. will stand modified as follows with effect from 1st September, 1980:—

Pay Range	Rates of additional dearness allowance per mensum.
(i) Upto Rs. 300/-	49.5% of pay, subject to a minimum of Rs. 35/- plus 32% of pay and a maximum of Rs. 146/-
(ii) Above Rs. 300/- and upto Rs. 400/-	Rs. 62/- plus 28% of pay.
(iii) Above Rs. 400/- and upto Rs. 800/-	36.5% of pay, subject to a minimum of 15.5% of pay, plus Rs. 112./-
(iv) Above Rs. 800/- and upto Rs. 900/-	Rs. 100/-plus 24% of pay.
(v) Above Rs. 900/- and upto Rs. 1000/-	Rs. 127/-plus 21 % or pay.
(vi) Above Rs. 1000/- and upto Rs. 1030/-	Amount by which pay falls short of Rs. 1337/-
(vii) Above Rs. 1030/- and upto Rs. 2,57/-	Rs. 307/-

(वित्त मंत्री)

2. The total dearness allowance as well as additional dearness allowance on the pay above Rs. 2157/- will continue to be regulated as indicated in para 2 of this Ministry's O.M. No.13017/7/80 E.II(8) dated 3-10-1980.

3. The payment on account of dearness allowance and addl. dearness allowance will be rounded off to the nearest 10 paise.

4. In regard to Armed Forces Personnel and Civilian employees paid from the Defence Service estimates and Railway employees, necessary orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways respectively.

5. In so far as persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

6. Hindi Version of this office memorandum is attached.

Sd/- V. S. Jafa
Joint Secy. to the Govt. of India.

जयपुर की हसनपुरा, दुर्गापुरा व झोटवाड़ा की कच्ची बस्तियां

126. श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : क्या नगर आयोजना एवं नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर में स्थित हसनपुरा, दुर्गापुरा व झोटवाड़ा की कच्ची बस्तियों के विकास हेतु गत तीन वर्षों में राज्य सरकार ने कितना धन व्यय किया है ? कृपया बस्ती के अनुसार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दुर्गापुरा, हसनपुरा व झोटवाड़ा स्थित कच्ची बस्तियों में से कुछ वस्तियों में विकास पर कुछ भी व्यय नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) जिन वस्तियों पर ध्यान नहीं दिया गया उन्हें कब तक आवश्यक सुविधाएं एवं मकान बनाने की अनुमति प्रदान कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) हसनपुरा, दुर्गापुरा व झोटवाड़ा की विभिन्न कच्ची बस्तियों में गत 3 वर्षों में विभिन्न विकास कार्यों पर किये गये व्यय का विवरण संलग्न तालिका में अंकित है।

(2) जी नहीं। ऐसी कोई बस्ती नहीं जिन पर विकास हेतु कुछ भी व्यय नहीं किया गया हो।

(3) 21-8-1971 से पूर्व की बस्तियों के नियमन की कार्यवाही निरन्तर की जा रही है एवं मकान बनाने की अनुमति भी दी जा रही है। इसके पश्चात् की बस्तियों का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

तालिका

हसनपुरा :–	28-2-78 तक कुल व्यय	1-3-78 से 28-2-78 तक किया गया व्यय	अब तक कुल व्यय
1. हसनपुरा ए (लोको शेड के पीछे)	494362/–	–	494362/–
2. हसनपुरा बी (खातीपुरा)	352979/–	–	352979/–
3. हसनपुरा सी (फतह नगर)	55384/–	32671/–	88055/–
4. झोटवाड़ा			
1. रैगर बस्ती	–	209986/–	209986/–
2. घानका बस्ती	–	74713/–	74713/–
3. बरकत बस्ती	–	99265/–	99265/–
योग :–	9,02,725/–	4,16,635/–	13,19,360/–

दुर्गापुरा व खवासजी का बाग सिंधी कालोनी दुर्गापुरा में विभिन्न विकास कार्यों पर निम्न प्रकार राशि व्यय की जा चुकी है :–

दुर्गापुरा :–

दुर्गापुरा के लिए कुल राशि 84,900/– रुपये स्वीकृत थे। जिनमें से कुल राशि 83,487/– रुपये व्यय किये गये।

खवासजी का बाग सिंधी कालोनी दुर्गापुरा :–

उक्त योजना के लिए कुल रुपये 112500/– स्वीकृत थे जिनमें से उक्त कालोनी में रुपये 33,871/– सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है तथा रुपये 30517/– की नाली बनाई जा चुकी है। वर्तमान में इस बस्ती में सड़कों एवं नालियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

बीकानेर की पेयजल समस्या का समाधान

127. श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि माह मई, जून, 1980 में बीकानेर में पीने के पानी की विकट समस्या रही है ? यदि हां, तो आगामी गर्मी में पीने के पानी की समस्या के निदान हेतु क्या नये नलकूप निर्माण करने का सरकार का विचार है ?

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

(2) क्या बीकानेर के कुओं को बिजली के उच्चावचनों से होने वाली उत्पादन क्षति को बचाने हेतु सीधा विद्युत् कनेक्शन दिलाया जायेगा ?

(3) माह मई. जून 1980 में बीकानेर शहर में प्रति दिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता थी एवं कितनी पूर्ति की गई ? आगामी मई, जून 1981 में बीकानेर शहर में कितने लीटर पानी की आवश्यकता प्रतिदिन अनुमानित है एवं उसकी पूर्ति किन-किन स्रोतों से कितनी-कितनी मात्रा में की जायेगी ? पानी की कमी पड़ने पर किस स्रोत द्वारा व्यवस्था की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। समस्या विकट नहीं थी, क्योंकि आवश्यकता के अनुपात में लगभग 75% जल की मात्रा वितरित की गई। आगामी गर्मी में वितरण वृद्धि हेतु तीन नये नलकूप तैयार किये जा चुके हैं तथा दो कूप निर्माणाधीन हैं।

(2) पिछले वर्ष विद्युत् व्यवस्था में सुधार किये जाने के फलस्वरूप वर्तमान में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।

(3) पिछले वर्ष मई, जून में बीकानेर नगर को औसतन 315 लाख लीटर पेयजल प्रतिदिन वितरित किया गया जबकि आवश्यकता लगभग 400 लाख लीटर प्रति दिन थी। आगामी मई, जून में नगर की प्रति दिन आवश्यकता लगभग 420 लाख लीटर प्रतिदिन अनुमानित है। इस आवश्यकता की पूर्ति 360 लाख लीटर स्थानीय कुओं एवं नलकूपों से व 60 लाख लीटर राजस्थान नहर से की जायेगी। स्रोतों में जल की कमी होने की सम्भावना नहीं है, परन्तु विद्युत् सप्लाई पूर्ण समय प्राप्त होना आवश्यक है।

बाड़मेर जिले में पंचायत एवं विकास विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्त पद

129. श्री अमीन खां (शिव) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में पंचायत एवं सामुदायिक विकास विभाग के अधीन कार्यालयों में 126 पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कृपया समितिवार सूचना सदन के पटल पर रखें।

(2) विभाग द्वारा कब तक रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही करली जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) संबंधित विभागों से प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने वाले कर्मचारियों के नाम प्राप्त न होने से नियुक्ति नहीं की जा सकी है। उनसे नाम प्राप्त होते ही रिक्त पदों की पूर्ति करदी जावेगी। पंचायत समितियों में नई नियुक्ति पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण पदों की पूर्ति नहीं की जा सकी है। नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध हटते ही रिक्त पदों की पूर्ति करदी जावेगी।

(पंचायत मंत्री)

जिला बाड़मेर के अधीन पंचायत समितियों के लिए स्थानों की सूचना

क्रम स.	नाम पंचायत समिति	पशुपालन प्रसार अधिकारी	कृषि प्रसार अधि.	शिक्षा प्रसार अधि.	कनिष्ठ लेखाकार	वरिष्ठ लिपिक	कनिष्ठ लिपिक	ग्राम सेवक	अध्यापक	पशुधन सहायक	जीप चालक	चतुर्थ श्रेणी कर्म.	ऊंट सवार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	बाड़मेर	–	–	1	1	–	–	4	13	–	–	–	1
2.	बायतु	–	1	2	1	–	1	4	6	1	1	1	–
3.	बालोतरा	–	–	–	1	–	–	1	2	–	–	–	2
4.	सिवाना	–	–	1	1	–	1	–	4	1	–	–	–
5.	सिणधरी	–	–	1	1	–	1	–	13	–	–	–	–
6.	शिव	–	–	1	–	–	2	2	14	2	–	–	–
7.	धोरीमन्ना	1	–	1	–	–	1	6	[illegible]	–	–	–	–
8.	चौहटन	–	–	1	1	–	1	4	9	–	–	–	–
	कुल योग	1	1	8	6	–	7	21	88	4	1	1	3

विद्युत् सम्बन्धी अन्तर्राज्यीय विवाद

130. सुश्री पुष्पा जैन (अजमेर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विद्युत सम्बन्धी कौन कौन से अन्तर्राज्यीय विवाद किस-किस स्तर पर कब-कब से अनिर्णीत पड़े हैं ?

(2) विद्युत् के इन स्रोतों में प्रत्येक की लागत क्या क्या है और उनसे कितनी-कितनी बिजली राज्य को प्राप्त होने का अनुमान है ?

(3) सन् 1980-81 में इन विवादास्पद मामलों का शीघ्र निर्णय कराने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कब-कब क्या क्या कार्यवाही की गयी है ? कृपया प्रत्येक प्रश्न से सम्बन्धित इन विद्युत् परियोजनाओं का एक विस्तृत विवरण सदन के पटल रखें।

उत्तर

(1) विद्युत संबंधी निम्नलिखित अन्तर्राज्यीय विवाद अभी तक अनिर्णीत पड़े हैं:—

परियोजना का नाम	कब से अनिर्णीत है
1. थीन डेम परियोजना	सन् 1963
2. नाथपा झाकड़ी परियोजना	जून, 1977
3. आनन्दपुर साहिब परियोजना	सितम्बर, 1971
4. मुकेरियां परियोजना	अप्रेल, 1977

उपरोक्त सभी मामलों में अन्तिम निर्णय भारत सरकार के विचाराधीन है।

(2)

नाम परियोजना	कुल लागत (करोड़ रु. में)	लागत आंकने का वर्ष	राजस्थान का अपेक्षित हिस्सा मेगावाट	प्रतिशत
(क) थीन परियोजना	242.32	नवम्बर, 77	252.48	52.6
(ख) नाथपा झाकड़ी	271.90	दिसम्बर, 75	156.76	15.22
(ग) मुकेरियां परियोजना	75.57	नवम्बर, 75	121.10	58.5
(घ) आनन्दपुर साहिब	52.40	जून, 1975	26.8	20

(3) वर्ष 1980-81 में विभिन्न अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं में राजस्थान को हिस्सा दिलाने के लिये अनेकों बार मुख्य मंत्री महोदय ने प्रधान मंत्री व ऊर्जा मंत्री व ऊर्जा राज्य मंत्री, भारत सरकार को तथा सचिव, विद्युत् विभाग, राजस्थान सरकार ने सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र लिखे हैं तथा अनेकों बार विभिन्न स्तरों पर मीटिंग की गई व व्यक्तिगत रूप से भी सम्पर्क स्थापित किया गया। इन परियोजनाओं के बारे में मुख्य बातें बताते हुए एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

थीन बांध : विद्युत् में राजस्थान का भाग

विभाजन-पूर्व की आवश्यकताओं को पूरी करने के पश्चात् रावी तथा व्यास नदियों के जल के बंटवारे के लिए संबंधित राज्यों के बीच 29–1–1955 को एक अन्तर्राज्यीय करार हुआ था। इस करार के अनुसार राजस्थान को विभाजन-पूर्व उपयोगिता के रूप में गंग नहर में उपयोग के लिये 1.11 एम.ए.एफ. जल के अधिकार के अतिरिक्त रावी और व्यास से 8 एम.ए.एफ. जल आवंटित किया गया था।

व्यास नदी जल संस्रोतों का उपयोग

व्यास नदी के जल को उपयोग करने हेतु पोंग पर एक बांध बना है। इसके अतिरिक्त व्यास सतलज संयोजन द्वारा व्यास नदी का कुछ पानी सतलज नदी में भी डाला जा रहा है जिसके द्वारा देहड विद्युत् गृह में बिजली पैदा होती है। राजस्थान को 1955 के उपर्युक्त करार के अनुसरण में उपर्युक्त परियोजना में जल और विद्युत् दोनों में ही हिस्सा दिया गया है रावी नदी पर अभी तक कोई भंडार कार्य निर्माण नहीं किया गया है। वर्तमान में रावी नदी से बह जाने वाले प्राप्त जल का कुछ उपयोग माधोपुर व्यास संयोजन द्वारा किया जा रहा है, लेकिन रावी से उपलब्ध पूरे जल का उपयोग नहीं हो पाता। जब तक रावी नदी के पानी का पूरा उपयोग नहीं लिया जाता, अनुमानित कुल जल उपलब्धता का उपयोग नहीं किया जा सकता।

अतः माधोपुर की धारा के ऊपर की ओर थीन गांव के निकट रावी नदी पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव है। बांध का बाया किनारा पंजाब में जबकि दायां किनारा जम्मू एवं कश्मीर राज्य में होगा। बांध का जल ग्रहण क्षेत्र 2350 वर्गमील होगा, कुल भण्डारण क्षमता 2.66 एम.ए.एफ. की तथा जीवन्त भण्डारण क्षमता 0.90 एम.ए.एफ. की होगी। इसकी 420 मेगावाट (70 मेगावाट की 6 इकाइयां) की विद्युत् क्षमता भी होगी। पंजाब थीन बांध और जल विद्युत् स्टेशन का निर्माण करा रहा है, परन्तु अभी तक मुख्य बांध या जल विद्युत् परियोजना पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। अभी तक केवल प्रारम्भिक कार्य शुरू हो पाये हैं।

पंजाब का तर्क है कि राजस्थान को 1955 के करार के अधीन निर्धारित हिस्से का पानी तो थीन बांध से दिया जायेगा लेकिन यह इस परियोजना में उत्पादित होने वाली विद्युत् का हकदार नहीं होगा। जैसे कि भाखडा जहां सतलज के पानी से विद्युत् उत्पादित होती है, पोंग जहां व्यास के पानी से विद्युत् पैदा की जाती है तथा देहड जहां व्यास सतलज संयोजन विद्युत् उत्पादन करता है, तीनों में राजस्थान का हिस्सा है, चूंकि राजस्थान का रावी के

पानी में हिस्सा है अतः विगत दृष्टान्तों के आधार पर थीन बांध से उत्पन्न विद्युत् में भी उसे हिस्सा दिया जाना चाहिये।

यह मामला परस्पर नहीं सुलझाया जा सका और इसलिये प्रधान मंत्री ने 3-10-1977, 20-1-1979 तथा 14-2-1979 को तीन बैठकें बुलाईं। 14-2-1979 को आयोजित बैठक में यह भी निश्चय किया गया कि मामला विधिक राय के लिए महान्यायवादी को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। संबंधित राज्य, अर्थात् राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तथा जम्मू व कश्मीर में 1979 में महान्यायवादी को अपने पक्ष प्रस्तुत किये। यह समझा जाता है कि महान्यायवादी ने प्रधान मंत्री को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। भारत सरकार ने अभी तक अन्तिम विनिश्चय से अवगत नहीं कराया है। भारत सरकार के विनिश्चय से सूचित कराये जाने के लिये राजस्थान सरकार अपने स्तर पर मामले का अनुसरण कर रही है। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री को भी हमारे इस मामले से अवगत करा दिया गया है और निवेदन किया गया है कि मामले को जल्दी ही निपटाने के लिये वे अपने प्रभाव को काम में लावें

3-10-1979 की बैठक के दौरान यह विनिश्चय किया गया था कि थीन बांध की विद्युत् में हिस्सा लेने संबंधी राजस्थान और हरियाणा के दावे पर विचार लंबित होते हुए भी कार्य तुरन्त आरम्भ कर दिया जाना चाहिये। यह भी विनिश्चय किया गया था कि थीन बांध के लिये एक अन्तर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड भी होगा, केन्द्रीय सिंचाई मंत्री जिसके अध्यक्ष होंगे, केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री उपाध्यक्ष होंगे तथा राज्यों के मुख्य मंत्री और कृषि एवं विद्युत् मंत्री इसके सदस्य होंगे। बोर्ड का अभी तक गठन नहीं किया गया है यद्यपि पंजाब द्वारा कार्य आरम्भ कर दिया गया है। इस बोर्ड के शीघ्र गठन के लिये भारत सरकार को उच्च स्तर पर निवेदन किया गया है।

2. नाथपा झाकड़ी परियोजना के संबंध में

सतलज नदी के उच्चतर फैलाव में, शिमला से करीब 150 मील की दूरी पर नाथपा झाकड़ी दो गांव के बीच सतलज नदी के पानी को मोड़ने के लिए सतलज नदी के करीब बराबर-बराबर एक सुरंग सन्निर्मित करने का प्रस्ताव है। सुरंग के अन्त में करीब 430 मीटर की ढाल (ड्राप) है। इस स्कीम से मानसून के मौसम के दौरान, अर्थात् जुलाई से सितम्बर तक 1020 मेगावाट तक विद्युत् उत्पादन होगा लेकिन मध्यवर्ती मौसम के दौरान न्यूनतम 103 मेगावाट विद्युत् ही उपलब्ध होगी। इस परियोजना के अधीन, करीब 272 करोड़ की अनुमानित लागत से छः इकाइयां स्थापित करने का विचार है जिसमें प्रत्येक की 170 मेगावाट क्षमता होगी। परियोजना स्थल हिमाचल प्रदेश में स्थित है हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा सरकारों ने इस परियोजना की लागत और इससे होने वाले फायदे को आपस में बांटने का एक द्विपक्षीय करार किया है। अन्य किन्हीं राज्यों के बारे

में, जो इस पानी के उपयोग से संबंधित है, कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 1977 में समाचार-पत्रों के माध्यम से राजस्थान सरकार के ध्यान में यह आया कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का इस परियोजना के सन्निर्माण के लिए एक द्विपक्षीय समझौता करने का इरादा है व राजस्थान ने इस कथित समझौते का विरोध किया।

जब से इस परियोजना की कल्पना की गई, राजस्थान ने अपनी प्रास्थिति समस्त संबंधितों के ध्यान में ला दी। यह कहा गया कि चूंकि राज्य का भाखरा नांगल समझौते के अधीन सतलज नदी के जल तथा उससे उत्पादित विद्युत् में हिस्सा है, इसलिए वह, अन्य भागीदार राज्यों के साथ नाथपा झाकड़ी परियोजना में भी हिस्सा पाने का हकदार है। तत्पश्चात् सिंचाई एवं विद्युत् मंत्रालय में कुछ बैठकें हुईं जिनमें इस मामले पर विचार किया गया। ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में वर्ष 1979 में भी एक बैठक हुई जिसमें यह विनिश्चय किया गया कि इस परियोजना को केन्द्रीय सैक्टर में क्रियान्वयन हेतु हाथ में लिया जाना चाहिए लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई और इसी बीच हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने द्विपक्षीय समझौता कर लिया। हाल ही में कुछ और घटनायें हुई हैं। ऊर्जा मंत्रालय की प्रेरणा पर द्विपक्षीय समझौते में विस्तार करके एन. एच. पी. सी. का भी एक हिस्सा सम्मिलित कर लिया गया है, जो तीसरा साझीदार होगा। हाल ही में 30 नवम्बर, 1980 के समाचार-पत्रों में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ कि उत्तर प्रदेश को भी एक हिताधिकारी के रूप में (हिस्से) की लागत दिये बिना विद्युत् के 20 प्रतिशत (हिस्से) आवंटित करने का प्रस्ताव है। इन समाचारों के अनुसार एन. एच. पी. सी. का शेयर 16 प्रतिशत ही कर दिया गया।

राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार को नाथपा झाकड़ी जल विद्युत् परियोजना को केन्द्रीय सैक्टर के अधीन लेने के लिए बार-बार स्मरण कराया है। हाल ही अप्रेल में और बाद में जुलाई, 1980 में भी भारत सरकार को पुन: पत्र भेजे गये। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री के पिछले जयपुर आगमन के दौरान भी उन्हें नाथपा झाकड़ी परियोजना में राजस्थान के दावे के बारे में अवगत कराया गया। मुख्य मंत्री महोदय ने विद्युत् मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में विभिन्न अन्तर्राज्यीय नदियों पर जल-विद्युत् में राजस्थान का दावा प्रस्तुत किया, जिसे कि उप-मंत्री द्वारा 28 जून, 1980 को नई दिल्ली में हुए विद्युत् मंत्रियों के सम्मेलन में दोहराया गया।

हाल ही में मुख्य मंत्री महोदय ने हिस्सेदार राज्यों तथा राजस्थान के दावों से ऊपर उत्तर प्रदेश को हिस्सा आवंटन का विरोध करते हुए तथा अपनी हकदारी के अनुसार राजस्थान के लिए आरक्षण हेतु केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री को पुन: लिखा गया है। उन्होंने केन्द्रीय योजना मंत्री को भी लिखा है।

दिसम्बर 1980 में मुख्य मंत्री ने इस विषय में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री एवं केन्द्रीय राज्य ऊर्जा मंत्री से भेंट की। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने मुख्य मंत्री को आश्वासन दिया कि राजस्थान का इस परियोजना में हिस्से बाबत जब तक फैसला नहीं हो जाता, केन्द्र हुए समझौते को नहीं मानेगा। इस बाबत मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाने का भी उन्होंने आश्वासन दिया।

3—4. आनन्दपुर साहिब तथा मुकेरियां जल—विद्युत परियोजना के संबंध में

भाखड़ा—नांगल परियोजना पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान सब की एक सम्मिलित परियोजना है। ये परियोजनाएं सिंचाई और विद्युत विकास के लिए सतलज नदी के सम्पूर्ण बहाव का उपयोग करने हेतु बनाई गई थीं।

1. भाखड़ा बांध जिसमें इसके दाहिने और बाएं तट के बिजलीघर सम्मिलित हैं।

2. नांगल बांध और नांगल जल—विद्युत नहर।

3. नांगल जल—विद्युत नहर पर स्थित बिजलीघर।

4. रोपड़ (हैड वर्क्स)।

5. मुख्य नहर एवं वितरण व्यवस्था।

भाखड़ा बांध से पानी छोड़ने का कार्य नांगल बांध द्वारा विनियमित किया जाता है। प्रदाय का एक हिस्सा नांगल जल—विद्युत नहर में छोड़ा जाता है तथा कुछ नदी में छोड़ दिया जाता है। जल—विद्युत नहर में जल छोड़े जाने से विद्युत उत्पादन होता है और तत्पश्चात् जल भाखड़ा मुख्य नहर में जाता है। जिसे सिंचाई व्यवस्था करने के काम में लिया जाता है। व्यास सतलज संयोजन के निर्माण से अतिरिक्त जल भाखड़ा बांध की ओर मोड़ दिया गया है।

3. आनन्दपुर साहिब जल—विद्युत परियोजना

पंजाब ने आनन्दपुर साहिब जल—विद्युत नहर तथा आनन्दपुर साहिब जल—विद्युत परियोजना का निर्माण अपने हाथ में ले लिया है जिससे भाखड़ा से छोड़े गये अतिरिक्त जल का इस नहर में विद्युत उत्पादन हेतु उपयोग किया जायेगा। वास्तव में आनन्दपुर जल—विद्युत परियोजना व्यास के जल को भाखड़ा में मोड़ दिए जाने से ही सम्भव हुई है। अन्यथा भाखड़ा का जल एक साथ दोनों नहरों, पुरानी नांगल नहर तथा नवीन आनन्द साहिब नहर, की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होता। राजस्थान ने आनन्दपुर साहिब जल—विद्युत परियोजना की विद्युत के लिए 1971 में ही अपना दावा प्रस्तुत कर दिया था।

मार्च, 1972 में केन्द्रीय सिंचाई एवं विद्युत मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में इन दावों को पुनः दोहराया गया।

तत्पश्चात्, 1977 में बैठकें हुई जिनमें भी केन्द्रीय एवं सिंचाई विद्युत मंत्री ने पुनः इस मामले पर विचार किया। आम राय यह थी कि यह स्कीम व्यास सतलज समूह का एक अभिन्न भाग है और इसलिए सही रूप से अन्तर्राज्यीय परियोजना के रूप में प्रवर्गित की जा सकती है। राजस्थान द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विद्युत् में फायदों तथा लागत को हिस्सेदार राज्यों द्वारा बराबर-बराबर बांटा जाना चाहिये।

4. मुकेरियां जल विद्युत् परियोजना

इसी बीच पंजाब ने शाह नहर बहाव बंध से आने वाली एक नहर के माध्यम से पोंग बांध से छोड़े गए जल को मोड़ कर विद्युत उत्पादित करने का प्रस्ताव रखा जिसे मुकेरियां जल-विद्युत् स्कीम का नाम दिया गया है। यह परियोजना भी पोंग बांध के निर्माण तथा उससे छोड़े जाने वाले जल के कारण ही सम्भव हुई।

पंजाब यह अनुभव करता है कि मुकेरियां जल-विद्युत परियोजना एवं आनन्दपुर साहिब जल विद्युत परियोजना सम्पूर्णतः उनके प्रदेश में स्थित है और वे विद्युत उत्पादन के लिये जल का उपभोग के रूप से उपयोग नहीं करते। इस प्रकार इन जल-विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित बिजली हिस्सेदार राज्यों में बांटने योग्य नहीं है। यह राजस्थान को स्वीकार नहीं था अतः इस मामले पर यह निर्देश करने हेतु भारत सरकार पर जोर डाला गया कि पंजाब राजस्थान को एक हिस्सेदार राज्य के रूप में स्वीकार करे? चूंकि पत्र व्यवहारों तथा बैठकों के माध्यम से किसी विनिश्चय पर नहीं पहुंचा जा सका अतः भारत सरकार ने यह विनिश्चय किया कि मुकेरियां, आनन्दपुर साहिब और यू.बी.डी. सी. जल विद्युत परियोजनाओं के फायदों और लागत को बांटने के मामले को श्री बी. शिवाराम, सदस्य, योजना आयोग को आर्बीट्रेशन हेतु निर्देशित किया जाय। तथापि, पंजाब ने मध्यस्थ नियुक्त करने के मामले में अपनी सहमति नहीं दी, इसलिये और आगे प्रगति सम्भव नहीं हुई।

इन परियोजनाओं की विद्युत में राजस्थान का दावा इस तथ्य पर आधारित है कि इनसे उन नदियों के जल का उपयोग हो सकेगा जिनमें राजस्थान का हिस्सा है तथा यह परियोजनाएं केवल भाखड़ा बांधों, व्यास सतलज संयोजन तथा पोंग बांध के कारण ही सम्भव हुई हैं, जो कि सम्मिलित रूप से किये गये कार्य हैं जिन पर हुए व्ययों में राजस्थान ने हिस्सा दिया है। आनन्दपुर साहिब नहर और मुकेरियां जल-विद्युत नहर पर कार्य चालू है और पंजाब इन परियोजनाओं पर आगे कार्यवाही कर रहा है। यद्यपि यह परियोजनाएं ना तो बी.बी.एम.बी. और न ही केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित हुई हैं। अतः

यह आवश्यक है कि लागतों तथा फायदों को बांटने के संबंध में निर्णय शीघ्र लिया जाय जिससे भागीदार राज्यों को उनके द्वारा सम्मिलित रूप से किये गये कार्यों के स्रोतों का फायदा उठाने से वंचित न किया जा सके।

हाल ही में बी. बी. एम. बी. की 92 वीं बैठक में आनन्दपुर साहिब विद्युत परियोजना के प्रश्न पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ जिसमें राजस्थान ने बी. बी. एम. बी. के सदस्य के नाते यह स्पष्ट कर दिया कि यह परियोजना केवल पंजाब राज्य की नहीं मानी जा सकती व इसका निर्माण केवल भागीदार राज्यों के जोइण्ट प्रोजेक्ट के रूप में ही हो सकता है व (इसका) कार्यान्वयन भी बी. बी. एम. बी. द्वारा ही होना चाहिये। यह भी स्पष्ट किया गया कि जब तक परियोजना में भागीदारों का हिस्सा तय नहीं हो जाता है बी. बी. एम. बी. इस परियोजना के निर्माण में कोई सहयोग न देवें व न ही अपनी जमीन अथवा अन्य प्रापर्टी पर इस कार्य को करने और न ही नांगल डेम पर इस नहर के लिए हैड वर्क्स बनाने की इजाजत दे। मीटिंग में हरियाणा ने राजस्थान का समर्थन किया व हिमाचल ने भी इसे युक्तिसंगत बताया। पंजाब ने इस बात का विरोध किया व कहा कि यह परियोजना केवल पंजाब राज्य की है व इसे इस कार्य को आगे बढ़ाने हेतु बी. बी. एम. बी. पूर्ण सहयोग प्रदान करे। अतः बी. बी. एम. बी. ने यह मामला केन्द्रीय सरकार को निर्णय हेतु प्रेषित करने का फैसला किया।

भाखड़ा व्यास नियन्त्रण बोर्ड ने हाल ही में 27-2-81 को सारा मामला भारत सरकार को इस मामले पर निर्णय के लिये प्रेषित कर दिया है।

ग्राम सेवा सहकारी समिति ननोवता (कोटा) में घपला

131. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति ननोवता जिला कोटा के अध्यक्ष श्री रामप्रसाद मीणा, व्यवस्थापक श्री काशीनारायण एवं सह-व्यवस्थापक श्री रामगोपाल के विरुद्ध सेवी की शक्कर के दुरुपयोग एवं फर्जी पत्रावली तैयार करने के आरोप में थाना भोपुर जिला कोटा में धारा 3/6 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत सन् 1980 में मुकदमा दर्ज किया गया था? यदि हां, तो कृपया प्रथम सूचना (एफ. आई. आर.) की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) इस मुकदमे में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। एफ. आई. आर. की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अनुसन्धान लगभग पूर्ण है। सम्बन्धित गवाहान के बयानात लिये जा चुके हैं। ग्राम सेवा सहकारी समिति से आवश्यक पत्रादि उपलब्ध करना शेष है।

सेवामें,

श्रीमान् एस.एच.ओ. साहब,
पुलिस स्टेशन, मोठपुर।

महोदय,

निवेदन है कि तहसील से शिकायत प्राप्त होने पर दि. 31-8-80 व 28-9-80 को ग्राम सेवा सहकारी समिति ननावता के लेवी शुगर वितरण की जांच मेरे द्वारा की गई जिसमें निम्नांकित गंभीर अनियमिततायें पाई गईं:–

1. दि. 31-8-80 को ग्राम सेवा सहकारी समिति ननावता सहायक व्यवस्थापक रामगोपाल वर्मा पुत्र विरधीलाल नि. ननावता ने लेवी शुगर वितरण का कोई रिकार्ड मौके पर जांच के लिये प्रस्तुत नहीं किया जिसकी फर्द मौका व व्यवस्थापक द्वारा लिखित तहरीर साथ संलग्न है।

2. तहसील द्वारा समिति का लेवी शुगर वितरण रिकार्ड मंगाये जानेपर दिनांक 28-9-80 को मौके पर पहुंचकर लेवी शुगर वितरण की जांच की गई तथा वितरण रजिस्टर में दर्ज राशन कार्ड नं., उपभोक्ताओं के नाम, यूनिट संख्या आदि का मिलान विकास अधिकारी द्वारा जारी किये गये राशन कार्ड रजिस्टर से किये जाने पर 55 उपभोक्ताओं के नाम व नम्बर यूनिट फर्जी पाये गये जिनकी सूची व मानचित्र संलग्न है।

3. उक्त जिन व्यक्तियों के नाम लेवी शुगर वितरण रजिस्टर में दर्ज किये गये हैं उनके नाम ग्राम पंचायत ननावता द्वारा राशन कार्ड जारी नहीं हुए हैं व मूल राशन कार्ड व उनका मानचित्र संलग्न है। इन क्रमांकों के राशन कार्ड, जो पंचायत द्वारा जारी किये गये हैं वह असल मय सूची के संलग्न हैं। जिनमें चीनी का दिया जाना अंकित नहीं है। उक्त प्रकार ग्राम सेवा सहकारी समिति ननावता द्वारा अगस्त, 80 में 49–74 कि.ग्रा. चीनी का फर्जी वितरण दर्ज करके दुरुपयोग किया गया है।

इस प्रकार समिति के प्रबन्धकों द्वारा (सहायक व्यवस्थापक, रामगोपाल वर्मा पुत्र विरधीलाल, व्यवस्थापक कैलाश नारायण, अध्यक्ष रामप्रसाद मीणा) ने मिलकर माह अगस्त में 4 क्विटल, 74 कि.ग्रा. चीनी का गोलमाल कर दिया है और इस प्रकार समिति प्रबन्धकों ने राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार की 2,5,10,11 एवं विशेष शर्त 14 तथा 17 का स्पष्ट उल्लंघन कर ई.सी. एक्ट की धारा 3/7 तथा 3/9 के तहत दण्डनीय अपराध किया है जिसके लिये उनके विरुद्ध नियमानुसार अभियोग दर्ज कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

एस.डी.

उमा गौतम, प्र.नि.अटरू

संलग्न–

1. मूल फर्द मौका 31-8-80 व 28-9-80
2. सहायक व्यवस्थापक द्वारा लिखित तहरीर
3. मूल निरीक्षण रिपोर्ट दि. 1-9-80 व 1-10-80
4. 55 राशन कार्ड मय सूची
5. फर्जी इन्द्राज का मानचित्र
6. 14 क्विंटल लेवी शुगर दि. 8-8-80 को बिल नं. 1553 की अटरू क्रय विक्रय सहकारी समिति से उठाई गई है।
7. प्राधिकार पत्र 11/77 ग्राम सेवा सहकारी समिति ननावता 2 किता
8. शपथ-पत्र कैलाशनारायण (व्यवस्थापक) ग्राम सेवा सहकारी समिति
9. प्रस्ताव अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति ननावता दि. 27-7-80
10. वितरण आदेश तहसीलदार अटरू
11. 51 ऐसे व्यक्तियों के नामों की सूची इस नाम, पुत्र के आदमी, नया गांव में नहीं है।
12. शिकायत जनता ननावता दि. 21-8-80 तहरीर सरपंच, 20-8-80
13. दो राशन कार्ड रजिस्टर ग्राम पंचायत ननावता.
14. वितरण रजिस्टर माह अगस्त ग्राम सेवा सहकारी समिति ननावता जो तहसील कार्यालय से प्रमाणित है और जिसमें पृ. सं. 23, 25 और 26 पर उमा गौतम, प्र. न. के हस्ताक्षर हैं साथ ही सहायक व्यवस्थापक के हस्ताक्षर हैं।
15. एक स्टाक रजिस्टर जो 1 से 4 पृष्ठ दि. 19-8-80 तक भरा है जिस पर उमा गौतम, प्र. नि. व सहायक व्यवस्थापक के हस्ताक्षर हैं प्रमाण स्वरूप अवलोकनार्थ संलग्न है।

एस. डी.

उमा गौतम, प्र. नि.
अटरू 7-10-80

प्रतिलिपि:–

1. श्रीमान् जिला रसद अधिकारी महोदय, कोटा
2. श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय, छबड़ा
3. श्रीमान् तहसीलदार साहब, अटरू

थाना मोठपुर, 7-10-80

श्रीमती उमा गौतम, प्र. नि., अटरू ने एक तहरीर रिपोर्ट वदी मजवहन की पेश की जिस पर मुकदमा नं. 47/80 धारा 3/7 ईसी एक्ट में कायम कर तफ्तीश शुरू की गई।

एस. डी.

एच. एम. थाना मोठपुर
आई. सी.

एस. डी.

उमा गौतम, प्र. नि.
अटरू 7-10-80.

खनन् पट्टे देने के प्रकरणों का निपटारा

132. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 1 जून, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 तक निदेशक, खनिज विभाग, उदयपुर ने कितने प्रस्ताव खनन पट्टों की स्वीकृति/अस्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त समस्त प्रस्तावों का दिसम्बर, 1980 के दूसरे सप्ताह तक निस्तारण नहीं किया गया ? यदि किया गया, तो कितनों का व कितने शेष रहे ?

उत्तर

(1) निदेशक, खान विभाग, उदयपुर ने दिनांक 1 जून, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 तक प्रधान खनिज एवं अप्रधान खनिज रियायती नियमों के अन्तर्गत खनन-पट्टों की स्वीकृति/अस्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव निम्नानुसार प्रेषित किये गये है :—

	स्वीकृति हेतु	अस्वीकृति हेतु	कुल
प्रधान खनिज	144	89	233
अप्रधान खनिज	12	15	27

(2) दिनांक 15 दिसम्बर, 1980 तक राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों में से जो आवेदन पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत किये गये एवं शेष रहे, उनका विवरण निम्नानुसार है:—

	स्वीकृत हुए	अस्वीकृत हुए	शेष रहे
प्रधान खनिज	27	43	163
अप्रधान खनिज	4	6	17

औद्योगिक संस्थानों के प्रबन्ध में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व

133. श्री सुरेन्द्र व्यास (मानपुरा): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में औद्योगिक संस्थानों के प्रबन्ध में मजदूरों को प्रतिनिधित्व दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

(2) उक्त योजना राज्य में किन किन संस्थानों में क्रियान्वित हुई है ? कृपया उनके नाम व सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में किन किन संस्थानों ने इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया है और इस योजना को क्रियान्वित कराने हेतु राज्य सरकार क्या नीति अपना रही है ?

(श्रम मंत्री)

उत्तर.....

(1) औद्योगिक संस्थानों में श्रमिकों की भागीदारी के सम्बन्ध में राजस्थान में पृथक् से कोई योजना नहीं है। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की योजना है और इस योजना की क्रियान्विति हेतु आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है।

(2) भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 75 में इस सम्बन्ध में जो योजना बनाई थी उसके तहत राज्य में 37 संस्थानों में से 35 संस्थानों में उक्त योजना लागू की गई थी। इन संस्थानों की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उक्त योजना को जयपुर उद्योग लि. सवाई माधोपुर तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया है। उक्त दोनों संस्थानों में योजना लागू करने हेतु प्रयास जारी है।

संस्थानों की सूची

क. सं. 1	नाम 2
1.	एडवर्ड मिल्स लि., ब्यावर
2.	महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर
3.	विजय कॉटन मिल्स, विजयनगर
4.	मशीन टूल्स कार्पोरेशन, अजमेर
5.	आदित्य मिल्स, किशनगढ़
6.	कृष्णा मिल्स, ब्यावर
7.	जनरल इंजीनियरिंग वर्क्स, भरतपुर
8.	सिमको वैगन फैक्ट्री, भरतपुर
9.	राजस्थान को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स, गुलाबपुरा
10.	मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स लि., भीलवाड़ा
11.	राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, भीलवाड़ा
12.	केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स, केशोरायपाटन
13.	एसोसियेटेड सीमेंट कार्पो., लाखेरी
14.	बिरला सीमेंट वर्क्स, चित्तौड़गढ़
15.	गंगानगर शुगर मिल्स, श्रीगंगानगर
16.	सादुल टैक्सटाइल्स मिल्स, श्री गंगानगर
17.	सांभर साल्ट लि., सांभर लेक
18.	राजस्थान स्टेट विद्युत मण्डल, जयपुर
19.	नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि., जयपुर
20.	कमानी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, जयपुर

1	2
21.	जयपुर मैटल्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स लि., जयपुर
22.	पोद्दार स्पिनिंग मिल्स, जयपुर
23.	जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, जयपुर
24.	राजस्थान टैक्सटाइल्स मिल्स लि., भवानी मंडी
25.	खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट, खेतड़ी नगर
26.	इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि., कोटा
27.	श्रीराम रेयन्स, कोटा
28.	श्रीराम केमिकल्स, कोटा
29.	जे.के. सिन्थेटिक्स लि., कोटा
30.	श्री गोपाल इण्डस्ट्रीज लि., कोटा
31.	महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लि., पाली
32.	जिंक स्मेल्टर, देबारी
33.	जावर माइन्स, उदयपुर
34.	उदयपुर सीमेंट वर्क्स, उदयपुर
35.	उदयपुर कॉटन मिल्स, उदयपुर

श्रम विभाग द्वारा गठित समितियां

134. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण, उत्पादन एवं श्रम सलाहकार समिति जैसी समितियों का गठन किया हुआ है ? यदि हां, तो इनमें कौन-कौन से एवं किन-किन संगठनों को प्रतिनिधित्व दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

श्रम विभाग द्वारा राजस्थान में श्रम सलाहकार मण्डल, राजस्थान, न्यूनतम वेतन श्रम सलाहकार मण्डल एवं राजस्थान कान्ट्रैक्ट लेबर एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया हुआ है। इनके गठन के समय कार्यरत केन्द्रीय श्रम संगठनों को इनमें प्रतिनिधित्व दिया गया था। अब इनका पुनर्गठन करने एवं वर्तमान में कार्यरत सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों को इनमें प्रतिनिधित्व दिये जाने का मामला विचाराधीन है।

जयपुर शहर में गैस सिलेण्डर्स की किल्लत

135. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में गैस उपभोक्ताओं को एक-एक माह तक गैस नहीं मिल पाती ?

(2) गैस सप्लायर्स पर क्या सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण है अथवा उन्हें खुली छूट दे रखी है ? यदि है, तो क्या नियंत्रण है ?

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

(3) क्या यह सही है कि राज्य के अलावा अन्य प्रान्तों में गैस सिलेण्डर्स की इस प्रकार की कमी नहीं है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

(4) उपभोक्ताओं को सही समय पर गैस सिलेण्डर्स उपलब्ध, हो सकें, इस हेतु सरकार क्या कदम उठाना चाहती है?

उत्तर

(1) बड़ोदा रिफाइनरी से गैस सिलेण्डर विलम्ब से आने के कारण पिछले 8-10 मास में जयपुर नगर के निम्नांकित गैस सप्लायर्स से उनके सामने अंकित अवधि में उपभोक्ताओं को गैस मिलती है :-

(1) जयपुर गैस, जयपुर 45 से 50 दिन
(2) पण्डित गैस, जयपुर 35 से 40 दिन
(3) राज. राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि., जयपुर। 15 से 20 दिन

(2) यहां के तीनों गैस सप्लायर्स पर पैट्रोलियम प्रॉडक्ट्स (लाइसेन्सिंग एण्ड कन्ट्रोल) आदेश, 1979 की धारा 19 के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी, जयपुर के द्वारा प्रसारित आदेश दिनांक 8-8-80 के अनुसार वितरण कराये जाने का नियंत्रण है। उक्त आदेश के अनुसार उपभोक्ता से प्राप्त आवेदन को पंजिका में पंजीकृत कर कुकिंग गैस क्रमानुसार उपलब्ध कराई जाती है।

(3) भारतीय तेल निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी गैस सिलेण्डरों की कमी है।

(4) अधिक गैस सिलेण्डर सप्लाई किये जाने हेतु तेल कम्पनियों को समय समय पर कहा जाता रहा है।

लूट क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना.

136. श्री लच्छूराम (मन्डावा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निम्न ग्राम लूट क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत आते हैं :—

(1) चैनपुरा
(2) कुलड़ियों का वास सरहद न्योला
(3) ढाणी बागापुरता
(4) ढाणी व्यापारियान
(5) दूलपुरा
(6) मुरवा का बास?

(2) यदि हां, तो इन गांवों को लूट क्षेत्रीय योजना से कब तक जोड़ा जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। सन्दर्भित ग्राम लूट क्षेत्रीय जल योजना में अभी शामिल नहीं है।

(2) इन ग्रामों को लूट क्षेत्रीय जल योजना में जोड़ने हेतु जिला आयोजना समिति का अनुमोदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।

टोडारायसिंह नगरपालिका क्षेत्र में पर्यटक केन्द्र

137. श्री चतुर्भुज चौधरी (टोडा-रायसिंह) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार टोडारायसिंह नगर-पालिका क्षेत्र में कोई पर्यटक केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या टोडारायसिंह में प्राचीन दर्शनीय स्थान हैं ? यदि हां, तो क्या पर्यटन विभाग का इस क्षेत्र को अपने अधीन लेने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) पर्यटन की दृष्टि से टोडारायसिंह में स्थित स्थानों का स्थानीय महत्व है। यहां पर स्थित स्थल केवल क्षेत्रीय एवं स्थानीय महत्व के हैं।

सरकारी काम-काज में हिन्दी भाषा को प्रोत्साहित करना

138. श्री शिवदान सिंह राठोड (जैतारण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकारी काम-काज में हिन्दी को उपयोग में लाये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या नीति है ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में विभागों को वांछित आदेश भी प्रसारित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या हिन्दी भाषा के प्रोत्साहन हेतु की गई कार्यवाही से सरकार संतुष्ट है ?

(4) क्या उच्चाधिकारी हिन्दी भाषा का पर्याप्त उपयोग करते हैं ?

(5) सरकारी काम-काज में हिन्दी भाषा का पूर्णतः उपयोग हो इस दिशा में सरकार क्या कारगर कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने हिन्दी को राजभाषा घोषित किया है।

(2) जी हां। समस्त विभागों को इस सम्बन्ध में आदेश-निर्देश समय समय पर प्रसारित किये जाते रहे हैं। ऐसे आदेशों का संकलन राजभाषा निदेशिका के रूप में प्रकाशित किया गया है।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) राज्य सरकार हिन्दी प्रयोग के आदेशों के क्रियान्वयन पर सतर्कता बराबर बनाए हुए है।

मांगरोल तहसील के गांवों का विद्युतीकरण

139. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि मांगरोल तहसील बमोरीकलां, मालबमोरी भटवाड़ा, मउ पारलिया, बोरदा तथा जलोदा तेजाजी ग्राम

(श्री हीरालाल आर्य)
पंचायतों के कई गांवों का अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है? यदि हां, तो इन गांवों का विद्युतीकरण किये जाने हेतु सरकार क्या प्रयत्न कर रही है; तथा पंचायतों के प्रत्येक गांव का कब तक विद्युतीकरण हो जावेगा?

उत्तर

जी हां। मांगरोल तहसील के शेष अविद्युतीकृत ग्रामों की संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत एक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का प्रारूप तैयार किया जाकर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को प्रेषित किया गया थी परन्तु धनाभाव के कारण निगम द्वारा उक्त योजना को विचारार्थ इस वित्तीय वर्ष में स्वीकार नहीं किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से अभी कुछ भी कहना सम्भव नहीं है।

सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के पुनः चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध

140. श्री रेवतराम (डूंगरगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सहकारी समितियों में संचालक का कार्यकाल 6 वर्ष है? 6 वर्ष के पश्चात् समिति के पदाधिकारी को पुनः चुनाव नहीं लड़ने की बन्दिश लगाने का क्या आधार है जबकि अन्य किसी चुनाव के लिये ऐसा प्रावधान नहीं है?

उत्तर

जी हां। सहकारी समितियों के निर्वाचित संचालकों का कार्यकाल लगातार दो टर्म तक अर्थात् 6 वर्ष तक ही है। दो टर्म पूरे होने पर, एक टर्म तक अर्थात् 3 वर्ष तक उसी व्यक्ति को संचालक निर्वाचित होने पर बंदिश है। यह बंदिश वर्ष 1974 में श्री शोभाराम की अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिश के आधार पर लगाई गई है। यह प्रावधान रखने में उद्देश्य यह था कि एक ही व्यक्ति सहकारी समिति में एकाधिकार स्थापित न कर सके।

चने की निकासी खोलने का औचित्य

141. श्री राज बहादुर (भरतपुर):
श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय):
श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम):
क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि मोटे अनाज, विशेषकर चने का राज्य भर में अभाव व्याप्त है और चने के भाव बहुत बढ़े हुए हैं? यदि हां, तो फिर राज्य से बाहर चने की निकासी क्यों और किन कारणों से खोली गई और चने के अभाव और मूल्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा?

उत्तर

राज्य में मोटे अनाज व चने की उपलब्धि एवं भावों की सूचना संलग्न है।

चने की निकासी पर प्रतिबन्ध मंत्री मण्डल के निर्णय के अनुसार बिजाई के लिये सस्ते भावों पर चना उपलब्ध करवाने के लिये लगाया गया था। बिजाई का काम पूरा होने पर प्रतिबन्ध हटा लिया गया। इससे चने की उपलब्धि और मूल्यों पर अन्तर पड़ा वह भी संलग्न सूचना में है।

उपलब्धि का मानचित्र

(क्षेत्रफल–एकड़ में)
उत्पादन–मै. टन में

वर्ष	चना		ज्वार		मक्का		बाजरा	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
1978–79	17,47,656	15,89,270	8,25,748	3,30,654	8,07,752	7,83,689	45,32,602	11,47,292
1979–80	13,47,556	7,30,722	8,55,487	1,53,191	8,79,107	5,73,609	42,62,404	3,80,249

कीमत का मानचित्र

सितम्बर, 80		अक्टूबर, 80			नवम्बर, 80			दिसम्बर, 80			जनवरी, 81			फरवरी, 81		
न्यून-तम–अधिक-तम	मध्य बिन्दु	न्यून-तम–अधिक-तम	मध्य बिन्दु	गत माह से प्रति-शत उतार-चढ़ाव	न्यून-तम–अधिक-तम	मध्य बिन्दु	गत माह से प्रति-शत उतार-चढ़ाव	न्यून-तम–अधिक-तम	मध्य बिन्दु	गत माह से प्रति-शत उतार-चढ़ाव	न्यून-तम–अधिक-तम	मध्य बिन्दु	गत माह से प्रति-शत उतार-चढ़ाव	न्यून-तम–अधिक-तम	मध्य बिन्दु	गत माह से प्रति-शत उतार-चढ़ाव
333–349	341	376–418	397	+16	417–431	424	+7	374–384	379	–11	352–373	363	–5	374–398	386	+6

उदयपुर जिले में अकाल राहत कार्यों पर लगे श्रमिक

142. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या उदयपुर जिले में बीकानेर, जोधपुर व जयपुर जिलों से ज्यादा मजदूर अकाल राहत कार्यों पर लगे हुए हैं ? यदि हां, तो इन जिलों में कितने-कितने मजदूर 1 फरवरी, 1981 को मजदूरी पर लगे हुए थे ? कृपया जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) मजदूर लगाने में एक दूसरे जिले में भिन्नता किस कारण रखी जाती है ? दिनांक 1 अप्रेल, 1981 को इन उपरोक्त जिलों में कितने-कितने मजदूर लगाने का लक्ष्य निर्धारित है ?

उत्तर

(1) जी, हां। माह फरवरी, 81 के प्रथम सप्ताह में जिला उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर व जयपुर में राहत कार्यों पर श्रमिक नियोजित थे उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी है।

(2) जिले की जनसंख्या एवं अभाव की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए श्रमिकों को नियोजित किया जाता है। अधिकतम सीमा निर्धारण का लक्ष्य राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया है। अब 5 सदस्यों के परिवार में से एक श्रमिक, 6 से 10 सदस्यों के परिवार में से 2 श्रमिक एवं 10 सदस्यों से अधिक सदस्यों के परिवार से 3 श्रमिक रखे जा रहे हैं।

सूची

क्र. सं.	नाम जिला	श्रमिकों की संख्या (प्रथम सप्ताह फरवरी, 81)
1.	उदयपुर	28391
2.	बीकानेर	4147
3.	जोधपुर	17202
4.	जयपुर	1984

बयाना (भरतपुर) क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

143. श्री जगन्नसिंह (बयाना) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बयाना विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्राम विद्युतीकृत हैं तथा यह कितना प्रतिशत है ? क्या राज्य सरकार इसे पर्याप्त मानती है ? अब शेष गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जावेगा ? अभी तक विद्युतीकरण नहीं किये जाने के क्या कारण रहे हैं ?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बयाना के 30 ग्राम विद्युतीकृत हैं तथा विद्युतीकरण का प्रतिशत 18.63 है। जी नहीं। यह राज्य के औसत से काफी कम है। शेष गांवों के विद्युतीकरण के बारे में स्वीकृत योजना के अभाव में अभी निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है। क्षेत्र में विद्यमान उच्च प्रसारण प्रणाली में अधिक भार लेने की क्षमता न होने तथा आर्थिक साधनों की सीमितता के कारण अधिक विद्युतीकरण नहीं हो पाया।

उदयपुर नगर की चार दीवारी बाहर विकास कार्य

144. श्री भैरूलाल (उदयपुर ग्रामीण): क्या नगर आयोजना एवं नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर नगर के विकास के लिये नगर विकास न्यास के पास कौन-कौनसी योजना विचाराधीन है ?

(2) क्या यह सही है कि शहर की चार दीवारी के बाहर नगर विकास न्यास द्वारा कोई विकास के कार्य नहीं किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या कार्य किये गये ?

(3) क्या इस वित्तीय वर्ष में नगर विकास न्यास का शहर की चार दीवारी के बाहर कोई विकास कार्य करने का विचार है ? यदि हां, तो क्या ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर नगर विकास न्यास के पास नगर के विकास के लिये विचाराधीन आवासीय एवं वाणिज्यिक योजनाओं की सूची संलग्न है।

(2) शहर की चार दीवारी के बाहर न्यास की योजनाओं में न्यास द्वारा सड़कें, बिजली, नालियां, नल एवं पार्कों के निर्माण कार्य किये गये हैं।

(3) इस वित्तीय वर्ष में नयी सड़कों का निर्माण, पुरानी सड़कों पर डामर आदि का कार्य नगर विकास न्यास, उदयपुर द्वारा किया जा रहा है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

सूची

नगर विकास न्यास, उदयपुर के पास ओल्ड फतहपुरा विस्तार योजना एवं अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए 200 आवासीय प्लाट्स की योजना

Expenditure/Development work done from April-80 to January-81.

1.	Sector No. 3, 4, 5, 6, Hiran Magri Scheme work executed such as Roads, Black topped, Nallha work & drain Parks.	4,07,000/-
2.	Sector No. 11, 13 Hiran Magri Scheme work executed such as Roads, Black topped, Nallha work and drain Parks.	1,87,000/-
3.	Central area Mali Colony Sector No. 12, City Station Udaipole Sector No. 9 Roads, Nallha, drain Black topped road.	82,700/-

4. Amba Mata Scheme, Parks, Drain, Roads, Black topped roads, Development of Choraya	1,04,138/-
5. Amba grah, Neemuchmata, Kharol Fatehpura, Polo ground, Parks, drain, Black topped road, AEN. quarters.	79,000/-
6. O. T. C. Scheme, Black topped road, Parks.	47,000/-
7. Amba Mata, Sector No. 3 to 6 Sector No. 11, 13, Machla Magra Sector No. 9 Central area. Patwon ki Magri, Shopping Centre opp. Rly. Station, opposite site Apsra Hotel, Hathipole, Moti Magri, Partap Nagar, Park & Plants, Survey etc.	4,10,755/- 97,600/-
8. Water line	2,00,000/-
Electric line	2,00,000/-
Maintenance work	3,50,000/-
	21,65,193
Beautification	44,000
Total:—	22,09,193

परिशिष्ट–5

तारांकित प्रश्न संख्या 119 की सूची

सूची "क"

यान्त्रिकी अभियन्ताओं को सिविल अभियन्ताओं के पदों पर नियुक्ति की सूची

क्र. सं.	नाम	पद	नियुक्ति स्थान	दिनांक नियुक्ति
1.	श्री एस. एन. सहाय	उप अभियन्ता	सिंचाई खण्ड, जोधपुर	11–11–75
2.	श्री शिवदत्त शर्मा	,,	सोमकमला अम्बा बांध खण्ड, आसपुर	24–9–79
3.	श्री भैरू लाल जाट	,,	मेजा फीडर खण्ड, भीलवाड़ा	17–3–80
4.	श्री जहूर मोहम्मद	,,	निदेशक, रूपांकन एवं अनुसंधान, जयपुर	15–7–78
5.	श्री एस. आर. सुराणा	,,	सिंचाई वृत्त, अजमेर	1–9–78
6.	श्री एम. एल. शर्मा	,,	स्टोर डिस्पोजल उप खण्ड, कोटा	28–2–74
7.	श्री के. एल. यादव	,,	,,	28–2–74
8.	श्री राजेन्द्र सिंह	,,	,,	28–2–74
9.	श्री नरोत्तम लाल सोनी	,,	ड्रेनेज खण्ड, तृतीय, बूंदी	8–8–79
10.	श्री एस. पी. राय	सहायक अभियन्ता	तकनीकी सहायक, बीकानेर सि. क्षे. वि. वृत, बीकानेर	माह अगस्त, 80
11.	श्री. एस. पी. राय	क. अभियन्ता	रोजड़ी सर्वे उप खण्ड 4, सि. क्षे. वि., छतरगढ़	माह अप्रेल, 78 से

सूची "ख"

सिविल अभियन्ताओं को यांत्रिकी अभियन्ता के पदो पर नियुक्ति की सूची

क्र. सं.	नाम अभियन्ता	पद	नियुक्ति स्थान	दिनांक नियुक्ति
1.	श्री वी. एन. सिंह	सहा. अभियन्ता	वर्कशाप एण्ड स्टोर खण्ड, कोटा	1-11-77
2.	श्री सुन्दर लाल	उप अभियन्ता	,,	1-11-77
3.	श्री बी. एस. रावल	,,	,,	1-11-77
4.	श्री एन. डी. गुलाटी	,,	यांत्रिकी उपखण्ड कोटा बैराज, कोटा	16-12-80
5.	श्री एस. के. गुप्ता	सहा. अभियन्ता	माही परियोजना	1-4-80
6.	श्री त्यागी	,,	,,	1-4-80
7.	श्री जी. के. अग्रवाल	,,	,,	1-4-80
8.	,, ,,	उप अभियन्ता सिविल	यांत्रिक खण्ड, सूरतगढ़	अक्टूबर 80 से

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 119 की सूची

काम के बदले अनाज योजना में अपूर्ण कार्यों की सूची—पंचायत समिति इटावा

क. सं. 1	नाम पंचायत 2	नाम कार्य जो अधूरे हैं 3	विवरण 4
1.	पंचायत ख्यावदा	1. शाला पीपड़दा खुर्द	
		2. शाला कनवड़िया	
2.	दुर्जनपुरा	3. शाला भवन दुर्जनपुरा	
		4. खुर्रा दुर्जनपुरा	
		5. कुआं दुर्जनपुरा—I	
		6. कुआं दुर्जनपुरा—II	
		7. खरंजा दुर्जनपुरा	
		8. नया कुआं बाड़ोली	
		9. खरंजा बमूडिया खरड़ा	
3.	फूसोद	10. नवीन कूप रोहली	
		11. कुआं गिरधरपुरा	
		12. शाला फूसोद	
4.	पीपड़दा	13. मुख्य मार्ग पीपड़दा	
		14. पंचायत भवन पीपड़दा	
		15. सैकण्डरी स्कूल पीपड़दा	
		16. कन्या शाला पीपड़दा	
5.	अयानी	17. औषधालय अमदनी	
		18. प्रा0 शाला काकरा	
6.	मियाल	19. खरंजा बरनाहली	
		20. कुआं कोठड़ा	
		21. शाला मियाल	
		22. शाला बरनाहली	
7.	बारेदा	23. शाला नीमसरा	
		24. शाला हथोली	

1	2	3	4
8.	ढीपरी	25. उच्च प्रा. शाला ढीपरी	
		26. पुलिस बागरोद	
		27. औषधालय ढीपरी	
		28. शाला श्रीपुरा	
9.	भमाना	29. कुआं भमाना	
		30. खरंजा माटोली	
10.	ककरावदा	31. शाला राजपुरा	
		32. कुआं रामगंज	
11.	तलाब	33. पंचायत भवन तलाब	
		34. स्कूल भवन तलाब	
		35. नलकूप फरेरा	
		36. शाला सतमानपुरा	
12.	खातौली	37. चिकित्सालय पशु खातोली	
		38. माध्यमिक शाला खातौली	
		39. प्रा. शाला खातोली	
13.	बागली	40. शाला भवन बागली	
		41. सार्वजनिक कूप ठीकरदा	
		42. शाला भवन उदपुरिया	
		43. शाला रामपुरिया	
		44. कुआं ठीकरदा बेखान	
		45. कूप मरम्मत ठीकरदा	
		46. कूप मरम्मत गोठेड़ा	
14.	राजोला	47. शाला भवन राजोला	
		48. घेवरी बेखान केशोपुरा	
15.	लक्ष्मीपुरा	49. पंचायत भवन, लक्ष्मीपुरा	
		50. शाला भवन, लक्ष्मीपुरा	
		51. शाला हरिपुरा	
		52. खरंजा हरिपुरा-I	
		53. खरंजा हरिपुरा-II	

1	2	3	4
		54. खरंजा लक्ष्मीपुरा-I	
		55. कूप लक्ष्मीपुरा-II	
		56. अरनिया खरंजा	
		57. अरनिया कूप 2	
		58. विजयपुरा खरंजा I	
		59. विजयपुरा कूप 2	
		60. ढीढारो कूप 2	
		61. खरांजा ढीढारो 1	
		62. कमड़दा शाला भवन	
		63. कबमडल खरंजा 1	
		64. कवड़दा कूप 2	
16.	इटावा	65. पक्का खरंजा, डडवाडा रोड	
		66. खरंजा पुरोहित वादल	
		67. पेशावघर, बड़ा मन्दिर	
		68. शौचालय गढ़वाली	
		69. शौचालय तेजाजी	
17.	नौनेरा	70. शाला भवन, ग्रामड़दा	
		71. शाला भवन, डडवाड़ा	
		72. उच्च प्रा., नौनेरा	
		73. पंचायत भवन, नौनेरा	
		74. औषधालय नौनेरा	
		75. कूप खखन	
		76. नाका चुंगी, नौनेरा	
		77. कूप नौनेरा	
		78. कामन हाउस, डडवाड़ा	
18.	रनोदिया	79. प्रा. शाला, रनोदिया	
		80. कूप नारायणपुरा	
		81. कूप रनोदिया	
19.	विनमवास	82. कूप तलावता	

1	2	3	4
20.	बालूफ	83. प्रा. शाला, बालूफ	
21.	लुवावड	84. प्रा. शाला, गणेशखेड़ा	
22.	जटवाड़ा	85. प्रा. शाला, जटवाड़ा	
		86. प्रा. शाला, जटवाड़ी	
		87. पं. भवन, जटवाड़ा	
		88. खरंजा, गोपालपुरा	
		89. कूप मरम्मत, लाखनी	
23.	गनेशगंज	90. शाला गनेशगंज	

काम के बदले अनाज के कार्य जो अकाल राहत में लिए गये हैं तथा अधूरे हैं। सूची संलग्न है :–

1.	शाला भवन	35
2.	कूप	24
3.	औषधालय	15
4.	पंचायत भवन	4
5.	कायनआउ	1
6.	शौचालय	3
7.	पेशाबघर	1
8.	नाकाउकी	1
9.	पुलिया	1
10.	देवरी	1

योग – 90

काम के बदले अनाज योजना के कार्य जो अकाल राहत में लिये गये है और अधूरे हैं।

नाम पंचायत	नाम कार्य
1. दुर्जनपुरा	1. शाला दुर्जनपुरा
2. फूसौदा	2. मारेखूदना
3. अमानी	3. प्रा. शाला अमानी

नाम पंचायत	नाम कार्य
4. बिनामवस	4. कुआं मुगेल
	5. कुआं डोरफी
5. फरवाड	6. शाला भवन, लक्ष्मीपुरा
6. बारेदा	7. प्रा. शाला, बारेदा
7. गेवा	8. खरंजा नं. 3
	9. खरंजा नं. 4
8. बमूडिया	10. कुआं रघुनाथपुरा (परीक्षण राहत में लिया जा चुका है)
	11. शाला बमूलिया
	12. कूप हवाखेड़ली (परीक्षण राहत में लिया जा चुका है)
	13. कूप कोरपुरा
9. जोरावरपुरा	14. शाला शोभागपुरा
	15. कूप खेड़ली बरेवान
10. लक्ष्मीपुरा	16. शाला ढीढारा
	17. शाला विजयपुरा
11. नौनेरा	18. कूप खेड़ली नौनेरा
12. धालूपा	19. प्रा. शाला धापूल
	20. कूप केथोदा
	21. कूप देलादे } इन कार्यों को नवीन अकाल राहत में लिया जा चुका है।
	22. कूप धनावा
	23. कूप गुड़हल
	24. कूप संग्रामपुरा
13. बगली	25. कूप घटोद
14. मियाना	26. औषधालय भवन, भीमौरी
15. अयाना	27. माध्यमिक शाला, अयाना

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 125 की नामावली

जिला स्तर पर गठित समिति की नामावली

1.	जिलाधीश	अध्यक्ष
2.	जिले के समस्त राज्य सभा एवं लोक सभा के सदस्य	सदस्य
3.	जिले के पांच जन प्रतिनिधि (जिनमें से एक महिला व एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का सदस्य मनोनीत होगा) प्रतिस्थापित किये जाने की, ये नाम जिलाधीश के सुझाव पर राज्य सरकार मनोनीत करेगी	1. श्री हफीज मोहम्मद 2 श्री कैलाश व्यास 3. श्री रामेश्वर भट्ट 4. श्री कल्याण जी मीणा 5. श्रीमती सुलोचना शर्मा
4.	जिले के समस्त विधान सभा सदस्य	सदस्य
5.	जिला प्रमुख	"
6.	अधिशासी अभियन्ता, सा. नि. विभाग	"
7.	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई	"
8.	वन मण्डल अधिकारी	"
9.	जिला भू-संरक्षण अधिकारी	"
10.	सहायक पंजीयक सहकारी समितियां	"
11.	जिला कृषि अधिकारी	"
12.	अतिरिक्त जिलाधीश	"

13. क्रय-विक्रय सहकारी समिति/सहकारी उपभोक्ता भण्डार के एक प्रतिनिधि	सदस्य
14. अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी/ उप जिला विकास अधिकारी	,,

परिशिष्ट-क

जिला स्तर की समिति का मापदण्ड

1.	जिलाधीश	अध्यक्ष
2.	जिले के समस्त राज्य सभा एवं लोक सभा सदस्य	सदस्य
3.	जिले के समस्त विधान सभा सदस्य	,,
4.	जिले के पांच जन प्रतिनिधि (जिनमें से एक महिला व एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य मनोनीत होगा) प्रतिस्थापित किये जाने की, ये नाम जिलाधीश के सुझाव पर राज्य सरकार मनोनीत करेगी	,,
5.	जिला प्रमुख	,,
6.	अधिशासी अभियन्ता, सा.नि.विभाग	,,
7.	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई	,,
8.	वन मण्डल अधिकारी	,,
9.	जिला भू-संरक्षण अधिकारी	,,
10.	सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां	,,
11.	जिला कृषि अधिकारी	,,
12.	अतिरिक्त जिलाधीश	,,
13.	क्रय-विक्रय सहकारी समिति/सहकारी उपभोक्ता भण्डार के एक प्रतिनिधि	,,
14.	अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी/ उप-जिला विकास अधिकारी	,,

ब्लाक स्तर पर गठित समिति का मापदण्ड

1.	उप खण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2.	सदस्य विधान सभा	सदस्य
3.	पांच जन प्रतिनिधि (जिसमें एक महिला व एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होना जरूरी है, इनके नाम जिलाधीश की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत होंगे)	सदस्य
4.	प्रधान, पंचायत समिति	सदस्य
5.	विकास अधिकारी	सदस्य
6.	तहसीलदार	सदस्य
7.	क्रय विक्रय सहकारी समिति का प्रतिनिधि	सदस्य

8. उपभोक्ता सहकारी भण्डार का प्रतिनिधि : सदस्य

भीलवाड़ा जिले में ब्लाक स्तर पर परामर्श दात्री समिति की बैठकों का विवरण

क्रमांक	नाम पंचायत समिति	बैठक सम्पन्न की तारीख
1.	बनेड़ा	7-1-81, 3-2-81
2.	जहाजपुर	5-2-81
3.	माण्डल	9-1-81

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या–139 का ब्योरा

STATEMENT SHOWING THE OCCUPANGY OF RAJASTHAN HOUSE, NEW DELHI FROM 1-3-80 TO 1-2-81

Months	DATED																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
March, 80	19	19	28	29	35	38	34	35	32	37	39	36	43	46	40	42	47	41	36	41	42	35	35	42	42	33	39	43	42	38	34
April, 80	38	40	48	45	40	38	52	50	47	47	38	37	41	43	50	46	48	45	38	43	50	47	49	42	43	44	45	44	42	40	–
May, 80	38	38	38	36	28	34	39	32	48	44	42	31	31	30	25	38	31	28	32	37	34	25	23	20	23	27	37	38	32	28	19
June, 80	24	21	23	26	31	34	28	29	27	29	33	38	36	33	27	19	27	26	26	38	32	31	43	35	32	24	19	20	25	20	—
July, 80	23	25	25	24	29	23	21	29	30	41	36	38	36	41	38	38	35	30	30	30	39	31	31	33	35	29	19	19	18	23	25
Aug., 80	28	32	35	33	31	25	27	41	34	41	42	30	23	32	34	40	41	34	32	37	37	34	29	28	22	19	26	32	36	39	31
Sept., 80	28	32	22	27	29	31	32	29	35	29	22	20	30	32	31	33	32	30	32	29	28	29	34	36	36	35	32	20	22	40	—
Oct., 80	29	29	41	43	37	37	46	42	45	35	27	20	18	25	23	19	35	34	34	19	26	29	23	40	48	39	28	33	33	32	35
Nov., 80	24	29	29	40	33	16	14	8	9	22	26	25	23	50	49	39	34	43	37	25	26	26	21	25	32	35	34	36	29	43	—
Dec., 80	35	37	40	42	40	37	40	46	45	44	47	41	30	31	33	40	41	45	48	52	47	46	43	49	46	37	34	33	30	32	24
Jan., 81	32	34	38	41	42	41	43	47	31	43	47	33	28	31	39	45	35	41	41	43	38	41	26	21	23	26	35	35	44	47	34
Feb., 81	30																														

Sd/-
Manager,
Rajasthan House, New-Delhi.
Camp: Jaipur.

(185)

STATEMENT SHOWING THE OCCUPANCY OF JODHPUR HOUSE, NEW DELHI FROM 1-3-80 TO 1-2-81.

Months	DATED																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
March, 80	–	–	–	–	2	3	1	–	–	2	4	4	5	1	–	4	4	4	–	–	–	2	–	–	–	4	4	1	1	1	–
April, 80	–	2	2	2	–	–	6	6	5	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	3	2	5	1	5	–
May 80	5	5	5	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–
June, 80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	1	1	–	–	–	–	2	4	1	5	5	–	2	–	–	–	–	–
July, 80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	4	7	5	5	3	2	–	–	–	2	–	–	–	–
Aug., 80	–	4	–	–	–	–	–	1	2	2	2	–	–	–	2	8	5	4	–	–	–	–	–	1	6	4	4	4	6	7	3
Sept., 80	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	7	7	–
Oct., 80	6	6	5	6	5	5	5	5	5	5	5	–	–	–	–	–	4	4	–	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–
Nov., 80	–	–	4	2	–	–	–	–	–	3	4	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Dec., 80	–	–	–	–	10	12	8	–	–	–	6	1	–	–	–	1	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	2	2	2	2
Jan., 81	6	4	2	5	5	–	–	2	2	2	–	–	–	1	3	3	1	2	2	–	2	2	2	2	1	1	1	1	4	3	–

Sd/-
Manager,
Rajasthan House, New-Delhi.
Camp : Jaipur.

(186)

[redacted]

STATEMENT SHOWING THE CONSUMPTION OF MEALS FOR RAJASTHAN HOUSE, NEW DELHI FROM 1-3-80 TO 1-2-81.

Months	DATED																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
March, 80	7	–	30	31	43	60	44	71	51	62	81	76	76	59	69	64	78	74	69	76	61	64	51	49	84	71	91	105	107	71	64
April, 80	63	42	24	36	66	67	66	61	59	41	46	29	28	54	63	50	41	54	44	41	82	82	114	167	125	106	111	112	96	91	—
May, 80	35	32	42	50	34	42	44	50	70	48	29	19	24	19	18	36	25	37	46	27	31	33	35	27	23	30	27	33	29	41	40
June, 80	18	26	56	83	80	51	73	64	85	62	84	121	96	97	39	25	44	48	68	67	79	48	81	97	62	45	31	25	27	34	—
July, 80	42	44	20	39	45	22	18	22	43	47	48	52	35	50	44	41	57	42	42	56	63	79	58	33	56	36	27	29	32	36	63
Aug., 80	46	125	47	36	40	37	49	60	76	88	66	32	41	58	69	112	70	50	47	44	40	57	39	29	35	9	36	46	107	110	42
Sept., 80	92	73	55	89	77	51	36	48	54	45	44	33	40	49	45	72	136	121	119	61	55	61	57	67	82	71	35	24	38	46	—
Oct., 80	60	55	48	54	57	63	89	120	59	40	81	21	41	50	31	26	77	102	59	77	32	29	39	60	57	43	41	46	51	59	32
Nov., 80	48	28	64	64	50	22	–	–	15	68	40	41	34	110	132	18	36	32	39	50	47	25	20	31	38	61	43	56	36	59	—
Dec., 80	75	76	60	67	741	131	149	85	54	72	65	77	93	95	60	65	62	73	82	92	132	69	59	71	65	92	68	63	86	63	55
Jan., 81	53	58	78	104	87	40	55	65	46	55	43	41	38	40	54	59	40	45	57	59	44	43	39	34	50	30	74	76	70	77	53
Feb., 81	53																														

Sd/-
Manager,
Rajasthan House, New-Delhi.
Camp : Jaipur.

(18)

STATEMENT SHOWING THE CONSUMPTION OF MEALS OF
JODHPUR HOUSE, NEW DELHI FROM 1-3-80 TO 1-2-81

Months	DATED																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
March, 80	–	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	7	23	8	–	15	21	27	13	–	–	–	–	–	–	–	13	–	–	–	–
April, 80	–	3	–	3	–	–	–	26	38	22	–	4	–	5	–	–	–	–	4	–	–	–	–	15	–	–	3	11	11	26	–
May, 80	17	33	33	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	17	6	12	5	–	–	–	–	–	–	–
June, 80	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	14	27	29	44	36	17	–	–	–	–	–
July, 80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33	14	13	17	4	18	13	3	–	–	–	–	–	–	–	–
Aug., 80	–	5	8	–	–	–	–	–	5	10	7	–	–	–	3	19	10	9	–	–	–	–	–	6	24	37	37	29	35	38	36
Sept., 80	40	38	34	57	39	46	38	47	36	37	40	44	46	45	38	40	44	43	45	33	53	44	43	48	40	38	47	31	31	41	–
Oct., 80	42	46	40	39	45	43	34	30	28	34	34	–	–	–	–	–	7	21	11	–	–	10	7	–	–	–	–	–	–	–	–
Nov., 80	–	–	–	15	–	–	–	–	–	15	11	27	–	–	–	20	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–
Dec., 80	–	19	–	–	21	45	59	19	–	8	24	–	–	–	–	–	–	7	26	20	26	16	37	32	38	49	29	18	–	16	12
Jan., 81	22	16	–	32	42	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	16	16	5	9	–	–	–	–	–	–	–	5	12	16	20	18
Feb., 81	–																														

Sd/–
Manager,
Rajasthan House, New-Delhi.
Camp: Jaipur.

(188)

STATEMENT SHOWING THE CATERING INCOME OF RAJASTHAN HOUSE, JODHPUR HOUSE, NEW DELHI FOR THE PERIOD FROM 1-3-80 TO 1-2-81.

INCOME	1,01,303.54
EXPENDITURE	2,05,711.26

Sd/-
Manager,
Rajasthan House, New-Delhi.
Camp: Jaipur.

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 140 की सूची

सूची–अ

राज्य में वर्ष 1980 में चोरी, डकैती, लूट, व जेब कटिंग में दर्ज हुए अपराध

क्र.सं.	शीर्षक	पंजीबद्ध अपराध	अदमवकू	157 बी	अदम पता	अदम सबूत	जेर तफ्तीश	चालान 299 सी.आर.पी.सी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	चोरी	13360	2343	98	6234	89	714	74
2.	डकैती	116	5	--	16	1	30	4
3.	लूट	1216	391	--	150	5	102	14
4.	जेब कटिंग	447	9	--	245	—	9	1

व उनका निस्तारण

चालान	सजा	रिहा बरी	राजीनामा	गैर ट्राइल	चोरी गई सम्पत्ति	बरामद हुई सम्पत्ति	प्रतिशत
10	11	12	13	14	15	16	17
3808	101	10	48	3649	26003863-27	18609394-18	71.56%
60	--	—	2	58	2740420-00	1462428-00	53.37%
554	5	—	6	543	3681325-97	3290075-72	89.37%
183	9	--	2	172	500069-25	103660-60	20.73%

सूची—ब

सूची बाबत आन्दोलन

आन्दोलन	संख्या आन्दोलन	लाठी चार्ज अथवा गैस संख्या	गिरफ्तारी
छात्र	649	12	682
श्रमिक	321	1	56
किसान	71	2	224
राजनैतिक पार्टीज	100	—	1279

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 143 की सूची

अलवर खण्ड के बांधों की सूची

क.सं.	नाम बांध
	साबी कैचमेन्ट एरिया
1.	अकामदिका बांध
2.	बसरोज बांध
3.	बघोर बांध
4.	बघेरी कला
5.	बघेरी खुर्द
6.	बासताला
7.	भिवारी
8.	बगोर
9.	बाबरिया
10.	पान्दड़ी कलां
11.	घिरियावास
12.	महिरभाजरा
13.	तरखोरा
14.	इचाका
15.	इसापुर
16.	इतरोदा
17.	इमलकी
18.	बाटका
19.	भीवाना
20.	करवड़
21.	खिरदारपुरा
22	किरथसिंहपुरा
23.	कालियाकि
24.	कोटकासिम
25.	मघरोली
26	नोगाकमपिट
27.	नोगावा खास
28.	नाछनोल
29.	काजीवाला
30.	रामपुर
31.	रामबास
32.	सिरयानी
33	सयैदपुरबारका
34.	तरोद
35.	तरनखुर्द
36.	तोहारी
37.	तिजारा
	रूपारेल कैचमेंट एरिया
38.	हमीरका
39	सिलीसेढ़
40.	सरजानपुरी
41.	सिलीबेरी
42.	वटेनिग
43.	सनीवाला
44	विजयसागर
	चन्दवानाला कैचमेन्ट एरिया
45.	आवरिया
46.	भिन्डूची
47.	विलासपुर
48.	हसयापुर
49.	इस्माइलपुर
50.	भिरोली
51.	नोगावाखास
	बाणगंगा कैचमेन्ट एरिया
52.	अगार
53.	बिरखेरी
54.	भागोला

क्र. सं. नाम बांध	क्र. सं. नाम बांध
55. देवली	88. मासाय
56. घमरेड	89. दुसारी
57. डागडागा	90. थोनसरी
58. ढेरा	91. चेवरा
59. गटोसवाई	92. जयसागर
60 कालाखेड़ा	93. भाबरोली
61. जैतपुर	94. हटवाड़ा
62 झाडाढाला	**रूपारेल कैचमेन्ट एरिया**
63. कोठीनारायणपुर	95. मवाल
64. खो	96. म्राडोली
65 लाखनाका	97. बासेटा
66. मानसरोवर	98. बारा बियर
67. मगलानसर	99. बागसिंह तैलिवा
68. मतोडी	100. विचगांव
69. निमली	101. घाटवाप बान्ध
70. नीमला	102. मोरे पहाड़ी
71. पटवारी का नाला	103. हंस सरोवर
72. मैनीनास नाला	104. हरसाना
73 पिनान	105. जयसमन्द
74. प्रितमपुरा	106. कनवारा
75. राजरोली	107. लक्ष्मणगढ़
76. रैनीग्रोल्ड	108. लीली
77. रैनी न्यू	109. मेवोखेड़ा
78. रूपवास	110. नगलाबन्जीर
79. रामसागर	111. मलिकपुर
80. सिरसादेवी पिकअपवियर	112. प्रेरत्नाकर
81. सुरेरलोअर	113. पिपरोली
82. सुरेरअपर	114. प्रताप
83. सालवाडी	115. रामलालवाला
84. तलाब	**लडवाना कैचमेन्ट एरिया**
85 टेकडी	116. निमली
86. टोडा	117. घाटाखुर्द
87. ठिठुरी	

(195)

अलवर खण्ड के बांधों की सूची जिनको मरम्मत की आवश्यकता है

सूची—"ख"

क्र.सं.	बांध का नाम
1.	बवरिया बांध
2.	हरसोरा बांध
3.	इस्सापुर बांध
4.	इसरोड़ा बांध
5.	कारमार बांध
6.	नखनोर बांध
7.	नौ गांव मासिद बांध
8.	सईदपुर थरका बांध
9	सरोड बांध
10.	सरनखुर्द बांध
11.	मिलकपुर बांध

———————